खण्ड-362, अंक-9
बुधवार, 16 चैत्र, शक संवत् 1905
(6 अप्रैल, 1983 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 362 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	1243–1248
प्रश्नोत्तर	..	1249–1312
भूतपूर्व विधान सभा सदस्य श्री राजनाथ सिंह के निधन पर शोकोद्गार		1313
ग्राम रेला निवासी श्री राजबहादुर को थाना कदौरा (जालौन) की पुलिस द्वारा अवैध रूप से बन्दी बनाने एवं गायब करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1315
गोरखपुर जनपद में 'बालाहार योजना' के अन्तर्गत सामानों की खरीद में घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1316
निर्वाचन क्षेत्र पड़रौना में तूफान एवं ओलावृष्टि से भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1316
जनपद गोंडा के बलरामपुर तहसील में बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में ढिलाई से जन आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1317
मुंडेरवा (बस्ती) की पुलिस द्वारा श्री सन्तराम, श्री निर्मल और श्री राम चन्द्र को मार डालने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		1317
सिटी ब्लाक मण्डा और कुन्दरकी (मुरादाबाद) में कारपोरेशन द्वारा ट्यूब वेल निर्माण के बाद भी विद्युतीकरण न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1318
करमा थाना (मिर्जापुर) की पुलिस द्वारा सम्मानित वकील श्री शीतला प्रसाद सिंह की पिटाई से उत्पन्न जन-आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1318
थाना धूमनगंज (इलाहाबाद) की पुलिस द्वारा मकदूमपुर निवासी श्री कामता प्रसाद पासी का इनकाउण्टर किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1319
ग्राम जरवा (आगरा) के पेयजल में फ्लोराइड तत्व के होने से उत्पन्न हानिकारक प्रभावों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		1319
नगीना (बिजनौर) निवासी अब्दुल मजीद के घर में घुसकर पुलिस तथा असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट एवं लूटपाट किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1319
श्री गोरेलाल शाक्य द्वारा उठाए गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय दिए जाने की मांग	..	1320–1322
मुख्यमंत्री द्वारा मण्डल आयोग की रिपोर्ट का, बिना मंत्रिमंडल की राय लिए विरोध किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी)		1323

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री राम आसरे पासवान को बदमाशों द्वारा बन्द रखने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	1324
मुख्यमंत्री द्वारा मण्डल आयोग की रिपोर्ट का, बिना मन्त्रिमण्डल की राय लिए, विरोध किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)	1325–1328
आगरा विश्वविद्यालय के प्रांगण में होली मिलन के सार्वजनिक समारोह की अध्यक्षता प्रशासक, नगर महापालिका, आगरा द्वारा किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	1329
15 फरवरी, 1982 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–59 के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य ..	1330
उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) विधेयक, 1983 (पुरःस्थापित) ..	1331
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	1331–1341
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक उद्धार के लिए औद्योगीकरण नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगों को दिए जाने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत) ..	1342–1345
विधान सभा एवं लोक सभा के चुनावों में प्रत्येक गांव सभा स्तर पर मतदान केन्द्र स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करने के सम्बन्ध में संकल्प (अस्वीकृत) ..	1346–1352
श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा 14 अप्रैल, 1982 के पंचनिर्णय विवाद संख्या 5/1981 द्वारा दिए गए एवार्ड को सभी राजकीय सूती मिलों में लागू किए जाने के सम्बन्ध में संकल्प (वापस) ..	1353–1361
शीतलहरी, भूख, दवा एवं वस्त्रों आदि के अभाव के कारण मरने वालों के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में संकल्प (अस्वीकृत) ...	1362–1374
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ ..	1375
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1982 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित) ..	1375–1392
कार्य-सूची की मद संख्या 21 और 22 स्थगन के संबंध में सूचना ..	1393
श्री गाँधी आश्रम, गोरखपुर के कार्यकर्त्ताओं पर नियोजित ढंग से पुलिस व असामाजिक तत्वों द्वारा की गयी ज्यादती एवं उन्हें जेल में बन्द कर देने के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा ..	1393–1401
टिहरी बाँध के निर्माण से उत्पन्न होने वाली कथित भयावह स्थिति तथा विस्थापितों की समस्या के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (समाप्त) ..	1402–1404

विषय		पृष्ठ संख्या
लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति तथा मंत्रियों को परामर्श देने के लिए 29 स्थायी समितियों में सदस्यों के निर्वाचन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..	1405
टिहरी बाँध के निर्माण से उत्पन्न होने वाली कथित भयावह स्थिति तथा विस्थापितों की समस्या के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (क्रमागत)	..	1406
पुलिस द्वारा बलिया जनपद स्थित विजय टाकीज सिनेमाहाल के कर्मचारियों को पीटे जाने के सम्बन्ध में देने वाले बक्तव्य का स्थगन	..	1407
कच्चे माल की कमी के कारण फिरोजाबाद कांच उद्योग ठप्प हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	...	1407
नत्थियाँ	...	1408–1410

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 6 अप्रैल, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्मसिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 368

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अशफाक अहमद अंसारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी, (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित) (आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल, महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुंवर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव, (एडवोकेट) श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)

गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल,
'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)

नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया)
(उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी आल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शवरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)

मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह (एडवोकेट), श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (इलाहाबाद) (उर्फ मणि जी)

लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त वक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूँ)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)

हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

अनुपूरक अनुदान

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 6 अप्रैल, 1983 ई०

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

विवेकानन्द पूर्व माध्यमिक विद्यालय हल्द्वानी, जिला नैनीताल को दिया गया भवन अनुदान व उपभोग प्रमाण-पत्र

डा० शिवानन्द नौटियाल—(अनुपस्थित)

*1 क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विवेकानन्द पूर्व माध्यमिक विद्यालय हल्द्वानी, जिला नैनीताल को वर्ष 1982 में जो 41,400 रुपए भवन अनुदान दिया गया है क्या इस विद्यालय के पास अपनी भूमि भवन बनाने के लिए है ? यदि नहीं, तो किस प्रकार इस धन का प्रयोग किया गया है और किस तिथि को अधिकारियों ने शासन को यह धन इस्तेमाल होने का प्रमाण-पत्र दिया है ?

परिवहन एवं पर्वतीय विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

जी हाँ। विवेकानन्द पूर्व माध्यमिक विद्यालय हल्द्वानी जिला नैनीताल को वर्ष 1982 में 41, 400/=रुपये भवन अनुदान दिया गया है।

विद्यालय के पास अपनी भूमि भवन बनाने के लिये है।

धान का प्रयोग भवन निर्माण में किया गया है।

उपभोग प्रमाण-पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

*2 श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[10 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बुधवार, 6 अप्रैल, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न

*1 श्रीमती गौरी देवी—

[दिनांक 23-3-83 को तारांकित प्रश्न संख्या 1 द्वारा उत्तरित]

मथुरा जनपद से राया मांट मार्ग पर बस दुर्घटना तथा मृतकों व घायलों के परिवार को समुचित मुआवजे की मांग

श्री सरदार सिंह—

*2 क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 परिवहन निगम से अनुबन्धित बस नं0 यू0 एस0 ओ0 8349 मथुरा जनपद से राया मांट मार्ग पर जाते हुए 17 या 18 दिसम्बर, 1982 को दुर्घटनाग्रस्त हुई और 3 सवारियों की मृत्यु घटनास्थल पर हो गयी तथा अनेकों सवारियां गम्भीर रूप से घायल हुई ? यदि हाँ, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? क्या शासन मृतकों व घायलों के परिवारों को समुचित मुआवजा शीघ्र प्रदान करेगी ? यदि हां, तो प्रति परिवार कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हाँ। प्रबन्ध निदेशक उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम से प्राप्त प्रारम्भिक सूचना के अनुसार दिनांक 17-12-82 को अनुबंधित बस संख्या यू0 एस0 ओ0 8349 मथुरा से वाजना जा रही थी। जब बस नगला भीम के करीब पहुँची तो वहां सड़क पर एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। उसको बचाते हुए चालक ने बस को साइड से उतार कर आगे बढ़ाया तो बस के पीछे लगा हुआ जाल पेड़ के गुद्दे से टकराकर नीचे गिर गया तथा जाल पर लटकी हुई सवारियाँ भी जाल सहित सड़क पर गिर गई। फलस्वरूप 3 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी तथा 4 व्यक्ति घायल हो गये। जिलाधिकारी मथुरा से दुर्घटना की जाँच जाँच कराई जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर मुआवजे के संबंध में नियमानुसार कार्य-वाही की जायेगी।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तोड़-मरोड़ के जवाब दिया है। मान्यवर, बात यह है कि सवारियाँ ऊपर लदी हुई थी तथा छत पर बक्से रखे हुए थे। जिस समय बस जा रही थी उस समय उसका ड्राइवर शराब पिए हुए था। गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई और पेड़ के गुद्दे से टकरायी, फलस्वरूप उसके छत पर रखा हुआ बक्सा लोगों के ऊपर गिरा जिससे आन द स्पाट पर 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि इस दुर्घटना में जो 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, जिसे माननीय मंत्री जी ने भी अपने उत्तर में स्वीकार किया है, क्या उनके परिवार के लोगों को मुआवजा देने पर विचार करेंगे क्योंकि अभी तक उनको यह मुआवजा नहीं मिला है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, जिलाधिकारी से जाँच के लिये कहा गया है। उनकी जाँच आख्या और संस्तुति के आने पर, जो नियम है उसके अनुसार मृत्यु व्यक्तियों के परिवार को 20 हजार रुपए देने का प्राविधान है।

श्री सरदार सिंह—

यह घटना दिसम्बर महीने की है, अब चौथा महीना चल रहा है, जाँच आख्या कब तक आ जायगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

हमने 24–3–83 को फिर रेडियोग्राम भेजा है कि आख्या जल्द भेजें।

श्री हुकम सिंह—

जाँच तो जिलाधिकारी करते रहेंगे, आख्या भी आ जायगी, लेकिन एक्सीडेंट के मामलों में अन्तरिम सहायता तुरन्त दी जाती है। इस बात को देखते हुए 20 हजार रु०, जो आपको देना है वह तो आप दे देंगे, लेकिन 10 हजार या 5 हजार रु० तत्काल देने में क्या कठिनायी है ? क्या माननीय मन्त्री जी मृतकों के परिवार को या जो उन पर आश्रित हैं, उनको अन्तरिम सहायता तत्काल देने की घोषणा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

अभी तक घायलों को देने के लिये इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। यदि कोई विकलांग हो जाय तो उसके लिये अवश्य प्राविधान है।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

इन्होंने जो प्रश्न किया है, वह यह किया है कि जिनकी मृत्यु हो गयी है, उनको अन्तरिम सहायता देने पर विचार करेंगे ? इसका उत्तर वे चाहते हैं।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, जिलाधिकारी की रिपोर्ट आने पर अन्तरिम सहायता क्या पूरी सहायता दे देंगे।

श्री सरदार सिंह--

मेरा कहने का मतलब यह था कि रोडवेज की बसों पर सवारियाँ ऊपर बैठकर चलती हैं या लटककर चलती हैं। क्या इसे रोकने के लिये कोई उपाय करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

यह तो अनुबन्धित बस थी और परिवहन निगम की परिचालक उसमें बैठा हुआ था। जो लोग परमिट के लिये एप्लाई करते हैं उनको आर० टी० ओ० के यहाँ दरखास्त देनी चाहिये। उनको परमिट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, उसके विषय में यहाँ कुछ नहीं कह सकता हूं। जो व्यवस्था है उसके मुताबिक आर० टी० ओ०, आगरा के यहाँ दरखास्त दें तो परमिट मिल सकता है, लेकिन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर या तो परिवहन निगम की बसें, या अनुबन्धित बसें, या रायल्टी पर चलायी जाने वाली बसें ही चल सकती हैं।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, यह बात तो बड़ी साफ है कि 3 सवारियाँ तत्काल मर गयीं। अब मा० मन्त्री जी 4 महीने से उसकी जाँच करा रहे हैं। क्या उनको यह शंका है कि वह सवारियाँ मरीं कि नहीं ? या यह शंका है कि जो मरे हैं, वे अपनी गलती से मर गये ? आप किस बिन्दु की जाँच करा रहे हैं ? आपके विभाग में क्या नियम है और क्या नीति है सरकार की कि जो लोग मर जायं, उनको मुआवजा देने का प्राविधान है या नहीं है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मैंने तो प्रारम्भ में ही निवेदन कर दिया कि जो लोग मरे हैं उनको मुंआवजा देने का प्राविधान है लेकिन जिलाधिकारी की संस्तुति आवश्यक है। नियम में ऐसा ही है कि जिलाधिकारी संस्तुति करेगा और उसके बाद कम्पन्सेशन मिल जायगा।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि फायनल कम्पेनशेसन जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर दिया जायेगा, क्या अंतरिम कम्पेन्शेसन देने का प्राविजन है ? यदि है, तो क्या उन्हें अंतरिम कम्पेन्शेसन देने की कृपा करगे और अगर नियमों में नहीं है तो क्या ऐसा प्राविधान करने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जो बात माननीय सदस्य ने उठाई है, वह एक विचारणीय प्रश्न है, लेकिन अभी तक जो नियमों में है उसके मुताबिक मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[9 वें शुक्रवार तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*4 डा० शिवानन्द नौटियाल तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

[10 वें बुधवार के लिये स्थगित]

सीमांत जनपद, पिथौरागढ़ के विकास खण्डों में पिछड़ी जाति के विकास हेतु योजनाएं

श्री कुंवर सिंह नेगी—

*5 क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला, मूलस्यारी एवं डीडीहाट विकास खण्डों में अनवाल लोग रहते हैं जो भूमिहीन धरहीन हैं और कस्बों से दूर बीहड़ जंगलों में आदिवासियों की तरह रहते हैं और दूसरे लोगों की भेड़-बकरियाँ चराकर जीवन-यापन करते हैं तथा अभी भी बन्धुआ मजदूरों का जीवन-यापन करते हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इन अत्यन्त पिछड़े लोगों के उन्नयन हेतु कोई कारगार कदम उठा रही है ? क्या सरकार उन्हें भी पिछड़ी जाति घोषित कर इनके विकास हेतु त्वरित योजना बनायेगी ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मैंने यह प्रश्न 24 नवम्बर, 82 को किया था । पिथौरागढ़ जिले में आज भी ऐसी जाति के लोग रह रहे हैं, जिनके पास न अपना कोई मकान है और न कोई जमीन । उनकी रोटी-रोजी दूसरों की भेड़-बकरी चराने पर है, वह यह काम मुद्दतों से कर रहे हैं । हैं । 8 हजार के करीब उनकी जनसंख्या है । वहां की अन्य जातियों हरिजनों व भोटिया आदि को यह सुविधाएं दी जा रही हैं, परन्तु आज समाज का यह एक ऐसा वर्ग भी है, जिसे कोइ सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है, यह बड़े शर्म की बात है । आज 5 माह हो गये फिर भी यह कहा गया कि सूचना अभी एकत्र की जा रही है, परन्तु अब यह कब तक सूचना एकत्र हो जायेगी ?

श्री गुलाब सेहरा—

जिन जातियों को जो भी सुविधाएँ या आरक्षण दिये जाते हैं, उसकी एक सम्पूर्ण प्रक्रिया है जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति का पूरा ब्योरा देखा जाता है सर्वे के द्वारा और यह कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से नहीं होता है, केन्द्र सरकार की ओर से होता है कि इस प्रकार के कितने लोग हैं, इनकी सब कास्ट क्या है आदि सारी सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, हम स्वयं इस मामले पर शीघ्रता के प्रयास कर हैं, जैसे ही यह सूचना एकत्र हो जायेगी फिर आगे की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन सारी सूचनाओं को कब मंगाया है और किस अधिकारी द्वारा सर्वे किया जा रहा है ?

श्री गुलाब सेहरा—

पहाड़ों पर कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो इस तरह अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, हम मानते हैं, परन्तु इन सबकी जाँच कराकर रिपोर्ट मँगाने में समय अवश्य लगता है और यह स्थिति जैसे ही प्राप्त होगी, आगे की कार्यवाही तुरन्त की जायेगी ।

श्री हुकम सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इन जातियों का सर्वे कराया जा रहा है, तो क्या यह सर्वे आपके विभाग द्वारा जनरल सर्वे किया जा रहा है, यह केवल इस प्रश्न पर यह कार्यवाही की जा रही है ? दूसरी बात अब इस सर्वे की स्थिति क्या है और इसकी रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

श्री गुलाब सेहरा—

विभिन्न जातियों को विभिन्न आरक्षण जो पत्र हमें मिलते हैं, उनके आधार पर जाँच कराकर उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति की जाँच कराकर संस्तुति करते हैं । और इस मामले में हम स्वयं इस प्रयास में हैं कि शीघ्रता से रिपोर्ट प्राप्त हो जाए फिर उसी के आधार पर कार्यवाही आगे की जाए ।

ग्राम जल्दीपुर, बलाक पवई, जनपद आजमगढ़ में सिंचाई कर की वसूली

श्री पंचानन राय—

*6 क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम जल्दीपुर, ब्लाक पवई, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में कोई नहर नहीं है फिर भी पांच वर्षों से किसानों से सिंचाई की वसूली की जा रही है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्रीगोपाल रामदास)—

यह सत्य है कि ग्राम जल्दीपुर, ब्लाक पवई, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में कोई नहर नहीं है, किन्तु, उक्त ग्राम में, कृषक, ग्राम के दक्षिण में स्थित, ओंगरी ड्रेन में

उपलब्ध पानी से रबी में सिंचाई करते हैं, जिसके लिये, उनसे, नियमानुसार, सिंचाई कर की वसूली की जाती है। यह कर, पिछले 5 वर्षों से नहीं अपितु, केवल 3 वर्षों से अन्दाज लगाया जा रहा है। ओंगरी ड्रेन का निर्माण एवं रख-रखाव सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है।

श्री पंचानन राय--

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर पढ़ा उसको कोई सुन नहीं सका इसलिए मैं इसको दुबारा पढ़े दे रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूँ।

श्री पंचानन राय---

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि अल्दीपुर गाँव में नहर नहीं है चूँकि सिंचाई शुल्क वसूल किया जा रहा है और रेवेन्यू रिकार्ड में है इसलिए उत्तर बनकर आ गया और यह कह दिया कि नहर नहीं है लेकिन गाँव के दक्षिण में ड्रेन है उससे सिंचाई की गयी है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस ड्रेन की उन्होंने चर्चा की है वह गाँव से कितनी दूरी पर है क्या उससे पूरे गाँव की सिंचाई होती है और मैं यह जानना चाहता हूं कि इस ड्रेन की खुदाई कब की गयी और उस पर कितना व्यय हुआ ?

उद्योग एवं सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मा0 सदस्य सवाल कर रहे हैं कि ड्रेन के रखरखाव पर कितना खर्चा हुआ इसका इससे सम्बन्ध नहीं है। आपने पूछा था कि ड्रेन से सिंचाई होती है तो क्यों कर वसूल किया जाता है। मान्यवर, हमारा कैनाल एक्ट जो है उसके नियम 30 में यह प्राविजन है कि अगर कोई ड्रेन है उसका रखरखाव सिंचाई विभाग करता है और उसमें नहर या माइनर का पानी जाता है तो शुल्क लिया जायगा। अगर गाँव वाले परमीशन ले लेते हैं कि हम ड्रेन से सिंचाई करते हैं तो टैक्स नहीं लगेगा। उस गाँव के लोगों ने कोई परमीशन नहीं लिया इसलिए टैक्स लगाया गया मैंने इस पर विचार किया है कि अगर ड्रेन है और उसमें पानी बहता है तो शुल्क क्यों लिया जाता है। तो उसमें केवल एक ही बात है कि परमीशन ले लें कि ड्रेन से सिंचाई कर रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के उत्तर से स्थिति और भी स्पष्ट हो गयी है तो मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ कौन से ड्रेन है। जहाँ पानी बह रहा है। मा0 मंत्री जी कहते हैं कि अगर परमीशन ले लें तो सिंचाई शुल्क नहीं लिया जायगा तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सिंचाई विभाग ने कोई नोटिस दिया। बिना सिंचाई किये हुए पिछले तीन साल से शुल्क वसूल किया जा रहा है। सन् 79 से किया जा रहा है तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सिंचाई विभाग ने गाँव वालों को कोई नोटिस दिया कि बिना परमीशन के सिंचाई कर रहे हैं ? यदि हाँ, तो कब ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैंने कहा कि इस ड्रेन में फूलपुर रजवोह से निकली हुई खैमीपुर माइनर का पानी आता है। मैंने यह भी निवेदन किया कि ऐक्ट में यह प्रोविजन है कि नहर को नहीं काटा जायेगा। यह प्रतिबन्ध है। अगर वे परमीशन ले लें कि हम उस ड्रेन से सिचाई करेंगे तो बन्धी नहीं लगायी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने एक बहुत ही पुराने और अव्यावहारिक ऐक्ट का हवाला देते हुये जस्टीफाई करने का प्रयास किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब सिंचाई विभाग उस ड्रेन में कोई पानी का प्राविधान नहीं करता तो किसानों को परमीशन लेने का क्या औचित्य है। माननीय सदस्य का कहना है कि वे सिंचाई नहीं कर रहे हैं और तीन साल से नहीं कर रहे हैं और उनसे आप सिंचाई कर की वसूली कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस ड्रेन के आस-पास नहर विभाग की कोई नहर, रजबहा आदि बना दें जिससे उनको पानी ले जाना सम्भव हो सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, सिंचाई तो वे कर रहे हैं और उसी पर वसूली हो रही है। मैंने कहा कि फूलपुर रजवाहे से निकली हुई खेमीपुर माइनर का पानी इसमें डाल देते हैं इसलिये उस पर लगाया जाता है। परमीशन लेने से फायदा होता है और उससे मालूम हो जाता है कि कोई खान्दी तो नहीं कर रहा है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैंने इस गाँव को खुद देखा है। मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ऐसी कोई जाँच करा देंगे कि कोई उच्चाधिकारी जाय और उस क्षेत्र के जो विधायक हों उनको भी वह साथ ले लें और देखें कि उस गाँव के लोग उससे सिंचाई कर रहे हैं या नहीं ? पता चल जायेगा।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैं जांच करा लूंगा और यह भी कह दूंगा कि वह सबंधित विधायक से भी बात कर लें और उनको साथ ले लें।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जिस ऐक्ट का हवाला दिया है उसके अन्तर्गत जो छोटे-मोटे नदी नाले हैं जो नदी को फीड करते हैं और जहाँ से किसान पानी लेता है, वे भी इसके परव्यू में आ जाते हैं। यह एक लम्बा-चौड़ा प्रोसेस है। क्या इस बात को देखते हुये क्या आप इस तरीके से कोई नोटिस जारी करेंगे कि जो छोटे-मोटे नदी नाले हैं, जो ड्रेनें है हर डिस्ट्रिक्ट में आपके अधिकारी उनको एग्जामिन करके वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा दें कि ये नदी नाले जो हैं वे ऐग्जोन्टेड हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हर नाले पर तो नहीं लगता है लेकिन सिंचाई विभाग जिनको मैंटेन करता है उसी पर लगता है। सिंचाई विभाग इसलिये लगाता है कि लोग उसमें बन्धी बना लेते हैं और उससे परेशानी होती है, उससे अवरोध पैदा हो जाता है। अगर कोई बन्धी लगाता है तो उसकी जानकारी वह अधिकारियों को करा दें अन्यथा यह उसकी जिम्मेदारी होती है।

गोरखपुर मण्डल के प्रशिक्षित नलकूप चालकों द्वारा आमरण अनशन एवं माँगें

श्री नन्दकिशोर सिंह—

*7 क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल के प्रशिक्षित नलकूप चालक विधान सभा गेट के सामने 11–1–83 से आमरण अनशन कर रहे हैं ? यदि हाँ, तो उनकी मांगें क्या हैं और उस पर कार्यवाही हो रही है ?

श्री गोपाल राम दास—

जी नहीं।

गोरखपुर मण्डल के प्रशिक्षित नलकूप चालकों द्वारा विधान सभा के सामने दिनांक 11–1–83 से आमरण अनशन करने हेतु नोटिस प्राप्त हुई थी। इनकी मुख्य माँग नलकूप चालक पद पर शीघ्र नियुक्ति करने के सम्बन्ध में है। नियमित अधिष्ठान के सभी पद भरे हैं। अत: किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। इनकी नियुक्ति हेतु कोई क्लेम नहीं है।

श्री नन्द किशोर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, गोरखपुर मंडल के चार जिलों के ट्रेंड नलकूप चालक माननीय मंत्री जी जिस डाकबंगले में जाकर ठहरते हैं वहाँ पर पिछले एक साल से क्रमिक अनशन कर रहे हैं। इन लोगों को विभाग की ओर से ट्रेनिंग भी दी गयी और बीच-बीच में दो तीन महीनों के लिए सेवा में भी लिया गया और वायदा किया जाता है कि तुमको सेवा में लिया जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन प्रशिक्षित नलकूप चालकों की संख्या कितनी है और कितने दिन तक इनको नौकरी में लिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूँ यह उनके लिए संभव नहीं होगा कि इतनी लम्बी चौड़ी सूची को वह बता सकें।

श्री नन्द किशोर सिंह—

उनकी संख्या बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी अगर संख्या हो तो बता दें।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसमें नलकूप चालक लगभग 5 सौ के करीब हैं जिनको करीब एक महीने की ट्रैनिंग दी जाती है। मान्यवर, यह सवाल कई बार हो चुका है इस समय जगह नहीं है अगर कोई जगह होती है तो नियुक्ति होती है। जब जगह नहीं है तो नियुक्ति नहीं हो सकती है। ट्रेनिंग कर लेने से या इंटरव्यू में बुला लेने से जरूरी नहीं है कि नियुक्ति हो जाय।

श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, नलकूप विभाग का यह हाल केवल गोरखपुर मंडल का ही नहीं है वल्कि सारे प्रदेश की यह स्थिति है दो-दो तीन-तीन साल तक जो नलकूप चालक काम कर चुके हैं उनको इनके इंजीनियर की जब मर्जी होती है तब निकाल देते हैं और जब चाहते हैं रख लेते हैं। गोरखपुर की तरह बुंदेलखंड में भी माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने नलकूप चालक है जिनको तीन-तीन चार-चार साल हो गये हैं नौकरी करते हुए और उनको आपके विभाग ने निकाल दिया है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूँ क्योंकि यह प्रश्न बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गोरखपुर मंडल में कितने प्रशिक्षित आपरेटर अनशन पर बैठे हैं। मेरे अपने जिले में पहले एक ट्यूबवैल पर एक आपरेटर हुआ करता था आजकल 5-5 ट्यूबवैल पर एक आपरेटर रख दिया है मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वह जो कह रहे हैं कि कोई स्थान रिक्त नहीं हैं यह इसीलिए है। जो पुराना नियम था एक ट्यूबवैल पर एक आपरेटर होता था उस नीति को फिर लागू करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, अब तो नया नियम बना दिया गया है क्योंकि आये दिन शिकायत होती थी कि नलकूप चालक वहाँ पर रहता नहीं है दूसरे को चाभी देकर भाग जाता है और कार्य में लापरवाही बरतता है इसको देखा भी गया कि इससे काफी क्षति हुई है। तो नया निर्णय लिया गया कि आंशिक नलकूप चालक रखे जायेंगे जिस गाँव में नलकूप होगा उसी गाँव का वह व्यक्ति होगा ताकि वह देखभाल भी कर सके और जरूरत पड़ने पर उसकी तलाश भी न करनी पड़े और समय-समय पर नलकूप चलाता रहे ; इसलिए यह आंशिक नलकूप चालक रखने का निर्णय लिया गया अब रैगुलर रखने की व्यवस्था नहीं है।

श्री मारकण्डेय चन्द—

मान्यवर, मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो श्री माता प्रसाद पांडेय के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दिया है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब आंशिक नलकूप चालक रखें जायेंगे तो मेरा पहला प्रश्न है कि क्या इस तरह के आदेश आपने कर दिया है, यदि नहीं किया है तो जो 3 हजार के लगभग नलकूप ऐसे हैं जो बिना चालकों के चल रहे

हैं, दो वर्षों से यह स्थिति है, तो यह निर्णय कब लिया है ? इसके पहले क्या कठिनाई थी कि यह नलकूप बिना चालकों के गाँव की देख-रेख में चलाये जा रहे थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने कठिनाई बतायी थी, इसलिये आदेश हो चुका है, और जगह-जगह पर भर्तियां हो चुकी हैं और काम हो रहा है ।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, यह किस्सा पुराना है और मुख्य मंत्री जी के यहाँ भी इसकी मीटिंग हो चुकी है और संभवतः आपको आदेश दिया था कि 1977-78 के प्रशिक्षित नलकूप चालकों को रखें । इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उसके बाद क्या गोरखपुर मंडल में एक भी नई भर्ती नहीं हुई है, यदि हुई है तो 250 चालक जो हैं उनको मुख्य मंत्री के आदेश के बावजूद खपाने में क्या दिक्कत हो रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जब निर्णय यह लिया गया कि आंशिक नलकूप चालक रखे जायेंगे, फुल टाइम नहीं, तो आंशिक चालक रखें जायेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, जो श्री रमण जी ने प्रश्न किया उसका मंत्री जी ने सटीक उत्तर नहीं दिया । इसलिये क्या यह सही है कि नलकूप चालक जो प्रशिक्षित हैं उनके अलावा क्या एक भी नलकूप चालक गोरखपुर मंडल में नहीं रखा गया है ? यदि रखा गया है, तो उनको न रखने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उसके बाद कोई नहीं रखा गया है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ प्रशिक्षित चालक पड़े हैं और निर्णय लिया गया है कि आंशिक नलकूप चालकों को रखा जायेगा । तो निर्णय लेते समय क्या आपके सामने बचे हुये प्रशिक्षित नलकूप चालकों की सूची नहीं थी ? जब प्रशिक्षित चालक थे तो निर्णय लेते समय ऐसा क्यों नहीं किया गया कि प्रशिक्षित चालकों को खपाने के बाद भविष्य में आंशिक प्रशिक्षित चालकों को रखा जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जांय । इस समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि अब कोई आपरेटर दूसरी जगह का नहीं रखा जायेगा और जो उस गाँव का होगा उसको रखा जायेगा । तो मैं जानना चाहता हूँ कि यह नये नलकूप जो आपके हैं उनके लिये ही यह कानून बनाया है या जो नलकूपों पर नियुक्त हैं उनको हटाकर रखेंगे ? दूसरा प्रश्न जो ट्रेनिंग कर लिये हैं उनको आंशिक रूप में रखने का क्या मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो नियम बनाया गया है कि उस गाँव का रहने वाला हो और कुछ शर्तें हैं जिनको वह पूरा करेगा तो उनको रखा जायेगा ।

*8 श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

[16वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या--17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*9 श्री रामलाल वर्मा—

[दिनांक 9-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या--16 द्वारा उत्तरित]

सहकारी सूत मिल, इटावा के स्टोर विभाग की सामग्री की जांच, गबन के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट

श्री लल्लू सिंह चौहान---(अनुपस्थित)

*10 क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी सूत मिल इटावा में दिसम्बर, 1982 में कोई आडिट पार्टी गयी थी, जिसने मिल के स्टोर विभाग की सामग्री की जांच करते समय 1 लाख 13 हजार 647 रुपए 57 पैसे मूल्य की वस्तुओं को स्टोर से गायब पाया और मिल के अधिकारी ने इस भारी गबन के खिलाफ पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दे दी है ? यदि हाँ, तो क्या पुलिस की जांच के स्थान पर अपराध अनुसन्धान विभाग से जांच कराये जाने के आदेश मन्त्री जी देने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1981 में प्रश्नगत मिल के स्टोर के सामान का वार्षिक भौतिक सत्यापन कराने के फलस्वरूप स्टोर के हिसाब-किताब में अनियमितता पाने पर मिल के प्रबन्धक निदेशक ने मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उ0 प्र0, लखनऊ से स्टोर के सामान का भौतिक सत्यापन कराने का अनुरोध किया । उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के निर्देश पर विशिष्ट लेखा परीक्षण दल ने मिल के स्टोर के सामान का भौतिक सत्यापन माह फरवरी 1982 में प्रारम्भ किया । मिल के स्टोर इन्चार्ज ने उक्त लेखा परीक्षण दल के सत्यापन के आधार पर लेजरों से मिलान करने के उपरान्त लगभग 1 लाख 13 हजार 694 रु0

57 पैसे के सामान की कमी पायी। तद्नुसार मिल के प्रबन्ध निदेशक ने दिनांक 4-12-82 को थाना सिविल लाइन, इटावा में मिल के स्टोर इन्चार्ज श्री आर0 एन0 सिंह एवं स्टोर लिपिक श्री रवी टन्डन के विरुद्ध धारा 409/420 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी है।

अपराध अनुसंधान विभाग से जाँच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश में स्थित नहरों की सर्विस रोड पर टायर वाली बैलगाड़ी व बुग्गियों को चलाने हेतु निःशुल्क अनुमति

श्री जयदीप सिंह बरार---

*11 क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित नहरों की सर्विस रोड पर चलने वाले रबड़ के पहिए वाले वाहनों, जिन्हें कुछ समय पूर्व छूट दी गयी थी पर फिर सिंचाई विभाग द्वारा हाल ही में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ? क्या यह सही है कि किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि वह अपने ऐसे वाहनों के लिए, भारी धनराशि जमा करके, परमिट प्राप्त करें ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री गोपाल राम दास—

प्रदेश में स्थित नहर की ऐसी पटरियों, जिन पर खड़ंजा लगा है, टायर वाली बैलगाड़ी व बुग्गियों को चलाने हेतु जून 1982 से कृषकों को निःशुल्क अनुमति दी गयी है तथा किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मैंने अपने प्रदेश में स्थित नहरों की सर्विस रोडों के बारे में प्रश्न किया था, लेकिन मन्त्री जी ने उसमें सीमित कर दिया है यानी जिन पर खंड़जा लगा है, तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि नहरों की समस्त सर्विस रोडों पर काश्तकारों के रबड़ के पहिये के वाहन चलाने की अनुमति न देने का क्या कारण है ? उन पर क्यों प्रतिबन्ध लगाया गया है ? वह मजबूरी में इसलिए उनका इस्तेमाल करते हैं कि उनके पास आने-जाने के कोई अन्य साधन नहीं हैं, जिन पर खड़ंजा नहीं लगा है, क्या आप उन रोडों पर भी उनको बिना किसी शुल्क के अपने रबड़ पहिये युक्त वाहन चलाने की अनुमति देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जहाँ खड़ंजा लगाया गया है, वहाँ पर के लिए अनुमति दी गई है और जो पहले का नियम है वह उसी तरह लागू है, कोई दूसरा आदेश नहीं हुआ है। कच्ची पटरियों पर यदि चलाने की अनुमति दी जाएगी तो वह पटरियाँ टूट जाती हैं, और नहर भी उससे खराब हो जाती है, टूट जाती है। तो कच्ची पटरियों के लिए जो पहले का रूल है वही लागू है।

श्री जयदीप सिंह बरार—

जिन नहरों की सर्विस रोडों पर कोई खंड़जा नहीं है या सर्विस रोड पक्की नहीं बनी है, उन पर किसान मजबूरी में ही अपने रबड़ के पहिये के वाहन चलाना चाहता है, तो क्या ऐसी कच्ची सर्विस रोडों पर रबड़ के पहिये वाली गाड़ी चलाने की अनुमति बिना किसी शुल्क या शर्त के मन्त्री जी देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ऐसी कोई बात नहीं है, जिस तरह से पहले था, उस तरह से ही है ।

श्री रियासत हुसैन—

बहुत से नहरों के किनारों पर पी0 डब्लू0 डी0 ने पक्का कराने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है, तो जिन नहरों के किनारों को पक्का कराने का काम पी0 डब्लू0 डी0 के द्वारा हो गया है, क्या उसके सम्बन्ध में मन्त्री जी अधिकारियों को आदेश देने की कृपा करेंगे कि उन सड़कों पर किसानों को परेशान न करके, पैसा वसूल न किया जाए ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जिनको पी0 डब्लू0 डी0 मेन्टेन करता है, उसकी पी0 डब्लू0 डी0 की जिम्मेदारी होगी, उसमें हम कहाँ किसी को रोकते हैं।

*12 श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

[31 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या–2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बलिया जनपद के लिफ्ट पम्प कैनाल, सोहांव व पलिया खास का हेड भरौली गंगा पुल के पास करने का कथित विचार

श्री गौरीशंकर भैय्या---(अनुपस्थित)

*13 क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद में लिफ्ट पम्प कैनाल सोहांव व लिफ्ट पम्प कैनाल पलिया खास के हेड से गंगा नदी का पानी 3 किलोमीटर दूर चला गया है ? यदि हाँ, तो क्या मन्त्री जी इन दोनों नहरों को मिलाकर इनका हेड भरौली बक्सर गंगा पुल के पास कर देने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

बलिया जनपद के लिफ्ट पम्प कैनाल सोहांव व लिफ्ट पम्प कैनाल पलिया खास के हेड से गंगा नदी का पानी इस समय क्रमशः 1.5 कि0 मी0 व 3.2 कि0 मी0 दूर चला गया है ।

इन नहरों को मिलाकर इनका हेड भरौली गंगा पुल के पास करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गंगा नदी की धारा के पुनः परिवर्तन की सम्भावना है ।

कताई मिल संडीला, हरदोई में श्रमिक प्रशिक्षणार्थियों का चयन

श्री देवेन्द्र पाण्डेय तथा श्री श्यामलाल बाजपेई--

*14 क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि कताई मिल संडीला, हरदोई में माह जनवरी, 1983 को लेबर पद पर 161 लोगों की भर्ती हुई ? क्या यह सत्य है कि उसमें अधिकांश लोग जनपद हरदोई के न होकर अन्य जिले के हैं ? यदि हाँ, तो इस भर्ती का क्या आधार है ?

उद्योग राज्य मन्त्री (श्री मोहम्मद अमीन अन्सारी)--

प्रश्नगत कताई मिल में माह जनवरी 1983 में कुल 161 श्रमिक प्रशिक्षणार्थियों का चयन, जिला सेवा योजन कार्यालय हरदोई के माध्यम से, चयन समिति द्वारा किया गया था। उक्त चुने गये लोग जिला सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत रिकार्ड के अनुसार हरदोई जनपद के हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मन्त्री जी ने कहा है कि जनवरी, 1983 में जो 161 भर्तियाँ हुई हैं, वह सब सेवायोजन कार्यालय के द्वारा नाम आए थे, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि 161 भर्तियों के लिए सेवायोजन कार्यालय से कितने नाम आए ? और उन आए हुए नामों में कितने लोगों की नियुक्ति हुई और कितने लोगों के मिल के अधिकारियों ने डायरेक्ट नियुक्ति कर ली है ? नम्बर 2, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो भी उनके अधीन कताई मिल प्रदेश में चल रही हैं और जिस जिस जिले में यह स्थापित हैं, उनके बारे में कोई ऐसे शासकीय आदेश हैं कि जिन जिलों में कताई मिल हैं, उनमें वहीं के मजदूर रखे जायँगे, तो बाराबंकी कताई मिल में 200 मजदूर बिहार के क्यों रखे गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह सेवा योजन कार्यालय से 611 नाम मँगाये गये थे, जिसमें से 161 व्यक्तियों का चुनाव हुआ था।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूँ, जैसा उन्होंने बताया कि इतने नाम सेवा योजन कार्यालय से आये, यानि सेवा योजन कार्यालय से आये हुए कुल नामों में से कितनों को वापस कर दिया गया ? तो क्या मेरी सूचना को सही मानते हुए, मेरी सूचना यह है कि कताई मिल संडीला, हरदोई में बाहरी लोगों को रख लिया गया है, क्या माननीय मंत्री जी दुबारा चयन कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, 611 नाम आये थे, 161 लिये गये, बाकी नहीं लिये गये। इसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखलाई दे रही है कि दुबारा चयन कराया जाय।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो भी, चाहे संडीला हो, या अकबरपुर हो या बाराबंकी हो, जहाँ भी उद्योग की ये इकाइयाँ लगाई जाती है, शासन के स्पेशिफिक आदेश हैं कि उन क्षत्रों के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जाय। 1964 में अकबरपुर मिल को लेकर आदेश जारी भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जिन जगहों के किसान जमीन देते हैं, उन जगहों के लोगों की उपेक्षा करके वहाँ पर बाहरी लोगों की भर्ती अधिकांश में वहां का मैनेजमेंट और कानपुर में बैठा हुआ मैनेजमेंट अपने नातेदार, रिस्तेदार को वहाँ पर रखता रहता है। क्या इसकी जांच कराकर माननीय मंत्री जी इसको रोकवाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिह---

मान्यवर, जहाँ पर कोई उद्योग लगता है, वहाँ के लोगों को फर्स्ट प्रायरिटी देना है, यह शासन की नीति है। दूसरी बात यह है कि जिनकी जमीन जाती है, पहले उन्हीं लोगों को इम्पलायमेंट देना है, उससे बचने पर दूसरे लोगों को देना है, यह स्पष्ट आदेश है। अगर ऐसी बात है कि जिसकी जमीन गयी है और वह छूट गया है, तो माननीय सदस्य वह लिखकर देंगे, तो मैं इसकी जांच करा लूँगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, मेरी सूचना को सत्य मानकर, यह मेरी सूचना है कि कुछ बाहरी लोग संडीला कताई मिल में रख लिये गये हैं, क्या माननीय मंत्री जी इसके सम्बन्ध में जाँच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिह—

मान्यवर जो इम्पलायमेंट इक्सचेंज में नाम लिखवाते हैं और इम्पलायमेंट इक्सचेंज से जो नाम आते हैं, उसको वह विभाग देखता है और उन्हीं नामों में से चुनाव करता है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न माननीय बाजपेयी जी ने किया कि इम्पलायमेंट इक्सचेंज से कितने नाम आये थे, और उनमें से कितने लोग लिये गये और कितने नाम इम्पलायमेंट इक्सचेंज को वापस कर दिये गये। मंत्री जी ने बताया कि 611 नाम इम्पलायमेंट इक्सचेंज से आये और कितने नाम इम्पलायमेंट इक्सचेंज को वापस किये गये यह नहीं बताया। मान्यवर, मेरी बात को सही मानते हुए, अगर मेरी बात असत्य निकल जाय, तो जो सजा आप देना चाहें, दे सकते हैं। मान्यवर, वह प्रबन्धक देवरिया का रहने वाला है, उसने तमाम देवरिया के लोगों को भर लिया। तो मेरी यह बात को सही मानते हुए मंत्री जी यह सदन में घोषणा करेंगे कि जो यह 161 व्यक्तियों की भर्ती हुई है, इसके बारे में जाँच, करायेंगे और जो बाहरी आदमी भर्ती किये गये हैं, उसके बारे में कार्यवाही करेंगे ?

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

पूरब के लोगों को क्या नौकरी करने का हक नहीं है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, नियम यह है कि इम्पलायमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। अगर मान लीजिये कोई लखनऊ में रजिस्टर्ड है और रहने वाला मुरादाबाद का है और रियासत साहब के साथ रहता है तो कैसे कह देंगे कि यहाँ नौकरी न दें, उसको मुरादाबाद भेज दें।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

ऐसा उत्तर देंगे तो सारा मामला चौपट हो जायगा।

राज्य सड़क परिवहन निगम उ० प्र० में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमावली

श्री राम नरायन सिंह—

*15 क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम, उ0 प्र0 में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों (अधिकारियों को छोड़कर) के लिए सेवा विनियमावली बनाई जा चुकी है।

श्री राम नरायण एडवोकेट—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सन् 72 में निगम की स्थापना हुयी। उसके पहले भी कर्मचारी आपके परिवहन विभाग में कार्यरत थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनकी, सेवा नियमावली बनने के बाद भी सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं है ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि गाजीपुर जनपद में आपके विभाग की वर्कशाप में काम करने वाले और ड्राइवर जो हैं तो उनको आज भी सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं करायी गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, सवाल सिर्फ इतना पूछा गया था कि परिवहन निगम में नियमावली बनी है या नहीं। उसका उत्तर मैंने दे दिया। इसको अगर आप पहले पूछते तो इसका उत्तर लेकर मैं तैयार रहता और बताता।

श्री राम नरायण एडवोकेट—

मान्यवर, सेवा नियमावली का नीतिगत प्रश्न मैंने रखा था और आशा करता था कि मंत्री जी जवाब देंगे। आज भी हमारे गाजीपुर जनपद में और प्रदेश के अन्य जनपदों

में वर्कशाप में काम करने वाले और ड्राइवरों की बहुत-सी संख्या ऐसी है जिनको सर्विस बुक नहीं मिली है। रिटायरमेंट के वर्ज पर हैं। आप कहते हैं कि मैंने यह प्रश्न नहीं पूछा। तो मैं आपसे आश्वासन चाहूंगा कि मेरी जानकारी को सत्य मानकर, मैं गाजीपुर जनपद का हवाला देकर कह रहा हूँ, प्रदेश में आज भी जो वर्कशाप में काम करने वाले हैं या ड्राइवर हैं उनको सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं करा सके हैं। तो क्या इनको सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

मैं गाजीपुर की आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री बल्देव सिंह आर्य---

मान्यवर, यह नियमावली जून, 1981 में गजट में प्रकाशित हुयी है और समस्त प्रदेश में जहाँ-जहाँ सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी कार्यरत हैं उन सब पर लागू होती है, चाहे वह गाजीपुर के हों या कोई दूसरे जनपद के हों।

*16 श्री शेर बहादुर तथा श्री प्रियदर्शी जेतली---

[दिनाक 16-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 12 द्वारा उत्तरित]

ग्राम पोस्ट नूनखार, देवरिया के 'जलधारी देवी संस्कृत महाविद्यालय' में हाई स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा छात्र-छात्राओं के नाम पर धन निकाले जाने की शिकायत

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र---

*17 क्या हरिजन समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पोस्ट नूनखार, थाना खुखुन्दू देवरिया के 'जलधारी देवी संस्कृत महाविद्यालय' द्वारा हाई स्कूल के छात्र-छात्राओं के नाम पर 1981-82, 1982-83 के अन्दर एक लाख चौबीस हजार के लगभग धन प्रधानाचार्य द्वारा निकाले जाने के विषय पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा---

सूचना एकत्र की जा रही है।

परिवहन निगम, जनपद गाजीपुर की आय

श्री झिलमिट राम---(अनुपस्थित)

*18 क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परिवहन विभाग जनपद गाजीपुर की वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 व 1981-82 की आय क्या है ? क्या यह सत्य है कि अन्य वर्षों की अपेक्षा वर्ष 1981-82 में आय घटी है ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के गाजीपुर डिपो की आय वर्ष-वार निम्नवत है--

वर्ष	आय (लाख रुपये में)
1978–79	67.45
1979–80	71.08
1980–81	74.90
1981–82	96.61

अत: यह सत्य नहीं है कि अन्य वर्षों की अपेक्षा वर्ष 81–82 में आय घटी है ।

श्री रजनी कान्त, अधिशासी अभियन्ता की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि तथा वैयक्तिक सहायक जांच के पद पर स्थापित किये जाने का औचित्य

डा0 वृज किशोर मिश्रा---

*19 क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग के "जांच प्रकोष्ठ" जैसे गोपनीय अनुभाग में वैयक्तिक सहायक जांच के पद पर आसीन श्री रजनीकान्त (अधिशासी अभियन्ता) को सर्वे आफ इंडिया के मानचित्रों को गायब कराने हेतु उनकी चरित्र पंजिका में भर्त्सनात्मक प्रविष्टि की गयी है ? क्या उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही जांच का प्रकरण शासन के सम्बन्धित अनुभागन्तर्गत विचाराधीन है ? यदि हां, तो इतने महत्वपूर्ण पर उनको क्यों स्थापित किया गया है एवं इसका क्या औचित्य है ?

श्री गोपाल राम दास---

श्री रजनीकान्त, अधिशासी अभियंता को निषिद्ध नक्शों की सुरक्षा में सावधानी न बरतनें के लिए वर्ष 1982–83 में भर्त्सनात्मक प्रविष्टि दी गई है ।

जी नहीं ।

श्री रजनीकान्त को अनुभव एवं उपयुक्तता के आधार पर वैयक्तिक सहायक (जांच) के पद पर स्थापित किया गया है ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ । मेरी निश्चित जानकारी है कि श्री रजनी कान्त के खिलाफ तमाम अभियोग दर्ज हैं, उनके खिलाफ तमाम कार्यवाही हो रही है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो दुरुपयोग उन्होंने किया है, उसको देखते हुए श्री रजनी कान्त, अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित करने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, इसकी जांच सी0 आई0 डी0 से करायी गयी, उसमें सी0 आई0 डी0 ने यह कहा है कि इसमें उन्होंने लापरवाही बरती, लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है, यह चार्ज नहीं लगाया कि उन्होंने कोई जानबूझकर इस तरह का काम किया है। जो रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि उनकी लापरवाही थी, जो कार थी, वह चोरी चली गयी, उसमें जो डाकूमेन्ट रखे थे, वे चोरी चले गये। तो, उनकी लापरवाही के कारण ऐसा हुआ, इस निमित्त उनको प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल----

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि श्री गौरी कान्त मिश्रा, जो इंजीनियर इन चीफ थे, वे तो रिटायर हो गये, श्री रजनी कान्त ने अपने उत्तर प्रदेश के बार्डर के सिंचाई विभाग के नक्शों को दो करोड़ में चीन को बेच दिया। सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी के आधार पर श्री रजनी कान्त के करेक्टर रोल में इन्ट्री कर दी गयी, उनके खिलाफ जांच समिति बिठा दी गयी, उसके अध्यक्ष रजनी कान्त को ही बना दिया है। प्रश्न में है कि श्री रजनी कान्त को अनुभव एवं उपयुक्तता के आधार पर वैयक्तिक सहायक (जांच) के पद पर स्थापित किया गया है। मान्यवर, यह कोई न्याय की बात नहीं हुई। जो सी0 आई0 डी0 इन्कवायरी हुई, उसमें फैक्ट सही पाये गये। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अपने उत्तर में उन्होंने जो "सावधानी न बरतने के लिए" लिखा है, इसमें कौन सी सावधानी नहीं बरती, क्या नक्शे गायब हुए या और कोई बात हुई ? दूसरे, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस चीज को देखते हुए कि यह इतना गम्भीर मामला है कि इस देश के नक्शे को दूसरे देशों को बेचे गये हैं, इसमें न्यायिक जाँच की घोषणा करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैंने यह कहा कि जो सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट आयी, उसके अनुसार कार्यवाही की गयी। सी0 आई0 डी0 ने यह नहीं कहा कि उन्होंने जानबूझकर इस तरह का काम किया है, बेचा है···

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल---

नक्शे गायब हो गये कि नहीं, यह बता दें ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, उन्होंने कार ऐसी जगह खड़ी की, जहाँ उन्हें नहीं खड़ी करनी चाहिए थी, उनको किसी जिम्मेदारी की जगह पर या किसी डाक बंगले में खड़ी करनी चाहिए थी। जो रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा है कि इन्होंने लापरवाही बरती है, इतना ही कहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी, जिस मामले की जाँच हो रही है, क्या उनको उसी जाँच के बाबत वैयक्तिक सहायक (जांच) के पद पर तैनात किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

नहीं मान्यवर, ऐसा नहीं है, यह जो सी0 आई0 डी0 रिपोर्ट आयी है, उसमें दिया है कि महत्वपूर्ण नक्शों की सुरक्षा हेतु, उचित सावधानी न बरता जाना, उनकी लापरवाही का द्योतक है ।

डा0 बजकिशोर मिश्र---

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा कि सी0 आई0 डी0 ने निश्चित रूप से इतना इंगित किया है कि रजनीकान्त मिश्र, अधिशासी अभियन्ता ने लापरवाही बरती । इतने बड़े पद पर रहकर नक्शे के सम्बन्ध में लापरवाही शब्द सी0 आई0 डी0 ने कहा है । क्या इसको देखते हुये क्या इनका स्थानान्तरण करके पुनः न्यायिक जांच करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

इसको काफी देखा गया और इसीलिये तुरन्त सी0 आई0 डी0 को इसकी जांच दी गई । सी0 आई0 डी0 ने कहा कि कार के साथ डाकूमेंट चोरी चले गये । इसमें जांच रिपोर्ट में कहा है उसको मैंने पहले पढ़ा और फिर पढ़ देता हूँ "रजनीकान्त, अधिशासी अभियन्ता द्वारा इन महत्वपूर्ण नक्शों की सुरक्षा हेतु उचित सावधानी न बरती जाना उनकी लापरवाही का द्योतक है । लेकिन यह नहीं कहा कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया ।"

श्री राम कुमार भार्गव---

मान्यवर, मंत्री जी से एक प्रश्न कहना चाहता हूँ । सी0 आई0 डी0 ने कहा कि सुरक्षा के सम्बन्ध में लापरवाही बरती । उस समय यह अधिशासी अभियन्ता के पद पर थे और इनको चीफ इंजीनियर बना दिया गया । क्या माननीय मंत्री जी हम लोगों की भावनाओं को देखते हुये न्यायिक जांच उनको हटाकर करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

न्यायिक जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 की इंक्वायरी आयी और उसने निगलीजेंस आफ ड्यूटी स्वीकार किया, नक्शे को बेचा न होगा । मैं यह जानना चाहता हूँ क्या मंत्री जी स्वतः इस बात से सन्तुष्ट हो गये हैं कि निगलीजेंस आफ ड्यूटी थी या और कोई बात थी । इसमें निगलीजेंस आफ ड्यूटी और नक्शा बेचने में एक महीन लाइन है । सी0 आई0 डी0 की अधिकार सीमा है उसका अपना कार्यक्षेत्र सीमित है । इसमें इस बात का आरोप लग रहा है कि 2 करोड़ रुपये में नक्शा चीन को बेचा गया । आप न्यायिक जांच नहीं कराना चाहते न करायें लेकिन क्या उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को इस बात की सिफारिश करेगी कि सी0 बी0 आई0 द्वारा इसकी जांच कराई जाय । क्योंकि यह दो राष्ट्रों के बीच का मामला है । मैं इसलिये कह रहा हूँ क्योंकि कीचड़ के छींटे आपके ऊपर भी पड़नेवाले हैं । जबतक इंक्वायरी रिपोर्ट न आ जाय तब तक रजनीकान्त को जो वैयक्तिक सहायक जांच के पद पर नियुक्त किया है इनको कहीं और काम देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जांच रिपोर्ट आयी है। जब कोई स्पेसफिक बात होती है तो सी0 बी0 आई0 से जांच कराई जाती है। लापरवाही बरती गई है। विभागीय जानकारी चाहते हैं···

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

आपका पूरा विभाग इस मामले में इंवाल्व है गौरी कान्त मिश्रा भी इसमें शामिल हैं। न्याय के हित में क्या आप सी0 बी0 आई0 की जांच करायेंगे ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मंत्री जी बार-बार सी0 आई0 डी0 की जांच का हवाला दे रहे हैं। माननीय सदस्यों ने 2 करोड़ रुपये में बेचने का आरोप लगाया है और यह अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि से सम्बन्धित है। इसमें सी0 आई0 डी0 के जांच का कोई औचित्य नहीं रह गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उनमें नैतिक साहस है कि वह इस मामले की जांच सी0 बी0 आई0 से करायेंगे और साथ ही साथ उस आदमी को तत्काल निलम्बित करने का आश्वासन सदन को देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मैंने कहा है कि यह जिस समय चोरी हुई उस वक्त एफ0 आई0 आर0 लिखायी गयी···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

उनको उत्तर कृपया देने दें।

श्री वीर बहादुर सिंह---

यह अगस्त, 1979 की चोरी का मामला है। जांच पड़ताल होने के बाद जो रिपोर्ट आयी उसमें जो लापरवाही जिसकी पायी गयी, ऐक्शन लिया··· (व्यवधान) अगर आप यह समझते हैं कि उसके खिलाफ ऐक्शन कम है तो हम उस पर विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सिंचाई मंत्री जी, हाऊस की भावनाओं को समझते हुये कृपया इसे पुनः देख लें।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री वीर बहादुर सिंह---

ठीक है।

*20 श्री स्वामी नेमपाल---

[18वें बुधवार के लिए स्थगित]

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के सभी निराश्रित अपंग व्यक्तियों को जीविकोपार्ज़न हेतु मासिक भरण-पोषण अनुदान की सुविधा

श्री जयदीप सिंह बरार----

**1 क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के सभी अपंग, असहाय और अपने जीवकोपार्जन हेतु किसी भी शारीरिक कार्य को करने में अक्षम लोगों को आयु सीमा के बिना मासिक भत्ता देने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा---

प्रदेश के सभी निराश्रित अपंग (नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग) व्यक्तियों को जो अपने जीविकोपार्जन हेतु किसी भी शारीरिक श्रम के करने में अक्षम हैं, बिना किसी आयु के प्रतिबन्ध के रु0 50/- मासिक भरण-पोषण अनुदान की सुविधा प्रदान की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जयदीप सिंह बरार----

मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह इस प्रकार की सहायता कब से दी जाती है ? दूसरी बात यह कि ऐसे अपंग लोगों की सूची आप गाँवों में अपने लेखपालों से तथा अन्य कर्मचारियों से बनवा कर तैयार करवायेंगे ताकि ऐसे सभी अपंग लोगों को सहायता मिल सके क्योंकि बहुत से लोगों को आपकी इस नीति की जानकारी ही नहीं हो पाती है ?

श्री गुलाब सेहरा---

यह योजना मान्यवर, पिछले वर्ष लागू की गयी थी। पिछले वर्ष प्रत्येक जिले में 50-50 विकलांग लोगों के लिये धनराशि आवंटित की गयी थी। इसको प्रेस में भी दिया गया था और जो पुस्तिका हमने अपने बजट के समय बांटी थी उसमें भी उसका जिक्र था तथा अन्य माध्यम से भी प्रचार किया जाता है ।

श्री जयदीप सिंह बरार---

मैंने यह पूछा था कि क्या आप हर जिले में अपने लेखपालों के माध्यम से ऐसे अपग और विकलांग लोगों की सूची बनवायेंगे ताकि ऐसे लोगों को यह सहायता मिल सके ?

श्री गुलाब सेहरा---

जो यह भरणपोषण भत्ता दिया जाता है उसमें कुर्क अमीन वगैरह की तो रिपोर्ट होती ही है और तहसीलदार की भी होती है ।

श्री माधव प्रसाद---

क्या माननीय मन्त्री जी जिलेवाइज ऐसे अपंग और असहाय व्यक्तियों की संख्या के आधार पर हर जिले में पेन्शन दिये जाने की व्यवस्था करेंगे ? और क्या असहाय विधवाओं के लिये भी यही व्यवस्था करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा---

श्रीमन्, निराश्रित विधवाओं के लिये जिले में पेन्शन दिये जाने की व्यवस्था पहले से ही है और पिछले वर्ष 5,700 विधवाओं को पेन्शन दी भी गयी है ।

श्री रियासत हुसैन---

इस बात को देखते हुये कि जो अपाहिज और अपंग लूले-लंगड़े लोग होते हैं उनको तहसील दफ्तर तक या आपके हरिजन कल्याण के दफ्तर तक जाने में परेशानी होती है, क्या आप विलेज लेविल पर अपने कर्मचारियों द्वारा, जिस प्रकार से आपने स्माल फार्मर्स की लिस्ट तैयार करवायी है, उसी प्रकार से ऐसे लोगों की भी लिस्ट तैयार करवायेंगे और उसे एप्रोप्रीएट दफ्तर में रखवायेंगे ताकि उन लोगों को बिना भागदौड़ किये हुये सहायता मिल सके ?

श्री गुलाब सेहरा---

हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि सभी ऐसे लोगों को यह सहायता दी जा सके, जो एप्लायी करता है उसे दी जाती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

हर जिले में 50 लोगों को पेन्शन दिये जाने की बात माननीय मन्त्री जी ने कही है । वर्ष 1981 विकलांग वर्ष मनाया गया । मेरे सीतापुर जिले में 1981 और 1982 में किसी एक भी नये अपलांग व्यक्ति को यह पेन्शन नहीं मिली है, यह मेरी जानकारी है । जो बजट में मैंने देखा, उसमें 30 हजार रुपया आपने रखा है । बजट के बाहर अगर रखा हो तो मुझे जानकारी नहीं है । इस धनराशि में से, क्या मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि किसी भी एक जिले में ऐसे 50 लोगों को यह पेन्शन दी गयी हो ? अगर अभी उनके पास यह सूचना न हो तो वे कृपया बाद को ही मुझे भिजवा दें ?

श्री गुलाब सेहरा---

हमने तो हर जिले में 50 के लिये आवंटित किया है । अब अगर किसी विशेष जिले के बारे में, जहाँ यह पेन्शन नहीं दी गयी है, माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो उसकी सूचना हम मँगा कर माननीय सदस्य को भिजवा देंगे ।

श्री शंकरसिंह---

क्या यह सही है कि सन् 80 में जिन लोगों को, विकलांग लोगों को, यह पेन्शन मिल रही थी, वह जब विकलांग वर्ष मनाया गया तब बन्द कर दी गयी ? उदाहरण के लिये जालौन जिले में जिन-जिन लोगों को यह पेन्शन मिल रही थी वह बन्द कर दी गयी । एक भी व्यक्ति को उस वर्ष सहायता नहीं दी गयी । क्या इसकी जानकारी मन्त्री जी को है ?

श्री गुलाब सेहरा---

इसको मैं दिखवा लूँगा ।

श्री गोपीनाथ वर्मा---

क्या माननीय मन्त्री जी, जैसा कि माननीय रियासत हुसेन साहब ने कहा, पूरे प्रदेश में हर गाँव स्तर पर ऐसे लोगों की सूची तैयार करवायेंगे और उसके अनुसार उनको पेन्शन दिये जाने की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

मैंने कहा कि समस्त लोगों को देने के लिये वित्तीय प्राविधान अभी नहीं है। जो एप्लायी करता है उसे देते हैं।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा---

आपने जिलों में प्रत्येक जिले के लिये 50 लोगों की संख्या तय कर दी, पर किसी जिले की आबादी कम है किसी जिले की आबादी बहुत अधिक है, तो आबादी के लिहाज से, हर जिले के लिये और विशेषकर गोरखपुर जिले के लिये, क्या आप इसकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

पिछले वर्ष जितनी बचत थी वह हमने इस शुभ काम के लिये रख दी थी और प्रत्येक जिले के लिये 50-50 लोगों को देने के लिए व्यवस्था कर दी थी।

श्री जयदीप सिंह बरार---

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि 50 व्यक्तियों को देने के लिये आपने आदेश दिये हैं, पर जहाँ कहीं पर इनकी संख्या 50 से अधिक होगी, प्रार्थना-पत्र 50 से अधिक होंगे, वहाँ पर क्या इस सीमा को बढ़ाया जायेगा ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मैं तो चाहता हूँ कि सभी को मिल जाये, पर वित्तीय असमर्थता सामने है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी जो जानकारी है, मा0 मन्त्री जी ने जो 50 व्यक्तियों को हर जिले में ऐसे लोगों को पेन्शन देने की बात कही है, जो निराश्रित हैं और कमजोर हैं, लेकिन मैंने जो देखा तो ऐसे लोगों को ज्यादातर पेन्शन मिली है, जो बहुत कमजोर नहीं हैं। जिनको कमजोर माना गया है, उनसे अधिकांश लोग ज्यादा कमजोर हैं, क्या इसकी जाँच कराने की कृपा करेंगे ? और उन लोगों को जो वास्तव में पात्र हैं, उनको पेन्शन देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह "पेन्शन" का नहीं "अनुदान" का सवाल है।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, माननीय विष्ट जी दोनों बिन्दुओं को मिला रहे हैं। निराश्रित महिलाओं को 100/- रु0 दिया गया है और विकलांगों को 50/- रु० दिया गया है। इन्कम सर्टीफिकेट रेवेन्यू आफिसर से मिलने की बात हुई, तो जाली कहाँ प्राप्त होते हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि मेरी निश्चित जानकारी है कि आप कहते हैं कि जो भी निराश्रित विधवायें हैं, उनको आर्थिक सहायता दे दी गयी है। इतवार को मैं गया था अपने क्षेत्र में, जो विधवायें निराश्रित हैं, पैसा अभी तक उनको नहीं दिया गया है। क्या इस विषय में महाराजगंज (गोरखपुर) में जाँच करवा लेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा---

लिखकर दे दें, जाँच करवा लेंगे ।

पर्वतीय क्षेत्र के दूर दराज के इलाकों में बसे गाँवों को पेयजल समस्या के समाधान हेतु कथित योजना

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी---

**2 क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में दूर दराज के इलाकों में बसे सभी गाँवों को पेयजल समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार 1972 की सर्वे के अनुसार घोषित अभावग्रस्त गाँवों की ही पेयजल योजना बना रही है और वर्तमान समय में वास्तविक रूप से घोर अभावग्रस्त गांवों की पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में उदासीनता प्रकट कर प्रधान मंत्री के नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम के आठवें सूत्र की उपेक्षा कर रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी---

मान्यवर, इस प्रश्न को करने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि चौथे बुद्धवार को मा0 मन्त्री जी से पूँछा था कि क्या सभी अभावग्रस्त ग्रामों को पानी उपलब्ध करेंगे ? उस समय मन्त्री जी ने कहा था कि जब तक 72 की सूची बनी है, उस पर काम नहीं हो जाता, तब तक इन ग्रामों के बारे में जानकारी या सर्वे कराना सम्भव नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि देश की प्रधानमन्त्री के 20 सूत्री कार्यक्रम में आठवाँ सूत्र है, उसमें यह स्पष्ट है कि हर गाँव को पेयजल उपलब्ध कराया जायगा । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे इस आठवें सूत्र से बन्धित नहीं हैं और क्या वह सभी गाँवों को पानी देने की बात नहीं सोंचते हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

मान्यवर, 1972 में पहाड़ों में अभावग्रस्त ग्रामों का एक सर्वेक्षण हुआ था, पूरे जनपदों के उसमें 15010 ग्राम कुल हैं और उनमें से अभावग्रस्त, जहां कि पानी की नितान्त कमी है, 7771 थे, उनमें से अभी तक 5598 ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था की जा चुकी है । शेष ग्रामों में इस वर्ष जो आर्थिक वर्ष शुरू हुआ है, इसमें 360 ग्रामों के लिये और पेयजल की व्यवस्था की जायगी । हम 20 सूत्री कार्यक्रम को लेकर चले हैं, लेकिन जो साधन उपलब्ध हैं, उनके अन्दर रहते हुए जो हमारे सामने सर्वेक्षण की सूची है, जहाँ कि पानी मिलना कठिन है, उनको पहले पानी देने की बात है । बाद को अन्य ग्रामों को पानी देने का प्राविधान किया जा सकता है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो अभी यहाँ पर अपना उत्तर पढ़ा उसमें—"जी हाँ", "जी हाँ" और "जी नहीं" कहा, जब कि जो छपा हुआ उत्तर हमें यहाँ मिला है उसमें सभी में—"जी नहीं", "जी नहीं", "जी नहीं" कहा गया है।

मान्यवर, पहले यह स्पष्ट हो जाय कि माननीय मंत्री जी गलत हैं या हम गलत हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, माननीय सदस्य जो यह प्रश्न कर रहे हैं वह पहले उत्तर को पढ़ लें तो शायद उनको मालूम हो जायेगा कि जो उत्तर दिया गया है वह सही है। "जी हाँ" है !

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी जो मेरे पास इसका उत्तर लिखकर आया है उसमें जी नहीं लिखा हुआ है। आप इसे स्पष्ट कर दें कि यह जी हाँ है या जी नहीं है।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, मेरे पास जो सूची है और जो प्रश्नों का उत्तर दिया गया है उसे मैंने पढ़ा है। मुझे इस बात का खेद है कि जो आपको और माननीय सदस्य को इस प्रकार का उत्तर लिखकर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

अतारांकित प्रश्न

1 श्री वदन सिंह—

[दिनांक 21-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या–16 द्वारा उत्तरित]

जनपद चमोली में राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में स्नात्कोत्तर कक्षाओं में वाणिज्य विषय खोलने की माँग

श्री कुंवर सिंह नेगी—

2 क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में वाणिज्य विषय स्नात्कोत्तर कक्षाओं में खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृति मिल जायगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हाँ।

यह विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति की संस्तुति एवं कुलाधिपति के अनुमोदन पर निर्भर करता है अतः अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।

चुनार तहसील, मिर्जापुर के माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति।
जन-जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को आवंटित छात्रवृत्तियाँ न दिये जाने
के विरुद्ध कार्यवाही

श्री यदुनाथ सिंह—

3 क्या समाज कल्याण मन्त्री को ज्ञात है कि चुनार तहसील जनपद मिर्जापुर के माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 1981–82 का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को आवंटित छात्रवृत्तियाँ अभी तक नहीं दी गयीं ? उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या उनके विरुद्ध जाँच करके दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

चुनार तहसील, मिर्जापुर के गांवों को बाढ़ से बचाने हेतु, रेगुलेटर सहित
तटबन्ध बनाने का विचार

श्री यदुनाथ सिंह—

4 क्या सिंचाई मन्त्री चुनार तहसील, जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत डाव एवं किरियात के 87 गाँवों को बाढ़ से बचाने के लिए शेरपुर गाँव से लेकर चुनार तक एवं अदलपुर गाँव से लेकर चील्ह पुल तक रेगुलेटर सहित तटबन्ध बनाने का विचार करेंगे ? नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस सुझाव पर सर्वेक्षण के पश्चात यदि कोई विकल्प तकनीकी दृष्टिकोण से सम्भव पाया गया तो स्वीकृति हेतु योजना बनाने पर बिचार किया जायेगा।

5 श्री रामगोविन्द—

[8 वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मधुबन बस स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश

श्री राजकुमार राय—

6 क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मधुबन, आजमगढ़ (सुल्तानपुर बारहगांवा) जनपद आजमगढ़ में बस स्टेशन भवन निर्माण के लिए भूमि लेकर घेरे बन्दी कर दी गयी है और वहाँ बस स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है ? यदि हाँ, तो निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं और वह कब तक बना दिए जाने का सरकार का इरादा है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हाँ।

मधुवन बस स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति में है। निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश निगम द्वारा दे दिये गये हैं।

आजमगढ़ रोडवेज के बुकिंग क्लर्क द्वारा टिकट का अधिक दाम चार्ज किये जाने संबंधी शिकायती पत्र

श्री राजकुमार राय--

7 क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री विजय शंकर राय, सूरजपुर का शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के संस्तुति पत्र दिनांक 2-2-83 के साथ इस आशय का मिला था कि आजमगढ़ रोडवेज के बुकिंग क्लर्क ने उनसे नियत किराए से ज्यादा अधिक पैसा टिकट का दाम चार्ज किया एवं उन्हें अपमानित भी किया ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

8 श्री रामचरण सिंह—

[10वें बुधवार के लिए स्थगित]

जनपद गोण्डा में महा साह विशेन ल0 मा0 विद्यालय, सुशेला के प्राधानाध्यापक द्वारा हरिजन छात्रवृत्ति में अनियमितता की शिकायतें

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री बाबू लाल तथा श्री अम्बिका सिंह—

9 क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में महा साह विशेन ल0 मा0 विद्यालय, सुशेला के प्रधानाध्यापक द्वारा हरिजन छात्रवृत्ति में 1979 से 1982 तक की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में शासन को कितनी शिकायतें 31-12-82 तक मिली और शासन ने उस पर क्या कार्यवाही किया ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्टेपुल धागे का मूल्य, बुनकरों को उचित मूल्य पर धागा मुहैया कराने हेतु खोले गये सूत विक्रय केन्द्र

श्री ऊदल--

10 क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेपिल धागे का मूल्य 107 से बढ़ाकर 150 रु0 बंडल हो गया और स्टेट की सूती मिलों (सहकारी कताई) का सूत बाजार से गायब होने से 124 रु0 हो गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है ? सरकार स्टेपुल धागे एवं सूती धागे के दामों में कमी करने एवं बुनकरों को मुहैया करने के बारे में क्या कदम उठा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

स्टेपुल धागे का मूल्य 107.00 रु0 प्रति बंडल पिछले दो वर्षों में कभी नहीं रहा है । दो वर्षों में स्टेपुल धागे की कम से कम दर रु0 125.00 प्रति बंडल थी जो अब पिछले तीन

महीनों से रु0 146.00 प्रति बंडल है। स्टेट की सूती मिलों (सहकारी कताई) का माल बाज़ार में उपलब्ध है और उनके द्वारा उत्पादित किये जाने वाले 24, 30 और 32 के किसी भी सूत की दर 124.00 प्रति बंडल नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुनकरों को उचित मूल्य पर धागा मुहैया करने के लिए बुनकर बाहुल्य स्थानों पर सूत विक्रय केन्द्र खोले गये हैं और नये केन्द्र खोलने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

11 श्री राधेश्याम पटेल---

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

श्री एन0 बी0 गुप्त सेवा प्रबन्धक, यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 झांसी के गाजियाबाद एवं झांसी क्षेत्र के कार्यकाल में बसों के ब्रेक डाउन से वित्तीय हानि, टी0 ए0 चार्ज किये जाने का आरोप

श्री रामस्वरूप वर्मा---

12 क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एन0 बी0 गुप्त सेवा प्रबन्धक, यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 झांसी के गाजियाबाद एवं झांसी क्षेत्र के कार्यकाल में निगम की बसों के कितने ब्रेक-डाउन हुए तथा उनसे कितने किलोमीटर का स्थगन हुआ ? कितने रुपए की निगम को वित्तीय हानि हुई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---

13 क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या एन0 बी0 गुप्त सेवा प्रबन्धक, यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, झांसी के विरुद्ध गलत तरीके से, उनके गाजियाबाद एवं झांसी क्षेत्र के कार्यकाल में, कितने रुपए की टी0 ए0 चार्ज के कितने आरोप हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ के कार्यालय में वरिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति तथा कार्यमुक्त करने की तिथि

श्री विष्णुदयाल वर्मा---

14 क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2642-ई-4/4 बी0, 46 सी0/4, दिनांक 30-4-82 तथा इसके बाद वरिष्ठ सहायक के पद पर किन-किन वरिष्ठ लिपिकों को प्रोन्नत किया गया उनमें से किन-किन वरिष्ठ लिपिकों को कब-कब कार्यमुक्त किया गया और किन-किन वरिष्ठ लिपिकों को अभी तक कार्यमुक्त क्यों नहीं किया गया ? इसके लिए कौन-कौन

अधिकारी उत्तरदायी हैं तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या अनुशासनिक कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

संख्या 2642/ई–4/4 बी–46 सी/4, दिनांक 30–4–82 द्वारा तथा इसके बाद निम्न वरिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति किया गया तथा निम्नलिखित तिथि को उन्हें कार्यमुक्त किया गया ।

क्रमांक व नाम	कार्यमुक्त करने की तिथि
सर्वश्री	
1–वृजनाथ कपूर	4–5–82
2–शिवशंकर लाल	4–9–82
3–श्रीमती सरोजनी गुप्ता	—
4–श्रीमती आशा मिश्रा	19–1–83
5–हरीश चन्द्र श्रीवास्तव	—
6–रामेश्वर दयाल कटियार	—
7–राम गोपाल	—
8–दुलारे लाल	4–9–82
9–वी० पी० निगम	5–6–82
10–राजेन्द्र प्रसाद	—
11–श्रीमती सरोज पांडे	5–5–82
12–महेश चन्द्र विनवाल	—
13–श्रीमती मनोरमा मेहरोत्रा	11–1–83
14–दमोदर प्रसाद पाठक	4–8–82
15–सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव	—
16–सुरेन्द्र प्रकाश शर्मा	4–9–82
17–राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	—
18–श्रीमती विमला श्रीवास्तव	28–12–82
19–रमेश सिंह	—
20–राम लाल	—
21–रामआसरे यादव	4–1–83
22–लार्डले मोहन निगम	31–12–82
23–प्रेम लता शर्मा	—
24–राम किशोर यादव	—

कार्यहित में सभी प्रोन्नति कर्मचारियों को कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है । समय-समय पर कार्य की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जा रहा है। इसमें किसी अधिकारी का दोष नहीं है । अतः अनुशासनिक कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के विकास खंड बहरिया में ग्राम बुआपुर व नारी में नलकूप की बोरिंग

श्री राधेश्याम पटेल—

15 क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड बहरिया में ग्राम बुआपुर व नारी में नलकूप लगाने हेतु बोरिंग हो चुकी है यदि हां, तो कब ? क्या इन दोनों नलकूपों का अभी तक उर्जीकरण नहीं हुआ ? यदि हां, तो कब तक इनका ऊर्जीकरण हो जायगा और किसानों को पानी मिलने लगेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद इलाहाबाद के विकास खंड बहरिया में ग्राम बुआपुर में नलकूप की बोरिंग 23–4–81 को तथा ग्राम नारी में बोरिंग 2–5–81 को हो चुकी है।

इन दोनों नलकूपों का उर्जीकरण अभी नहीं हुआ है। इन दोनों नलकूपों के उर्जीकरण हेतु उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद को दिसम्बर 81 में भुगतान कर दिया गया था, परन्तु विद्युत विभाग द्वारा उर्जीकरण अपेक्षित है। विद्युतीकरण होते ही नलकूप सिंचाई हेतु चला दिये जायेंगे।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत ग्राम विकास अधिकारियों (हरिजन कल्याण) की सहायक विकास अधिकारी के पद पर प्रोन्नति

श्री कुंवर सिंह नेगी—

16 क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत नियुक्त कितने ग्राम विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) वर्ष 1981 एवं 1982 में सहायक विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) के पद पर पदोन्नत किए गये ? इनमें अनुसूचित जनजाति के कितने ग्राम विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) पदोन्नत किए गये हैं ? क्या अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का लाभ पदोन्नति में दिया गया है ?

श्री गुलाब सेहरा—

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वर्ष 1981 एवं 82 में कुल 90 ग्राम विकास अधिकारियों (हरिजन कल्याण) की पदोन्नति सहायक विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) पर की गई। अनुसूचित जनजाति का कोई ग्राम विकास अधिकारी नहीं लिया गया। यदि अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे तो पदोन्नति में आरक्षण का लाभ अवश्य दिया जाएगा।

17 श्री नन्द किशोर सिंह—

[10वें बुधवार के लिए स्थगित]

18 श्री राम आसरे वर्मा—

[10वें बुधवार के लिए स्थगित]

19 श्री राम आसरे वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री अजर सिंह, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक देवरिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार के संबंध में पत्र

श्री हरिवंश सहाय—

20 क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, देवरिया (श्री अजर सिंह) के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 6–2–83 मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच कौन अधिकारी ने किया तथा जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उप प्रधान प्रबन्धक पूर्वी जोन, वाराणसी को जांच के लिये भेजे गये आरोप तथा रिपोर्ट

श्री पंचानन राय—

21 विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप प्रधान प्रबन्धक पूर्वी जोन, वाराणसी को आरोप जांच के लिए कब भेजे गये तथा उनसे रिपोर्ट कब तक मांगी गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत आरोप दिनांक 1–12–82 को उप प्रधान प्रबन्धक पूर्वी जोन, वाराणसी को भेजे गये थे तथा रिपोर्ट 15 दिन में मांगी गयी थी जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई, उसे शीघ्र भेजने के निदेश निगम द्वारा जारी किये गये हैं ।

22 श्री पंचानन राय—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

हथकरघा उद्योग, रानीपुर के सुपरवाइजर की अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

23 क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 10–2–83 के आस-पास जनपद झांसी नगर रानीपुर में हथकरघा उद्योग, रानीपुर के सुपर-वाइजर की अनियमितताओं के सम्बन्ध में मिला है ? यदि हां, तो शासन ने प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ संलग्न पत्र रानीपुर, झांसी के निवासी धनीराम पुत्र श्री नाथूराम के पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ ।

शिकायत की जाँच करने के उपरान्त प्रश्न में उल्लिखित सुपरवाइजर का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किये जाने की मांग

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

24 क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0) में सैकड़ों ऐसे कार्यरत कर्मचारी हैं जिन्हें कार्य करते हुए दस वर्ष से अधिक हो गया है ? लेकिन फिर भी दैनिक वेतन पर हैं ? उन कर्मचारियों को कब तक स्थायी कर दिया जायगा ? अभी तक उन्हें स्थायी न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 में एक मुश्त मासिक वेतन/दैनिक वेतन पर 10 वर्ष से अधिक कर्मचारियों की संख्या केवल 11 है। ऐसे वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवायें कार्य की समाप्ति पर स्वत: ही समाप्त हो जाती है अत: इनके स्थाई करने का प्रश्न नहीं उठता है। मानवता के आधार पर कार्य विशेष के समाप्त होने पर इन निकाले जाने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के बजाय अन्य दूसरे कार्यों में संबद्ध कर दिया जाता है परन्तु विधिक तौर से इनकी निरन्तरता नहीं बनी रहती है।

लिपिकों के पद हेतु अभ्यर्थियों की नियुक्ति में अनियमितताओं की शिकायत, सतर्कता विभाग द्वारा जांच, आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में दायर की गयी याचिका

श्री खरपत राम—

25 क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लिपिकों के पद के लिए हुए चयन के आधार पर दिनांक 15 मई, 1981 को कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत किए गये थे ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त आदेशों के अन्तर्गत कितने अभ्यर्थियों ने दिनांक 22 मई, 1981 तक अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया था ? क्या यह सही है कि दिनांक 23 मई, 1981 के आदेशों द्वारा निदेशक; हरिजन एवं समाज कल्याण ने इन नियुक्तियों को स्थगित कर दिया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस बारे में कोई जांच की जा रही है ? यदि हां, तो लगभग दो वर्षों का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी यह जांच अब तक पूरी क्यों नहीं हो सकी और इसके कब तक पूरे होने की उम्मीद है ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हाँ, दिनांक 15 मई, 1981 को तत्कालीन निदेशक द्वारा 72 लिपिकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए थे। दिनांक 22 मई, 1981 तक केवल 34 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण किया था। यह सही है कि दिनांक 23–5–1981 को तत्कालीन निदेशक के आदेशानुसार इन नियुक्तियों को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि नियुक्तियों में अनियमिततायें होने की शिकायत प्राप्त हुई थीं। इस बारे में सतर्कता विभाग द्वारा जाँच की जा रही है। सतर्कता विभाग से जाँच यथाशीघ्र पूर्ण कर विभाग को उपलब्ध कराने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

श्री खरपत राम--

26 क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगें कि क्या यह सही है कि जिन अभ्यर्थियों ने लिपिक के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया था उन्होंने दिनांक 23 मई, 1981 के आदेशों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया है और वे आज भी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन अभ्यर्थियों को भी ज्वाइन कराने के प्रश्न पर विचार करेगी जो दिनांक 23 मई, 1981 के आदेशों के कारण अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हाँ, यह सही है कि 72 नियुक्त अभ्यर्थियों में से 33 अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में दिनांक 23 मई, 1981 के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की थी और इनमें से 25 को स्थगन आदेश प्राप्त हुआ था जिसमें से इस समय केवल 21 कर्मचारी कार्यरत हैं। जिन अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है उन्हें कार्यभार ग्रहण कराना फिलहाल संभव नहीं है क्योंकि मामले में सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

जनपद नैनीताल में स्थित बौर एवं हरिपुर जलाशयों के बीच बांध के निर्माण की मांग

श्री जयदीप सिंह बरार--

27 क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद नैनीताल में स्थित बौर एवं हरिपुर जलाशयों के बीच सही बांध न होने के कारण एवं हरिपुरा जलाशय ऊँचा होने के कारण उसका अधिकांश पानी और जलाशय में चला जाता है और इस कारण थोड़े से सूखे की स्थिति से ही हरिपुरा जलाशय एवं उससे पोषित सिंचन संकर्म सूख जाते हैं, जबकि बौर जलाशय और उसके सिंचन संकर्म कार्यरत रहते हैं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी इन दोनों जलाशयों के बीच समुचित आकार का बांध बनवाने की कृपा करेंगे जिससे इस समस्या का छुटकारा मिल सके यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सही है कि हरीपुरा जलाशय का भूमि स्तर बौर जलाशय के भूमि स्तर से ऊँचा है, व दोनों जलाशयों के जलागम क्षेत्र से आया हुआ जल मिल कर संचित होता है। जब बौर जलाशय का जल स्तर हरिपुरा के भूमि स्तर से नीचा हो जाता है तो हरिपुरा जलाशय से पोषित नहर प्रणालियों में बौर जलाशय में संचित जल नहीं जा पाता। इस समस्या का समाधान करने के लिए बौर जलाशय से पोषित ककराला नहर से एक पोषक नहर बनाया जाना प्रस्तावित है जो हरिपुरा जलाशय से निकाली हुई नहर प्रणाली को पानी देगी। इस प्रकार से बौर जलाशय में कम जल स्तर होने पर भी हरिपुरा जलाशय से पोषित नगरों में जल दिया जाना संभव हो सकेगा। पोषक नहर का निर्माण भूमि अध्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात किया जावेगा।

उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम के कमीशन एजेन्ट श्री राजकुमार सिंह महराजगंज (गोरखपुर) द्वारा लिये गये कमीशन की दर तथा देय धन का भुगतान

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

28 क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजकुमार सिंह, महराजगंज (गोरखपुर) उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम, कानपुर के महराजगंज में कमीशन एजेंट हैं ? यदि हां, तो वे किन शर्तों पर कार्य करते हैं और उनके देय धन का भुगतान क्या लगातार हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

एजेन्सी के आधार पर दो प्रतिशत नियन्त्रित वस्त्र तथा चार प्रतिशत की दर से अनियन्त्रित वस्त्रों की बिक्री पर कमीशन दिया जाता है ।

देय धन का भुगतान जनवरी, 1977 से अगस्त, 1981 तक का किया गया है । इसके पश्चात् की अवधि का भुगतान इन्हें नहीं किया गया क्योंकि इनके द्वारा जिला परिषद, गोरखपुर को दुकान का किराया भुगतान नहीं किया गया है ।

29-30 श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

[10 वें बुधवार के लिये स्थगित]

ग्राम सुधार समिति पावौ, विकास खण्ड कलजी खाल के ज्ञापन में अश्व मार्ग के निर्माण की माँग

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

31 क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उप सचिव, पर्वतीय विकास अनुभाग–7 के पत्रांक 4076/28–7–31 (41)/81 दि0 [illegible]–1–82 के द्वारा जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परिषद् पौड़ी गढ़वाल से ग्राम सुधार समिति पावौ के पत्र के उद्धरण पर 15 दिन के अन्दर रिपोर्ट भेजने को कहा था ? यदि हाँ, तो जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परिषद पौड़ी से रिपोर्ट शासन को कब प्राप्त हुई है और ग्राम सुधार समिति पावौ, विकास खण्ड, कलजीखाल के पत्र में उल्लिखित समस्या के निराकरण हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हाँ, परन्तु जिलाधिकारी अध्यक्ष, जिला परिषद पौड़ी से उक्त पत्र के संदर्भ में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई ।

प्रश्न के संदर्भ में प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम सुधार कमेटी पावौ विकास खण्ड कलजीखाल का ज्ञापन प्राप्त होने पर ग्राम उड्डा से किसमोलिया गधेरे तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत एक अश्व मार्ग के निर्माण हेतु आगणन बनाकर इसे अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण क्षेत्रीयकरण सेवा पौड़ी को जिला परिषद द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया

अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा पौड़ी द्वारा उक्त अश्व मामं का निर्माण कार्य इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि शासन से यह निर्देश जारी किये गये थे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत कच्चे मार्ग का निर्माण नहीं किया जायगा ।

पौड़ी जनपद गढ़वाल के विकास खण्ड कलजीखाल के अन्तर्गत स्थान वाडयूं में पंचायत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत प्राक्कलन विलम्ब से प्रस्तुत करने के विरुद्ध सहायक अभियन्ता का स्पष्टीकरण

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

32 क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जिला विकास अधिकारी, पौड़ी के पत्रांक 3064/7–4 दि० 10–11–81 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, पौड़ी जनपद गढ़वाल के विकास खण्ड कजलीखाल के अन्तर्गत स्थान वाड़यूँ में पंचायत वन निर्माण हेतु प्राक्कलन स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ? यदि हाँ, तो अधिशासी अभियन्ता द्वारा पंचायत वन का प्राक्कलन तैयार करने में विलम्ब के प्रति कौन उत्तरदायी है ? उत्तरदायी के प्रति क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हाँ ।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा पौड़ी ने वाडयूं में पंचायत भवन निर्माण हेतु प्राक्कलन स्वीकृत हेतु सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा पौड़ी को दिनांक 26–11–81 को निर्देश दिया था । सहायक अभियन्ता ने उक्त प्राक्कलन दिनांक 18–3–83 को प्रस्तुत किया जिसे अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा ने उसी तिथि को तकनीकी स्वीकृत देते हुये परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कोटद्वार, गढ़वाल को भेज दिया । प्राक्कलन विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित सहायक अभियन्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत पैड़ल पेयजल योजना का निर्माण

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

33 क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत पैडेल पेयजल योजना शासन द्वारा कब स्वीकृत हुई थी ? अब तक इस योजना के निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की गयी है तथा कब तक इस योजना का निर्माण सम्पन्न हो सकेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड कोट के अन्तर्गत पैड़ल पेयजल योजना जल निगम द्वारा सितम्बर 1981 में स्वीकृत हुई थी । पैड़ल पेयजल योजना के लिए प्रस्तावित जल श्रोत पर ग्रामवासियों की आपत्ति होने के कारण इस योजना पर कार्य आरम्भ नहीं कराया जा सका । जल निगम द्वारा अन्य वैकल्पिक जल स्रोत ढूँढ़ा गया है तथा योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के पश्चात

कार्य आरम्भ किया जायगा। योजना के पूरा होने में दो वर्ष का समय लगने की सम्भावना है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के जाखणीखाल–व्यासघाट मोटर मार्ग का निर्माण

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी––

34 क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के जाखणीखाल–व्यासघाट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ढांगू विकास समिति ने उन्हें जनवरी, 1983 में क्या कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो ज्ञापन में क्या माँग की गयी है और ज्ञापन में दिए गये सुझाव के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य––

जी हाँ।

प्रश्नगत ज्ञापन में जाखणीखाल–व्यासघाट मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्रतया पूर्ण कराये जाने तथा मार्ग को मैथा–गढ़मोला–अमोला–दावड़–खण्ड–काण्डी–किनसुर होते हुये व्यासघाट पर मिलाये जाने की माँग की गयी है। उक्त मार्ग के प्रथम 4.00 किलोमीटर भाग के निर्माण की स्वीकृति पूर्व में ही अप्रैल, 1982 में दी जा चुकी है और इस पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

जनपद उन्नाव में नलकूप निगम द्वारा नलकूपों का छिद्रण

श्री भीखा लाल––

35 क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में अब तक नलकूप निगम द्वारा कितने नलकूप छिद्रित किए गये उनमें से कितने चल रहे हैं और कितने असफल हो गये और वर्ष 1983–84 में कितने नलकूप छिद्रित करने की योजना है और कहाँ-कहाँ ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम द्वारा उन्नाव जनपद में अब तक केवल 10 नलकूपों का छिद्रण किया गया है जिनकी विकास खण्डवार संख्या निम्न प्रकार है :––

विकास खण्ड	छिद्रित नलकूपों की सं0
हिलौली	एक
असोहा	एक
मियागंज	सात
हसनगंज	एक
कुल :	दस

उपरोक्त दस नलकूपों में से नौ का विकास सन्तोषजनक है। ग्राम बिनैका विकास खण्ड मियागंज में छिद्रित एक "नलकूप संख्या–8 एन0 यू0 जी0 का निकास ०" (10466 जी0 पी0 एच0) है इसके निकास को बढ़ाने की सम्भावनाओं से सम्बन्धित आवश्यक अध्ययन किया जा रहा है। अभी तक कोई नलकूप चालू नहीं हुआ है क्योंकि धनाभाव

के कारण लगभग एक वर्ष तक विभिन्न कार्य नहीं कराये जा सके । अब बैंक से ऋण प्राप्त होने पर सिविल कार्य कराये जा रहे हैं वर्ष 83--84 में इनके चला दिये जाने का लक्ष्य है ।

वर्ष 83--84 में उत्तर प्रदेश नलकूप निगम द्वारा उन्नाव जनपद में और नलकूपों का छिद्रण करने की कोई योजना नहीं है ।

36 श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

[9 वें बुधवार के लिये स्थगित]

37--38 श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

[10 वें बुधवार के लिये स्थगित]

मूसा खांड, वाराणसी द्वारा एन0 आर0 ई0 पी0 के कार्यों का भुगतान

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

39 क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मूसा खांड, वाराणसी द्वारा जून, 1982 में हुए सहायक अभियन्ता द्वारा एन0 आर0 ई0 पी0 के कार्यों का भुगतान 4 माह बाद किया गया ? क्या यह सच है कि इस योजना के अन्तर्गत तीन लाख रुपए का भुगतान सम्पूर्ण रूप से फर्जी है तथा काम कराया ही नहीं गया है ? क्या यह भी सच है कि वांणगंगा ड्रेन में 50 हजार रुपए का भुगतान किया गया है जिसमें श्रमिकों का नाम एवं उनका अंगूठा निशान फर्जी बनाया गया है ? क्या मन्त्री जी विशेष जाँच के माध्यम से उपरोक्त तथ्यों की जानकारी करा कर सदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

आधे से अधिक भुगतान 82 अगस्त तक हो गया था शेष भुगतान बाद के महीनों में हुआ ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के ब्लाकों में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का क्रियान्वयन, चयन किये गये परिवारों को बैंकों द्वारा धन भुगतान करने से व्यवधान

श्री गोपीनाथ वर्मा---

40 क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में 1980 से 1982 तक कुल कितने ब्लाकों में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान चलाया जा रहा है ? क्या प्रत्येक ब्लाक वार पात्र परिवारों की सूची बनाई गयी ? यदि हाँ, तो प्रत्येक ब्लाक में चयनित व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या क्या है ? चयन किए गये परिवारों को रोजगार हेतु कितना-कितना धन स्वीकृत किया गया ? स्वीकृत धन किस-किस बैंकों से दिलाया जा रहा है ? चयन किए गये समस्त परिवारों को बैंकों द्वारा धन भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो किन-किन बैंकों में कितने परिवारों को अभी तक भुगतान नहीं कराया जा सका है ? अब तक भुगतान न कराए जाने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

41 क्या यह भी सही है कि बैंकों द्वारा चयन किए गये परिवारों को धन भुगतान करने से व्यवधान आ रहे हैं ? यदि हाँ, तो उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

42–44 श्री ऊदल—

[10 वें बुधवार के लिये स्थगित]

परिवहन विभाग की ओर से लखनऊ–खजुराहों एवं चित्रकूट–खजुराहों मार्ग में बस चलाने का प्रस्ताव

प्रो0 चन्द्रप्रकाश शर्मा—

45 क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या परिवहन विभाग की ओर से लखनऊ–खजुराहों, लखनऊ–चित्रकूट एवं खजुराहों चित्रकूट बस चलाने का प्रस्ताव है ? यदि हाँ, तो बसों का चलना कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

लखनऊ–खजुराहों एवं चित्रकूट–खजुराहों उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय मार्ग है और यह दोनों मार्ग दोनों राज्य सरकारों द्वारा पारस्परिक यातायात हेतु समझौते में सम्मिलित नहीं है ।

लखनऊ–चित्रकूट मार्ग पर सीधी सेवा संचालित करना सम्भव नहीं है क्योंकि सीधे यात्रियों के पर्याप्त संख्या में मिलने की सम्भावना कम है । वैसे लखनऊ–बांदा एवं बांदा से चित्रकूट के लिये पर्याप्त संख्या में निगम बसें संचालित हैं ।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के अनुसचिवीय अधिष्ठान में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर स्थानान्तरण

श्री रामगोविन्द—

46 क्या सिंचाई मन्त्री की जानकारी है कि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के अनुसचिवीय अधिष्ठान में निर्धारित मापदंड के अनुसार दिनांक 16–2–83 को स्थानान्तरण किये गये हैं ? जिस का पालन नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों इसके लिए कौन उत्तर दायी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ ।

सभी स्थानान्तरित कर्मचारियों को कार्यहित में एक साथ कार्य मुक्त नहीं किया जा सका है । कार्य की सुव्यवस्था को ध्यान में रखते हुये कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जा रहा है ।

जनपद गाजीपुर में ब्लाक सादात व देवकली में बाल विकास परियोजना का संचालन

श्री रामधनी

47 क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में ब्लाक सादात व देवकली में आँगन नदी योजना क्यों नहीं लागू की गई ? जो हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है इन क्षेत्रों में आंगन बाड़ी योजना अविलम्ब लागू करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

आँगनवाड़ी नामक कोई योजना इस प्रदेश में संचालित नहीं है सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय समन्वित बाल विकास परियोजना से है। यह परियोजना परीक्षण के रूप में इस प्रदेश में वर्ष 1975 से संचालित है। वर्तमान समय में गाजीपुर जनपद के रेवतीपुर, मनिहारी, बिरनों सैदपुर विकास खण्डों में यह योजना संचालित है। क्रमिक रूप से जहाँ यह योजना संचालित नहीं है, संचालित करने का प्रयास भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।

जनपद देहरादून के गडूल चूना तथा खनिज पत्थर औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि0 देहरादून का लीज प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

श्री कुँवर सिंह नेगी--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून में गडूल चूना तथा खनिज पत्थर औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि० इढारना, देहरादून को वर्ष 1976 में खनीकर्म के लिए 30 एकड़ का क्षेत्र स्वीकृत हुआ था ? यदि हाँ, तो क्या इस लीज के नवीनीकरण हेतु कोई आवेदन पत्र शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो लीज पट्टा नवीनीकरण में बिलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 में पट्टे के नवीनीकरण का प्राविधान नहीं है। उसी क्षेत्र पर लीज प्राप्त करने हेतु गडूल चूना तथा खनिज पत्थर औद्योगिक उत्पादन समिति का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर सम्बन्धित अधिकारियों की संस्तुतियाँ प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा।

जनपद गाजीपुर में कासिमाबाद व मनिहारी राष्ट्रीयकृत राजमार्ग पर परिवहन निगम की बसें चलाने के सम्बन्ध में पत्र

श्री झिलमिट राम—

49 क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद गाजीपुर में कासिमाबाद व मनिहारी राष्ट्रीयकृत राजमार्ग पर परिवहन निगम की बसें चलाने के संबंध में दिनांक 18–12–82 को प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिया गया पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

कथित पत्र दिनांक 18–12–82 की खोज हो रही है किन्तु यह शासन के जिस कार्यालय में भेजा गया है, उसके विवरण न होने से वह सहज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यदि विवरण उपलब्ध हो जायें तो मामले में की गई आवश्यक कार्यवाही की जानकारी प्राप्त होने में सुविधा होगी।

50 श्री सरदार सिंह—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

श्री जितेन्द्र कुमार, ठेकेदार, जिला मथुरा का सिंचाई निर्माण खंड, मथुरा के अधिकारियों द्वारा ली गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

श्री सरदार सिंह—

51 क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री जितेन्द्र कुमार, ठेकेदार ग्राम सौसा पो0 अड़ीग जिला मथुरा का सिंचाई निर्माण खंड मथुरा के अधिकारियों द्वारा उनके साथ की गई अनियमितताओं के संबंध में एक शिकायती पत्र जिसे उन्होंने 30–9–82 को प्रधान मंत्री, भारत सरकार को दिया था और प्रधान मंत्री कार्यालय ने 6–10–82 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने पत्र संख्या 10–3–82 के द्वारा उ0 प्र0 शासन को भेज दिया था प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शासन ने उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

52 श्री ऊदल—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

53 श्री जमुना प्रसाद—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

54 श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

55 श्री दल सिंगार यादव—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

56–57 श्री ऊदल—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

58–61 श्री यदुनाथ सिंह—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

62 श्री दल सिंगार यादव—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

विकास खंड स्तर पर निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु समिति का कथित गठन तथा स्वरूप

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

63 क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में सरकार ने विकास खण्ड स्तर पर छोटे-छोटे निर्माण कार्यों की स्वीकृति देने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष उस क्षेत्र के परगनाधिकारी को बनाया है ? यदि हां, तो उस समिति में क्षेत्रीय विधायक एवं संसद सदस्य की क्या भूमिका है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

कार्यालय ज्ञाप संख्या 2902/28-8-3 (3-सामु0) 80 दिनांक 8 सितम्बर 1982 के पैरा-2 में उल्लिखित विकास खंड स्तर पर कमेटी का गठन कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31 मार्च 1983 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी---

64 क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने किसी भी ऐसी समिति जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करें उसमें विधायकों को सम्मिलित न होने अथवा उस समिति की अध्यक्ष विधायक से कराने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो परगनाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति का स्वरूप क्या है और उसमें विधायक के मात्र सदस्य रखने का क्या आधार है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खंडों में छोटे-छोटे निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु ब्लाक स्तरीय समिति की बैठकों में परगनाधिकारी द्वारा भाग लिया जाना

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

65 क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा विकास खंडों में छोटे-छोटे निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु जनपद पौड़ी गढ़वाल में गठित ब्लाक स्तरीय समितियों की कितनी बैठकों में क्षेत्रीय परगना अधिकारी द्वारा गत वर्ष स्वयं भाग लिया गया है और कितनी बैठकों में अपना प्रतिनिधि भेजा गया ? क्या किसी भी समिति के अध्यक्ष को बैठकों में अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खंडों में छोटे-छोटे निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने के लिए गठित ब्लॉक स्तरीय समितियों की 5 बैठकों में परगनाधिकारियों ने स्वयं भाग लिया, 3 बैठकों में अतिरिक्त परगनाधिकारियों ने भाग लिया और एक बैठक खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की गयी । अतिरिक्त परगनाधिकारी, परगनाधिकारी के कार्यों को सम्पर्क अधिकारी के रूप में करने के लिए सक्षम हैं । खण्ड विकास अधिकारी ने जिस बैठक में भाग लिया, उसकी सूचना परगनाधिकारी को देर से प्राप्त हुयी थी । उस बैठक का संचालन खंड

विकास अधिकारी द्वारा विकास कार्यों के हित में किया गया, जिसे बाद में परगनाधिकारी ने अनुमोदित किया। किसी बैठक में परगनाधिकारियों द्वारा अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे गये।

जिला कारागार अधीक्षक, सीतापुर के विरुद्ध कतिपय मांगों को लेकर भूख हड़ताल तथा जांच

श्री हरगोविन्द वर्मा—

66 क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में जिला कारागार के गेट पर 15–3–82 से 30–3–82 तक जिला कारागार अधीक्षक, सीतापुर के विरुद्ध कतिपय मांगों को लेकर भूख हड़ताल की गई ? यदि हां, तो क्या उस भूख हड़ताल को एल0 बी0 पाण्डे, परगनाधिकारी, सीतापुर ने इस आश्वासन के साथ कि अतिरिक्त जिलाधिकारी, सीतापुर मामले की जांच करेंगे, श्री घनश्याम वर्मा को लिखित डाकूमेन्ट देने पर तोड़वाई गई ? यदि हां, तो क्या अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय ने जांच की ? यदि हां, तो उस जांच का क्या विवरण है ? यदि नहीं की, तो इसका क्या कारण है ?

कारागार एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)—

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

अतिरिक्त जिलाधिकारी की जांच में यह पाया गया कि सितम्बर, 1981 में लोकदल द्वारा जेल भरो आन्दोलन के समय बन्दियों के आवास एवं भोजन आदि की व्यवस्था पर हुये व्यय में कोई अनियमितता नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त दिनांक 1–11–1981 को जेल में आने वाले बन्दियों की तलाशी के समय बरामद की गयी धनराशि छूटते समय बन्दियों को न लौटा कर उसे 30–1–82 को कोषागार में नियमानुसार जमा कर दिया गया।

ग्राम गांगिनी राजपुर एवं सलेमपुर, जनपद आगरा में निर्मित ट्यूबवेलों से सिंचाई

श्री हरगोविन्द वर्मा—

67 क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम गांगिनी, राजपुर एवं सलेमपुर में किस-किस वर्ष में ट्यूबवेल निर्मित किये गये हैं ? अब तक कितनी सिंचाई की गयी ? इस समय कौन आपरेटर सेवारत है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम पोडरी एवं जिनावली, जनपद एटा में माइनर का कथित निर्माण

श्री हरगोविन्द वर्मा—

68 क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि रजबहा नूह में ग्राम पोड़री एवं जिनावली ग्राम से माइनर बनाने के लिये ग्राम रोहिना मिर्जापुर एवं भरकना आदि ग्राम जनपद एटा तक सर्वे कर लिया गया है ? यदि हां, तो माइनर बनाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुनहरी लाल का गूल बन्द किये जाने से राई की फसल नष्ट हो जाने संबंधी शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

श्री हरगोविन्द वर्मा—

69 द्वितीय सत्र 82 के 1ले बुधवार के अता0 प्र0 सं0 87 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि अब गूल बन्द कर दिया है जिससे श्री सुनहरी लाल आदि की राई की फसल सूख कर नष्ट हो गई है तथा इस सम्बन्ध में श्री सुनहरी लाल ने दिनांक 16-10-82 को शिकायती-पत्र जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी तथा थानाध्यक्ष फरिहा एवं परगनाधिकारी, जसराना एवं अभियन्ता, नहर विभाग, हाथरस खण्ड (अलीगढ़) एवं सिंचाई मंत्री को अग्रसारित किए हैं ? यदि हां, तो अब तक शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही की ? क्या शासन द्वारा गूल बन्द करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी और राई की फसल के हर्जे का मुआवजा दिलाया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, श्री सुनहरी लाल के शिकायती पत्र के संदर्भ में उन्हें नियमानुसार स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ड्रेनेज खण्ड हाथरस के यहां गूल विस्मारी के लिए दावा दायर करने का सुझाव दिया गया था, क्योंकि नियमानुसार गूल विस्मारी का दावा संबंधित कृषकों द्वारा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां दायर किये जाने पर उन्हें "नार्दन इण्डिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज एक्ट" की धारा 70 के अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार है । क्षति फसल का मुआवजा गूल मिटाने वाले से दिलवाने का नियमों में कोई प्राविधान नहीं है । गूल का निर्माण/रखरखाव सिंचाई विभाग द्वारा नहीं किया जाता है । फसल का मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा सिंचाई मंत्री एवं नहर विभाग, हाथरस डिवीजन को गूल बनवाकर सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए दिया गया प्रार्थना पत्र

श्री हरगोविन्द वर्मा—

70 क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि नहर डिवीजन, हाथरस के रजबहा नूह के कुलाबा नं0 57 व 64 का पानी जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना के ग्राम खेरिया शिकमी मोहाना के तालाब सं0 72 व 38 में चकबन्दी से पहले एवं बाद में भी जाता रहा है और उसे कृषक सिंचाई करते रहे हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि चकबन्दी से पहले गूल नक्शा में बनी थी ? तथा इस क्षेत्र में चकबन्दी भी नहीं हुई, अब खेत नं0 57, 58 व 65 के किसानों ने गूल को बन्द कर दिया है । इस सम्बन्ध में श्री राम आसरे वर्मा, एम0 एल0 ए0 ने सिंचाई मंत्री को एवं नहर विभाग हाथरस डिवीजन को दिनांक 17-3-82 को पत्र एवं स्मरण पत्र दिनांक 30-8-82 को अग्रसारित किया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

राजवाह नूह के कुलावा नं0 57 का पानी जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना के ग्राम खेरिया शिकमी गोहाना के तालाब सं0 72 व 38 में भरा जाता रहा है और कृषक इनसे सिंचाई करते रहे हैं। चकबंदी के समय ग्राम के नक्शे में कुलावा नं0 57 के लिए कोई गूल अंकित नहीं की गई है। मौके पर कास्तकारों के परस्पर सहयोग से कुलाबे के क्षेत्र में गूल खेत नं0 38 तक व 57 और 58 की बीच की मेढ़ तक बनी हुई है। कुलावा नं0 57 राजवाहा की गूल पूर्वानुसार वर्तमान है तथा इस वर्ष भी इस गूल के नीचे के रकबे की सिंचाई हुई है। यह मामला खेत सं0 57, 58 व 65 के कृषकों द्वारा उनके खेत से होकर समस्त अवशेष क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधा न प्रदान करने का है।

जी हां। इन पत्रों में खेत संख्या 92 के लिये खेत संख्या 65, 57, 58 के बीच गूल बनवाकर सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिये प्रार्थना की गई है। आपसी सहयोग से सिंचाई कराने में सफलता न मिलने पर विभाग द्वारा कृषक की ओर से भूमि अध्याप्ति कर गूल निर्माण की व्यवस्था की जा रही है।

जनपद गोरखपुर के कौड़ीराम, पिपरौली व खोरावार विकास खण्डों में नलकूपों का छिद्रण

श्रीमती गौरीदेवी---

71 क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के कौड़ीराम, पिपरौली व खोरावार विकास खण्डों में वर्ष 1980-81, 1981-82 में जिले के अन्य कई विकास खण्डों से कम नलकूपों का छिद्रण किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या प्रश्नकर्ता ने अप्रैल, 1981 में मन्त्री जी को उपरोक्त विकास खण्डों में से कौड़ीराम तथा खोरावार में 6-6 तथा पिपरौली में 8 ट्यूबवेल (नलकूप) लगाने के अतिरिक्त आदेश देने के लिए लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री सत्य नरायन तिवारी, कूप चालक नलकूस खंड, लखीमपुर खीरी को निलम्बन काल के वेतन का भुगतान

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

72 क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खण्ड, लखीमपुर खीरी के स्थायी कूप चालक कूप नं0 10, गोला श्री सत्य नारायण तिवारी को जांच अधिकारी श्री राणा प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता प्रथम की जांचोपरान्त निर्दोष होते हुए भी बिना वेतन दिए बहाल किया गया है ? यदि हां, तो निलम्बन काल का वेतन समस्त वंचित सुविधाओं के सहित कब तक प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी नहीं।

श्री सत्य नरायन तिवारी, कप चालक नलकूप खंड, लखीमपुर खीरी को विभागीय

जांच में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप दिनांक 1--10--82 को इन्हें निलम्बन से मुक्त करते समय निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त और कुछ देने का निर्णय लिया गया।

अतः निलम्बन काल का पूर्ण वेतन देने का प्रश्न नहीं उठता है।

बाबतपुर मुख्य राजवाहे का निर्माण व राजकीय नलकूप लगाने हेतु कृत कार्यवाही

श्री ऊदल—

73 क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबतपुर राजवाहे, 38वां खंड, वाराणसी कब तक बन कर तैयार होगा ? क्या यह सही है कि बिना नहर तैयार हुये ही चार वर्ष पूर्व से ही पूरा क्षेत्र का कमांड बनाकर गजट कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इससे ट्यूबवेल लगाने में बाधा उत्पन्न हो रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बाबतपुर मुख्य राजवाहे की लम्बाई 66.70 कि0 मी0 है। प्रारम्भ से 17 कि0 मी0 तक नहर में पानी चला दिया गया है तथा 22--40 कि0 मी0 तक पानी चलाये जाने की शीघ्र संभावना है। कि0 मी0 22–40 से 22–60 तक व 33--6 से 34 तक के निर्माण पर उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश है। अतः न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश के समाप्त होने के पश्चात ही खुदाई का कार्य किया जा सकेगा।

जी नहीं। कमाण्ड क्षेत्र का कोई गजट नहीं किया जाता।

जी नहीं नलकूप लगाने का जहाँ कार्यक्रम बनाया जाता है वहाँ नलकूप व नहर के अधिकारियों द्वारा आपस में तयकर के क्षेत्र को नहर कमाण्ड से खारिज कर दिया जाता है। जहाँ पर पानी पहुँचने में कठिनाई है वहाँ राजकीय नलकूप लगाने में कोई बाधा का प्रश्न नहीं उठता।

बाबतपुर राजबाहा, वाराणसी से कैथेडली माइनर निकालने का प्रस्ताव

श्री ऊदल—

74 क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबतपुर राजबाहा, 38वां खंड, वाराणसी से एक कैथेडली नाम से माइनर निकालने का प्रस्ताव किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि रेलवे लाइन व वाराणसी जौनपुर पक्की रोड के बीच बाबतपुर एरोड्रोम के उत्तर में यह क्षेत्र है ? क्या सरकार कैथेडली माइनर को न निकाल कर वहां ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

इस माईनर का क्षेत्र--जौनपुर–वाराणसी रोड और रेलवे लाईन तक के अतिरिक्त बाबतपुर राजवाहे से जौनपुर रोड तक भी है।

बाबतपुर राजवाहे के आस-पास के सारे क्षेत्र में नहरें प्रस्तावित हैं। अतः कैथोली माईनर के अन्तर्गत पड़ने वाले इस पृथक क्षेत्र को नहर कमाण्ड से निकालना उचित नहीं है।

आगरा जनपद में बडोली अहीर माइनर पर निर्माण कार्य

श्री विजयसिंह राना--

75 क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में बनने वाली बड़ौनी अहीर माइनर पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ? यदि कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया तो उसका कारण क्या है ? क्या नहर का रास्ता बदलने का भी कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हाँ। आगरा जनपद में बडोली अहीर माइनर पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। अप्रैल 83 के अन्त तक उक्त कार्य के पूर्ण होने की संभावना है। नहर का समरेखन बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्राम वरनापुर, जगदीशपुर की शारदा सहायक नहर में ली गई भूमि के प्रतिकर का किस्म के अनुसार भुगतान

श्री पंचानन राय--

76 क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बसापुर जगदीशपुर, तह0 सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के नागरिकों की शारदा सहायक नहर में ली गयी भूमि का प्रतिकर लगभग 7,000 रुपए प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है तथा समस्तरीय भूमि का इसके दोनों तरफ प्रतिकर 26,000 रुपए प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में उक्त गाँव के नागरिकों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 27-12-82 विशेष भूमि आयाप्ति अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है तथा प्रतिकर में भारी अन्तर का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

ग्राम वरनापुर, जगदीशपुर की शारदा सहायक नहर में ली गई भूमि का प्रतिकर भूमि की किस्म के अनुसार 6474.82, 4512.75 व 4120.34 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है, तथा इसके समस्तरी ग्राम हाजी पट्टी का 5840.64 व 3546.10 रुपये प्रति एकड़ व ग्राम सुन्दरपुर के लिए 11,155.38 व 12,217.80 रुपये प्रति एकड़ की दर से भूमि को किस्म के आधार पर निर्धारित किया गया है। नागरिकों का प्रार्थना पत्र दिनांक 27-12-82 का प्राप्त हुआ है। इस ग्राम का अभिनिर्णय दिनांक 22-11-82 को घोषित कर दिया गया था इस अभिनिर्णय के विरुद्ध जिन काश्तकारों को आपत्ति है उनके प्रार्थना पत्र जिला जज को रिफरेन्स हेतु भेज दिया गया है।

प्रतिकर का निर्धारण धारा 4 (1) की अधिसूचना तिथि से तीन वर्ष पूर्व की अवधि में निष्पादित विक्रय पत्रों के आधार पर स्थल निरीक्षण के पश्चात ही उचित बैनामें के आधार पर किया जाता है।

बीबीपुर माइनर पर गोधनी तथा ठाकुरगंज के बीच पुलिया का निर्माण

श्री पंचानन राय--

77 क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ स्थिति

दोहरीघाट कैनाल के मुख्य स्थान से निकली बीबीपुर माइनर पर गोधनी तथा ठाकुरगंज के बीच किसी पुलिया का निर्माण 5 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है ? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इसका निर्माण कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ। ठेकेदार ने कार्य पूर्ण नहीं किया। अब विभागीय स्तर से कार्य पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है और मई 1983 तक कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

शारदा सहायक खण्ड, इलाहाबाद के अन्तर्गत फूलपुर शाखा में रेंजिग का कार्य

श्री राधेश्याम पटेल—

78 क्या सिचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड इलाहाबाद के अन्तर्गत फूलपुर शाखा में कि0 मी0 11 से 24 तक रेंजिग (ऊँचाई) का कार्य दोनों तरफ किया गया है ? यदि हाँ, तो मिट्टी बालू उपलब्ध होने के कारण यह कार्य श्रमिकों से न कराकर रेंजेज, ट्रैक्टर व ऊँट महज द्वारा करवाए गये हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या इसकी जाँच उच्च अधिकारी द्वारा करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शारदा सहायक खण्ड इलाहाबाद के अन्तर्गत फूलपुर शाखा के 11 कि0 मी0 से 24 कि0 मी0 तक के बैंक पूरी लम्बाई में जमीन से रेंजिग करके ऊँचे बनाये गये हैं। इसमें से 12.00 कि0 मी0 से 15.500 कि0 मी0 के टुकड़े में जमीन नीची है, इसमें एक साइफन बन चुका है और दूसरा बन रहा है। इस भाग में नहर के बैंक नीचे होने के कारण तथा पास में नशेबी जमीन से मिट्टी न मिलने के कारण लगभग 33,100 घन मिटर मिट्टी का कार्य ऊँट तथा ट्रैक्टर से ढुलाई कराकर कराया गया है। इस टुकड़े की भूमि नशेबी होने के कारण पहले जो नहर की खन्तियाँ थीं उनमें सीपेज की समस्या है, अतः पास से मिट्टी लेना उचित नहीं था। इसलिये ढुलाई की मिट्टी लाकर कार्य कराया जो कि नहर को सुचारु रूप से चलाने एवं सम्भावित खांदी से बचाने के लिये आवश्यक था। अतः जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

शाखा सहायक खण्ड 30, इलाहाबाद की फूलपुर शाखा में सीपेज के कारण ग्रामों को क्षति

श्री राधेश्याम पटेल—

79 क्या सिचाई मन्त्री को जानकारी है कि शाखा सहायक खण्ड 30, इलाहाबाद की फुटकर शाखा में सीपेज के कारण ग्राम सराय मदना, सराय सफतान, धमौर, बादलपुर, सधवापुर, तहसील फूलपुर, इलाहाबाद के पासवर्ती भूमि पर फसल नहीं बोई गयी और यदि बोई भी गयी, तो वह जल भराव से खराब हो गयी है ? यदि हाँ, तो क्या काश्तकारों की क्षति पूर्ति सम्बन्धित विभाग द्वारा की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? सीपेज को रोकने की कार्यवाही अभी तक न करने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

प्रश्नगत ग्राम शारदा सहायक प्रणाली के नहर फूलपुर ब्रांच के भराई के रीच पर स्थित है। सीपेज के जल भराव की समस्या नहर के स्थाई भूमि तक ही सीमित है, जिसके निकासी के लिये सीपेज ड्रेन एंव लिंक ड्रेन का निर्माण प्रस्तावित है। ब्रांच के सीपेज के जल के कारण उक्त ग्रामों का कोई भाग बोने से न तो अवशेष रह गया और न ही ब्रांच के सीपेज के जल भराव से फसल की क्षति ही हुई।

अतः क्षतिपूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ द्वारा माचिस उद्योग के लिये इकाइयों को स्वीकृत धन का भुगतान

श्री जमुना प्रसाद---

80 क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ द्वारा माचिस उद्योग के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में कितनी इकाइयों में से किस किस मद में कितना धन स्वीकार किया गया है तथा उसमें से कितनी इकाइयों को 31 दिसम्बर, 1982 तक धन नहीं दिया गया है ? क्या इस स्वीकृत धन में से कुछ इकाइयों को किसी एक मद में पार्ट पेमेन्ट भी किया गया है ? यदि हाँ, तो इस शेष धन का भुगतान कब किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ द्वारा माचिस उद्योग के लिये वर्ष 1981-82 में 60 इकाईयों को रु0 50,65,080/- ऋण (रु0 12,14,580/- उपकरण व रु038,50,500/- कार्यशील पूंजी), रु0 1,02,000/- भवन किराया तथा रु0 1,39,200/- व्यवस्थापकीय अनुदान स्वीकार किया गया था। इसमें से 35 इकाईयों को दिनांक 31-12-82 तक कोई धन नहीं दिया गया था।

स्वीकृत धन में से 10 इकाईयों को पार्ट पेमेन्ट किया गया है। इस पार्ट पेमेन्ट की शेष धनराशि का भुगतान संलग्न सूची के अनुसार विभिन्न तिथियों में किया गया है।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ पर।)

कोरलपुर ग्राम के नलकूप संख्या 82 कालपी (जालौन) के मसाले के सेम्पिल का निरीक्षण

श्री शंकर सिंह---

81 क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 29-3-82 का पत्र जो सिंचाई सचिव को दिया गया था जिसके साथ कीरतपुर ग्राम के नलकूप नं0 82 कालपी (जालौन) में लगाये जाने वाले मसाले का सेम्पिल भी था पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या जांच के बाद मसाला निम्न स्तर का पाया गया है ? यदि हाँ, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

प्रश्नकर्त्ता के दिनांक 29-3-82 के पत्र के साथ कोरलपुर ग्राम के नलकूप संख्या 82

कालपी (जालौन) के मसाले के सेम्पिल का परीक्षण कराया गया है जिससे मसाला अपेक्षित स्तर का नहीं पाया गया है। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

हरदोई के वर्तमान अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने कार्यकाल में कराये गये कार्यों का विवरण

श्री राम आसरे वर्मा—

82 क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई के वर्तमान अधिशासी अभियन्ता द्वारा लयभग 1 वर्ष के अपने कार्यकाल में कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं? क्या यह सही है कि उनकी नियुक्ति के पूर्व चल रहे सारे कार्य ज्यों-के-त्यों अधूरे ही पड़े हैं? यदि हाँ, तो क्या उच्च अधिकारी द्वारा जाँच कराकर यथोचित कार्यवाही पर विचार करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बराबंकी अन्तर्गत ग्राम गोपालपुर, बिबियापुर तथा पत्तीपुर के निवासियों द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर कृत कार्यवाही

श्री मुख्तार अनीस तथा श्री प्रदीप कुमार यादव—

83 क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी अन्तर्गत विकास खण्ड दरियाबाद में स्थित ग्राम गोपालपुर, बिबियापुर तथा पत्तीपुर के निवासियों ने दिनांक 6-10-82 को एक सामूहिक हस्ताक्षरी रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र मा0 सिंचाई मन्त्री, उ0 प्र0 मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 तथा अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड-25, बाराबंकी को भेजा था? यदि हाँ, तो सन्दर्भित प्रार्थना पत्र में उल्लिखित मुख्य बातें क्या हैं और उनके निराकरण हेतु क्या कार्यवाही हो रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

संदर्भित पत्र में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि तासीपुर नामक ड्रेन जो ग्राम तासीपुर एवं पत्तीपुर के बीच से निकाली जानी प्रस्तावित थी उसे पत्तीपुर के बीच होकर मुड़वा दी गई ओर सराय रज्जन की झील में गिराकर आगे तक बढ़ाई गई। इसके फलस्वरूप काफी बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो गया मकान, गिर गये और फसल नष्ट हो गई; प्रार्थना-पत्र में इस ड्रेन को पत्तीपुर एवं तासीपुर के बीच से निकाले जाने की प्रार्थना की गई है।

बिबियापुर ताल के नीचे ड्रेन बनाई जा रही है। शेष भाग के नाले का समरेखन मुख्य अभियन्ता के विचाराधीन है। कार्य पूरा होने पर जल भराव की समस्या का निदान हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद जालौन में सिरसा कलां बावई मार्ग, ग्राम छानी के निकट तरसौर रजवाहे की प्रलिया का पुनर्निर्माण

श्री शंकर सिंह—

84 क्या सिंचाई मन्त्री की जानकारी में है जालौन जनपद में ग्राम हिस्सा कलार

बाबई मार्ग पर ग्राम छाली के निकटतर सौर रजबाहे की पुलिया कई वर्षों से टूटी पड़ी है जिसके कारण जनता को भारी असुविधा हो रही है ? यदि हाँ, तो उक्त पुलिया कब तक बन जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हाँ जनपद जालौन में सिरसा कला बावई मार्ग ग्राम छानी के निकट तरसौर रजवाहे की पुलिया का स्लेब भारी यातायात के कारण जुलाई, 82 में टूट गया था। इस पुलिया के शीघ्र पुनः निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

शारदा कैनाल, लखनऊ खंड–2 के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता तथा नये वेतनमानों के बकाये का भुगतान

श्री भीखा लाल—

85 क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा कैनाल, लखनऊ खण्ड–दो के कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 1979 से अन्तरिम सहायता की बकाया, नये वेतनमानों के बकाया तथा जी0 पी0 एफ0 की पास बुकें नहीं दी गयी हैं ? यदि हाँ, तो ऐसे कितने कर्मचारी है जो उपरोक्त सुविधाओं से वंचित हैं और इसका कारण क्या है और इसके लिए कौन दोषी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

खण्ड के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता तथा नये वेतनमानों के बकाये का भुगतान हो चुका है तथा जी0 पी0 एफ0 की पास बुकें दे दी गयी हैं। प्रश्न ही नहीं उठता।

पम्प नहर "बनी साउथ" की क्यूसेक क्षमता तथा सिंचाई का लक्ष्य

श्री भीखा लाल—

86 क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पम्प नहर बनी साउथ (जबरैला), जिला उन्नाव में कितने क्यूसेक पानी की क्षमता है और कितने एकड़ भूमि की सिंचाई का लक्ष्य है और मौजूदा स्थिति में कितने क्यूसेक पानी चलाया जाता है और कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होती है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पम्प नहर "बनी साउथ" 2.5 क्यूसेक क्षमता की है।

इस पम्प नहर पर कुल 315 एकड़ सिंचाई प्रस्तावित है और लक्ष्य 165 एकड़ रक्खा गया था। मौजूदा स्थिति में 2.5 क्यूसेक पर यह नहर चल रही है। इस पम्प नहर से कुल 148 एकड़ की अधिकतम सींच वर्ष 1973–74 में हो चुकी है। वर्ष 82–83 में 25–2–83 तक 128 एकड़ सिंचाई हो चुकी थी।

जनपद फैजाबाद में मड़ूना माईनर की खुदाई का कार्य

श्री माधव प्रसाद—

87 क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के मड़ूना माईनर की खुदाई समाप्त हो गयी है ? यदि हाँ, तो इसकी खुदाई कब से शुरू की गयी है और

जनता को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करा दिया गया है ? क्या उस माइनर में जितने किसानों की जमीन आई है उन्हें मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उसमें क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

खुदाई का कार्य वर्ष 1981–82 में शुरू किया गया, किन्तु न्यायालय के स्थगन आदेश होने के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया है और पानी उपलब्ध कराना संभव नहीं है ।

जी नहीं ।

चकबन्दी विभाग से अनुरोध किया गया है ।

जैसकपुर से डियूहा जाने वाली चक रोड के बीच सिवनी रजबहे पर पुलिया निर्माण

श्री शंकर सिंह—

88 क्या सिंचाई मन्त्री को यह जानकारी है कि ग्राम जैसकपुर तथा ग्राम डियूहा (जनपद जालौन) के बीच रजबहे पर पुलिया का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जैसकपुर से डियूहा जाने वाले चक रोड पर सिवनी रजवाहा पर पुलिया का निर्माण शीघ्र कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर में ग्राम रामपुर से लेकर पौनी तक ईंट के खंडजें लगाने का कथित प्रस्ताव

श्री यदुनाथ सिंह—

89 क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर जनसद में भूसाखंड बाँध प्रखण्ड वाराणसी के अन्तर्गत जरगो बाँध के भगवत राजवाहा पर ग्राम रामपुर से लेकर पौनी तक इंट के खड़ंजे लगाना स्वीकृत है ? यदि हाँ, तो क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त रजवाहा पर कितने कि0 मी0 खड़ंजे लग चुके हैं और खड़ंजे लगाने में अब तक कितने रुपए खर्च हुए ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता

श्री विक्रमाजीत द्वारा उनके चक के एक किनारे से माइनर निकालने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

श्री ऊदल—

90 क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक नहर की माइनर पुरेदयाल गाँव सोरहां परगना वरसठी, तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर में चक नं0 28 से जो विक्रमाजीत वगैरह हरिजन की है, निकाली जा रही है ? यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है

कि विक्रमाजीत ने दिनांक 1–10–81 को मा0 मुख्य मंत्री एवं अधीक्षण अभियन्ता, इलाहाबाद को एक प्रार्थना पत्र दिया था कि बीचोबीच माइनर न निकालकर पूरब से उसी चक के एक किनारे से निकाली जाय ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर के ग्राम मड़िया, विकास खण्ड सीखड़ में राजकीय नलकूप की व्यवस्था के सम्बन्ध में पत्र तथा वर्षवार छिद्रित नलकूपों की सूची

श्री रामचरण सिंह—

91 क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के ग्राम मड़िया विकास खण्ड सीखड़ में राजकीय नलकूप की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 13 नवम्बर, 1982 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ । नलकूप लगाने की संभावना के परीक्षण हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है ।

श्री राम चरण सिंह––

92 क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981–82 व 1982–83 में जनपद मिर्जापुर को कितने नलकूप आवंटित किए गये थे ? क्या उसकी वर्षवाइज सूची उपलब्ध करायेंगे और यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वह कहाँ-कहाँ, किन स्थानों पर लगाए गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मिर्जापुर जनपद हेतु वर्ष 81–82 में 35 राजकीय नलकूपों का आवंटन किया गया था । वर्ष 82–83 में किसी नवीन नलकूप का आवंटन नहीं किया गया था किन्तु इस वर्ष में वर्ष 1981–82 के अवशेष के विरुद्ध 8 नलकूपों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी ।

वर्ष 1981–82 में संलग्न सूची के अनुसार 20 राजकीय नलकूप लगाये गये हैं । वर्ष 1982–83 के लिये वर्ष 1981–82 के 8 अवशेष नलकूपों की स्वीकृति के विरुद्ध 6 राजकीय नलकूपों का छिद्रण हो चुका है ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ·····पर ।)

श्री नजर अब्बास, सेवा निवृत सीनियर फोरमैन (गेड प्रथम) कानपुर रीजन की स्वीकृत पेंशन

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

93 क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नजर अब्बास सेवा निवृत्त सीनियर फोरमैन (ग्रेड प्रथम) कानपुर रीजन को उनके पी0 एफ0 कटौती की तिथि से पेंशन स्वीकृत

की गयी है ? यदि हाँ, तो इसका आधार क्या है ? क्या शासन उनको उनकी सेवा अवधि को आगणित कर पेंशन स्वीकृत करने की कृपा करेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

श्री नजर अव्वास दिनांक 2-6-1964 से दिनांक 30-10-76 तक जूनियर फेरमैन तथा सीनियर फोरमैन के पेंशनेबुल पद पर कार्यरत रहे । अतः उक्त अवधि के लिये उन्हें महालेखाकार द्वारा रु0 97.00 की पेंशन स्वीकृत की गयी । इसके पूर्व श्री अव्वास का नान पेन्शनेबुल पद पर कार्यरत रहे । नियमानुसार नान पेन्शनेबुल पद पर केवल उतनी ही अवधि की सेवाओं की पेंशन की और गणना की जा सकती है जितनी अवधि में सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सी0 पी0 एफ0/ई0 पी0 एफ0 में विश्राम/शासन द्वारा दिया गया अंशदान, प्राप्त न किया हो अथवा उसे उसने वापस कर दिया हो । श्री अब्बास ने रु0 9536-25 विभाग का अंशदान प्राप्त कर लिया है । उसके वापस हो जाने पर दिनांक 1-5-59 से उनकी नान पेन्शनेबुल सेवाओं की गणना पेंशन की ओर किये जाने पर विचार किया जा सकता है ।

जनपद बलिया के अन्तर्गत ड्रेनेज मण्डल, बलिया द्वारा जल जमाव को रोकने और पानी की निकास के कार्यों हेतु व्यय की गई धनराशि

श्री काशीनाथ मिश्र—

94 क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के अन्तर्गत ड्रेनेज मण्डल, बलिया द्वारा जल जमाव को रोकने और पानी निकासी के कार्यों पर कितना धन गत पाँच वित्तीय वर्षों में खर्च किया गया और जनपद के अन्तर्गत कितने वर्ग मील जमीन से जल जमाव समाप्त करके खेती लायक बनाया गया ? पाँच साल पहिले जनपद में जल जमाव का रकबा क्या था और आज कल जमाव का क्षेत्रफल क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बलिया जनपद के अन्तर्गत ड्रेनेज मण्डल बलिया (वर्तमान मुख्यालय आजमगढ़) द्वारा जल जमाव को रोकने तथा पानी की निकास के कार्यों पर पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में जो धन खर्च किया गया है वह निम्न प्रकार है—

वर्ष 1977-78	5. 07 लाख रु०
वर्ष 1978-79	23. 45 लाख रु०
वर्ष 1979-80	16. 70 लाख रु०
वर्ष 1980-81	33. 82 लाख रु०
वर्ष 1981-82	30. 37 लाख रु०
योग	109. 41 लाख रु०

उपरोक्त धन से जनपद में जो जलोत्सारण कार्य किये गये उससे लगभग 87 वर्ग मील कृषि योग्य भूमि लाभान्वित हुई है ।

पाँच वर्ष पूर्व जनपद का जलमग्न क्षेत्र लगभग 234 वर्ग मील था तथा अब जलमग्न क्षेत्र लगभग केवल 147 वर्ग मील रह गया है ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ की सहायक अध्यापिका श्रीमती माधुरी पाण्डेय की सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

श्री राम आसरे वर्मा---

95 क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ की सहायक अध्यापिका श्रीमती माधुरी पाण्डेय की सेवा समाप्ति के संबंध में जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ का पत्रांक सं० 7900-06-82-83 दिनांक 10-12-83 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बस्ती जिले के बर्डपुर में सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में टूटी चार-दीवारी

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय---

96 क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में बर्डपुर में सिंचाई विभाग का जो डाक बंगला है उसकी चार-दीवारी टूट गयी है ? यदि हाँ, तो उसे कब तक बनवा दिया जायगा ? क्या यह भी सही है कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में बर्डपुर स्थित उक्त डाक बंगले की जमीन पर किसी दूसरे सज्जन द्वारा निजी कमरा बनवाया गया है ? यदि हां, तो किसके आदेश से ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

बर्डपुर में सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन की 71.2 मीटर लम्बाई में चार-दीवारी टूट गई है । अभी इसका बनाया जाना विचाराधीन नहीं है ।

बर्डपुर स्थित उक्त डाक बंगले की जमीन पर किसी दूसरे सज्जन द्वारा निजी कमरा नहीं बनवाया गया है ।

बस्ती जनपद के बुढ़वा कला (मेखड़ा नाला) पर पुल निर्माण का कथित विचार

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय---

97 क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के बर्डपुर नं० 9 में बुढ़वा कुलापर पुल बनना विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उस पर विभागीय कार्यवाही और निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

प्रश्नगत बुढ़वा कला (मेखड़ा नाला) पर पुल बनना विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसों की आवश्यकता तथा संख्या

श्री शंकर सिंह---

98 क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के राष्ट्रीय मार्गों पर बढ़ते हुए यातायात को ध्यान में रखते हुए कुल कितनी बसों की आवश्यकता है और अभी परिवहन निगम उन

पर कितनी बसें चला रहा है ? इनमें खराब बसों की संख्या कितनी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जून 72 में निगम के गठन के बाद प्रतिवर्ष 10% ट्रैफिक ग्रोथ तथा उसके बाद राष्ट्रीयकृत किये गये कार्यों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए लगभग 11000 बसों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। इस समय में परिवहन निगम द्वारा बनाई गयी अनुसूची के अनुसार दैनिक संचालन हेतु 6031 बसों एवं ट्रैफिक स्पेयर एवं मेन्टीनेन्स रिजर्व हेतु 665 बसों कुल 6696 बसों की आवश्यकता है।

वर्तमान में 4358 निगम बसों का दैनिक संचालन निर्धारित है और निगम के पास कुल 5896 अपनी बसें है जिसमें 1535 बसें आफ रोड हैं। इसके अतिरिक्त 650 बसें निजी बस स्वामियों से निगम द्वारा अनुबन्ध में लेकर सचालित की जा रही है। इस प्रकार राष्ट्रीयकृत मार्गों पर वर्तमान में निगम द्वारा कुल 5011 (निगम की अनुबन्धित मिलाकर) बसें संचालित की जा रही है।

जनपद आगरा के ब्लाक अकोला के कतिपय ग्रामों में नाला खुदवाने के संबंध में पत्र

श्री बदन सिंह---

99 क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के ब्लाक अकोला के ग्राम नगला सिकखार, अजीता कराहरा एवं जिटौरा के सैकड़ों काश्तकारों का हस्ताक्षरयुक्त एक प्रार्थनापत्र दिनांक 23-9-82 का उक्त गाँवों में एक नाला खुदवाने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो शासन उक्त गाँवों में इस नाले को कब तक खुदवायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी नहीं।

फिर भी, प्रार्थीगण से उक्त पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियन्ता को निर्देश दिये जा रहे हैं।

उक्त पत्र प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

विकास खंड राया एवं बल्देव के गाँवों में जल भराव समस्या के निराकरण हेतु योजना

श्री सरदार सिंह---

100 क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के विकास खंड राया एवं बल्देव के गाँवों में जल भराव की विकट समस्या के निदान की कोई योजना शासन ने बनायी है ? यदि हाँ, तो उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कब से कार्य आरम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

उल्लिखित क्षेत्र की जल भराव समस्या के निराकरण हेतु राया व्योही बिझारी नाले की योजना स्वीकृत की गई है।

इस नाले का निर्माण वर्ष 1978 में आरम्भ हो गया था तथा कार्य प्रगति पर है किन्तु विकास खण्ड बल्देव तथा सादाबाद में कृषकों के अवरोध एवं न्यायालय में 7 वाद होने के कारण नाले के निर्माण के कार्य की प्रगति धीमी है ।

ग्राम महुआरी, पो0 परथदेवा, जनपद देवरिया के ताल से नाला निकालने के सम्बन्ध में पत्र

श्री रुद्र प्रताप सिंह---

101 क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 1–3–82 जो ग्राम महुआरी, पो0 परथदेवा, जनपद देवरिया के ताल से एक नाला निकालने के सम्बन्ध में था उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी नहीं । फिर भी उक्त पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियन्ता को निर्देश दिये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गोरखपुर के विकास खंड कौड़ीराम में बाढ़ से प्रभावित हरिजन परिवारों को आवासीय भवन का आवंटन

श्रीमती गौरी देवी---

102 क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के विकास खंड कौड़ीराम में वर्ष 81–82 व 82–83 में दिनांक 21–12–82 तक बाढ़ से प्रभावित हरिजन बस्तियों में हरिजन परिवारों को कुल कितने मकान (आवासीय) निर्मित कराकर दिए गए ? क्या यह सच है कि वर्ष 81–82 में 32 और वर्ष 82–83 में 35 आवासीय मकान बना कर हरिजनों को देने का प्रस्ताव था ? यदि हाँ, तो अब तक न देने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा---

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड कौड़ीराम में वर्ष 81–82 व 82–83 में दिनांक 31–12–82 तक बाढ़ से प्रभावित क्रमशः शून्य एवं 5 हरिजनों को मकान निर्मित कराकर दिये गये । वर्ष 81–82 में 43 तथा 1982–83 में 20 आवासीय मकान बनाकर हरिजनों को देने का लक्ष्य था । स्थल का चयन समय से न हो सकने के कारण सभी आवासों का निर्माण नहीं हो सका ।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड खोराबार, कौड़ीराम तथा पिपरौली में बाढ़ से प्रभावित हरिजन परिवारों को गृह देने की योजना

श्रीमती गौरी देवी---

103 क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के विकास खंड खोराबार कौड़ीराम पिपरौली में बाढ़ से प्रभावित हरिजन बस्तियों में बेघर हुए हरिजन परिवारों को वर्ष 80–81 व 81–82 तथा 82–83 में गृह निर्माण करके उन्हें गृह देने की योजना के अन्तर्गत कुल कितने गृह निर्मित कराकर किनको दिया गया ? क्या यह सच है कि उपरोक्त विकास खंडों में विगत 3 सालों में हरिजनों के आवास के लिए निर्मित होने वाले मकानों को नहीं बनाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड खोरावर, पिपरौली तथा कौड़ीराम में बाढ़ से प्रभावित हरिजन बस्तियों में कोई हरिजन पूर्णरूपेण बेघर नहीं हुआ। इन विकास खण्डों के हरिजन परिवारों को प्रश्नगत वर्षों में निर्मित कराकर दिये गये आवासों का विवरण निम्नवत् है :--

विकास खण्ड	80-81	81-82	82-83
खोरावार	शून्य	4	शून्य
पिपरौली	4	शून्य	शून्य
कौड़ीराम	4	शून्य	5

लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार है :--

वर्ष	विकास खण्ड	लाभार्थियों का नाम
1981-82	खोरावर	1---महादेव पुत्र-मुन्नू चमार अमहिया
		2---मुपरी पुत्र विन्ध्याचल अमहिया
		3---राम आसरे पुत्र विन्ध्याचल चमार अमहिया
		4---सहदेव पुत्र मुन्नू ,, ,,
1980-81	पिपरौली	1---बौताल पुत्र परशुराम चमार पिपरौली
		2---टुल्लू पुत्र औरी ,, ,,
		3---कैलाश पुत्र जयमंगल ,, ,,
		4---टुलराज पुत्र भवन ,, ,,
1980-81	कौड़ीराम	1---रामनाथ पुत्र रामवली चमार वासुडीहा
		2---कोमल पुत्र भगौती ,, ,,
		3---हीरामन पुत्र दर्शन ,, ,,
		4---मु0 राजमती पत्नी नरेश ,, ,,
1982-83	कौड़ीराम	1---बच्चा पुत्र शिवसरन पासी वस्तूपार
		2---मु0 शारदा पुत्री सीताराम ,, ,,
		3---दुलारे पुत्र जिवर्धन पासी ,,
		4---झकरी पुत्र चिल्लर चमार ,,
		5---गरीब पुत्र सुक्खू ,, ,,

उपरोक्त विकास खण्डों में से केवल विकास खण्ड कौड़ीराम में स्थल का चयन न हो सकने के कारण केवल वर्ष 1981-82 तथा 82-83 के लिये निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी हैं, जिसका प्रयास किया जा रहा है।

अकबरपुर डिपो हेतु स्वीकृत बसें तथा निर्माण हेतु फैजाबाद डिपो कार्यशाला में भेजी गयी कथित बसें

श्री गोपीनाथ वर्मा--

104 क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 80-81 में अकबरपुर डिपो हेतु 28 बसें स्वीकृत थीं जिसमें 73 बसें अप्रैल, 1982 में खराब होने के कारण बनाने हेतु फैजाबाद

डिपो कार्यशाला में भेजी गयी हैं ? यदि हाँ, तो उक्त 13 बसें बन कर अकबरपुर डिपो को वापस करे दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हाँ ।

वर्ष 1980–81 में अकबरपुर डिपो के लिये 28 बसें स्वीकृत की गई थी ।

यह सत्य नहीं है कि अप्रैल 1982 में 13 बसें खराब होने के कारण बनाने के लिये फैजाबाद डिपो कार्यशाला भेजी गई थी ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोपीनाथ वर्मा––

105 क्या यह भी सही है कि उक्त डिपो द्वारा भेजी गयी 13 बसों से अच्छे सामानों को निकाल कर फर्जी तौर पर निर्माण हेतु भेजी गयी थीं ? यदि नहीं, तो इतने कम समय में बसों के खराब होने का क्या कारण रहा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य––

यह सत्य नहीं है कि अकबरपुर डिपो से 13 बसें अच्छे सामानों को निकाल कर फर्जी तौर पर निर्माण हेतु फैजाबाद डिपो कार्यशाला को भेजी गई थी बल्कि वास्तव में 9 बसें । एक लाख किलोमीटर चलने के पश्चात अनुरक्षण के लिए वहाँ भेजी गई थी । अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

जनपद चमोली में कर्णप्रयाग और नन्द प्रयाग के पास अलकन्दा नदी पर स्वीकृत पुल

श्री कुंवर सिंह नेगी––

106 क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली में कर्णप्रयाग और नन्द प्रयाग में अलकनन्दा नदी पर मोटर पुल कब स्वीकार किए गये थे और कब तक बनकर तैयार हो जायगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद चमोली में कर्णप्रयाग के पास अलकनन्दा नदी पर पुल अगस्त 1976 में स्वीकृत हुआ था, जिसे जून, 1984 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ।

नन्दप्रयाग के पास अलकनन्दा नदी पर पुल अगस्त 1976 में स्वीकृत नन्दप्रयाग-देवखाल मोटर मार्ग के अंतर्गत फरवरी, 1981 में पूर्ण किया गया ।

जिला पौड़ी गढ़वाल की सतपुली पोखड़ा बैजरों मोटर मार्ग का आधुनिकीकरण

डा0 शिवानन्द नौटियाल—

107 क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल की सतपुली पोखड़ा बैजरों मोटर मार्ग का सुधार एवं पक्का किया जाना कब स्वीकार किया गया था और कब तक यह कार्य पूरा हो जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत मार्ग के केवल सतपुली-पोखड़ा भाग के सुधार एवं आधुनिकीकरण की वित्तीय

स्वीकृति दिनांक 17–3–1980 को प्रदान की गयी । उक्त कार्य मार्च 1985 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ।

शारदा सहायक खण्ड 28 हैदरगढ़, बाराबंकी में मुन्शी तथा सींचपाल के कथित रिक्त पद

श्री मित्र सेन—

108 क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड 28 हैदरगढ़, बाराबंकी में रिक्त मुन्शी के 4 पदों एवं पतरौल के 10 पदों पर प्रशिक्षण प्राप्त पतरौल अभ्यर्थियों की अब तक नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ? और कब तक उनकी नियुक्तियाँ कर दी जायेंगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

खण्ड में मुंशी तथा सींचपाल का कोई पद रिक्त नहीं है । प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्र आजमगढ़ में हुयी नियुक्तियां तथा उनका मापदण्ड

श्री पंचानन राय—

109 क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्र आजमगढ़ में 1–1–82 से 21–1–83 तक विभिन्न पदों पर कुल कितनी नियुक्तियां हुयीं इनमें से कितनी नियमित की गयीं हैं तथा कितनी तदर्थ आधार पर की गयी हैं ? इन नियुक्तियों के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? क्या हरिजन आरक्षण इन नियुक्तियों में पूरा है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सई नदी को चौड़ा, गहरा एवं सीधा करने हेतु कथित योजना

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

110 क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सई नदी को चौड़ा, गहरा एवं सीधा करने के लिए शासन के पास सन् 1965 में 45 लाख, रुपया लागत की एक योजना स्वीकृति हेतु भेजी गई थी ? यदि हां, तो उस योजना पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

1965 में सई नदी को चौड़ा, गहरा एवं सीधा करने के लिए 45 लाख रु0 लागत की कोई योजना शासन की स्वीकृत हेतु नहीं भेजी गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

लघुस्तरीय उद्योग 'हमदर्द हेमन्ड कम्पनी' में कार्यरत हरिजन श्रमिक व अर्ध पक्का चमड़ा खराब होने के विरुद्ध कार्यवाही

कु0 अलमेलु अम्माल—

111 क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के निर्वाचन क्षेत्र बस्ती सदर में "हमदर्द हेमन्ड कम्पनी" के नाम से एक उद्योग स्थापित किया गया था ? जिसमें डेढ़ सौ हरिजन परिवार कार्यरत थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि साढ़े तेरह लाख का कच्चा व

अर्ध पक्का चमड़ा स्टेट बैंक, बस्ती ने बेचने से रोक दिया ? जिससे उक्त चमड़ा खराब हो गया ? यदि हां, तो सरकार उक्त उद्योग को चलाने के लिए अब क्या करने जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। प्रश्नगत लघुस्तरीय उद्योग (हमदर्द हेमन्ड कम्पनी) में पंजीकरण के समय 9 श्रमिक कार्यरत थे। इकाई के बैंकर के अनुसार उसमें 10–12 श्रमिक थे। कुछ व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे होंगे। सभी कार्यरत श्रमिक हरिजन हैं।

इस आशय की कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है कि बैंक ने चमड़ा बेचे जाने में कोई रोक लगाई। वास्तव में इकाई बैंक द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाओं का पूर्ण सीमा तक उपयोग करती रही। इसके बावजूद प्राप्त सूचनानुसार, शोधन हेतु आवश्यक धन के अभाव में 5.5 लाख रुपये के कच्चे चमड़े की दशा खराब हो गई। अर्धपक्का चमड़ा बैंक के नियन्त्रण में इकाई के गोदाम में बन्द है।

इस इकाई का मामला बीमार इकाइयों के निमित्त गठित जिला-स्तरीय समिति के विचाराधीन है।

श्री बदले प्रसाद, मन्त्री भा0 कम्युनिस्ट पार्टी, जिला फर्रुखाबाद का हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी फर्रुखाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र

श्री भीखा लाल—

112 क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बदले प्रसाद, मन्त्री, भा0 कम्युनिस्ट पार्टी, जिला फर्रुखाबाद का प्रार्थना-पत्र दिनांक 5–5–82 प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 26–1–83 के साथ उनको प्राप्त हुआ है जिसमें यह शिकायत की गयी है कि हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, फर्रुखाबाद ने एक ही परिवार के सदस्यों को कई बार गृह अनुदान देकर अनियमित कार्य किया ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई गयी और उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बांदा में सिंचन क्षमता में वृद्धि तथा व्यय की गई धनराशि

प्रो0 चन्द्र प्रकाश वर्मा—

113 क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बांदा में जून, 1980 से अब तक कितनी सिंचाई क्षमता में वृद्धि किन-किन साधनों द्वारा की गयी ? इन पर कितना धन व्यय किया गया ? वर्ष 1983–84 में कितनी सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

राजकीय नलकूपों से, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बांदा में, जून, 1980 से फरवरी, 1983 तक 2600 हेक्टेयर सिंचन क्षमता में वृद्धि की गयी जिस पर रु0 28–60 लाख की धनराशि का व्यय किया गया। वर्ष 1983–84 में, राजकीय नलकूपों से 500 हेक्टेयर क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है।

जनपद बांदा में सिंचाई क्षमता में वृद्धि तथा कुल व्यय

प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

114 क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में जून, 1980 से अब तक कितनी सिंचाई क्षमता में वृद्धि किन-किन साधनों द्वारा की गयी ? इन पर कितना धन व्यय किया गया ? वर्ष 1983–84 में कितनी सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जनपद बाँदा में जून, 1980 से फरवरी 1983 तक सिंचाई क्षमता में 20410 हेक्टेयर की वृद्धि की गई, जिसका साधनवार विवरण एवं आँकड़े निम्नांकित हैं—

क्र0 सं0	योजना का नाम	जून 80 से अब तक (2/83) सिंचन क्षमता में वृद्धि हे0 में	योजना पर अब तक कुल व्यय (लाख रु0 में) 2/83
1	––औगासी पम्प नहर	4180	206.70
2	––नहरों को पक्का करना	608	83.16
3	––खरसना डाईवर्जन	222	11.00
4	––राजकीय नलकूपों से	15400	266.32
	योग :	20410	567.18

वर्ष 1983–84 में, विभिन्न साधनों से सृजित की जाने वाली सिंचन क्षमता का विवरण निम्नांकित है–––

क्र0 सं0	योजना का नाम	83–84 में अर्जित होने वाली सिंचन क्षमता (हे0 में)	विवरण
1	—औगासी पम्प नहर योजना	2100	द्वितीय स्टेज पर विद्युत सप्लाई में सुधार के बाद।
2	—जयबन्ती जल अनुपूरक योजना	400	
3	—बरदहा बाँध परियोजना	970	
4	—पन्हाई टैंक परियोजना	390	
5	—राजकीय नलकूपों एवं छोटी पम्प नहरों द्वारा	8700	
	योग :	12560 हेक्टेयर	

प्रमुख अभियन्ता, कार्यालय सिंचाई विभाग लखनऊ के जांच प्रकोष्ठ में कार्यरत कर्मचारी व उनका स्थानान्तरण

डा0 बृज किशोर मिश्र––

115 क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, कार्यालय सिंचाई विभाग उ0 प्र0 लखनऊ के अधीनस्थ जांच प्रकोष्ठ में कितने कर्मचारी पिछले 8 वर्षों से भी

अधिक समय से कार्यरत हैं तथा कितने कर्मचारियों का तीन बार स्थानान्तरण हो जाने पर भी पुनः रद्द कर दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जांच प्रकोष्ठ में केवल एक कर्मचारी पिछले 8 वर्षों से भी अधिक समय से कार्यरत हैं। प्रकोष्ठ के किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण तीन बार हो जाने के बाद रद्द नहीं किया गया है।

पर्वतीय विकास विभाग का बजट, विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि, विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर एवं विकास कार्यों पर व्यय की गई धनराशि

श्री जसवन्त सिंह विष्ट तथा कुंवर सिंह नेगी--

116 क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 में पर्वतीय विकास विभाग का कुल कितना बजट था उसमें कितना केन्द्रीय सरकार का अनुदान था इस सम्पूर्ण धनराशि में से कितनी धनराशि पर्वतीय विकास विभाग के कार्यों में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों पर व्यय हुई है और कितनी धनराशि विकास के कार्यों पर व्यय हुई है तथा कितनी धनराशि पर्वतीय विकास विभाग के बजट से अन्यत्र हस्तान्तरित की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

वर्ष 1981-82 में पर्वतीय क्षेत्र का कुल आयोजनागत परिव्यय 101.12 करोड़ रुपये था जिसमें विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि 54.96 करोड़ रुपया शामिल थी तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिषानित योजनाओं पर केन्द्र अंश के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि सम्मिलित नहीं थी। उक्त वर्ष के कुल परिव्यय में से कर्मचारियों और अधिकारियों पर एवं विकास कार्यों पर हुए व्यय की धनराशि तथा पर्वतीय विकास विभाग के परिव्यय से अन्यत्र हस्तांतरित धनराशि की सूचना सभी संबंधित विभागाध्यक्षों/उत्तरदायी अतिरिक्त विभागाध्यक्षों से प्राप्त नहीं हुई हैं।

इटावा डिपो की कार्यशाला और डिपो में प्रकाश व्यवस्था हेतु जनरेटर का क्रय

श्री धनीराम वर्मा--

117 क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि इटावा डिपो की कार्यशाला और डिपो में प्रकाश व्यवस्था हेतु एक जनरेटर क्रय किया गया था ? यदि हां, तो कब और कितने रुपयों में ? क्या यह जनरेटर कार्यरत है ? यदि नहीं, तो कितने समय से और क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

इटावा डिपो द्वारा कार्यशाला और डिपो में प्रकाश व्यवस्था हेतु एक जनरेटर आगरा क्षेत्रीय भण्डार से वाउचर सं0 47/38 द्वारा दिनांक 4-7-1975 को प्राप्त किया गया था। उक्त जनरेटर का क्रय मुख्य यांत्रिक अभियन्ता केन्द्रीय कार्यशाला कानपुर द्वारा अक्तूबर 1974 में रु0 62,988.20 में किया गया था, जो कि इस समय इटावा डिपो में चालू हालत में कार्यरत है।

गोरखपुर रीजन में परिचालकों की नियुक्ति

श्री हरिवंश सहाय---

118 क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर रीजन में वर्ष 1980 में कितने परिचालकों की नियुक्ति हेतु चयन किया गया ? उसमें कितने नियुक्त किए गए ? कितने चयनित परिचालकों की नियुक्ति अब तक नहीं की गयी है ? क्या नियुक्तियां क्रमसंख्या के अनुसार नहीं की गयी ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बाबा राघवदास कुष्ठ सेवा आश्रम, देवरिया को जर्मन रिलीफ एसोसियेशन से प्राप्त कम्बल एवं उनका वितरण

श्री हरिवंश सहाय---

119 क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाबा राघवदास कुष्ठ सेवाश्रम, देवरिया को जर्मन रिलीफ ऐसोसियेशन से 40 गांठ कम्बल वर्ष 1982 में असहायों एवं कुष्ठ रोगियों में वितरण हेतु मिला है ? यदि हां, तो ये कम्बल कब आया था तथा कब वितरण हुआ ? जिन-जिन व्यक्तियों को कम्बल दिया गया उनके नाम व पता क्या हैं ?

श्री गुलाब सेहरा---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के राज्य सड़क परिवहन निगम के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा कथित भूख हड़ताल

श्री गोपीनाथ वर्मा---

120 क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जनवरी, 1983 में जनपद फैजाबाद के रा0 स0 प0 नि0 तकनीकी कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की गयी ? यदि हां, तो अनशनकारियों की क्या मांगें थीं और सरकार ने उन्हें कब तक पूरा कराने का आश्वासन दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

माह जनवरी 1983 में जनपद फैजाबाद के राज्य सड़क परिवहन निगम के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल नहीं की गई ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्राम नारायनवाला, जिला बिजनौर में धारा बाँध के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि एवं मुआवजा

श्री धम्मन सिंह गहलौत---

121 क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नारायनवाला, परगना अफजलगढ़, तहसील नगीना, जिला बिजनौर की जो कृषि भूमि किसानों से धारा बाँध बनाने के लिए 1966 में अधिगृहीत की गयी थी ? क्या उसका मुआवजा किसानों को दे दिया गया है और उनकी कब से लगान माफ की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

ग्राम नारायनवाला में जो भूमि धारा कट के निर्माण के लिए ली गई थी उस पर

कालोनाइजेशन आथारिटी का अधिकार था, यह भूमि कृषकों की नहीं थी। कृषकों को फसल का मुआवजा भी वितरण कर दिया गया था। उक्त भूमि का लगान कृषकों से नहीं लिया जा रहा है।

भूतपूर्व विधान सभा सदस्य श्री राजनाथ सिंह के निधन पर शोकोद्गार

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि भूतपूर्व सदस्य श्री राजनाथ सिंह जी का निधन 1 अप्रैल, 1983 को प्रातः 9.30 बजे मोहल्ला रायगंज स्थित उनके गृह निवास पर गाजीपुर में हो गया है। जिस वक्त उनका निधन हुआ उस समय उनकी आयु लगभग 74 वर्ष की थी। स्वर्गीय श्री राजनाथ सिंह जी एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे। उनकी शिक्षा वाराणसी के उदय प्रताप कालेज में हुई थी। स्वर्गीय श्री राजनाथ सिंह जी का जन्म जिला गाजीपुर के बरहट ग्राम में हुआ था। 1962 में पहली बार वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर आये थे। उसके बाद 1967 व 1969 में वे पुनः कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर आये थे। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भी काफी सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके साथ ही उन्होंने काफी यातनायें सही। उनके निधन से जो कमी हुई है उसको पूरा करना मुश्किल है। जब ऐसे व्यक्ति चले जाते हैं तो अपने पीछे अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। इस प्रकार उनके निधन से आज हमने एक अच्छा समाज सेवी, एक बहुत बड़ा सक्रिय राजनैतिक कार्यकर्त्ता और एक बहुत अच्छा इन्सान खो दिया है। मन्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस सारे सदन की सम्वेदना के भावों को उनके शोक-सन्तप्त परिवार तक पहुँचाने का कष्ट करेंगे।

श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व किसी भी माननीय सदस्य की मृत्यु की दुखित सूचना जब इस सदन को मिलती है तो स्वाभाविक रूप से सभी माननीय सदस्यों को उससे दुख होता है। आज भी यह दुखित सूचना इस सदन को मिली कि श्री राजनाथ सिंह जी की मृत्यु हो गई है। मान्यवर, स्वर्गीय श्री राजनाथ सिंह जी इस माननीय सदन में तीन बार चुनकर आये थे। वह एक कुशल अध्यापक थे। उनकी शिक्षा वाराणसी के क्वीन्स कालेज और उदय प्रताप कालेज में हुई थी। वह अध्यापक संघ के भी पदाधिकारी रहे। स्काउटिंग में भी उनकी रुचि थी। वह जिला स्काउटिंग के भी पदाधिकारी रहे। मान्यवर, उनके निधन से हम सभी लोगों को गहरा दुख है। माननीय संसदीय कार्यमन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में जो अपने दुखी स्वर व्यक्त किये हैं मैं और मेरा दल उससे अपने आपको सम्बद्ध करता है। और आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरी और मेरे दल की शोक-संवेदना को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुँचाने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राजनाथ सिंह के सम्बन्ध में जो शोकोद्गार माननीय संसदीय कार्य मंत्री, उप नेता विरोधी दल ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूँ। स्व0 सिंह का स्वतन्त्रता संग्राम मे काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति रचनात्मक कार्यों में, शिक्षा क्षेत्र में लगाई तथा पूर्वांचल के आप सक्रिय नेता रहे हैं, उनके निधन से इन तमाम क्षेत्रों में रिक्तता आयी है तथा हम लोगों के बीच में भी एक बहुत बड़ी कमी का आभास हुआ है। अतः आपसे निवेदन है कि उनके

प्रति जो हमारी भावनाएँ हैं और हमारे दल की । उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुँचाने की कृपा करें ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, स्व0 राजनाथ सिंह के वारे में जो विचार माननीय संसदीय कार्य मन्त्री, सर्वश्री नोती लाल दहेलवी व राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूँ । स्व0 श्री सिंह का कार्य करने का तरीका इस सदन में हम लोगों को बहुत प्रभावित करता रहा, वह बहुत ही सुलझे हुए विचारों के व्यक्ति थे और उन्होंने मुल्क की आजादी में जो बलिदान दिया वह भी कम सराहनीय नहीं है, ऐसे लोगों हम लोगों के बीच से उठ जाना स्वाभाविक ही दुख की बात है, जबकि ऐसे लोगों से नवजवानों को और हम लोगों को कुछ सीखने का अवसर मिलता, परन्तु वह हम लोगों के बीच नहीं रहे, और ऐसे लोगों की तादाद दिन पर दिन कम होती जा रही है । श्रीमन् एक बार फिर मैं अपने व अपने दल की ओर से शोकोद्गार व श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिसे उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुँचाने की कृपा करें ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यबर, श्री राजनाथ सिंह के बारे में जो संसदीय कार्य मन्त्री ने व अन्य दलों के नेताओं ने विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को व अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी और मेरे दल की यह भावना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुँचाने की कृपा करे ।

श्री कुँवर सिंह नेगी—

श्री राजनाथ सिंह जी के निधन पर जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, नेता विपक्ष तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूँ । मान्यवर, स्व0 राजनाथ सिंह जी स्वतन्त्रता संग्राम में अग्रणी सेनानियों में रहे हैं और वह इस विधान सभा में दो बार सदस्य की हैसियत से चुनकर आए और आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके निधन से हमारे प्रदेश में काफी क्षति हुई है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी ओर से और हमारे दल की ओर से श्रद्धांजलि उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री सूबेदार सिंह---

मान्यवर, मुझे बड़ा दुःख हुआ जब श्री राजनाथ सिंह जी के निधन का समाचार मिला । मुझे उनके साथ व्यक्तिगत रूप से कार्य करने का अवसर मिला, वह एक सच्चे देशभक्त और गरीबों के मसीहा थे साथ ही वह समाज के पिछड़े लोगों व अध्यापकों के समाज सेवा कार्यकर्ता थे तथा वह कुछ दिनों के लिए मन्त्रि-मण्डल में भी रहे और उनके न रहने से जो रिक्तता आयी है, वह पूरी होना सम्भव नहीं है । मान्यबर, जो विचार अन्य माननीय नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारी सवेदनायें दुःखी परिवार तक पहुँचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष —

स्वर्गीय राजनाथ सिंह के बारे में नेता सदन, उप नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेताओं ने जो भाव प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ । जहाँ तक राजनाथ

जी का सम्बद्ध है वह तीन बार इस सदन के सदस्य हुए। वह सीधे सादे स्वभाव के थे उनको अपने काम से काम था और वह अपने काम को बड़ी लगन और चुपके से करते थे। उनका प्रारम्भिक जीवन अध्यापक से शुरू हुआ और उन्होंने विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में काम किया। देहात में राजनैतिक कार्य किया। उन्होंने ऐसे कार्य किये जिनको आज भुलाया नहीं जा सकता है। इस आदरणीय सदन में जो नेताओं ने भाव प्रकट किये हैं और संवेदनायें प्रकट की हैं उनको मैं उनके परिवार तक पहुँचा दूँगा। अब हम उनकी आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन धारण करेंगे।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर 2 मिनट के लिये मौन खड़े हुए।)

ग्राम रेला निवासी श्री राज बहादुर को थाना कदौरा (जालौन) की पुलिस द्वारा अवैध रूप से बन्दी बनाने एवं गायब करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।

समय 12.25

श्री अध्यक्ष---

आज नियम 301 के अन्तर्गत 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैंने उनमें से 10 को स्वीकार किया है, वह इस प्रकार हैं---सर्व श्री शंकर सिंह, जनार्दन प्रसाद ओझा, डा0 बी0 के0 मिश्र अकबाल हुसैन, यदुनाथ सिंह, माता प्रसाद पाण्डेय, अकबर हुसैन तथा रियासत हुसैन, ईश्वर शरण विद्यार्थी, बदन सिंह एवं ख्वाजा हलीम।

*श्री शंकर सिंह---

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं सरकार का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम रेला थाना कदौरा जनपद जालौन निवासी राज बहादुर को दिनांक 10-2-83 को कदौरा थाना पुलिस ग्राम रेला में ही लगे हुए पुलिस कैम्प में यह कहकर ले गये कि कुछ पूछतांछ करनी है उसके बाद छोड़ देंगे। राज बहादुर को छोड़ने के बजाय कई दिनों तक पुलिस कैम्प में रखा गया जहाँ उसकी भारी मारपीट की गयी। जब राज बहादुर के घर वाले पुलिस से राज बहादुर का पता पूछने गये तो उन्हें वहाँ से गालियाँ देकर भगा दिया गया। राज बहादुर के घर वालों ने जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कई प्रार्थना-पत्र दिए परन्तु अभी तक राज बहादुर का पता नहीं चल सका है। अभी तक दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। सन्देह किया जाता है कि पुलिस की मार से वह मर गया है और पुलिस ने उसकी लाश गायब कर दी है। उक्त घटना से सम्पूर्ण क्षेत्र में पुलिस के विरुद्ध भारी रोष व्याप्त है स्थिति विस्फोटक है।

अतः दोषी पुलिस कर्मियों को थाने से हटाकर उक्त कान्ड की सी0 आई0 डी0 द्वारा जाँच की माँग करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोरखपुर जनपद में "बालाहार योजना" के अन्तर्गत सामानों की खरीद में घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अत्यन्त लोकमहत्व के सुनिश्चित विषय की ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। गत माह गोरखपुर जनपद में 10 लाख रुपये की खरीद 'बालाहार योजना' के अन्तर्गत दिखाई गई है। बिना क्रय समिति की बैठक बुलाये या सार्वजनिक रूप से निविदा आमंत्रित किये मुख्य विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी ने मिलकर एक फर्जी फर्म से 10 लाख रुपये की सामग्री की खरीद का नाटक रचा। 10 रुपये किलो चना व 16 रुपये किलो सत्तू की दर से खरीद की गयी जो न केवल असम्भव है, बल्कि आश्चर्यजनक भी है। सरकारी धन की लूट के इस प्रकरण से पूरे जनपद में आक्रोश व्याप्त है। उक्त दोनों अधिकारियों के कार्यों की भर्त्सना सभी वर्ग के लोगों ने किया है। अतः मेरी माँग है कि उक्त दोनों अधिकारियों को निलम्बित कर सारे प्रकरण की उच्चस्तरीय जाँच करायी जाय।

निर्वाचन क्षेत्र पड़रौना में तूफान एवं ओलावृष्टि से भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डाक्टर बृज किशोर मिश्र---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र पड़रौना देवरिया में दिनाँक 19-3-83 को आये भयंकर तूफान तथा ओलावृष्टि से हुई क्षति की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। गेहूँ की फसल ओले तथा भयंकर तूफान से पूरी तरह बर्बाद तो हो ही गई है साथ ही लोगों की आवास व्यवस्था प्रभावित हुई है। मेरे क्षेत्र की 98 प्रतिशत जनता गरीबी के कारण झोपड़ियों में रहती है। प्राकृतिक आक्रोश की शिकार जनता हताश है तथा भुखमरी की सी स्थिति में आ गई है। यह मेरी अपनी जानकारी है कि पड़रौना निर्वाचन क्षेत्र का बिशुनपुरा विकास खन्ड पूरी तरह भुखमरी की स्थिति में है। सैकड़ों लोग भूखे ही सो जाने के लिये मजबूर हो गये हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के पटल पर लाकर माननीय मुख्य मन्त्री से माँग करता हूँ कि मेरे क्षेत्र में तत्काल टेस्ट वर्क शुरू कराया जाय जिससे जनता प्राप्त पारिश्रमिक से जीने के लिये अन्न क्रय कर सके। प्राथमिकता के आधार पर गन्ने की पर्चियाँ वितरित करायी जाँय तथा भुगतान भी तत्काल कराया जाय जिससे जनता को राहत मिल सके।

(माननीय सदस्य द्वारा गेहूँ, की बालियों का एक गुच्छा श्री अध्यक्ष को दिखाते हुये)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में गेहूँ की यह स्थिति है। इसको देखा जाय। इसमें एक भी दाना नहीं है। लोग भूखों मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

मन्त्री जी को दिखा दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद गोंडा के बलरामपुर तहसील में बाढ़ नियन्त्रण के सम्बन्ध में ढिलाई से जन आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तगत सूचना

*श्री अकबाल हुसैन—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूँ कि गत वर्षों में तहसील—बलरामपुर, जनपद गोंडा के ग्राम जहदरिया, कुंडरी, जगदीशपुर, पकड़ी पटोहा, घोपलापुर, करमहना तथा फरोहवा से बेलमरियाखादर व इमिलिया खादर, में बाढ़ बचाव तथा सिंचाई हेतु बाँध व नहरें तथा उस पर लकड़ी के पुल जमींदारी के समय के बने थे। जमींदारी समाप्त हुये 30 वर्ष हो गये परन्तु अब तक इन बाँधों, नहरों को उत्तर प्रदेश सरकार ने रख-रखाव मरम्मत के लिये नहीं लिया, जिसके कारण बाँध टूट गये, नहरें पट रही हैं। पुल टूट गये हैं। जिससे बाढ़ बचाव व सिंचाई का कार्य समाप्त हो गया है। जिससे क्षेत्र की जनता में भारी असन्तोष व्याप्त है और क्षेत्र की जनता आन्दोलन एक सप्ताह से कर रही है जिससे स्थिति विस्फोटक हो रही है।

अतः मैं सिंचाई मन्त्री से मांग करता हूँ कि तुरन्त जमींदारी बाँध व नहरों का अधिग्रहण करके इनकी मरम्मत व निर्माण कराकर सिंचाई का प्रबन्ध व बाढ़ के रोकथाम का कार्य किया जाय।

मुंडेरवा (बस्ती) की पुलिस द्वारा श्री सन्तराम, श्री निर्मल और श्री राम चन्द्र को मार डालने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, बस्ती जनपद के मुंडेरवा थाना के अंतर्गत ग्राम भिऊरा में 21 मार्च, 83 को सायंकाल 5 व 6 बजे के बीच में स्कूटर से जा रहे संतराम व निर्मल तथा रामचन्दर पर गौरयाभार नलकूप के पास मुंडेरवा की पुलिस ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी जिससे तीनों व्यक्ति स्कूटर छोड़ कर भागे। दो को थोड़ी दूरी से पकड़ कर उक्त ग्राम में पुलिस ले आयी तथा कुंदे व लाठियों से मार मार कर मार डाले तथा दूर तक भागे संतराम को जैमुई ग्राम के रामकुमार चौधरी के घर से पकड़ कर ले आकर उक्त बाग में सैकड़ों आदमियों के बीच थानाध्यक्ष व नायब थानेदार रामनारायण यादव ने कुंदे से सबसे पहले संतराम का जबड़ा नाक तोड़ दिया तथा लाठियों से प्रहार करके उसे भी मृत्यु के घाट उतार दिया। जब कि यह तीनों व्यक्ति अपने जान की भीख पुलिस से मांग रहे थे तथा इनमें से कुछ लोगों का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं रहा है। रामचन्दर नामक व्यक्ति स्कूटर का एक साधारण मिस्त्री है जो बस्ती कोतवाली के सामने अपनी दूकान करता था।

उक्त घटना को सैकड़ों लोगों ने देखा है तथा जनता में घोर असंतोष व्याप्त हो गया है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि उक्त घटना की सी0 आई0 डी0 से जांच करावें तथा दोषी व्यक्तियों को दंडित करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिटी ब्लाक मण्डा और कुन्दरकी (मुरादाबाद) में कारपोरेशन द्वारा ट्यूबवेल निर्माण के बाद भी विद्युतीकरण न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन—

मान्यवर, जनपद मुरादाबाद के सिटी ब्लाक मूण्डा तथा कुन्दरकी नलकूप कारपोरेशन द्वारा लगभग 55 नलकूपों का निर्माण किया गया है। परन्तु खेद का विषय है कि दो-दो वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक इन नलकूपों को बिजली नहीं दी गयी है। मिशाल के तौर पर मनकरा, कमरघटा, बसन्तपुर, शाहपुर चके बेगमपुर को बिजली न मिलने के कारण एक तरफ तो कारपोरेशन को भारी नुकसान पहुँच रहा है और दूसरी तरफ कृषि उत्पादन में भारी क्षति हो रही है। इस संबंध में बार-बार माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया परन्तु कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया है। तीनों ब्लाकों में जहां नलकूप कार-पोरेशन द्वारा नलकूपों को बोर किया गया है उनमें से रवल 15 नलकूप ही चालू हैं और बाकी 40 नलकूप अभी तक विद्युतीकरण के अभाव में चालू नहीं हो सके हैं जिसके कारण क्षेत्रीय ग्रामीण जनता में व्यापक रूप से असंतोष और अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है।

अत: मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर माननीय सदन के माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

करमा थाना (मिर्जापुर) की पुलिस द्वारा सम्मानित वकील श्री शीतला प्रसाद सिंह की पिटाई से उत्पन्न जन आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना अति आवश्यक है कि मिर्जापुर जनपद में पुलिस अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया है यहां तक कि करमा थाना के पुलिसकर्मी नायब दरोगा कुलपति राम, मुंशी रामकिशोर शर्मा एवं कानस्टेबुल राजेन्द्र पाण्डेय मिर्जापुर के प्रख्यात वकील श्री शीतला प्रसाद सिंह को उस थाना में दिनांक 18-3-83 को पहुँचते ही गाली गलौच देने लगे। उन्होंने कहा कि मैं वकील हूँ रावर्ट्सगंज में प्रैक्टिस करता हूँ। उक्त तीनों पुलिस कर्मियों ने पुन: माँ-बहन की गाली देते हुए लाठियों से पिटाई करना शुरू कर दिये। उनके शरीर पर तमाम लाठियों की चोटें हैं, यहां तक कि लाठी मारते-मारते मुंशी राम किशोर शर्मा थक गया तब और पुलिस कर्मियों ने पीटना शुरू कर दिया। उक्त घटना के कारण जिला कचहरी मिर्जापुर एवं रावर्ट्सगंज कचहरी के वकीलों ने हड़ताल किया, लोकदल पार्टी की थाना करमा के सामने विशाल जनसभा हुई।

अत: इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि तत्काल करमा थाना के पूरे पुलिस कर्मियों का जिला के बाहर स्थानान्तरण हो, और दोषी पुलिस कर्मियों को दंडित किया जाय। जिससे मिर्जापुर के निरीह जनता के साथ न्याय हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थाना धूमनगंज (इलाहाबाद) की पुलिस द्वारा मकदूमपुर निवासी श्री कामता प्रसाद पासी का इनकाउण्टर किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन एवं सदन का ध्यान इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इलाहाबाद जनपद में गत 25-3-83 को थाना धूमनगंज पुलिस ने कामता प्रसाद पासी (हरिजन) को घर से बुलाकर ले गयी और एक अवैध शराब के अड्डे पर शराब पिलाकर गामा तिवारी पुलिस ने सब-इंस्पेक्टर की पिस्तौल लेकर उसे गोलियों से भून दिया। एस0 ओ0 धूमनगंज 45 मिनट बाद अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुँचकर इनकाउंटर का पक्का स्वरूप बनाने के लिए मृतक कामता के पास ईंट की दिवार पर देशी तमंचे से दो फायर किया। और तमंचे को मृतक के पास रखकर पुनः थाना वापस चले गये। मृतक के लाश को थाने में पंचनामा कर दूसरे दिन प्रातः 8 बजे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बाद में लाश को लावारिश घोषित कर यमुना नदी में फैंक दिया गया। परन्तु जिलाधिकारी के सख्त आदेश पर यमुना से लाश को निकलवाकर मृतक के परिवार को दिया गया।

मान्यवर, इस घटना से पूरे द्वाबा के हरिजनों में भय और घोर असंतोष व्याप्त है मैं आपके माध्यम से कामता प्रसाद की हत्या की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच तथा मृतक के परिवार को 5-5 हजार रुपये मुख्य मंत्री कोष से दिलाने की मांग करता हूं।

ग्राम जरवा (आगरा) के पेयजल में फ्लोराइड तत्व के होने से उत्पन्न हानिकारक प्रभावों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बदन सिंह---

मान्यवर, जनपद आगरा के ब्लाक अछनेरा में स्थित जरवा ग्राम के पेयजल में फ्लोराइड तत्व तादात से 14 गुना अधिक है। इस पेयजल के प्रयोग से इस ग्राम के 40 वर्ष से ऊपर आयु की सभी स्त्री पुरुषों की कमरें झुक गयी हैं, दांत पीले पड़ गये हैं और उनकी जोड़ों में भारी दर्द होता है। उचित पेयजल में इस ग्राम के जन जीवन के लिये और संकट पैदा हो गया है। इस भयावह स्थिति में वहां की मानवता कराह रही है।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूँ कि ग्राम जरवा में पेयजल की कोई अन्य प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाय।

नगीना (बिजनौर) निवासी अब्दुल मजीद के घर में घुसकर पुलिस तथा आसामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट एवं लूटपाट किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ख्वाजा हलीम--

अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूँ। थाना, नगीना जिला बिजनौर की पुलिस के अधिकारियों ने कुछ गुंडों जफरुल इस्लाम बगैरा के साथ एक गिरोह बनाकर श्री अब्दुलमजीद के मकान पर 11 बजे दिन में दिनांक 14-2-83 को मोहल्ला अकाबरान में घुसकर मारपीट की तथा सामान कीमती बरतन जेवरात उठाकर ले गये जिसके खिलाफ वहां की पुलिस एस0 पी0 को टेलीग्राम द्वारा सूचना दे दी गयी चूँकि एफ0 आई0 आर0 नहीं ली गयी थी जिस पर वहां के कप्तान पुलिस ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की।

मैं इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार से यह अनुरोध कर रहा हूँ कि वहां के अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाय और पुलिस, बदमाशों के खिलाफ मुकदमा चलाये।

श्री गोरेलाल शाक्य द्वारा उठाए गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय दिए जाने की मांग

*श्री गोरे लाल शाक्य--

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक--1981 से एस0 डी0 एम0, भरथना, जिला इटावा, श्री शंकर पाल सिंह के विरुद्ध, दूसरा 1982 से कमिश्नर, इलाहाबाद डिवीजन, श्री बागला के विरुद्ध और तीसरा एस0 आई0, श्री एम0 पी0 अशोक और चार सिपाहियों के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पड़े हैं और मान्यवर, इन तीनों मामलों में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न बनता है, इसलिये मेरी आपसे गुजारिश है कि इन तीनों मामलों में विशेषाधिकार के प्रश्न सदन की एक कमेटी बनाकर उसको सौंप दिये जायं और जो निर्णय वह समिति करे उसको माना जाय।

*श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, मेरा एक निवेदन है कि श्री गोरे लाल शाक्य ने एक बात कही कि उनके तीन विशेषाधिकार के प्रश्न पेंडिग हैं, और दूसरी तरफ खेद के साथ कहना पड़ता है कि अखबारों में खबरों को पढ़ने के बाद दुख होता है, इसलिये मैं आपके द्वारा चाहता हूँ कि आप इस सरकार को ऐसे निर्देश दें जिससे कम से कम जहां एक तरफ पेंडिग पड़े हैं विशेषाधिकार के प्रश्न, जिन पर आपको निर्णय लेने हैं, उनके दौरान विशेष इंतजाम किया जाय कि दुखद समाचार पढ़ने का मौका न मिले।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके पहले भी आपने अपनी पीठ से व्यवस्था दिया है और शासन को चेतावनी दिया था कि विशेषाधिकार के मामले में जहां शासन पक्ष को सुनने की बात है तो शासन की तरफ से विलम्ब किया जाता है जिसके संबंध में आपने चेतावनी दिया था। इस संबंध में श्री गोरे लाल शाक्य का प्रश्न विचारणीय है, दुख है, चाहे जिस दल के सदस्य हों उसका प्रश्न नहीं है, बल्कि यहां विशेषाधिकार का प्रश्न यदि विचारणीय है तो उसमें और सदस्यों में भेद नहीं किया जाता है। मान्यवर, मा0 सदस्य श्री गोरेलाल शाक्य के बारे में अखबारों में पढ़ा और मेरी उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत हुई तो मालूम हुआ कि पुलिस कर्मियों ने उनको बुरी तरह से मारा पीटा लेकिन हो सकता है कि गलत भी हो इसको मैं नहीं कहता लेकिन मामला विशेषाधिकार समिति को संदर्भित किया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाये क्योंकि पुलिस द्वारा यह जानते हुये कि वह विधायक थे और वह अपने कार्य को पूरा करने की दृष्टि से यात्रा कर रहे थे और पुलिस ने फिर भी निर्दयतापूर्वक उनको मारा। मान्यवर, यह परम्परा रही है कि जिस समय किसी सदस्य से संबंधित मामला प्रकाश में आये तो प्राग्दर्शन में बनता है कि वह आपके चैम्बर में बात करके अवगत कराये लेकिन यह माननीय सदस्य का मामला है तो उसमें सदन में उनको कहने का मौका है और विशेषाधिकार समिति को मामला संदर्भित किया जाय। लेकिन आवश्यक नहीं है, आपको भी अधिकार है कि आदरणीय सदन न्यायालय की तरह बैठकर अपना फैसला दे सकता है।

यह आप प्राग्दर्शन में उचित समझकर यहां प्रश्न उपस्थित कर दें, तो अच्छा हो। आज अगर सायंकाल तक सरकार की ओर से उसका जवाब न आ जाए, जिसको इन्होंने दोषी और अपराधी माना है, तो माननीय सदस्य की बात को सत्य मानते हुए इसको विशेषाधिकार समिति में आप अवश्य भेज दें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

*श्री मोतीलाल देहलवी---

मान्यवर, इसी साल गोरेलाल शाक्य जी को तीन-तीन बार पीटा गया, जेल में भी इनको पीटा गया। यहां इन्होंने उस पर अपनी गुहार की और सरकार से यह अपेक्षा की कि सरकार उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, उस पर अपना ध्यान दें, लेकिन हम लोगों को बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि यह सरकार निरन्तर गोरेलाल शाक्य पर होने वाले अन्याय और अत्याचार के प्रति आंख मूँदे हुए है। उनकी घोर उपेक्षा हो रही है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि श्री गोरेलाल शाक्य अकेले पड़ गये हैं, उनकी कहीं कोई सुनने वाला नहीं है···

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

ऐसी बात नहीं है, इस वक्त हम सब उनके साथ हैं।

श्री मोतीलाल देहलवी—

इसलिए हमें उनके करुण-क्रन्दन पर ध्यान देना पड़ रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्राग्दर्शन में यह मामला बनता है। जब किसी सदस्य के साथ दुर्व्यवहार होता है तो आप यह महसूस करते होंगे कि यह कोई अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, यह अच्छी बात नहीं है, इससे कोई अच्छी परम्परा नहीं बन रही है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप शाक्य जी वाला मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दें, जिससे वहां इसकी जांच हो सके।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

बहुत हो चुका है, आप लोग बैठें। जो कुछ आप लोग शाक्य जी के बारे में कह रहे हैं, उसकी हमें जानकारी है···(व्यवधान) मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। आप नियमों का पालन करें। गहलोत जी, आप बैठें। जो तथ्य इन्होंने कहे हैं क्या उसके अतिरिक्त आपको कुछ कहना है ?

*श्री थम्मन सिंह गहलोत---

माननीय सदस्यों के साथ जो इस प्रकार की दुर्घटनाएँ हो रही हैं, उसका मुख्य कारण

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह है कि उन पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जाता है। इसलिए यह घटनाएँ बढ़ रही हैं। अभी पिछले दिनों जो जसवन्त सिंह विष्ट हैं, उन्होंने हमको बताया था कि जब वह रेल से प्रथम श्रेणी कम्पार्टमेंट में यात्रा कर रहे थे, पुलिस के सिपाहियों ने उन्हें धक्का देकर उससे बाहर निकाल दिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने बताया कि हम सदस्य हैं फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। इसकी शिकायत विष्ट जी ने मुख्य मंत्री से और आपसे भी की है। इस तरह की घटनाएँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि शाक्य जी के बारे में निश्चित रूप से शीघ्र कोई निश्चित कार्यवाही की जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें, माननीय गोरेलाल शाक्य के बारे में मैं बता रहा हूँ, जिस विशेषाधिकार के बारे में तीन बातों के बारे में आपने कहा है··· (व्यवधान) जब मैं खड़ा हूँ और कोई निर्णय दे रहा हूँ···

श्री गोरेलाल शाक्य--

अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस पर दो मिनट चाहता हूँ, मुझे सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

अब आज्ञा नहीं है। अब मैं किसी को आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, यह कोई आवश्यक नहीं है कि इस पर सबको सुना ही जाय। जहां तक पहली सूचना का सम्बन्ध है, श्री गोरेलाल शाक्य मेरे पास आए थे, मैंने उनको बता दिया था कि एक पर मैंने निर्णय दे दिया है। फिर भी उन्होंने मुझसे यह कहा कि आप विचार मेरे मामले में कर लीजिए। आज उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया है, मैं उसको दिखवा रहा हूँ। जहां तक दूसरे का सम्बन्ध है, उसको भी मैं दिखवा रहा हूँ।

जहां तक तीसरी घटना का संबंध है, अभी होली के मौके पर उनका प्रार्थना-पत्र आया है, जब तक मैं उसको पूरे तरीके से देख न लूँ, मेरे लिये यह सम्भव नहीं है कि उसका निर्णय दे सकूं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जहां तक माननीय सदन के सदस्यों का संबंध है, कोई इस प्रकार की बात नहीं होगी, उनके लिए पूरे तरीके से ध्यान दिया जायगा।

श्री राम आसरे वर्मा--[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह कोई शब्द लिखा नहीं जायगा। बैठिये आप लोग। मैंने जब निर्णय दे दिया, तो उस विषय को समाप्त करें। आप लोग बैठिये।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, एक विशेषाधिकार की सूचना मैंने भी दी थी, वह करीब साल भर हो गया, आज तक मुझे कोई भी सूचना नहीं दी गयी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं। आप लोग बैठें। मैं आपसे निवेदन

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

करना चाहता हूँ कि आप नियमों का पालन करें। यह सदन है और सदन को नियमों के अनुसार चलना चाहिए।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, एक विशेषाधिकार की सूचना मैंने दी थी माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी के विरुद्ध, वह करीब साल भर हो गया, आज तक मुझे कोई जानकारी नहीं दी गयी।

श्री अध्यक्ष—

वह मेरे विचाराधीन है। मैं उसको देख रहा हूँ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, साल भर हो गया, कब तक वह आप देखेंगे, मुझे कोई सूचना नहीं दी गयी।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक माननीय वर्मा जी आपकी सूचना का सम्बन्ध है, वह मेरे विचाराधीन है।

(व्यवधान)

श्री भगवानदीन कुशवाहा—

मान्यवर, माननीय गोरे लाल शाक्य बार-बार पीटे जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। यह चार-चार माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं, यह सुनाई नहीं पड़ रहा है। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। आप लोग बैठिये। जब चार-चार माननीय सदस्य बोलेंगे, तो मेरे लिए सम्भव नहीं है कि मैं सुन सकूँ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं आपकी एक व्यवस्था चाहता हूँ। आपने अभी आपने निर्णय में कहा कि कुछ मैंने कंसीडर कर लिया, कुछ मैं और कंसीडर करूँगा, मगर आपने इसके ऊपर कुछ नहीं कहा, क्या इस पर भी आपने निर्णय ले लिया कि माननीय गोरे लाल शाक्य जी की पिटाई इसी तरह से होती रहेगी, इसके ऊपर भी तो आप कुछ कहेंगे ?

समय 12.54 से

<u>मुख्यमंत्री द्वारा मण्डल आयोग की रिपोर्ट का, बिना मंत्रिमंडल की राय लिए विरोध किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न</u>

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, 24 मार्च को इसी सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आधे घंटे की चर्चा के दौरान में यह कहा था कि वी0 पी0 मण्डल की रिपोर्ट मुझे प्राप्त हो गयी है। उस वी0 पी0 मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर उच्च अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गयी है, अधिकारियों की कमेटी में विचार करने के पश्चात् मंत्रि मण्डल में विचार-विमर्श के पश्चात् उत्तर प्रदेश सरकार अपनी संस्तुति के साथ केन्द्रीय सरकार को भेजेगी, परन्तु 4 अप्रैल को प्रधान मंत्री की एक बैठक केन्द्र में वी0 पी0 मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श हेतु

हुई, जिसमें माननीय मुख्य मंत्री श्रीपति मिश्र द्वारा बिना मंत्रिमण्डल के राय के बी0 पी0 मण्डल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया। मान्यवर, इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि बी0 पी0 मण्डल आयोग का हम सख्त विरोध करते हैं।

जो सदन में वक्तव्य दिया गया है उसके यह विपरीत है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने किस हैसियत से बिना मंत्रिमंडल की राय के बी0 पी0 मंडल रिपोर्ट का विरोध किया। इसपर मेरा औचित्य का प्रश्न है।

(श्री राम आसरे वर्मा को पुकारे जाने पर।)

श्री राम आसरे पासवान को बदमाशों द्वारा बन्द रखने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, एक विशेषाधिकार की सूचना है। श्री राम आसरे पासवान की है।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री मुहम्मद आजम खां---

मान्यवर, आज ही सूचना दी है। इनको तीन दिन तक बदमाशों ने घर में बंद रखा, निकलने नहीं दिया। बदमाश इनको घर में घेरे रहे।

(शोर)

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ----

इनको थाने में अपमानित किया गया। राम आसरे पासवान 3 दिन तक थाने में बंद रहे। कोई सूचना नहीं दी गयी। इनको बेइज्जत किया गया।

श्री अध्यक्ष--

मुझे ज्ञात हुआ कि माननीय सदस्य ने कोई सूचना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 12 बजे मेरे यहां दी है। नियम यह है कि विशेषाधिकार की सूचना 10 बजे तक दे दी जानी चाहिये। 12 बजे सूचना दी गयी है। तो मैं इसको देख लूँ, मुझे देखने का तो मौका दीजिये।

(शोर)

श्री राम आसरे पासवान----

मेरी जान को खतरा है। (शोर) मेरी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, पुलिस इनका कत्ल करवाना चाहती है। मुंडेरवा की पुलिस राम आसरे पासवान का कत्ल कराना चाहती है। (शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठिये।

एक सदस्य—

इनकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

नियमों के अनुसार जैसा कि आप सभी सदस्य जानते हैं 10 बजे तक मुझको सूचना प्राप्त हो जानी चाहिये।

श्री राम आसरे पासवान—

गाड़ी हमारी लेट आयी है इसलिये सूचना नहीं दी जा सकी ।

श्री अध्यक्ष—

आपका कहना है कि आपकी गाड़ी लेट आयी इसलिये सूचना 12 बजे दी है तो मैं इस सूचना को कल ले लूंगा, मुझको आप मौका दे दीजिये ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । इनकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये ।

(शोर)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

इनकी जान को खतरा है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठिये । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय सदस्य की सूचना विशेषाधिकार की आयी है । मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूँ । आप इसको खासतौर से देखें । जहां तक इनका संबंध है और इनके परिवार का संबंध है, इस तरीके की व्यवस्था करें कि इनकी सुरक्षा पूरे तरीके से हो सके । इस बात को आप देख लें ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, इस सिलसिले में क्या कार्यवाही हुयी, सदन उठने से पहले यह सूचना मिल जाय कि क्या कार्यवाही हुयी तो उचित होगा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपने जो आदेश दिया है, आप सूचना भिजवा दें, सुरक्षा की पूरी कार्यवाही की जायगी और वायरलेस द्वारा इत्तला संबंधित अधिकारियों को दे दी जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

आप संयम से काम तो लीजिए, किसी बात के लिए, जो पद्धति है, उसी के अनुसार यहाँ पर कार्य होगा ।

मुख्यमंत्री द्वारा मण्डल आयोग की रिपोर्ट का बिना मन्त्रिमंडल की राय लिए, विरोध किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, समाज के पिछड़े वर्गों का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय मिले, इसके लिए केन्द्र सरकार ने मण्डल आयोग का गठन किया था । मण्डल आयोग ने अपनी संस्तुतियां दे भी दी । उन संस्तुतियों के बारे में राज्य सरकारों से राय माँगी गयी । जब हमारे इस सदन में इस पर चर्चा हुई, तो 24-3-83 को माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने इस सदन में कहा था कि 'यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में एक उच्च स्तरीय समिति हुयी, जिसके अन्तर्गत मुख्यसचिव अध्यक्ष हुए और इसमें तमाम सचिवों इण्डस्ट्रियल सेक्रेट्री, नेशनल इन्डेंग्रेटी सेक्रेट्री, लेबर सक्रेट्री आदि सेक्रेट्रीज की एक कमेटी बना दी गयी, ताकि इस आयोग

की जो सिफारिशें हैं, उन पर पूरी तरह से विचार करके सरकार के सामने अपनी राय को रक्खें, तो इस कमेटी ने अब तक 4 बैठकें की, जिसमें सारे बिन्दु विचाराधीन हैं।" इसके बाद माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि "वह जो कमेटी बनी है वह अन्तिम निर्णय लेने के लिये नहीं बनायी गयी है। उस पर अंतिम निर्णय मंत्रि-परिषद लेगी। मन्त्रि-परिषद् में जन-प्रतिनिधि ही होते हैं।" मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने स्पष्ट घोषणा की थी, कि निर्णय मंत्रि-परिषद् इसके बारे में लेगी।

मान्यवर, एक तरफ तो सदन में चर्चा चल रही थी, सदन की बैठकें चल रही थीं, वहीं दूसरी ओर माननीय मुख्य मंत्री जी मुख्यमन्त्री सम्मेलन में एक अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। मान्यवर, यह नीति से सम्बन्धित प्रश्न है, अखबारों में जनता के सामने यह आया, मुख्यमंत्री जी ने जो वहाँ पर राय व्यक्त की, उसके बारे में सारे देश भर में एक चीज लोगों के सामने आयी कि मुख्यमन्त्री मण्डल आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध हैं। मान्यवर, यही मोटी-मोटी हेडिंग्स अखबारों में छपी है। एक ओर पिछड़े वर्गों के हितों से सम्बन्धित सिफारिशें की गयी, वहीं "हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उन सिफारिशों के विरुद्ध कहा हो, उससे पिछड़े वर्गों के बारे में, उनकी छाप खराब पड़ती है। दूसरा पहलू मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि मान्यवर, सदन चल रहा था, सदन के चलते, एक नीतिगत सवाल है, अगर उसके बारे में कोई राय व्यक्त करनी थी माननीय मुख्यमंत्री को, तो उसकी घोषणा सदन में करनी चाहिए थी। मान्यवर, सदन के सामने तो बातें पहले की जाती है, उसकी चर्चा की जाती है, सदन के बाहर माननीय मुख्यमंत्री दूसरी राय रखते हैं।

अब मान्यवर, सदन चलते माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर जो इस तरह की बात कही, कोई राय अपनी बाहर जाहिर की, मैं समझता हूँ यह सदन का अपमान है, इससे ज्यादा अपमान कोई दूसरा नहीं हो सकता। दूसरी बात, पिछड़े वर्गों के साथ जिस तरह की अवहेलना, अवमानना का रुख यह शासन अख्तियार कर रहा है, उसका भी यही तरीका है। इस पर मैं चाहूँगा कि आप अपनी व्यवस्था दें कि एक तो सदन चल रहा है, सदन के चलते, नीतिगत प्रश्न के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमन्त्री सम्मेलन में, एक राय व्यक्त करना, सदन के सामने पहले उसको घोषित न करना और दूसरी बात जब एक समिति बन गयी, समिति को यह अधिकार दिया गया कि वे सारे तथ्यों को इकट्ठा करे और उन तथ्यों के आधार पर सरकार को अपनी राय दे, मंत्रि-परिषद् उस पर अपना फैसला ले, जब मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति अपनी राय व्यक्त कर चुके होंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल के निर्णय का क्या महत्व रह जाता है। और जो प्रशासनिक अधिकारियों की कमेटी बनायी गयी है, वह कमेटी भी बेकार हो जाती है, उसके द्वारा जो कार्यवाही की जाती है, वे बेकार हो जाती हैं? इस महत्व के प्रश्न के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूँगा।

*श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट—

मान्यवर, 24 मार्च को इस सदन में मण्डल आयोग की चर्चा में भाग लेते हुए, इस सरकार के ऊपर मैंने खुला आरोप लगाया था कि यह जानबूझकर पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा नहीं करेंगे तथा सरकार के मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं करना चाहते हैं टाल मटोल कर के, तो हमारे अम्मार रिजवी को हार्दिक तकलीफ थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और उन्होंने आश्वासन दिया था कि कमेटी बनाई गई है। सब कुछ होने के बाद वह मंत्रि-परिषद में आयेगा और मंत्रि-परिषद में विचार करने के बाद भारत सरकार के सामने यह सरकार अपनी रिपोर्ट और अपनी विचारधारा रखेगी। इसके विपरीत जो मेरा आरोप था जो मैंने लगाया था वह आज साबित हो गया और मुख्य मंत्री जी ने कानून और परम्परा की तथा सदन की अवमानना करके जो घोषणा किया है पिछड़े वर्ग के विरुद्ध वह उचित नहीं है। सदन चल रहा है और आपके इस पीठ पर होते हुये पिछड़े और निर्बल वर्ग की हित की जो उपेक्षा की गई यह भारत के काले इतिहास में लिखा जायेगा। मैं जो औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूँ इस पर आप कोई निर्णय दें और सरकार को बाध्य करें मुख्यमंत्री का वक्तव्य सही है या जो 24 तारीख को अम्मार रिजवी ने कहा है वह सही है।

(श्री सत्यपाल सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

इस पर अब चर्चा क्यों की जाय ? तीन माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

*श्री सत्य पाल सिंह--

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिये मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अन्तर्गत इस बात का प्राविधान किया गया है कि देश के अन्दर जो पिछड़ी कौमे हैं उनको नौकरियों में आरक्षण दिया जायेगा। आर्टिकिल 340 में प्राविधान है कि भारत का राष्ट्रपति किसी आयोग को जारी करेंगे जिस आयोग के माध्यम से पिछड़े वर्ग की हैसियत और आरक्षण के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी जायेगी। मण्डल आयोग की 340 के अन्तर्गत संवैधानिक व्यवस्था है। मान्यवर, सारे देश के मुख्य मंत्रियों की राय दिल्ली में 24 तारीख को गृह मंत्री श्री पी0 सी0 सेठी के सामने ली गई। वहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपनी व्यक्तिगत राय जाहिर करके पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया है और उनको आघात पहुँचाया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को अपनी राय व्यक्त करने के पहले अपने मंत्रि-मण्डल की राय लेनी चाहिये थी। सदन और मंत्रिमण्डल की राय लेनी चाहिये थी कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाय या न किया जाय। यदि अब राय ली जायेगी तो वह निष्पक्ष राय नहीं हो सकती है। प्रदेश में रहने वाली 52 प्रतिशत पिछड़ी कौमे हैं जिनके लिये भारत के संविधान में 16 (4) और 15 (4) के अन्तर्गत सुविधायें प्रदान की गई है। आज उन उपबन्धों का दुरुपयोग किया गया है और उन पर आघात पहुँचाया गया है। इसलिये मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री निजी राय मंत्रि-मण्डल के अलावा जाहिर करके और अपना विचार जाहिर करके उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय किया है।

(श्री राम स्वरूप निम के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

निम साहब, आप बैठें। बहुत लोग बोल चुके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम गोविन्द—

उस बोलने का फायदा क्या हुआ ?

*सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

24 तारीख को जो बातें मैंने कही थी राम आसरे वर्मा और दूसरे माननीय सदस्यों ने उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट किया। जो बातें कही थी कमेटी के बारे में परीक्षण के बारे में मण्डल आयोग की रिपोर्ट के बारे में वह सारी प्रक्रिया चल रही है। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

इस समय जो राम आसरे जी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने औचित्य का प्रश्न उठाया है, उसका आधार समाचार-पत्र हैं। मुख्य मंत्री जी ने वहाँ क्या कहा, यह कहीं कोट नहीं है। और मान्यवर, जितने भी फैसले आपकी पीठ से दिये गये हैं, जो हमारी नियमावली है, सब का कलेक्शन है और सारे वर्षों का एक जगह है और उसमें यह दिया गया है कि अखबारों पर आधारित कोई चीज यदि होगी तो उस पर औचित्य का प्रश्न नहीं बनेगा। कोई भी स्टेटमेन्ट जारी होने पर, इन्टेन्सली न होने पर भी, गलती हो सकती है, हमारे पत्रकार भाई कितने भी जागरूक हों, सच बोलते हैं..

(व्यवधान)

जो मण्डल आयोग की रिपोर्ट है उस पर एक कमेटी बनी हुई है, उसकी रिपोर्ट मंत्रि-परिषद् में आयेगी, उस पर निर्णय होगा। यह कोई उत्तर प्रदेश का ही मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। अगर मुख्य मन्त्री जी होते तो उनसे कहा जा सकता था कि उन्होंने क्या कहा, वे हैं नहीं। इसलिए यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता बल्कि प्राइमाफेसी ही औचित्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अतः इसे आप अस्वीकार करें। यह मेरा अनुरोध है।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने जो कुछ कहा, जो गम्भीर प्रश्न औचित्य के रूप में उठाया गया, उससे वह एग्री करते हैं कि नीति सम्बन्धी वक्तव्य, सदन के चलते, यहाँ पर पहले होने चाहिए। केवल समाचार पत्रों की बात उन्होंने कही। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मुख्य मन्त्री आजकल में आ जायेंगे। अतः तब तक आप अपना निर्णय सुरक्षित कर लें।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

क्या एक विषय पर दो-दो बार किसी माननीय सदस्य को बोलने की आज्ञा दी जाय। अब नहीं, आप बैठें।

श्री गोपीनाथ वर्मा, राम आसरे वर्मा और माननीय सदस्यों ने तथा जिसका जवाब संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, तो जहां तक औचित्य के प्रश्न का संबंध है, न कोई नियमों का उल्लंघन हुआ है न संविधान का। इस प्रकार की कोई बात नहीं है जिसके आधार पर इसे स्वीकार किया जाये। बहुत से संशय उठाये गये हैं कि मुख्य मन्त्री जी को मन्त्रि परिषद् को विश्वास में लेना चाहिए। तो मण्डल आयोग के बारे में कुछ विचार-विमर्श हुआ, अखबारों के आधार पर माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कहीं, तो जब तक, जिन्होंने ये बातें कहीं, मुख्य-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मन्त्री जी ने, जो उसमें सम्मिलित हुए थे, उनका क्या व्यू था, क्या प्वाइंट थे, उसके पहले यह कहना कि यह निर्णय हो गया, इसका कोई सवाल नहीं है। उस पर विचार हो रहा है, अन्तिम निर्णय बाद में होगा। इन सब बातों को देखते हुए मैं इस प्रश्न को औचित्य का प्रश्न नहीं मानता।

[समय 1 बजकर 14 मिनट]

आगरा विश्वविद्यालय के प्रागंण में होली मिलन के सार्वजनिक समारोह की अध्यक्षता, प्रशासक, नगर महापालिका आगरा द्वारा किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री विजय सिंह राना---

हमारे यहाँ होली के त्योहार पर 30 तारीख को आगरा विश्वविद्यालय प्रांगण में एक मेले का आयोजन किया जाता है। यह प्रतिवर्ष आगरा विश्वविद्यालय के प्रांगण में होता है। उस अवसर पर हमारे आगरा जनपद के सभी संसद सदस्य, विधायक बुलाये गये थे। श्री गुलाब सेहरा तथा परिषद् के उप सभा पति, श्री गुप्ता जी भी गये थे। इसे वृद्ध जन समारोह का नाम दिया गया था और दो लोगों को सम्मानित किया जाना था। जब वहाँ पर हरिजन कल्याण मन्त्री तथा विधान परिषद् के उप सभापति मौजूद थे तो उस समारोह की अध्यक्षता के लिए नगर महापालिका के प्रशासक श्री जितेन्द्र प्रकाश बनाये गये। आपकी पीठ से ऐसे कई बार निर्देश दिये जा चुके हैं कि जिस समिति या समारोह में जन-प्रतिनिधि होंगे वहाँ की अध्यक्षता के लिए किसी सरकारी अधिकारी को नहीं चुना जायेगा। इसके साथ-साथ जो वहाँ जन-प्रतिनिधियों के लिए कुर्सियाँ लगायी गयी थीं वे अधिकारियों के पीछे थीं। इस तरह से सम्पूर्ण संसद सदस्य, विधायकों की जानबूझ कर अवहेलना की गयी। जब मैं वहां पहुँचा तो मैंने उसका बहिष्कार किया और वापस चला आया। तो आपके निर्देशों के बावजूद यह सब किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग ऐस पनप रहे हैं जो अधिकारियों से चिरौरी करके उनकी खुशामद करके, उनसे लाभ की दृष्टि से इस तरह का काम करते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि जन-प्रतिनिधियों की इस तरह से दुर्गति होगी तो जनता के बीच में हम लोगों का विश्वास घट जायेगा। इसलिए इस सम्बन्ध में कम-से-कम निर्देश किया जाय कि सारे समारोहों में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह जिलाधिकारी की परमीशन लेकर जायें और जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त समारोह में कोई जन-प्रतिनिधि तो नहीं है, यदि हैं, तो कोई अधिकारी उसकी अध्यक्षता करने की धृष्टता न करे।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मैं जानकारी के लिए जानना चाहता हूँ कि उक्त समारोह सरकारी था या नहीं और दूसरा कि इसका कोई कार्ड बंटा था ? यदि हाँ, तो क्या उस पर नाम लिखा था ?

श्री विजय सिंह राना---

सार्वजनिक समारोह था और कार्डों पर अध्यक्षता करने वाले का नाम लिखा हुआ था।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी--

सरकारी नहीं था, कार्ड पर नाम लिखा हुआ था, तो वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं थी ।

श्री अध्यक्ष--

कोई नियम या संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ जिसके कारण इसे औचित्य का प्रश्न माना जायं । संसदीय कार्य मन्त्री जी इसको देख लें, मैं इसको भेज रहा हूँ और आपने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है उस को अस्वीकार कर रहा हूँ ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, जो प्रश्न उठाने जा रहा हूँ वह कार्यस्थगन के रूप में है, उस समय बोलूँगा मैं ।

15 फरवरी, 1982 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या--59 के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

*पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)---

मान्यवर, दिनांक 15 फरवरी, 1982 को माननीय श्री धनीराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने अतारांकित प्रश्न संख्या--59 के अन्तर्गत यह जानकारी प्राप्त करनी चाही थी कि वर्ष 1979--80 में इटावा जनपद में खाद्यान्न योजनान्तर्गत निर्मित फफूँद से सल्हापुर तक मार्ग का निर्माण कार्य क्या अधूरा है तथा इस पर कार्य करने वाले 40 मजदूरों को 5 दिन की मजदूरी अभी बाकी है । उक्त प्रश्न के उत्तरालेख्य में जिला विकास अधिकारी इटावा ने खंड विकास अधिकारी, भाग्यनगर इटावा की सूचना के आधार पर शासन को यह अवगत कराया गया था कि फुफूंद से सल्हापुर तक चार कि0 मी0 लम्बे सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जा चुका है तथा उक्त मार्ग के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की मजदूरी बकाया नहीं है । तदनुसार सरकार द्वारा सदन में उत्तर दिया गया था ।

2---माननीय सदस्य ने उक्त उत्तर पर प्रक्रिया सम्बन्धीकरण के करण संख्या 218 (1) के तहत यह जानकारी दी है कि उक्त मार्ग का 4 कि0 मी0 तक बनाया हुआ बताया जाना सही नहीं है और 40 मजदूरों को 5 दिन की मजदूरी नहीं दी गयी है ।

3---माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से पूर्व में दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में निम्न शोधन वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ---

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी पर मामले की जाँच कराई गयी और यह पाया गया कि 896 मी0 सड़क का निर्माण कार्य, बीच में मिट्टी न मिलने के कारण तथा शेष आगे 23 मीटर सड़क योजना समाप्त हो जाने के कारण नहीं किया गया है । जांच करने पर भी पाया गया कि जिन 5 दिनों की मजदूरी न दिये जाने का प्रश्न उठाया गया है वे कथित 5 दिन 11--2--80 से 15--2--80 तक के हैं । उक्त 5 दिनों में कार्य, सरकारी तौर पर बन्द था । मजदूरों ने यह बयान दिया है कि बिना किसी सरकारी कर्मचारी की मौजूदगी में उन्होंने इस अनुमान से कार्य किया था कि यदि भविष्य में कार्य प्रारम्भ होगा तो भुगतान मिल जायेगा अन्यथा ग्राम हित में श्रमदान होगा । चूंकि उक्त दिनों पर न मजदूरों को नियमानुसार हाजिरी हुई है और न नाप जोख हुई है और न सरकारी आदेशानुसार कार्य कराया गया है अतः मजदूरी भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

4---पूर्व में सड़क निर्माण की सही सूचना न दिये जाने का खेद है। इसके लिये उत्तर-दायी पाये गये खंड विकास अधिकारी को एक कड़ी चेतावनी दे दी गयी है।

उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) विधेयक, 1983

जनस्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) विधेयक, 1983 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) विधेयक, 1983 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन को अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लोकपति त्रिपाठी---

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) विधेयक, 1983 को पुर:स्थापित करता हूँ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष---

नियम 56 के अन्तर्गत 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री कुँअर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी की, लखीमपुर खीरी में नरभक्षी द्वारा लोगों की भारी संख्या में हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री शंकर सिंह जी की, प्रदेश में डिप्लोमा फारमेसिस्टों द्वारा हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री वैजनाथ प्रसाद कुशवाहा की जनपद इलाहाबाद के फूलपुर तहसील में ग्राम समाज की कई बीघे जमीन फर्जी इन्द्राज में पकड़े जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना मुहम्मद आजम खां की, जनपद रामपुर में जुआंबाजी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पाँचवी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की, गेहूँ का समर्थन मूल्य न घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है। औचित्य का प्रश्न भी माननीय देहलवी जी ने इसी बारे में दिया है। छठीं सूचना माननीय मोहन सिंह जी की, कृषि मन्त्री द्वारा फर्जी सर्वे कराकर अपने व परिवार के लोगों के नाम हजारों कुंतल गन्ना ननौता शुगर मिल को सप्लाई करने के सम्बन्ध में है; सातवीं सूचना श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की, हमीरपुर के वकीलों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री गौरी शंकर भैय्या की, जो प्रदेश में नलकूपों के खराब होने से किसानों के समक्ष उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना माननीय राम आसरे पासवान, मा0 कुवेर भंडारी, मा0 हरगोबिन्द वर्मा, मा0 माता प्रसाद पाण्डेय की, जनपद बस्ती के थाना मुंडेरवा के ग्राम मिउरा में हुई हत्या के सम्बन्ध में हैं। दसवीं सूचना माननीय यदुनाथ सिंह जी की, मिर्जापुर में लौहपुरुष सरदार पटेल की आदमकद मूर्ति न लगाये जाने से सम्बन्धित है। ग्यारहवीं सूचना माननीय राम आसरे वर्मा, मा0 गोपीनाथ वर्मा, मा0 राम नारायण एडवोकेट, मा0 खैरुल बशर तथा मा0 परमाई लाल जी की भी इसी विषय पर है। बारहवीं सूचना मा0 फिरंगी प्रसाद विशारद की, जनपद गोरखपुर के राप्ती गौरा नदी---दोआब नदी पर बन रहे बाँध में लाखों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना मा0 रियासत हुसैन, मा0 रामगोबिन्द मा0 अकबर हुसैन की, कानपुर देहात के ग्राम बिल्टी में हुई हत्या से सम्बन्धित है।

उक्त सभी सूचनाओं को मैंने नियम 56 के अन्तर्गत पूरी तरह से देखा । जहाँ तक मा0 शंकर सिंह जी की सूचना का सम्बन्ध है यह नियम 301 में स्वीकार हो चुकी है और शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये कल इसके बारे में कह दिया था । जहाँ तक बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा जी का सम्बन्ध है इनकी सूचना भी नियम 301 में स्वीकार हो चुकी है । मा० रामआसरे पासवान, मा० कुबेर भंडारी, मा0 हरगोबिन्द वर्मा, मा0 माता प्रसाद पाण्डेय की सूचना भी नियम 301 में स्वीकार हो चुकी है । केवल ग्राह्यता के बारे में सुनने के लिये मा0 मुहम्मद आजम खां, मा0 राजेन्द्र कुमार गुप्त, देहलवी जी ने जो औचित्य का प्रश्न दिया है, मा0 राजेन्द्र अग्निहोत्री और मा0 गौरी शंकर भैय्या को लिया है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

यह सरदार पटेल की मूर्ति के बारे में क्यां हुआ ?.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इस पर निर्णय हो चुका है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मिर्जापुर जिले में सरदार पटेल की आदमकद मूर्ति के बारे में . .

श्री अध्यक्ष--

इस पर चर्चा हो चुकी है ।

(व्यवधान)

मैंने मा0 आजम खां को बुलाया है । आप लोग बैठें । जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है, एक माननीय सदस्य को निष्कासित भी किया जा चुका है, उस विषय को दोबारा लेना ठीक नहीं है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

दूसरे तथ्य हैं, मान्यवर ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं खड़ा हूँ तब भी सब लोग एक साथ खड़े हैं । यह क्या तरीका है ?

श्री गोपीनाथ वर्मा---

दूसरी बात कहना चाहता हूँ । सरदार पटेल के नाम पर केवल एक ही बात तो होगी नहीं । आप सुने तो ।

श्री अध्यक्ष--

एक बार सदन के सम्मुख सरदार पटेल की आदमकद मूर्ति का मामला आ चुका है । जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध है कि लोग इससे सन्तुष्ट नहीं हैं । उसका यह तरीका तो नहीं है ।

(व्यवधान)

मैं इस पर विचार करूँगा । इस वक्त मैं नहीं सुनूँगा । कृपया आप लोग बैठें ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, अभी आपने अपने निर्णय में यह बात कही है कि सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित करने का मसला इस आदरणीय सदन में उठाया जा चुका है। मान्यवर, सरदार पटेल की प्रतिमा को स्थापित करने का मसला तो उठ चुका लेकिन प्रतिमा स्थापित नहीं हुई। मान्यवर, इसके आगे और कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। लगभग 12 सौ लोग पटेल की प्रतिमा को स्थापित करने के मसले में जेल में डाल दिये गये हैं और इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य श्री यदुनाथ सिंह जी की वहाँ क्या दुर्दशा हुई वह भी छिपी नहीं है। माननीय श्री यदुनाथ सिंह जी ने इस आदरणीय सदन में अपने कपड़े उतारकर अपनी हालत दिखाई। इस प्रकार एक राष्ट्रीय नेता की मूर्ति की स्थापना करने में माननीय श्री यदुनाथ सिंह जी की काफी दुर्दशा की गई, उन्हें इस आदरणीय सदन में अपने कपड़े उतारकर दिखाना पड़ा तथा उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया गया। मान्यवर, यह अहम मसला है। इसके ऊपर मान्यवर, जरूर आप सुन लें।.....

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, जो प्रश्न मैं कर रहा हूँ वह इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों के जीवन से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, बजट के दौरान हमें अच्छा खाना प्राप्त होता रहा है। बहुत दिनों के बाद होली के बाद, माननीय श्री अम्मार रिज़वी जी ने हमें भोजन पर आमंत्रित किया है।.....

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, हमें तो सरदार पटेल की मूर्ति की स्थापना पर बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री वर्मा जी, आप बैठें। मैंने बहुत ही नम्रतापूर्वक यह कहा है कि जो बातें इस माननीय सदन में आ चुकी हैं उसके बारे में आप मुझे मौका दीजिये ताकि मैं उस पर विचार कर सकूँ और उस मामले को देख सकूँ। अभी तो कल का मौका है। इसे हम कल भी ले सकते हैं। इस पर आप लोगों को शान्त रहना चाहिये।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, यह जो बजट सेशन है वह अब समाप्ति पर है। कल हम सभी लोग यहाँ से विदा हो जायेंगे। मान्यवर, काफी दिनों से मैं एक अपने माननीय मित्र को देख रहा हूँ इस आदरणीय सदन में। हमारे माननीय सदस्य श्री यदुनाथ सिंह जी यह (बाँये हाथ की अँगुली (तरजनी) को दाँये हाथ की हथेली पर माननीय सदस्य ने रखकर दिखाया) किया करते हैं तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि यह क्या है ? इसे कृपया वह बताने की कृपा करेंगे। वे इन्जीनियरिंग के विद्यार्थी रहे हैं इन्जीनियरिंग में यह कौन सा अध्याय है जिसमें यह पढ़ाया जाता है कृपया इसे वह बताने की कृपा करेंगे कि यह क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठें।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, माननीय श्री गोपीनाथ वर्मा जी का आपसे यह आग्रह है कि हम जो यह

काम रोको प्रस्ताव ला रहे हैं पटेल की मूर्ति की स्थापना के बारे में, पहले के और इस समय के पहलू में अन्तर है। वे कुछ नये बिन्दु इस पर लाना चाहते हैं कृपया आप उन्हें दो मिनट का समय प्रदान कर उनकी बात को सुन लें। यदि वे बिन्दु नये नहीं होते हैं तो आप उन्हें बीच में ही रोक दें। और वे बीच में ही रुक जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैंने अभी आपसे निवेदन किया था कि पहले जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है, उन कागजों को निकाल लूं और जो आज मा0 सदस्य ने दिया है, उसको भी देख लूँ, अगर कोई बिन्दु है और ऐसे तथ्य दिये हैं तो विचार कर लूँगा।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं कई दिन पहले आपके संज्ञान में यह सूचना लाया था कि जिलाधिकारी, रामपुर ने सत्र चलते हुए नुमाइश कमेटी बगैरा की मीटिंग्स रखी थी। आपने भी आदेश दिया था और तब यह कहा गया था कि रेडियो ग्राम वगैरह कर दिये हैं। मैंने उस वक्त यह कहा था कि यह मीटिंग मेरी गैर मौजूदगी में इसलिये रखी जा रही है कि जिला रामपुर में जो नुमाइश लगती है और इसके लिए जो मीटिंग होती है, उसमें मैं न रहूँ और नाजायज बातों की मुखालफत न कर सकूँ। आपके आदेश के बाद मेरी मौजूदगी में मीटिंग रखी गयी। चार विधायक मीटिंग में मौजूद थे क्योंकि विधायक उसके मेम्बर होते हैं। चारों ने इस बात की मुखालफत की कि नुमाइश में "कार्नीवाल" के नाम से जो जुआ होता है, वह न खेला जाय। हमारे देश के कानून में यह है कि जुआ, चाहे वह मकान में खेला जाय, दुकान में खेला जाय या बाजार में खेला जाय, या किसी प्रदर्शनी में खेला जाय, कानूनन जुर्म है और खिलाने वाला और खेलने वाला बराबर के मुजरिम हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ कि रियासत के जमाने में हम दोहरी गुलामी के शिकार रहे हैं, एक तो अंग्रेजों के और दूसरे नवाबों के। उस समय रियासत के जमाने में जहां दूसरी बदमाशियां होतीं थीं वहीं यह भी होता था कि नौरोज और "कार्नीवाल" लगाये जाते थे जिनमें लाखों रुपये का जुआ होता था। 1948 में रामपुर की आजादी के बाद प्रदर्शन हुए और 20 साल तक यह जुआ बन्द रहा। इसे फिर शुरू कर दिया गया।

इसके लिये सोशलिस्ट पार्टी ने आन्दोलन शुरू किया और उसी साल इसे फिर शुरू कर दिया गया। यह पिछले 4 साल से फिर शुरु हो गया है। 3 साल से मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूँ। दो विधायक आपकी पार्टी के हैं, दो विपक्षी दल के हैं। चारों ने लिखकर अपना ऐतराज दर्ज करा दिया कि आप सरकार को यह लिखकर आदेश दें कि हम कार्नीवाल नहीं चाहते मीटिंग में मैंने वाक आउट भी किया। जिलाधिकारी ने बावजूद इसके कि चारों कमेटी के विधायक मेम्बरों ने इसकी मुखालफत की, उसके बाद भी यह कहा कि चूंकि कार्नीवाल होता रहा है और उसकी आमदनी से नुमाइश चलती रही है, मैं तो यह चाहता हूँ कि जुआ अगर वाकई उसूल के खिलाफ है तो एक बार मंत्री जी कह दें, ताकि हम अपनी सलाह कर लें। जिलाधिकारियों ने यह कहा कि नुमाइश के इखराजात को पूरा करने के लिये सिवाय कार्नीवाल के दूसरा तरीका है ही नहीं। इससे डेढ़ दो लाख तक की आमदनी होती है और 20 लाख तक का जुआ होता है। गांव के लोग अपनी बीबी तक को गिरवीं रखकर जुआ खेलते हैं। एक एस0 डी0 एम0 महोदय चार साल पहले कार्नीवाल के पैसे से दिल्ली से बम्बई जाते थे और हर एस0 डी0 एम0 के यहां एक तवायफ ठहरायी जाती है। 4 साल पहले एक तवायफ को ठहराया गया, रात भर तमाशा वहां हुआ। और बाकी तमाशा जब रात के बाद

सुबह हुई कि उस तवाइफ ने कहा कि एस0 डी0 एम0 साहब अब आप मुझसे शादी करिये। तब यह पूरा स्कैण्डल बना और पूरे जिले में इसकी चर्चा आम हुयी।

श्री शम्भूनाथ––

यह कौन सी कहानी आप सुना रहे हैं और किस चीज पर आप बोल रहे हैं आखिर इसको स्पष्ट कर दें।

श्री मोहम्मद आजम खां––

मान्यवर, मैं कहना यह चाहता हूँ कि कार्निवाल जो कि एक खुला हुआ जुआ है और अगर इसका किसी भी जगह या किसी नुमाइश में खेला जाना सही है तो फिर सिर्फ रामपुर में ही क्यों खेला जाए बल्कि प्रदेश में हर जगह खेला जाए अम्मार साहब प्रदर्शनियों के माहिर हैं और आये दिन मेले-ठेले ही लगवाया करते हैं। लखनऊ में भी आए दिन प्रदर्शनी होती है यहां किस वजह से कार्निवाल नहीं होता। और अगर यह सही नहीं है तो इसकी इप्तिता किसी भी हालत में वहां पर होने न दिया जाय, इसके लिए मैं हर तरह से तैयार हूँ वहाँ की जनता तैयार है। वहाँ पर कुछ दिन पहले एक भूतपूर्व मंत्री गये थे, जिनका वहां पर काफी लोगों ने घिराव किया और नारे लगाये कि यह जुआरी है और जब वह घर गये तो घर के करीब उनके मुँह पर थूका तक गया और इतना थूका गया जैसे वह थूक से मुँह धोकर आए हों। तो अगर शासन ने इसे रोके जाने का आश्वासन न दिया तो इसके रोके जाने की हर वह कोशिश जो की जा सकती है, की जायेगी और इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी, यदि वहां पर कुछ हुआ। इसको किसी भी तरह वहां की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी किसी बुराई को रोकना कोई बुरा काम नहीं है। बुराई को बजोरे ताकत रोका जाना चाहिए और मैं इसे रोकूँगा कोई कानून इस ताकत के इस्तेमाल को जुर्म नहीं कह सकता।

श्री राम औतार दीक्षित––

रामपुर की और बुराइयों को भी रोका जाए।

(शोर)

श्री मुहम्मद आजम खां––

अभी भी आपकी कदर है अगर आपके हथेली में बाल न जमे हों, आप निराश न होईये।

श्री राम गोविंद––

मान्यवर, कानपुर में एक महिला के साथ हुए बलात्कार के संबंध में भी कुछ कहने का अवसर देंगे ?

श्री अध्यक्ष––

आप कृपया शांति बनाये रक्खें, मैंने श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को बुला लिया हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, इस प्रस्ताव के माध्यम से जिस विषय को मैंने उजागर करने की चेष्टा की है, वह प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को भी प्रभावित करने वाला है। मान्यवर, यह सरकार किसान हितों की विरोधी है। मान्यवर, यह बहुत बड़े गम्भीरता से सोचने का विषय है आज किसानों के गेहूँ के मूल्य में निरंतर कमी आ रही है और मान्यवर, यह हमारी निजी जानकारी है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि उनके क्षेत्र में कहीं भी कोई क्रय केन्द्र खोलने की व्यवस्था नहीं की गयी है ।

इस बात की भी जानकारी नहीं है कि क्रय केन्द्र कहां पर खोले जायेंगे, कब खोले जायेंगे । इसकी कोई भी जानकारी नहीं है । इस बात की भी जानकारी नहीं है कि सहकारिता विभाग द्वारा खोले जायेंगे अथवा खाद्य विभाग द्वारा खोले जायेंगे । गेहूँ की कीमत क्या होगी । काश्तकारों का शोषण होने लगा है, गेहूँ के मूल्य गिरने लगे हैं जब तक काश्तकारों के हित की रक्षा नहीं होगी और उसको अपनी उपज का समर्थक मूल्य नहीं मिलेगा तब तक उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी । इस कारण किसानों को गहरा धक्का लगा है ।

मान्यवर, कल के बाद सदन उठ रहा है और हमारा जो अधिकार है सरकार को चेतावनी देना वह कुछ समय के लिए समाप्त हो जायेगा । आप इसकी गम्भीरता को देखें और आज सायंकाल अथवा कल इस बात पर शासन का वक्तव्य दिलाये । जब हम अपने क्षेत्र में जायेंगे तो किसान हमसे सवाल करेगा कि गेहूं की कीमत कितनी निर्धारित की गयी है तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा । मान्यवर, अभी गन्ने की कीमतों के बारे में ऐसा हुआ, उसकी कीमतें तय नहीं हुई और डिफाल्ट पेमेन्ट अभी तक नहीं हुआ है । पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा हुई और जनता का विश्वास सरकार से हट जायेगा । इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे अधिकार की आप रक्षा करें और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा अवश्य करा दें ।

*श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस तथ्य से विज्ञ हैं कि गेहूं काटकर सभी किसान अपने घर लाते हैं तो उसको उन्हें मजबूरी में बेचना पड़ता है । यह कितनी विडम्बना की बात है कि सरकार की तमाम वसूलियाँ जारी हैं किसान को समर्थन मूल्य अभी तक नहीं घोषित किया गया है । इसी सदन में कुछ समय पूर्व यह घोषणा की गयी थी कि केन्द्रीय सरकार को लिख दिया गया है कि समय से पहले ही समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाए । आज इतना समय समाप्त हो गया, लेकिन अभी तक समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की गयी है । मान्यवर, इसका नतीजा यह हो रहा है कि गेहूँ सस्ता हो रहा है और उसको मजबूरी में गेहूँ सस्ता बेचना होगा । जब गेहूँ सस्ता होगा तो किसान किस प्रकार सरकारी देयों की अदायगी करेंगे, उनका खर्च कैसे पूरा होगा । इतने दिनों के बाद जब आप अपने क्षेत्र में जायेंगे और आप से लोग पूछेंगे कि आप सदन के अध्यक्ष थे, इसके लिए आपने क्या किया । गेहूँ का समर्थन मूल्य अब तक घोषित हो जाना चाहिए था ।

लेकिन ऐसा लगता है कि यह सरकार किसानों की लूट कराने में एक प्रकार से सहयोगी बनी हुई है । यह अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रही है वरना एक कड़ा रुख अपनाकर केन्द्रीय सरकार को यह कहे होते कि किसानों का गेहूँ घर में आने से पहले उसका समर्थन मूल्य तय हो जाता । ऐसा नहीं किया गया । यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है और सदन के तमाम सदस्यों के क्षेत्रों से सम्बन्धित है । इसलिये मान्यवर, मेरा भी अनुभव है कि चूँकि कल के बाद यह सदन उठ जायेगा और हम कुछ नहीं कह पायेंगे इसलिये अच्छा होगा कि आपके समय में यह एक प्रकार से आदर्श कायम होगा कि काम रोक करके आप इस पर चर्चा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करा दें जिससे कि माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों के बारे में समर्थन मूल्य के बारे में बातें सदन के सामने रख सकें। यही मेरा अनुरोध है।

श्री राम स्वरूप निम—

मान्यवर, हाउस में कोरम नहीं है।

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, कोरम है।

श्री अध्यक्ष—

जब आपने यह विषय सदन में उठा दिया और मैंने सुन लिया कि कोरम नहीं है तो फिर आप प्रक्रिया से चलने दें। कृपया बैठें।

(गणपूर्ति के लिये घन्टी बजायी गई तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष—

मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय गुप्त जी ने एक सूचना दी। माननीय देहलवी जी का औचित्य का प्रश्न था। इस विषय पर बोलने के लिये 4-4 माननीय सदस्य खड़े हैं। आप लोगों ने कोई सूचना भी नहीं दी है। कैसे आप इसकी ग्राह्यता पर बोलना चाहते हैं। यह कैसे सम्भव हो सकेगा? क्या आप उस पद्धति को समाप्त करना चाहते हैं? कृपया बैठें।

*सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माननीय मोतीलाल जी काम रोकने की बात करते हैं और हम लोग काम करने की बात करते हैं। जहां तक गेहूँ के मूल्य की घोषणा की बात है, सभी जानते हैं कि यह केन्द्रीय सरकार के परामर्श से किया जाता है। केन्द्र और राज्य सरकार के परामर्श से यह मूल्य तय होता है। उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच में बराबर परामर्श हो रहा है और जो मूल्य तय होगा उसकी घोषणा की जायेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जहां तक किसानों के हित का सवाल है किसी भी तरह से उनका नुकसान नहीं होने दिया जायेगा। इसलिये यह किसी तरह से भी कार्य-स्थगन का प्रश्न नहीं बनता है। यह एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है और वह जारी है। आदेश निर्गत होने हैं, वह हो जायेंगे। किन्तु कार्य-स्थगन का प्रश्न नहीं बनता है।...(व्यवधान)

*श्री अकबल हुसैन—

मान्यवर, प्रदेश के खाद्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि 31 मार्च को गेहूँ के समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी जायेगी इस सदन में माननीय बासुदेव सिंह जी ने आश्वासन दिया था और वह 31 मार्च खतम हो गया लेकिन गेहूँ के समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं हुई और न माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि क्या संस्तुति केन्द्र को यहाँ से भेजी है। मैं सरकार के समर्थन मूल्य की घोषणा न करने के विरोध में 5 मिनट के लिए सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री अकबाल हुसैन सदन त्याग कर चले गये।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

श्रीमान् अध्यक्ष जी, आज हमीरपुर के अंदर जो गंभीर परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं उसके संबध में कार्यस्थगन प्रस्ताव रखता हूं। आज हमीरपुर जनपद पूरा बंद है। हमीरपुर के वकीलों की वहां के पुलिस अधीक्षक और उप-पुलिस अधीक्षक की साजिश से पिटाई की गयी। 24 वकीलों को गंभीर चोटें आई हैं जिनका अस्पतालों में डाक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। वकीलों के समर्थन में आज पूरा बुंदेलखंड एक है। वहाँ के वकीलों ने 4, 5 ता0 को कचहरियों का बहिष्कार किया है। उन्होंने इसके लिए न्यायिक जांच की मांग की है अगर यह मांग स्वीकार नहीं की गयी तो संपूर्ण बुंदेलखंड बंद का आह्वान उन्होंने कर दिया है। मुझे जानकारी है कि आज झांसी बाजार उनके समर्थन में बंद है इसी प्रकार के समाचार बांदा और जालौन से मिले हैं।

घटना इस प्रकार की है कि हमीरपुर जनपद में आज से एक सप्ताह पहले दफा 144 लगी हुई थी वहां के वकील संघ ने जिलाधीश और एस0 पी0 को यह सूचना दे दी थी कि 26 ता0 को प्रदर्शन जो हमीरपुर नगर में किया जा रहा है इसके पीछे कुछ साजिश है और इसे जजी न्यायालय के समक्ष आने की अनुमति न दी जाय क्योंकि वहां पर बार एसोशियेशन का कार्यालय बना हुआ है और उनका पुस्तकालय भी है जहाँ पर वकील बंधु जाकर अपनी तैयारी करते हैं। श्रीमन् 26 ता0 को कृषि मंत्री जी भी वहां मौजूद थे वहां के वकील संघ ने उनसे भी निवेदन किया था कि यह प्रदर्शन होने वाला है इसकी अनुमति न प्रदान की जाय। लेकिन इसके बावजूद वहां प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारी कचहरी के अंदर घुस आये जजी अदालत में जहाँ पर वकील बंधु बैठकर स्टडी करते हैं वहाँ पर घुस आये जो हथियारों से लैस थे तथा हाथों में पत्थर लिये थे। उन प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व पुलिस उप अधीक्षक कोई मि0 त्रिपाठी है, कर रहे थे उनके साथ कम से कम तीन सौ लोग पुलिस के थे जो सादी वर्दी में थे...

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें, आपकी बात हो गयी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

इसकी ग्राह्यता पर कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण बुंदेलखंड बंद है, कल अनिश्चित काल के लिए सदन उठने वाला है, इस संबंध में दो बार आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट किया गया है लेकिन आज तक शासन की ओर से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बुन्देलखण्ड बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, हम एक बार गरीबी में और भूखे रहकर अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं लेकिन मान मर्यादा को प्रशासन द्वारा अपमानित किया जायेगा तो उसको बुन्देलखण्ड की जनता बरदाश्त नहीं कर सकती है और प्रशासन के खिलाफ बगावत कर सकती है। मान्यवर, कल सदन उठने वाला है, इसलिये यदि शासन हमारी जुड़ीशियल इंक्वारी की माँग को स्वीकार नहीं करता है तो बुन्देलखण्ड में जो परीक्षायें चल रही हैं उनमें व्यवधान आ जायेगा और सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड में बगावत फैल जायेगी। (व्यवधान) इसलिये वहाँ जो भयंकर परिस्थिति है उसको देखाते हुये शासन जुड़ीशियल इंक्वारी की माँग को स्बीकार करे।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कुबेर भंडारी--

नियम 56 में हमने सूचना दिया है, तीन आदमी मारे गये हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं। श्री भंडारी मैंने प्रातःकाल निर्णय लिया है और जो लिखकर दिया है मैंने उसके बारे में सुबह निवेदन कर दिया है, तो अब क्यों आप उठा रहे हैं ? आप बैठ जांय।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मा0 अध्यक्ष महोदय, उ0 प्र0 के अंदर राजकीय नलकूपों की संख्या लगभग 20,222 है जिनमें 1,000 से ऊपर बन्द पड़े हैं और लगभग इतने ही नलकूप मशीनों की खराबी, जल डिस्चार्ज कम होने जल के सतह के नीचे चले जाने, मोटरों के जलने एवं विद्युत लाईनों एवं ट्रांसफारमों के खराब रहने से अपनी क्षमता के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं साथ ही उ0 प्र0 के अन्दर सरकारी नलकूपों के पक्की नालियों की लम्बाई जो लगभग 38, 555 कि0 मी0 है इसमें से 10,000 कि0 मी0 पक्की नालियाँ या तो टूट गयी हैं या तो एकदम खराब पड़ी हैं। 5 हजार कि0 मी0 पक्की नालियों की मरम्मत के लिये उ0 प्र0 के किसानों की तरफ 78–79 से आवेदन-पत्र दिये जा रहे हैं परन्तु आज तक एक पैसे का निर्माण कार्य नहीं किया जा सका है। प्रदेश के अंदर राजकीय नलकूपों की सृजित सिंचन क्षमता (कमांड एरिया) लगभग 2551.52 हजार हेक्टेयर है जबकि इसके विरुद्ध राजकीय नलकूपों के द्वारा वास्तविक सिंचाई लगभग 900.00 हजार हेक्टेयर भूमि पर की जाती है। कमांड एरिया का मात्र 35 प्रतिशत ही हम राजकीय नलकूपों से सींच पाते हैं। इस खराबी से प्रतिवर्ष वास्तविक सिंचन क्षेत्र में कमी, सिंचन से प्राप्त राजस्व में कमी बराबर होती जा रही है जबकि प्रतिवर्ष नलकूप बोरिंग कराने का काम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। सन् 1966–67 में लगभग 13 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करने का काम होता था। 1982–83 में क्षमता घटकर 7 लाख हेक्टेयर हो गयी जबकि 1959–60 में 8.25 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का लक्ष्य पूरा किया जा चुका था। इसी क्रम में 78–79 में 12 करोड़ 98 लाख 56 हजार रुपये की राजस्व की प्राप्ति हुई। 1979–80 में यह घटकर 10 करोड़ 25 लाख रु० हो गयी। 1980–81 में 6 करोड़ 11 लाख 26 हजार रु० हो गयी। 1981–82 में 9 करोड़ रु० और 1982–83 में 10 करोड़ 25 लाख रु० राजस्व की प्राप्ति हुई। जबकि इसी क्रम में नलकूपों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। 1982–83 में 20,222 नलकूप कार्य कर रहे थे। जबकि 1979–80 में 16,707 नलकूप ही कार्यरत थे। 1978–79 में 16,400 के आस-पास ही नलकूप प्रदेश के अन्दर कार्यरत थे।

इस प्रकार हमारे ट्यूबवेल तो एक तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ हमारा घटकर राजस्व 7 करोड़ रुपये पर हो गया है। इनका एक कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर सिंचाई विभाग के राजकीय नलकूप आधे से अधिक खराब पड़े हैं, नालियाँ आधे से अधिक टूटी पड़ी हैं। अतः इस लोक महत्व के मामले पर आपसे में चर्चा की अनुमति चाहता हूँ। आप मंत्री जी को निर्देश दीजिए कि इन सबको यह ठीक करवायें, ताकि किसानों को पानी मिल सके...

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी—

हमारे क्षेत्र में तीन-तीन निर्दोष आदमी मारे गये हैं, मैंने इसके बारे में नियम 56 में दिया है . . .

(व्यवधान)

*श्री राम आसरे पासवान—

मैंने श्रीमन्, इस बारे में कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है। मेरे जनपद बस्ती के थाना मुन्डेरवा में मेरे विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद में तीन-तीन निर्दोष व्यक्तियों की पुलिस वालों ने हत्या कर दी है। वहाँ पर तीन आदमी श्री सन्त राम चौधरी, निर्मल चौधरी और रामचन्द्र चौधरी एक ही स्कूटर पर चढ़कर वहाँ से गुजर रहे थे, तो पुलिस के रामनारायण यादव, नायब थानेदार और दूसरे पुलिसवाले ने उनका पीछा करके उनके ऊपर गोलियाँ चलायी। वह लोग स्कूटर छोड़कर अपनी जान बचाकर किसी तरह भागे तो पुलिस ने उनको खदेड़ कर पकड़ लिया। (व्यवधान) इन स्कूटर सवारों पर राम नारायण यादव ने फायर किया। जब यह लोग स्कूटर छोड़कर भागे तो यह लोग डाकू डाकू कहकर उनको दौड़ा लिया और पकड़ कर उनको बन्दूक के कुन्दों और लाठियों से बेतहाशा मारा और मारते-मारते उनको मार डाला। यह तीनों लोग निर्दोश थे, पुलिस ने इनको मार डाला और वहाँ के जनता के आदमियों को हत्या के झूठे मामले में फंसा दिया . . . मैं जब (व्यवधान) बाबू राम वर्मा के साथ मौके पर गया तो मुझे भी दो दिनों तक सदन में आने से रोक रखा गया। मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों दोषी पुलिस कर्मचारियों को निलम्बित करके मामले की जाँच कराकर उचित कार्यवाही करायें।

श्री अध्यक्ष—

सर्वश्री रियासत हुसैन, राम गोविन्द और अकबर हुसैन की जो सूचना है कानपुर देहात में ग्राम बिल्टी में हुई हत्या के सम्बन्ध में, इसको मैं शासन के पास ध्यान आकर्षण हेतु भेज रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मुहम्मद आजम खाँ साहब का जो है . . .

श्री मुहम्मद आजम खाँ—

ऐसे इस पर नहीं चलेगा, आप इसमें सरकार से वक्तव्य दिलवा दें . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैंने आपकी बात को सुन लिया है . . . (व्यवधान) और भी इस प्रकार की सूचनाएँ पड़ी हैं, कल तक सम्भव नहीं होगा कि उस पर वक्तव्य हो जाए।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खाँ—

तो क्या मान्यवर, आप चाहेंगे मेरे या मेरे किसी शहरी पर कोई खतरा . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

काम रोको प्रस्ताव के बारे में जो श्री मुहम्मद आजम खाँ ने प्रश्न उटाया है, मैं सरकार से चाहूंगा कि किसी उच्चाधिकारी से, जिलाधीश को छोड़कर, मौके पर भेजकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप इन तमाम तथ्यों की जाँच करा लें। जहां तक माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और मोहन सिंह जी सूचना का सम्बन्ध है मैं इनको शासन को ध्यान आकर्षण हेतु भेज रहा हूँ। इस पर निर्णय लिया जाए। जहां तक राजेन्द्र अग्निहोत्री और गौरी शंकर भैय्या की सूचनाओं का सम्बन्ध है। उस पर भी शासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए भेज रहा हूँ। जो राम आसरे पासवान का है, मैं उसके लिए खासकर निवेदन करूँगा कि इसको सरकार विशेष रूप से देखे। इसके अलावा नियम 56 में जितनी सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, मैं सबको अस्वीकार करता हूँ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

गेहूँ के सवाल पर इस सरकार ने जिस हृदय-हीनता का परिचय दिया है और हमीरपुर में वकीलों की पिटाई के मामले में न्यायायिक जाँच कराने की घोषणा नहीं की है, इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्यागकर चले गये।)

(व्यवधान के मध्य)

(श्री मोती लाल देहलवी भी अपने दल के कुछ सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, यह सरकार गेहूँ के सम्बन्ध कीमत नहीं तय कर पाई है, जब कि छोटे किसानों की फसल कट कर खलिहान में आ गयी है। यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार की नीति के खिलाफ जनता पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(श्री रेवती रमण सिंह भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जो निर्णय आपने काम रोको प्रस्ताव के बारे में दिया था, सरदार पटेल की प्रतिमा के बारे में, उसमें आपने कहा था कि जो अन्य कोई तथ्य होंगे, तो उनको रखने की अनुमति दे देगें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह मैंने नहीं कहा था कि तीन-तीन बार आपके सामने पहले इस सदन में विचार हो चुका है, दोनों को मिलाकर मैं कल इस पर विचार करूँगा, तब मैं मौका दूंगा।

(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, दो मिनट सुन ल।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, दो मिनट समय दे दें और सरदार पटेल के बारे में सुन लें। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं दूसरे बिन्दु की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय मार्गों व राजकीय तिराहों पर मूर्तियों की स्थापना व मन्दिर-मस्जिद निर्माण कराकर अतिक्रमण किया जा रहा है और सरदार पटेल की एक छोटी-सी मूर्ति नरायनपुर बाजार तिराहा, तहसील चुनार में स्थापित कर देने से सरकार को क्या आपत्ति हो रही है ? सरकार जो है, वह पिछड़ी जातियों की विरोधी है। लौह पुरुष सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तित्व का अनादर कर रही है, जो पिछड़ी जाति से जुड़े हुए थे। यह सरकार तो प्रत्येक पिछड़ी जातियों की उपेक्षा करती चली आ रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जब मैंने दूसरी मद ले लिया है, आपसे मैंने निवेदन किया कि मैं इस पर विचार करूँगा, कल कोई अन्य तथ्य सामने आयेगा, तब मैं उस पर विचार करूंगा। आज और कल से क्या अन्तर हो जायगा ?

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, आप यह तो सुन लें कि क्या बात है, अम्मार रिजवी साहब बतायें, वह राष्ट्रीय एकता के मन्त्री हैं। मान्यवर, लौह पुरुष सरदार पटेल की मूर्ति के शिलान्यास के लिए गाँधीवादी तरीके से 31 अक्टूबर, 1982 से आज तक सत्याग्रह चल रहा है, लेकिन सरकार का दमनचक्र चालू है और आज तक स्वीकृति नहीं दी गयी, आप राष्ट्रीय एकता के मन्त्री हैं।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक उद्धार के लिए औद्योगीकरण नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगों को दिए जाने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)†

[समय 2 बजकर 14 मिनट]

*उद्योग एवं सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, यह सरकार की नीति है कि जो एग्रोबेस इंडस्ट्री होगी, जो कृषि से आधारित उद्योग होंगे, उसके लिए बढ़ावा देना सरकार की नीति है और हम इस दिशा में गाँव में चाहे ग्रामीण उद्योग हों, चाहे लघु उद्योग हों, जो कृषि से सम्बन्धित इंडस्ट्री हैं, उस पर हम प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश हैं, खेती हमारी मेन जीविका है, इससे जो उद्योग लग सकता है, उसमें हम प्राथमिकता देते हैं।

(इस समय 2 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

मान्यवर, यह जो संकल्प रखा गया है, इसमें कोई खाश बात नहीं है। माननी सदस्य ने सुझाव के रूप में जो संकल्प रखा है, सरकार इसको देख रही है। इसके संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है।

---

†दिनांक 18 फरवरी, 1983 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जयदीप सिंह बरार---

मान्यवर, मैंने पिछले सत्र में यह संकल्प रखा था कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक उद्धार के लिये औद्योगीकरण नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों को दी जाय। श्रीमन्, दुर्भाग्य से मैं उस सत्र में यह संकल्प प्रस्तुत कर पाया और चर्चा इस सत्र में हुयी। संकल्प के पीछे जो मूल भाव था, इससे उसका तारतम्य टूट गया। इस संकल्प का उद्देश्य यह नहीं था कि सिर्फ छोटे उद्योग लगाये जायं, बड़े उद्योग या बड़े औद्योगीकरण की नीति का विरोध इसमें नहीं था। बल्कि मैंने अपना संकल्प प्रस्तुत करते हुये जो भाषण दिया उसमें कहा था कि आपको आधुनिक तकनीक अपनानी है और कृषि उत्पाद का जब उपयोग होगा तो जो आजकल औद्योगीकरण बनाम कृषि, छोटे उद्योग बनाम बड़े उद्योग, शहर बनाम देहात तो इन सबके समीकरण को इस संकल्प के माध्यम से मैंने रखने का प्रयास किया था।

मैं आभारी हूँ उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। माननीय लाल प्रताप सिंह, माननीय ओझा जी, जेतली साहब, माननीय बदन सिंह, माननीय देवेन्द्र पांडेय, माननीय खैरुल बशर, करीब 20–22 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। मुझे खुशी इस बात की है कि किसी एक भी माननीय सदस्य ने इस संकल्प का विरोध नहीं किया बल्कि खुले हृदय से इसका समर्थन किया। मैं इसके लिये उनका आभारी हूँ। श्रीमन्, मैं कुछ बातें, जो उस समय चर्चा के समय रह गयीं थीं, क्योंकि दूसरे सत्र में इस संकल्प पर विचार हुआ, वह बातें मैं दोबारा सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा।

सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास औद्योगीकरण के लिये जो साधन हैं वह बहुत ही सीमित हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारे पास साधन हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग हो सके। मैंने एक आंकड़ा भूमि उपयोग का दिया था। 1950 में भूमि उपयोग 123 परसेंट था। 1977 में भूमि उपयोग 134 हुआ और 1982 में बढ़कर यह 138–39 परसेंट हुआ है। तो इन 30 वर्षों में भूमि उपयोग नहीं बढ़ पाया है। जो सबसे बड़ा साधन कृषि भूमि है उसका उपयोग पूरा नहीं कर पाये हैं। इस संकल्प के पीछे यह मंशा थी कि अगर कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योग लगाये जायेंगे तो इनकी मांग बढ़ेगी और स्वतः कृषि भूमि का उपयोग बढ़ेगा।

दूसरी बात इसके पीछे यह थी कि जो हमारी जन शक्ति है उसका हम उपयोग नहीं कर पाये हैं। बेरोजगारी के आंकड़े मैंने दिये। योजना आयोग की पत्रिका 'योजना' से मैंने उद्धरण दिया था। सरकार का जो बेरोजगारी के संबंध में टारगेट था, मिसाल के तौर पर पांचवी पंचवर्षीय योजना के शुरू में 136 लाख बेरोजगार थे परंतु सरकार ने 180 लाख रोजगार के अवसर सृजित किये, फिर भी बेरोजगारी बढ़ती गयी। तो जो हमारी जनसंख्या है उसका पूरा उपयोग हम नहीं कर पाये। इससे स्वतः स्पष्ट है कि कृषि उत्पाद और कृषि भूमि का उपयोग बढ़ता तो बेरोजगारी कम होती। जन शक्ति जो गांव की बेकार हो जाती है या जिनको फसल कटने के समय रोजगार मिलता है, फसल काटने और बोने के समय रोजगार मिलता है और बीच में जो समय होता है वह बैठे रहते हैं, इनके आंकड़े किसी पत्र में नहीं

आते हैं क्योंकि यह छिपी बेरोजगारी है। तो कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने से इसमें मदद मिलती और इनको रोजगार मिलता। हमारे पास उर्जा की कमी है, जो उद्योग माइनिंग बेस्ड हैं, खानों पर बेस्ड हैं उसमें उर्जा की बहुत आवश्यकता होती है परंतु एग्रो बेस्ट इंडस्ट्रीज में उर्जा का कम से कम उपयोग होता है और नयी-नयी चीजें बनायी जा सकती हैं। तो इस तरह से कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगों में कम से कम उर्जा की आवश्यकता और कम से कम पूंजी निवेश होता है और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकते हैं इसलिये मैंने कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगों पर बल दिया।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह रखना चाहूँगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आय बहुत कम है, न्यून आय है प्रति व्यक्ति, उसकी वजह से जिन्दगी की जरूरतों की चीजें खरीदने के पश्चात कोई बचत नहीं कर पाता है, न्यून बचत है, न्यून बचत होने के कारण पूंजी निवेश नहीं हो पाता है, पूंजी निवेश न होने से औद्योगीकरण नहीं हो पाता है, औद्योगीकरण न होने से रोजगार के अवसर नहीं बढ़ पाते हैं। इस तरह से जो न्यून आय से न्यून बचत और न्यून बचत से न्यून पूंजी निवेश और न्यून पूंजी निवेश से औद्योगीकरण न होना और औद्योगीकरण न होने से रोजगार के अवसर न बढ़ना जो दुष्चक्र बन गया है, वह टूटता नहीं है। अगर अन्य चीजों से ग्रामीण क्षेत्र की आय बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है, तो वह इस कारण सफल नहीं हो पाता, दूसरे उद्योग जो खनिज पदार्थों पर आधारित हैं, वे इस दृष्टिकोण से असफल हैं क्योंकि उसमें जो कार्य होता है वह मशीनरी टेक्निकल लोग और ऊर्जा के भारी उपयोग तक ही सीमित रहता है, परन्तु इन ग्रामीण क्षेत्र के साधनों व लोगों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। श्रीमन्, अब इन उद्योगों में कौन-कौन से उद्योग हो सकते हैं ? तो, बहुत से उद्योग हो सकते हैं जैसे दवायें, रबर, रसायन, पी0 बी0 सी0 प्लास्टिक, तेल जैसे चावल का तेल हो सकता है, गन्ने से मोम की प्राप्ति, गन्ने में दशमलव तीन प्रतिशत मोम होता है, अगर यह निकाला गया होता तो इस वर्ष मिलों में बेले गये गन्ने से 70 करोड़ रुपये का मोम प्राप्त हो सकता था।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय बरार जी, आप कितना समय और लेंगे ?

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, 10 मिनट में समाप्त कर दूँगा। आपके सामने आंकड़े रखूँगा कि इसकी आवश्यकता मुझे क्यों महसूस हुई ? सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब चीजों से हमारा कृषि का सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर है, उसके बाद उद्योग का सेक्टर, जो सेकेन्डरी सेक्टर है, उसके बाद मार्केटिंग विपणन और क्रामर्स जो टर्शरी सेक्टर है, जब इक्नामिक प्लानिंग की बात की जाती है, तो इन तीनों सेक्टरों को बराबर पनपने या इनके बराबर विकास की बात होती है, सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा जाता है, यह नहीं कि एक पनप जाय और दूसरा न पनप पाये, उससे समस्यायें खड़ी हो जाती हैं, इन उद्योगों से इन तीनों चीजों का सर्वांगीण विकास हो सकता था।

श्रीमन् सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन की ओर भी मैंने ध्यान दिलाया कि इसमें कृषि उत्पाद आधारित उद्योग लगने से देहाती क्षेत्र में देखेंगे कि वहां पर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी आयेगा और वहां पर ग्रामों में तकनीकी शिक्षा का विस्तार होगा

और उसके साथ-साथ गांवों में एक नयी चेतना आयेगी। आपने देखा होगा कि जहां पर गांव में गन्ना फैक्ट्री लगी है, तो वहां पर गन्ना सहकारी समितियां भी हैं, जिनके माध्यम से काश्तकारों को संगठित होने का मौका भी मिलता है और अपनी चीजी का सही मूल्य प्राप्त करने के लिए वे प्रयत्न भी कर सकते हैं, इस वजह से उनमें एक चेतना आती है, राजनीतिक चेतना आती है, सामाजिक चेतना आती है, विभिन्न गांव के लोग मिलकर वे करते हैं। किसानों के लाभ की जो बात मैंने कही थी, उसमें एक आय की बात है, उसे इकट्ठी आय 4–6 महीने बाद प्राप्त होती है, लेकिन कृषि उत्पाद आधारित उद्योग में यह आय एक दम के बजाय उसको लगातार प्राप्त होती रहेगी। इससे उपभोक्ताओं का भी लाभ है, चीजों के मूल्यों में स्थिरता आती है। जैसे कि फल और सब्जी के समय पर तो वह चीज सस्ती रहती है और आगे पीछे मंहगी हो जाती है, इससे ऐसा नहीं होगा, वह उन्हें लगातार उपलब्ध होगी। मजदूरों को घर में ही कार्य अधिक समय के लिए मिलेगा, क्योंकि इस समय फसल के बोने और काटने के वक्त पर तो उन्हें मजदूरी मिलती है, लेकिन बाकी समय वे खाली बैठे रहते हैं, यह छिपी हुई बेरोजगारी किसी भी आंकड़ों अथवा रिपोर्ट में नहीं आती। जब उनकी आवश्यकता अधिक होगी, तो उनकी मजदूरी दरें भी बढ़ेंगी और उनमें नयी चेतना आयेगी, वे संगठित होंगे।

आखिरी बात पर्यावरण की थी कि जहाँ बड़े-बड़े शहरों में उद्योग लगे हुए हैं, तो वहां पर पीने का शुद्ध जल, रहने के लिए मकानों की, गन्दगी की समस्या खड़ी हो गयी हैं, मलिन बस्तियां भी वहां पर बन गयी हैं, इन उद्योगों के लगने से, क्योंकि उद्योग देहात में लगेंगे और विकेन्द्रीकरण होगा, तो इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा। काम करने वाला मजदूर अपने घर में रहेगा और वहां फैक्ट्री में सिर्फ काम करने के लिए ही जायेगा। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इस संकल्प के पीछे जो मूल भावना है कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सुलभ हों, अधिक से अधिक उत्पादन हो, हमारे कृषि क्षेत्र में एक नयी क्रान्ति आये और मंत्री जी ने कहा है कि जो इसकी मूल भावना है सरकार की खुद वही नीति है मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं चाहूँगा कि संकल्प को स्वीकार करें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी आप कुछ कहेंगे।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैंने पहले ही कहा कि बरार जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके पीछे उनकी जो भावना है सरकार खुद उसके अनुरूप काम कर रही है। यह कोई नई बात नहीं है। जो एग्रोवेस्ड इन्डस्ट्री है हमारे पास जो रा मटेरियल है हम उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहते है। जिस एरिये में वह उपलब्ध है वहाँ इनको लगाना उचित है। बरार जी ने जो सुझाव दिया है उसकी मैं कद्र करता हूँ लेकिन इस संकल्प की आवश्यकता नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

आप वापस ले रहे हैं।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मंत्री जी ने वापस लेने के लिये तो कहा नहीं, मान्यवर।

श्री वीर बहादुर सिंह--

वापस ले लें ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मंत्री जी ने, जो संकल्प के पीछे मूल भावना है उसका आदर किया है और आश्वासन दिया है कि नीति में परिवर्तन होगा जिससे कृषि उत्पाद उद्योगों को प्राथमिकता दी जायेगी । इसलिये मैं इसको वापस लेता हूँ ।

श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक उद्धार के लिए औद्योगीकरण नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों को दी जाय", को वापस लेने हेतु सदन सहमत है ।

(सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ)

(व्यवधान)

विधान सभा एवं लोक सभा के चुनावों में प्रत्येक गाँव सभा स्तर पर मतदान केन्द्र स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री अधिष्ठाता--

मद संख्या-12, श्री राम करन ।

श्री राम करन--

मैं आपकी अनुमति से.....

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस प्रस्ताव को प्रस्तुत हुआ मान लें सदस्य उपस्थित हैं चर्चा करा दें ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्रिकेट में खेल में खिलाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर रनर देने का प्राविधान है लेकिन इस नियमावली में सदस्य की सहायता हेतु रनर देने का प्राविधान नहीं है । आप इससे सहमत हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

तिवारी जी, माननीय सदस्य की आंख काम नहीं कर रही है ।

श्री खैरुल बशर--

आप अम्पायरे का काम रहे हैं ।

श्री राम करन--

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि इस सदन का निश्चित मत है कि लोकतंत्र की नीव सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार को अविलम्ब यह सिफारिश करे कि विधान सभा एवं लोक सभा के चुनावों में प्रत्येक गांव सभा स्तर पर मतदान केन्द्र स्थापित किए जायं ।

श्री अधिष्ठाता--

संकल्प रख दिया, आप कुछ भाषण भी देंगे ।

श्री राम करन--

जी हाँ । लोक सभा और विधान सभा के चुनावों में हर गांव में मतदान केन्द्र स्थापित किये जायें, इसको यह सदन स्वीकार करे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जो इस सदन के सम्मानित सदस्य, रामकरन जी ने संकल्प प्रस्तुत किया, उसके पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

(एक सदस्य द्वारा कुछ कहने पर)

हमारे बहुत प्रबुद्ध सदस्य लाल साहब ने कहा कि संकल्प क्या है, मैं आपकी अनुमति से सुना देता हूँ यद्यपि यह उनके पास है, इस सदन का निश्चित मत है कि लोकतन्त्र की नींव सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार को अविलम्ब यह सिफारिश करे कि विधान सभा एवं लोक सभा के चुनावों में प्रत्येक गांव सभा स्तर पर मतदान केन्द्र स्थापित किए जायें ।

जब चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है तो सबसे पहले पोलिंग स्टेशन बनाने का काम प्रारम्भ होता है । इसमें दबावबश, स्वार्थवश, जो दो कि0 मी0 की परिधि है, उससे इधर-उधर कर दिया जाता है, और इस परिधि के अन्दर लोग नदी-नाले पार करके आते हैं । इस तरह जनतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जाता है, मनमाने ढंग से पोलिंग स्टेशन बनाये जाते हैं, सत्ता पक्ष के लोग जो जीत कर आते हैं कहते हैं नियमानुसार जीत कर आये लेकिन जो हार जाता है वह कहता है कि बूथ-कैप्चरिंग हुई । इसमें ताकतवर आदमी कमजोर आदमी पर अपने आदमियों द्वारा प्रभावित करता है । अगर यह सरकार केन्द्र से सिफारिश कर दे तो यह सब समाप्त हो जायेगा और ग्राम सभा स्तर पर, जहाँ हर आदमी एक-दूसरे को जानता है, समझता है, पोलिंग स्टेशन बना दिये जाने से मतदान का प्रतिशत जो कम होता रहा है, क्योंकि दो-दो, तीन-तीन, चार-चार कि0 मी0 दूर पोलिंग स्टेशन होने की वजह से कुछ उत्साही लोग तो पहुँच जाते हैं लेकिन बूढ़े और औरतें, पुरानी परम्परा की होने के कारण वहीं पहुँचतीं वह भी बढ़ जायगा । इसमें आप देखेंगे गरमी में कम, जाड़े में कुछ ज्यादा, मतदान का प्रतिशत घटता-बढ़ता रहता है । इसलिए गांवों में पोलिंग स्टेशन अगर बन जायेंगे तो जो जनतंत्र की विशेषता है कि अधिक से अधिक लोग इसमें हिस्सा लें, उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी । साधन की बात चलेगी तो हमेशा पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन कमीशन द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि मतदाताओं को ला कर मतदान न करायें ।

यह कानून और व्यवस्था का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है । होता यह है कि सत्ता और विपक्ष का हर आदमी यह कोशिश करता है कि किराये की गाड़ी लेकर या और कोई व्यवस्था करके अधिक से अधिक मत डलवा सके । जब हर गाँव सभा में पोलिंग स्टेशन हो जायेगा तो कानून और व्यवस्था की दिक्कत अपने आप दूर हो जायेगी ।

एक और बात पुलिस की व्यवस्था के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ । चारों तरफ से जुट कर पोलिंग स्टेशन पर लोग आते हैं । एक गाँव किसी पक्ष में होता है दूसरा गाँव दूसरे

पक्ष में होता है। जिससे वहाँ पर तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिये यह आवश्यक है कि पोलिंग स्टेशन गाँव सभा में बनाई जाये। इसकी सिफारिश प्रदेश सरकार अगर केन्द्र सरकार से कर दे तो व्यक्तिगत कटुता मतदान के नाम पर जो दिखाई पड़ती है वह समाप्त हो जाये। इन शब्दों के साथ मैं यह चाहूँगा कि प्रदेश सरकार--केन्द्र सरकार से सिफारिश करे कि जनतन्त्र की नींव मजबूत करने के लिये हर गाँव सभा में पोलिंग स्टेशन बनाया जाये।

श्री प्रियदर्शी जेतली---

जहाँ तक संकल्प की मंशा की बात है वह तो निर्विवाद है। संभव होने की बात पर प्रश्न चिह्न है। किसी गाँव सभा में 300 वोट हैं, किसी में 500। तो क्या तीन सौ और पाँच सौ के लिये अलग पोलिंग स्टेशन बनाये जाँये और पाँच हजार के लिये अलग। जहाँ तक यह बात कही गयी कि दूसरे गाँव के लोग आते हैं। हर गांव में बटवारा होता है। दल तो हर गाँव में हैं। मत बटे हुये हैं। होना यह चाहिये कि जहाँ तक संभव हो पोलिंग स्टेशन निकट बनाये जाँये। हर गाँव में पोलिंग स्टेशन बनाया जाना तो संभव नहीं है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री खैरुलवशर---

अधिष्ठाता महोदय, जनतन्त्र पर विश्वास रखने वाले देशों में भारत सबसे बड़ा देश माना जाता है। अगर आप गाँव सभाओं का चुनाव गाँव में करा सकते हैं, इसमें सक्षम हैं. तो कोई वजह नहीं कि हर गाँव में विधान सभा का चुनाव न कराया जा सके। जितने भी विधान सभा के सदस्य चुनकर आये हैं सभी को अनुभव है कि पोलिंग स्टेशन के दूर होने के कारण, साधनों के अभाव में वोटों को ढोया नहीं जा सकता। अपनी सवारी से लोग आना चाहते हैं। रूलिंग पार्टी के पास व्यवस्था हो सकती है। आपकी पार्टी बड़े-बड़े पूँजीपतियों की पार्टी है। टाटा और बिड़ला से करोड़ों रुपया लेते हैं। आप वोट ढ़ो सकते हैं इसलिये आप समझते हैं कि दूर होगा तो योग्य व्यक्ति, जो जनता की आवाज विधान सभा में उठा सकते हैं, आने से वंचित रह जायेंगे? इसलिये मैं संकल्प का पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। साथ ही सरकारी पक्ष से माँग करूँगा कि इसमें जो जनतन्त्र की भावना छिपी है उसका अनुभव करते हुये इसको लागू करने पर विचार करें।

***श्री लालप्रताप सिंह---**

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ खैरुलवशर साहब से कि क्या आप बतायेगें कि रूस में अपोजीशन लीडर हैं, उसका नाम क्या है? वहाँ कैसी जनतन्त्र प्रणाली है, वह बता दें? और वहाँ पर, जिसे आप साम्राज्यवादी देश कहते हैं, कैसे चुनाव होता है? आप मुझे बता दें। फोबिया जब हो जाता है तब मनुष्य इस तरह की बातें करने लगता है।

(व्यवधान)

इस संकल्प की जो भावना है वह बहुत अच्छी है। माननीय पांडेय जी ने बहुत विस्तार से उसे बताया। उनका केवल मकसद यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मत का प्रयोग कर सकें। और उसके लिये वे यह चाहते हैं कि दूरी कम से कम की जाये। यह इसी-लिये वे चाहते हैं कि लोग अपने वोट के अधिकार से वंचित न रह जायें। अभी मोबाइल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्टेशन बनाने की भी चर्चा चली थी और वह चल भी रही है। इस सब के ऊपर हमारे त्रिवेदी जी ने अभी बहुत विस्तार के साथ इस बात को बताया था कि इस सम्बन्ध में क्या-क्या रिफार्म्स होने चाहिये, पत्रों में वह आया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन सारी बातों पर विचार हो रहा है और गम्भीरता के साथ विचार हो रहा है। यह भी देखा जाता है कि वोट पड़ने का औसत क्या है, कितनी दूरी होना चाहिये, किस तरह का और परिवर्तन होना आवश्यक है। इन सब पर विचार हो रहा है। यह बात सही है कि दूरी होने पर स्त्रियों को विशेषकर परेशानी होती है और वे मतकेन्द्र तक नहीं पहुँच पाती हैं।

साथ ही इस प्रश्न पर भी विचार होना चाहिये कि आज वोटर्स की संख्या भी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। हमारे देश में कुछ ऐसे भी छोटे-छोटे प्रान्त हैं जहाँ कुछ हजार पर ही एक प्रतिनिधि होता है, जब कि हमारे यहाँ लाखों पर होता है। इन सभी चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं इस संकल्प की भावनाओं से सहमत हूँ, पर सरकार स्वयं इन बातों पर विचार कर रही है, इसलिये इस संकल्प की आवश्यकता नहीं है।

*संसदीय कार्य-मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

जहाँ तक मान्यवर, इस संकल्प का प्रश्न है, हमें सबसे पहले यह देखना है कि क्या यह हमारे क्षेत्राधिकार में है? इलेक्शन की सारी प्रक्रिया, संविधान के तहत, प्युपिल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट, 1951 के अन्तर्गत, चुनाव आयोग द्वारा होती है। फिर इस सकल्प के अन्दर ग्राम सभाओं को जो इकाई माना गया है वह भी व्यावहारिक नहीं है। ऐसी भी ग्राम सभायें हैं जो एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। माननीय नौटियाल साहब उसे जानते हैं। तो इसे इकाई मानना भौगोलिक दृष्टि से भी ठीक नहीं होगा।

जब मत सूची तैयार की जाती है, मत केन्द्रों का निर्धारण होता है, उस समय सभी का परामर्श लिया जाता है। यह विचार किया जाता है कि कितने किलोमीटर की दूरी रखी जाये, 2 किलोमीटर रखी जाये, या कम हो। तमाम बातों पर विचार किया जाता है।

इसकी भावना से हम लोग सहमत हैं, पर यह हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, यह चुनाव आयोग और भारत सरकार के अधिकार की बात है।

जहाँ तक फासला कम करने की बात है जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री प्रियदर्शी जेतली जी ने कहा वह बिलकुल ठीक है। जितना फासला कम हो उतना ही ठीक है। लेकिन मान्यवर, उसी के साथ हमें यह भी देखना है कि हमारी जो प्रशासनिक सुविधायें हैं वे किस प्रकार से हो रही हैं और हम वहाँ किस तरह से अरेन्जमेंट कर सकते हैं। सड़कें वहाँ पर कैसी हैं, बैलेट-बाक्स को वहाँ तक ले जाने की व्यवस्था कैसी है। इन तमाम चीजों को देखने की आवश्यकता होती है। इस संकल्प का जो इन्टेनशन है उसमें कोई सुबहा नहीं करता। व्यवहारिक रूप से और प्रशासनिक रूप से यह उचित नहीं है कि ग्राम-सभाओं को इसका केन्द्र-बिन्दु बनाया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विद्यासागर नौटियाल---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं समय बचाकर ही बोलूंगा। मान्यवर, यही भारत है केवल अनेक देशों के बीच में, जहाँ आजादी हाँसिल होते ही बालिग मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दे दिया गया था। इसमें किसी जाति, किसी धर्म और किसी लिंग का भेद-भाव नहीं रखा गया। मान्यवर, आज, शायद बहुत से माननीय सदस्य न समझें, यह इतिहास के लिये एक खोज का विषय होगा कि अँग्रेजों की गुलामी से आजादी हाँसिल करने वाले एक देश ने अचानक कितना बड़ा अधिकार अपने तमाम नागरिकों को दे दिया था। इस अधिकार को देने वाले हमारे वे महान लोग हैं जिन्होंने इस देश के संविधान को बनाया था। श्रीमन्, इस पर मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ लेकिन सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप केवल मतदातों को अवसर प्रदान न करें बल्कि प्रत्येक नागरिक को सुविधा भी दें ताकि वह भली प्रकार अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। श्रीमन्, सोवियत संघ के अन्दर जहाँ कम्युनिष्ट पार्टी का राज्य है और जिसके बारे में आदरणीय ठाकुर साहब ने पूछा। वहाँ यदि कोई हवाई जहाज से चल रहा है तो वह वहीं वोट देगा, समुद्री जहाज से चल रहा है तो वह वहीं वोट देगा, यदि कोई नागरिक अस्पताल में है तो वह वहीं वोट देगा, यदि कोई नागरिक एक्टिव सर्विस में है तो वह वहीं वोट देगा और यदि कोई नागरिक आर्कटिक में है तो वह वहीं वोट देगा।

श्रीमन्, अब हमारे यहाँ जो ग्राम-सभायें हैं उनमें फासला बहुत ज्यादा है। बहुत सारे गाँवों को मिलाकर एक ग्राम सभा बनाई जाती हैं। अलग-अलग कोने से लोग अपना मताधिकार देने आते हैं, फलस्वरूप कई लोग उचित सुविधा न होने के कारण इससे वंचित हो जाते हैं। इसलिये श्रीमन्, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इन सारी भावनाओं को समझते हुए सरकार इसे लागू करने के लिये शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाये।

*श्री राम नारायण सिंह (एडवोकेट)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्री रामकरन जी द्वारा जो यह संकल्प रखा गया है, एक महत्वपूर्ण संकल्प है। स्वर्गीय बाबू ने भी कहा था कि असली भारत गाँवों में है और उनकी कल्पना थी कि राम-राज्य की स्थापना की जाय और इस राम-राज्य की स्थापना के लिये उन्होंने ग्राम-पंचायतों और ग्रामसभाओं के सृजन की कल्पना की थी। श्रीमन्, अभी माननीय सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों और विपक्ष के माननीय सदस्यों को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि सभी नागरिकों को अपने मताधिकार के लिये आने-जाने की सुविधा हो और उन्हें अपने मताधिकार के लिये स्वतन्त्रता हो। जैसा कि अभी माननीय श्री नौटियाल जी ने रूस के बारे में बताया कि वहाँ विभिन्न सुविधायें हैं। तो उसी प्रकार हम भी यह चाहते हैं कि भारत में, जहाँ प्रजातन्त्र की नीव काफी मजबूत हैं, नागरिकों की संविधायें मिलनी चाहिये। निर्बल वर्ग के लोग इस बात को समझ सकें कि प्रजातन्त्र की क्या कीमत है और हमारे मत की क्या कीमत है। मान्यवर, इस बात को सत्ता पक्ष के लोग भी अनुभव करते होंगे जब हम 1980 में गर्मी में चुनाव जीतकर आये थे। तड़कती धूप में गाँव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के बुजुर्ग लोग और औरतें, या अपंग लोग, जिन गांवों में कि आवागमन के साधनों का अभाव है, वे मन रखते हुए भी आने-जोने के साधनों के अभाव के कारण अपने बहुमूल्य वोट का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अगर खर्चे और मतदान स्थल के निर्माण और रख-रखाव की दिक्कतों को सामने लाकर ही प्रजातंत्र की नींव को मजबूत न कर सकें, तो हम आने वाले समाज के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे।

इस संकल्प के प्रस्तुत करने में संकल्प लाने वाले भाई का भाव यह है कि गांव में बसने वाले लोगों के लिये अधिक से अधिक मत-स्थलों का निर्माण किया जाय और हर आदमी को अपना मत देने की सुविधा प्रदान की जाय। संसदीय कार्य मन्त्री जी ने कहा कि चुनाव आयोग का यह काम है तो उनकी भावना को हम भी नजरअन्दाज नहीं करना चाहते, लेकिन चुनाव आयोग का गठन चाहे राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, सभी का गठन जनता के हितों की रक्षा के लिये किया गया है। रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट का निर्माण हुआ सरकार के द्वारा। अगर यह सरकार समझती है इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि भारत की आजादी के बाद जनसंख्या बढ़ी है, जब कि मरुस्थलों की संख्या का उस तेजी से सृजन नहीं हो रहा है। इस जनसंख्या को देखते हुए, जहां मतदाता हर साल बढ़ते जा रहे हैं, उसके हिसाब से आवश्यक है कि मतस्थलों की अधिक से अधिक संख्या बढ़ायी जाय। इसी के साथ ही राम करन जी जो संकल्प लाये हैं, इसमें बल है। आप भारत सरकार से इस पुनीत काम को पूरा करने के लिये आग्रह करें।

*श्री भृगु नाथ चतुर्वेदी---

इस संकल्प के विषय में जो इधर से और उधर से सुझाव दिये गये, उनसे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। माननीय डूंगर जी से एक प्रश्न पूंछना चाहता हूँ कि वे यह बात छोड़ दें कि सरकार को तबालत होगी, आप जो 10–10 की 5–5 की पार्टियां बनाये हैं, इनके पोलिंग एजेण्ट मिलेंगे गांव में। आप अपने लोगों में से जांच लीजिये कि पोलिंग एजेण्ट मिलेंगे या नहीं।.....

श्री विद्यासागर नौटियाल---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय चतुर्वेदी जी ने कहा कि हम लोग छोटी-छोटी पार्टियां हैं, 425 का सदन है, अगर हम 5–5 न हों, तो आप 420 रह जायेंगे, हम तो आपको 420 होने से बचाते हैं।

(हँसी)

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी---

420 तो आप हैं हीं।

(हँसी)

श्री भगवानदीन कुशवाहा---

मान्यवर, प्रदेश के सबसे पहले यह मुख्यमंत्री श्रीपति जी हैं जो सबसे कम वोट 260 वोट से जीतकर आये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय कुशवाहा जी, संकल्प की मंशा पर बोलिये ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा---

यह जो गाँव सभा स्तर पर मतदान केन्द्र स्थापित नहीं करना चाहते हैं, वह इसलिए है कि बूथ कैपचर करने का मौका नहीं मिलेगा । और यदि गाँव सभा स्तर पर मतदान केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था कर दी जाए तो श्रीपति मिश्र फिर दुबारा चुनाव जीत कर नहीं आयेंगे, यह तय है ।

(शोर)

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर मैं प्रस्ताव करता हूँ कि माननीय सदस्य द्वारा बोले गये इस भाग को कार्यवाही से निकाल दिया जाए ।

श्री अधिष्ठाता---

कार्यवाही दिखवा लेंगे और जैसा होगा, वैसी कार्यवाही कर उस भाग को निकाल दिया जायेगा ।

यह संकल्प के रूप में किसी एक अच्छी व्यवस्था को लाने पर बल दिया जाता है, इस पर बोलना चाहिए और अगर बीच में ऐसा कोई फैक्ट आ जाए बूथ कैप्चरिंग तो उस पर आप बोल सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर, जो इस सदन में इस समय मौजूद भी नहीं है अगर होते तो वह जवाब देते, नहीं कहना चाहिए आपको तो ऐसी बात कहनी चाहिए जिससे संकल्प की ओर अधिक बल मिले न कि उसके विरोध में बात चली जाए ।

(व्यवधान)

श्री भगवान दीन कुशवाहा---

ट्रैक्टर और ट्राली से वोट मान्यवर, ढोये जाते हैं, अगर ऐसी व्यवस्था कर दी गयी तो इनके ट्रकों का इस्तेमाल, ट्रैक्टर और ट्रालियो का इस्तेमाल नही हो पायेगा और बूथ कैप्चरिंग का काम भी नही हो पायेगा । इसलिए मैं इस संकल्प की सराहना करता हूँ और इस व्यवस्था को लागू किया जाए ।

श्री धरमपाल---

मान्यवर, लगता है कि माननीय राम करन जी ने चौधरी साहब की प्रेरणा से यह संकल्प ले आए हैं, वरना.....

श्री अधिष्ठाता---

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता । संकल्प पर बोलिये ।

श्री धरमपाल---

मान्यवर, जहाँ तक बूथ कैपचर करने की बात कही गयी है और यह कहा गया है कि यदि गाँव सभा स्तर पर मतदान खोले जाएँ तो शायद बूथ कैप्चरिंग न होगी, बल्कि इन्हें यह न कहकर यह कहना चाहिए कि महिलाओं के व हरिजनों के बूथ अलग खोले जाएँ तब इससे जनता को और सुविधा प्राप्त होगी तथा घटनाएँ कम घटेंगी और मान्यवर, मैं इस संकल्प का विरोध करता हूँ ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय राम करन जी, आप इस संकल्प को क्या वापस लेते हैं ?

श्री राम करन—

नहीं मान्यवर, मैं इस पर बल देता हूँ ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इस विषय को लेकर कई माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बातें कहीं और इस संबंध में कई अच्छे सुझाव भी आए परन्तु जो बात श्री धरमपाल जी ने कही कि महिलाओं व हरिजनों के मतदान केन्द्र अलग-अलग स्थापित किये जाएँ । यह व्यवस्था मान्यवर, किसी भी रूप में उचित नहीं होगी इससे मान्यवर, अलगाव की स्थिति पैदा होगी । हम चाहते हैं कि अमीर-गरीब, छोटा-बड़ा, महिला और पुरुष सभी एक लाईन में खड़े हों और वहाँ पर किसी किस्म का कोई मतभेद न हो ।

दूसरे यह व्यवस्था जो लागू करने की बात संकल्प में की गयी है, वह भी मान्यवर, उचित नहीं होगा यह पीपुल्स ऐक्ट 1951 में है जिसके द्वारा अब तक संचालन होता आया है और इसमें जन प्रतिनिधियों से राय स्थापित करने का भी प्राविधान है । सभी से मशविरा होता है और लोगों के उसमें आब्जेक्शन होते हैं और यह तय किया जाता है कि कहाँ पर बूथ बनाया जाय । किसी तरह का परिवर्तन करना और हार्ड एण्ड फास्ट रूल बना देना कि यही पर मतदान होगा तो यह उचित नहीं होगा । इसलिए मैं राम करन जी से यह अनुरोध करूँगा कि वह उसे वापस ले लें ।

श्री राम करन—

मान्यवर, वापस लेने का तो प्रश्न हीं नहीं उठता है ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि लोकतंत्र की नीव सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार को अविलम्ब सिफारिश करे कि विधान सभा एवं लोक सभा के चुनावों में प्रत्येक गाँव सभा स्तर पर मतदान केन्द्र स्थापित किये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा 14 अप्रैल, 1982 के पंचनिर्णय विवाद संख्या 5/1981 द्वारा दिए गये एवार्ड को सभी राजकीय सूती मिलों में लागू किए जाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस सदन का निश्चित मत है कि श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा 14 अप्रैल, 1982 पंचनिर्णय विवाद संख्या 5/1981 द्वारा दिया गया एवार्ड उत्तर प्रदेश की सभी राजकीय सूती मिलों में लागू किया जाय ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सूती वस्त्र निगम द्वारा 8 मिलें संचालित हैं और 8 मिलों का चेयरमैन एक ही है । उनके दो मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं । 4 मिलों का एक ग्रुप है और 4 मिलों

का एक ग्रुप है । दो ग्रुपों में यह मिलें चल रही हैं इनमें आपस में प्रबन्धकों का ट्रान्सफर होता है । यहाँ तक कि श्रमिकों का भी ट्रान्सफर होता है । ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश श्रमायुक्त के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा फैसला करने के लिए निर्देशित किया गया । मान्यवर, फैसला हुआ और वह फैसला दो हिस्सों में हुआ । एक हिस्से में अकबरपुर की कताई मिलों के श्रमिकों पर जो शोषण होता था और नियमों को तोड़कर जो मैनेजमेंट काम कर रहा था उसके बारे में था और दूसरा श्रमिकों के वेतन और उनकी सुख सुविधाओं से सम्बन्धित है । इस एवार्ड में दूसरा मुद्दा था कि गत एक वर्ष में विभिन्न अधिकांशत: अनुसूचित नियोजकों में न्यूनतम् मजदूरी की दर 8 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गयी है अतएव सेवायोजकों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए और कैजुअल श्रमिक को 10 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दिया जाना उचित है । अत: इस वाद बिन्दु का उत्तर स्वीकारात्मक है कि पुनरीक्षित दरें 1 अप्रैल, 1981 से लागू की जायँ । मान्यवर, 1 अप्रैल, 1981 से कैजुअल लेबर को साढ़े 6 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये मजदूरी दी जाने लगी है लेकिन जो दूसरी मिलें हैं उनमें अभी साढ़े 6 रुपये ही दिया जा रहा है ।

मान्यवर, प्रश्न यह उठता है कि जब अकबरपुर का लेबर ट्रांसफर होकर राय बरेली जायेगा तो वहाँ पर वह साढ़े छ: रुपये पायेगा और जब राय बरेली का लेबर अकबरपुर में आयेगा तो वहां पर वह 10 रुपये पायेगा । मान्यवर, एक ही मैनेजमेंट, एक ही कारपोरेशन के अन्तर्गत अलग-अलग नियम कैसे लागू हुये । अकबरपुर के अन्दर एवार्ड के तहत आप मजदूरी दें और बाकी मिलों में न दें यह नियम के विपरीत है । यह एवार्ड सभी श्रमिकों के हित में है । 20 हजार श्रमिक उसके अन्तर्गत काम करते हैं और दो हजार जो अकबरपुर में काम कर रहे हैं उनको 1 अप्रैल 1982 से 10 रुपया दिया गया और बाकी 7 मिलों को नहीं दिया गया ।

इसी तरह से यह फैसला भी एवार्ड के अन्तर्गत किया गया था कि लेबर जहां काम करते हैं उस हाल में, एग्जास्ट फैन लगना चाहिए । यह निर्णय लिया गया था क्योंकि जिस कमरे में लेबर काम करते हैं वहां रुई की धूल उड़ती है इसलिये एग्जास्ट फैन वहां के लिये नितान्त आवश्यक है । अकबरपुर की मिल में तो वह लगा लिये गये किन्तु बाकी 7 मिलों में नहीं लगाये गये ।

श्री अधिष्ठाता—

पहले आप एवार्ड के प्वाइन्ट्स तो बता दें । उसके बाद चर्चा करें ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, मैं वही बता रहा हूँ कि पंचनिर्णय द्वारा दिया गया एवार्ड प्रदेश की आठों मिलों पर लागू होना चाहिए क्योंकि यह मिलों में काम करने वाले मजदूरों की सुख-सुविधा और उनको दिये जाने वाले वेतन से सम्बन्धित है । यह न्यायोचित है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप एवार्ड के प्वाइन्ट्स पढ़ दें ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, अकबरपुर की जो राजकीय सूती मिल है उसके श्रमिकों ने हड़ताल की और उसके तहत उत्तर प्रदेश शासन ने स्वीकार किया और एक पंचनिर्णय तय किया और शुक्ला

जी को जो उस समय श्रमायुक्त थे, उनको उत्तर प्रदेश शासन ने पंच निर्णय नियुक्त किया। उन्होंने कार्यवाही प्रारम्भ की। उस पर 6 महीने तक बहस होती रही और उसके बाद 14 अप्रैल, 1983 को यह एवार्ड घोषित किया गया। इस एवार्ड में 14 मुद्दे थे।

उसमें एक तो वहां के श्रमिकों से सम्बन्धित ईश्यू था कि उसके अन्तर्गत मिलों में जो श्रमिक काम करते हैं उनकी सुख सुविधा और वेजेज के बारे में कहा गया। वह मैंने आपके सामने रखा। उसमें एक था कि--क्या सेवायोजकों द्वारा सभी कैजुअल श्रमिकों को 10 रुपया प्रतिदिन वेतन देना चाहिए ? यदि हां, तो किस विवरण के साथ ? यह एक ऐसा मुद्दा था जो सभी आठों मिलों के श्रमिकों के ऊपर लागू होना चाहिए था। दूसरा मुद्दा यह था कि--क्या सेवायोजकों द्वारा बिलों एवं बोडा मशीनों के कमरों में एग्जास्ट फैन की व्यवस्था न करना उचित एवं वैधानिक है ? यदि नहीं, तो इन कमरों में क्या व्यवस्था किस विवरण के साथ की जाय ? इस मुद्दे पर आदेश हुये थे कि सभी मिलों में ऐसे कमरों पर एग्जास्ट फैन लगाये जायं। इसी परिवेक्ष में मैं माननीय उद्योग राज्य मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो एवार्ड अकबरपुर श्रमिकों से सम्बन्धित है वही प्रदेश की अन्य मिलों के लिये भी लागू होना चाहिए। उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से नहीं किया गया है। जब कि उसमें साफ-साफ लिखा हुआ था कि 1 माह के अन्तर्गत उसको इम्प्लीमेंट कर लिया जायेगा ऐसा न कर एवार्ड देने वाली अदालत की अवमानना की है। ये दो मुख्य मुद्दे थे। यह प्रदेश की आठ मिलों के श्रमिकों के वेतन और सुख-सुविधा से सम्बन्धित थे। मैं चाहूँगा कि यह जो एवार्ड हुआ है वह सभी पर लागू किया जाय और सभी में एग्जास्ट फैन लगाये जायं। यह 20 हजार श्रमिमों का मामला है। इस आधार पर मैं इस संकल्प को सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ।

श्री खैरुल बशर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ। यह संकल्प बहुत साफ है और वाजह है। आज किसी भी मजदूर को 6.50 पैसा दें वह उसमें अपने खुद का वसर नहीं कर सकता है और उसके साथ परिवार हो तो और भी कठिन उसके लिए है। माननीय जैटली जी ने जो बात रखी है वह सही है हमारे यहाँ मऊनाथ में एक मिल है जो बहुत अच्छी मिल है वहाँ के मजदूरों के लिए भी यह सुविधा मिलनी चाहिये। चंद दिन पहले वहाँ के मजदूरों ने इसे लागू करने के लिए एक सभा की थी और उनकी माँग को यहाँ सरकार के पास पेश करना चाहते थे बजाय इसके कि उनकी माँग यहाँ भेजी जाती उन पर लाठीचार्ज किया गया और 8 मजदूर आज भी मुअत्तल हैं। जो वहाँ पर उस समय मुख्य अधिशासी थे उनके खिलाफ सरकार ने जाँच कराई और उनको दोषी पाया गया जिसके लिए उनको निकाला जा रहा था लेकिन किसी प्रकार वह आदमी अपनी प्रैस्टिज बचाने के लिए आग्रह करके त्यागपत्र दे कर चला गया। जो आदमी इस तरह अत्याचार करे उसे रोकना चाहिये जिसके लिए मजदूरों को आंदोलन करना पड़े उसे सजा मिलनी चाहिये। माननीय जैतली जी सरकारी बैंच के सदस्य हैं और उन्होंने इस मसले को उठाया है, मुझे इस बात की खुशी है और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ यह एवार्ड आठों मिलों में लागू होना चाहिये। इस सदन को इसका एकमत से समर्थन करना चाहिये और इसे पास करना चाहिये क्योंकि यह

निर्विवाद है इस पर किसी प्रकार के विवाद की जरूरत नहीं है। इन शब्दों के साथ इस संकल्प का हृदय से समर्थन करता हूँ।

*श्री राम स्वरूप निम—

मान्यवर, यह जो संकल्प जैतली जी ने रखा है यह सौभाग्य की बात है कि सत्ता पक्ष से आया है और निश्चित रूप से इसे पास होना चाहिये अन्यथा इसमें सरकार की मर्यादा गिरेगी। यह संकल्प गरीब मजदूरों का सहारा है अगर उनके जीवन को सही रूप में चलाना है तो सरकार जो निर्णय लेती है उन पर अमल करना चाहिये। यहाँ पर जो संकल्प आया है जिसका उद्देश्य मजदूरों का भला करना है और सरकार जो वायदे करती है उनको पूरा करना है तो इस संकल्प को पास होना चाहिये। इससे निश्चित रूप से इस प्रदेश के मजदूरों को लाभ मिलेगा। मान्यवर, मजदूरों को 10 रु0 और 8.50 पैसे जो मिल रहा है यह उचित नहीं है। इस सरकार की दोहरी नीति हर मामले में चल रही है। माननीय श्रम राज्य मंत्री जी बड़े अच्छे आदमी हैं लेकिन उनकी बात चलती नहीं है क्योंकि वह राज्यमंत्री हैं इसलिए कैबिनेट में उनकी बात चलती नहीं है। इस संकल्प के पास होने के बाद जो एवार्ड हैं वह लागू होंगे तो उससे श्रमिकों को लाभ मिलेगा। यह हकीकत है कि ऐसी फैक्ट्रीज में जहाँ रुई का काम होता है वहाँ पर मजदूरों की सांस की नली में छोटे-छोटे कण चले जाते हैं जिससे मजदूर जल्दी अस्वस्थ हो जाते हैं उनको टी0 बी0 या दमा की बीमारी हो जाती है और उससे उनका परिवार बरबाद हो जाता है। सरकार गरीबी दूर करने के नाम से उन गरीबों को मार देना चाहती है इसलिए उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। मैं जैतली साहब के संकल्प का पूर्ण समर्थन करता हूँ और जेतली साहब के इस संकल्प के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसे पारित किया जाय जिससे गरीबों को लाभ मिल सके और गरीब ऊपर उठ सकें और जो श्रम करते हैं वे आगे आ सकें तथा वे आगे आकर अपना जीवन बसर कर सकें। धन्यवाद।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, मैं श्री जेतली जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस संकल्प के माध्यम से इस विषय की ओर सरकार का ध्यान और इस आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित किया। मान्यवर, सूती मिल के मजदूरों की समस्यायें बड़ी विकट हैं, पूरे देश की जो लाज को ढकता है वह मजदूर खुद नंगा रहता है और उसकी एवं उसके बच्चों की जिंदगी खराब रहती है लेकिन वह दूसरों को अच्छे और सुन्दर कपड़े पहनाता है। वह मजदूर अक्सर 5–10 साल काम करने के बाद, जैसा कि मा0 सदस्यों ने बताया, किसी न किसी रोग का वह शिकार हो जाता है और उसके फेफड़ों में रुई के टुकड़े चले जाने के कारण सूती मिल का मजदूर टी0 बी0 का शिकार हो जाता है। अब मजदूरों ने एक लड़ाई लड़ी और यही नहीं भारत का सूती मिल का मजदूर कम से कम 50 साल पहले से जो उसका राजनैतिक संघर्षों का इतिहास रहा है जिसमें वह बड़ी मुस्तैदी से आगे रहा है।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में यह ट्रेड यूनियन का इतिहास लिखा जायेगा, तो ट्रेड यूनियन के इतिहास में सूती मिल के मजदूरों की भूमिका को प्रमुखता से लिखा जायेगा। हमारे सदन में इस समय स्व0 मौलाना यूसुफ की याद आ रही है कि किस तरह उन्होंने इन मजदूरों को,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो धागे बुनते थे उन्होंने उनको, एक सूत्र में बाँधा और वह भारत में चारों तरफ फैला दिया और एक मजदूर ने अपनी लड़ाई लड़ी और इस समय सूती मिल के मजदूर देश में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी तफशीश में मैं नहीं जाऊँगा चूँकि समय कम है। लेकिन मान्यवर, एक लड़ाई के बाद फैसला हुआ और उसके बाद कुछ जीतें हासिल हुई, जैसा कि श्री जेतली ने बताया, उसकी एक जीत हुई कि बेसिक पे उनका बढ़ा है, 6.50 रुपये से 10 रुपये रोज हुआ। लेकिन मंगहाई को देखते हुये धागा और कपड़ा मंहगा हुआ और जो चीजें मजदूर पैदा करता है उनकी चीजें मंहगी बिकती हैं जिसको देखते हुये जो उनको मिलता है वह कम है। लेकिन यह बात सही है कि 6.50 रुपये से 10 रुपये हुआ परन्तु अकबरपुर में जब यह मिलता है तो और जगह क्यों नहीं मिलता है ? सबसे बड़ी बात है कि वह सरकार की मिलें हैं। यदि शासन की ओर से एक कारखाना एक शहर के अन्दर या दूसरे शहर के अन्दर खोला जाता है तो शासन की एक नीति होती है जिसका पालन होना चाहिये लेकिन आजादी के 35 साल बाद हमारे आजाद उ0 प्र0 के अन्दर रहने वाली सरकार को इस बात की कोशिश नहीं करनी चाहिये कि सब जगह हड़तालें हों, उत्पादन बन्द हो और तब उसके बाद कहा जाय कि आपकी बात ठीक है और मैं मानता हूँ। इसलिये जो विषय यहाँ उठाया गया है उसमें मैंने शुरू में ही निवेदन किया था कि मैं श्री जेतली जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने सरकार की मदद की है और आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित किया है, इसलिये मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस संकल्प को वह स्वीकार कर लें।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, यह बहुत ही अहमियत का संकल्प मा0 श्री जेतली जी ने रखा है और एक निर्णय के माध्यम से उन्होंने बताया कि पंचों ने यह निर्णय दिया कि 6.50 रु0 जो दिया जाता है वह उचित नहीं है और उसको 10 रुपये दिया जाना चाहिये और उन्होंने बताया कि जो कैजुअल लेबर हैं उनके बारे 6.50 रुपये नहीं बल्कि 10 रुपये दिया जाना चाहिये। यह माननीय जेतली ने नहीं बताया कि वह कौन से कैजुवल लेबर थे, उनकी कौन सी किस्म है। क्योंकि कई प्रकार के कैजुवल लेबर होते हैं। उनके बारे में जेतली साहब ने पूरे विस्तार से नहीं बताया कि वह कैजुवल लेबर कौन हैं, कैसे हैं।

एक तो वह हैं जो बाजार में गया, उसके ओर हमारे यानी ग्राहक के बीच में कान्ट्रेक्ट हो गया, उसकी जरूरत ऐसी रही कि वह कम पर भी काम करता है—उसने काम किया और चला गया। कुछ ऐसे लेबर्स हैं जो एक निश्चित कार्य को करते हैं, उसमें उनको क्या मजदूरी मिलनी चाहिए, यह प्रश्न है। लेकिन सामान्यतया जो 6 या साढ़े 6 रुपया पर है, वह इस जमाने में वास्तव में बहुत कम है, 10 रुपया तो उचित मालूम पड़ता हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। नौटियाल जी ने कुछ ट्रेड यूनियनिज्म की बात उठाई। मैं तो इस बात का पक्ष पर हूँ कि मिलीटेन्ट ट्रेड यूनियनिज्म नहीं होना चाहिए। हमको विचार विमर्श करके एक रास्ता निकालना चाहिए और जो भी विवाद उत्पन्न हों उनका हल ढूंढ़ लेना चाहिए, यही लोकतान्त्रिक पद्धति है। मैं समझता हूँ कि मिलिटेन्ट ट्रेड यूनियनिज्म ने बहुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ नुकसान इस देश का किया है। इसके चलते कोई दिन ऐसा नागा नहीं जाता है जब कि कहीं हड़ताल या उन पर लाठी चार्ज इत्यादि न हो। इससे उत्पादन पर तो विपरीत असर पड़ता ही है, साथ ही ला एण्ड आर्डर की स्थिति भी बिगड़ती है। इसलिए ट्रेड यूनियन नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिये, यह बहुत जरूरी है। इसके अलावा इससे एक कोड आफ कांडक्ट भी होना चाहिए, हम किसी बहुत अनएवायडेबेल सर्कमस्टांसेस में ही हड़ताल करें, नहीं तो शान्तिपूर्वक परस्पर बैठकर समझदारी से मसले को हल कर लेना चाहिए, जैसा और भी बहुत से लोकतान्त्रिक देशों में होता है। बहुत से देशों में तो कलेक्टिव बारगेनिंग करने का अधिकार तक भी मजदूरों को नहीं है। चीन में तो पहली बार उनके विधान में यह लिखा गया है कि वेतन मामले में मजदूरों को कलेक्टिक बारगेनिंग का अधिकार होगा, उसमें उनको कलेक्टिव बारगेनिंग की लिमिटेड पावर दी गई हैं। और पूर्वी यूरोप और रसा में उनको कोई बारगेनिंग की पावर नहीं है। मैं इसके विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ, जेतली साहब ने जो संकल्प रखा है, वह उचित है, जहाँ तक सम्भव हो उनको 10 रुपया दिया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ।

श्री राधेश्याम पटेल--

माननीय, अधिष्ठाता जी, माननीय जैतली जी ने इस महत्वपूर्ण विषय पर जो अपना संकल्प रखा है वह बहुत ही सामयिक है और मौजूदा परिस्थितियों में बहुत ही उपयुक्त है। आज जो फुटकर मजदूर हैं, केजुवल लेबर हैं, उनकी दशा बहुत ही शोचनीय है। इनको एक ही काम में अपने श्रम की मजदूरी मिलती है। जैसा यह अवार्ड है, उससे साढ़े 6 रुपये से 10 रुपये मजदूरी देना उनका हक होगा और यह उनकी आर्थिक स्थिति और जीवनदशा को सुधारने के लिए आवश्यक होगा। इन शब्दों के साथ मैं शासन और आदरणीय सदन से निवेदन करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि वह इस संकल्प को सहर्ष स्वीकार करें।

*श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

अधिष्ठाता महोदय, जैतली साहब ने जो संकल्प रखा है, उसमें किसी तरह से दो राय नहीं हो सकती है। सवाल यह उठता है कि सरकार पंच निर्णय के लिए जब किसी व्यक्ति को नियुक्त करती है, तो उसका निर्णय समूचे पर लागू न करें और लागू करें तो समूचे पर लागू करें। यह किन परिस्थितियों में एक पर लागू किया गया है और 6–7 अन्य पर लागू नहीं किया गया है ? और जब इन्होंने ऐसा किया तो उस तरफ से लेबर्स 6–7 अन्य मिलों में हैं या नहीं ? और यदि हैं, तो जिस अफसर ने उन सब पर लागू नहीं किया, उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि जनता में यह विश्वास जोर पकड़ रहा है कि अफसर लोग किसी बात पर ध्यान नहीं देते हैं।

[समय 3.25 से]

तो आप ही ने जब पंच मंजूर किया, तो उस पंच निर्णय को यदि सभी के लिए नामंजूर करते, तो वह दो-एक आना गिना जाता, पर आपने उसी पंच निर्णय को एक के लिए मंजूर किया और चार के किए नहीं मंजूर लिया और आप ही ने पंच निश्चित किया, तो फिर कहाँ जस्टीफाइड है। संकल्प का विरोध तो दोनों पक्ष नहीं कर सकता है, किन्तु आपके जो अधिकारी ने पंच निर्णय दिये, उस पंच निर्णय का प्रयोग केवल एक के लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया, और तीन मिल के लिए नहीं किया, उसके लिए सजा होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त यह प्रचलित है कि ब्यूरोक्रेसी किसी का कहना ही नहीं मानती है।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

जहाँ तक कि माननीय प्रियदर्शी जैतली जी के संकल्प का प्रश्न है, जिस भावना से वह उन्होंने रखा है, उससे कोई भी विरोध नहीं कर सकता है, लेकिन एक जब एवार्ड किसी जगह के लिए किया जाता है, तो विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, उस जगह के लिए, एक विशेष जगह के लिए, एक कमेटी बनाई गयी, लेबर कमिश्नर को इस बात के लिए अधिकृत किया गया कि वहाँ की परिस्थितियों की जाँच करके एवार्ड वहाँ पर दें। उसमें उन्होंने यह जो मुद्दे बताये, वह दिये, इसके अतिरिक्त और अगर कुछ होंगे, तो वह भी होंगे, तो उसी के परिपेक्ष में हमें सारी चीजों को देखना होगा कि उस पर्टिकुलर स्थान पर कौन-कौन-सी समस्यायें थीं, उनका समाधान किस प्रकार से हो सकता है। लेकिन अगर मान्यवर, उसकी हर स्पिनिंग मिल में, वहाँ पर लागू करना हितकर तो हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो है, वह प्रैक्टिकल नहीं है। मैं इस वक्त यह कह सकता हूँ कि संकल्प पूरा ब्लैंकेट अप्लाई करने का जहाँ तक सवाल है, जो उन्होंने संकल्प रखा है, कि इसे किया जाना चाहिए, उस पर विचार किया जायगा। जो चीज मजदूरों के हित में होगी, वह की जायगी।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, मैं अपने उन सभी सम्मानित सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना कर्त्तव्य भी समझता हूँ, जिन्होंने इस संकल्प पर अपने विचार व्यक्त किये, विचार ही व्यक्त नहीं किये, बल्कि उन्होंने अपनी सहमति भी व्यक्त की, चाहे वह इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के हों, मान्यवर, दो बातें हमारे माननीय सदस्य प्रतापगढ़ ने उठाई कि मैंने किस संदर्भ में यह एवार्ड हुआ, यह नहीं बताया, दूसरा कैजुअल लेबर किस प्रकार का है, यह नहीं बताया। तो मैं मा यवर, बताना चाहता हूँ कि पंच निर्णय संख्या 5 1982 14 अप्रैल, 1982 का उपश्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, पंचनिर्णायक की अदालत में उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कं0 नं0 1 अकबरपुर, जिला फैजाबाद एवं उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल कर्मचारी संघ, अकबरपुर के बीच में हुआ था। यह कम्पनी नं0 1, चार मिलों की है, रायबरेली, बाराबंकी, अकबरपुर और मऊ, तो चार मिल तो निश्चित रूप से एक कम्पनी के अन्तर्गत आती हैं और इसलिए उन चार में तो लागू किया जाना ही चाहिए, यों तो यह आठों में लागू होना चाहिये, वह नहीं हुआ।

मान्यवर, इस एवार्ड के दो पक्ष हैं, एक पक्ष, उक्त मिल में श्रमिकों पर प्रबन्धकों द्वारा नियम विरुद्ध कार्यों, पीड़ा, प्रताड़ना व देशभाव से कार्य करने से सम्बन्धित है और दूसरा भाग श्रमिकों के वेतन व उनके जीवन से सुख-सुविधा से सम्बन्धित है। इस एवार्ड में तमाम जगहों पर प्रबन्धकों के विरुद्ध स्ट्रक्चर व रिमार्क माननीय श्रमायुक्त द्वारा पारित किये गये हैं। उन प्रबन्धकों को कंडम भी किया गया है कि नियम विरुद्ध किये गये हैं। इसी कारण कितने ऐसे श्रमिक हैं, जिन्होंने इस एवार्ड के तहत, उनको पुनः सेवा में प्रबन्धकों को लेना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़ा है, जिसको माननीय सदस्य ने कहा है कि समझ में नहीं आया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस एवार्ड की दो लाइन मुझको पढ़ने दीजिए। यह निर्णय नं0 12—"क्या सेवा योजनकों द्वारा सभी कैजुअल श्रमिकों को 10 रुपये प्रतिदिन वेतन देना चाहिए ? यदि हाँ, तो किस विवरण सहित ? श्रमिक पक्ष की ओर से यह कहा गया कि दिनांक 9 दिसम्बर, 1978 के समझौते के अनुसार कैजुअल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी रु० 6.15 निर्धारित की गयी थी। जो बढ़ी हुयी मंहगाई को देखते हुये बहुत कम है। सेवा योजकों की ओर से यह कहा गया कि वर्तमान कैजुअल श्रमिकों को० 6.50 प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है। जो उस क्षेत्र में प्रचिलित मजदूरी के आधार पर है। इस नियोजन के लिये कोई न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित नहीं की गयी है। श्रमिक पक्ष की यह मांग अनुचित नहीं है। यद्यपि इस क्षेत्र के लिये कृषि नियोजन में न्यूनतम मजदूरी की दर रु० 6.50 प्रतिदिन निर्धारित की गयी है किन्तु संगठित क्षेत्र में भारी सार्वजनिक उद्योग के लिये न्यूनतम दर स्पष्टत: कम है। गत एक वर्ष में विभिन्न अधिकांशत: अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दर रु० 8.00 प्रतिदिन निर्धारित की गयी है। अतएव सेवायोजकों की क्षमता को ध्यान में रखते हुये और कैजुअल श्रमिकों को प्रतिदिन रु० 10.00 मजदूरी दिया जाना उचित होगा। अतएव इस वाद बिन्दु का उत्तर सकारात्मक है। उक्त पुनरीक्षित दर को दिनांक 1 अप्रैल, 81 से लागू किया जाय।"

तो मान्यवर, यह आदेश है इससे दोनों बातें स्पष्ट होंगी। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि यह केवल अकबरपुर के लिये है। स्टेट स्पिनिंग मिल कंपनी लिमिटेड नं०–1 में रायबरेली, बाराबंकी, अकबरपुर और मऊ, आजमगढ़ आती हैं। तो कंपनी नं०–1 पार्टी है और उसको पार्टी बनाकर पच निर्णय ने फैसला दिया है। तो कौन-सा औचित्य है कि यू० पी० स्टेट स्पिनिंग मिल की यह जो चारों कंपनी है उन पर इसको इतने दिनों से लागू न किया गया और केवल अकबरपुर के सम्बन्ध में लागू किया। यह पंच निर्णय का अनादर है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इसी सदन में मेरा प्रश्न था और उद्योग मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उस निर्णय को लागू किया जायगा। तो जब लागू किया जायगा तो आज विचारणीय प्रश्न न रहकर इसको अमल में लाने की बात है तथा जो अधिकारी अमल में नहीं लाये हैं, तो जैसा हमारे वयोवृद्ध सम्मानित सदस्य चतुर्वेदी जी ने कहा कि उनको दडित किया जाना चाहिये, नहीं किया गया है तो मैं निवेदन करूँगा सदन के माध्यम से कि सरकार उनको दंडित करे। इतना ही नहीं मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि किस तरह से मिलों में काम लिया जाता है। 8 घंटे की जगह पर 24 घंटे काम लिया जाता है और उनको वेजेज पूरे नहीं दिये जाते हैं। उप श्रमायुक्त, लखनऊ ने रायबरेली मिल में रेड करके चेक किया आप कहें तो मैं इसको पढ़ दूँ कि क्या निर्णय दिया। ऐसी परिस्थिति में, मैं जानता हूँ कि आने वाला भारत श्रमिकों का भारत होगा और आज 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमती इंदिरा गांधी श्रमिकों के लिये इतना कुछ कर रही हैं और हमारे द्वारा चलाये जाने वाले निगमों के अन्दर पंच निर्णय द्वारा जो निर्णय किया जाता है, श्रमिकों के वेजेज के सम्बन्ध में उनका अमलदरामद न किया जाय यह हमारे लिये लज्जा की बात होगी। मान्यवर, मैं पुन: निवेदन करूंगा कि पंच निर्णय जो वेजेज के सम्बन्ध में और इवजास्ट फैन लगाने के सम्बन्ध में किया गया है उस पर अमलदरामद किया जाय। पंच निर्णय में कुछ मुद्दों को एक महीने में लागू करने की बात कही गयी है लेकिन अब तक लागू नहीं किया गया है। तो जो निर्णय किये हैं उन पर अमलदरामद किया जाय और जिन अधिकारियों ने लागू नहीं किया उनको दंडित किया जाय। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इसको स्वीकार करें।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय जेतली जी ने मजदूरों और एवार्ड के सम्बन्ध में जो कुछ कहा हम लोग उससे सहमत हैं, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, उन्होंने एवार्ड की दो बातों का जिक्र किया, वेजेज का और एक्जास्ट फैन का। तो मैं अपने को इसमें सीमित नहीं रखना चाहता, मैं जो भी चीजें मजदूरों के लिये श्रमिकों के लिये हितकर होंगी, इसमें एवार्ड भी शामिल है, उसको लागू करने पर विचार किया जायगा। मैं माननीय जेतली साहब से अनुरोध करता हूँ कि जो कुछ उन्होंने कहा है सरकार पूरी तरह से, सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूँगा कि अपने संकल्प को आप वापस ले लें।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

माननीय अध्यक्ष जी, इतने हसीन, सौम्य मंत्री के इस आश्वासन पर कि इस पंच निर्णय पर सरकार विचार करेगी.....

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वाजपेयी जी, आप क्या व्यवस्था चाहते हैं।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मान्यवर, मेरी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री जेतली जी ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री को कहा है हसीन, तो यह हसीन कब से कहने लगे, पढ़े तो हमारे साथ और हसीन उन्हें कहते हैं, यह क्या बात हुई।

(हँसी)

श्री प्रियदर्शी जेतली—

जो भी चीज नायाब होगी, चाहे वह किसी में हो तो उसकी तारीफ तो होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता।

(श्री खैरुल बशर के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप हसीन लफ्ज में और कोई इजाफा करेंगे ?

श्री खैरुल बशर—

उसे और हसीन बनाना चाहता हूँ कि कितने हसीन हैं। बहरहाल मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत बात कही कि जो संकल्प है, उससे वे अपने को सम्बद्ध करते हैं। तो, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गयी, आपकी कौन सी शान घट जायेगी कि आप इसे वापस करा रहे हैं, इसको सर्व सम्मति से पास हो जाने दीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है इसमें, आप बैठिये। संकल्प प्रस्तुत करने वाले को अधिकार है कि वह अपने संकल्प को वापस ले सकता है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

यह केवल पूँजीवाद जानते हैं, उसके अलावा और कोई बात नहीं।

श्री प्रियदर्शी जेतली---

मान्यवर, माननीय सदस्य आजमगढ़ को हसीन मंत्री से कहीं दुख हुआ है, कहीं सदमा पहुँचा है, उसके लिए मैं कहूँगा कि वे माननीय मंत्री जी से फिर मिले, शायद उनकी शिकायत दूर हो सके। मान्यवर, मैंने जैसे पहले कहा और फिर उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, यह सरकार इस देश के गरीबों के, मजदूरों के लिए कटिबद्ध है।

इन शब्दों के साथ कि इस पर गौर किया जायेगा, मैं इस संकल्प को वापस ले रहा हू।

श्री खैरुल बशर---

जब ब्रिटेन की फौज हारती थी, तो वह कहती थी कि बड़ी खूबसूरती से पीछे हट गये।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि श्री प्रियदर्शी जेतली को अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ।)

श्री विद्यासागर नौटियाल---

इसके वापस लेने के विरोध में मैं अपनी पार्टी की ओर से सदन त्याग कर रहा हूँ।

(श्री विद्यासागर नौटियाल सदन त्याग कर चले गये)

श्री खैरुल बशर---

मैं भी इसके वापस लेने के विरोध में सदन का त्याग कर रहा हूँ।

(श्री खैरुल बशर भी सदन त्याग कर चले गये)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

एक नीति परम्परा माननीय जेतली जी ने इस सदन में प्रस्तुत की, आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि वे इसे वापस ले रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय विष्ट जी, आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

इन्होंने इसको वापस ले लिया, इसके विरोध में मैं सदन का त्याग कर रहा हूँ।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट सदन त्याग कर चले गये)

शीत लहरी, भूख, दवा एवं वस्त्रों आदि के अभाव के कारण मरने वालों के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

"इस सदन का निश्चित मत है कि ऐसे लोग जो भीषण शीत लहरी व ठंडक में भूख से तड़पते हुए दवा एवं वस्त्र आदि के अभाव में मर गये हैं, उनके आश्रितों को लगभग 5,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाय।"

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको मालूम है और पूरे सदन को मालूम है कि इस वर्ष प्रदेश में काफी ठंडक रही और उसमें कितने व्यक्ति, कितने जानवर और कितनी फसलों की क्षति हुई है। मान्यवर, बताया यह जाता है कि पिछले वर्ष मैक्सिकों में एक एलचि चीन

नामक स्थान पर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, उसके प्रभाव से उत्तरी भारत, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में इसका प्रभाव पड़ा। हुआ यह कि उस विस्फोट में जो धूल के कण रहे, जिसके फलस्वरूप एक बहुत बड़ा गैसों का विशाल बादलों का समूह उठा, जिसमें लगभग 20 टन वजन के धूल कण रहे और वे ऊपर पहुँच कर वायु मण्डल के समान ताप वाले हिस्से में छा गये, जिसके कारण सूर्य की किरणें नीचे नहीं आ पायी और नीचे काफी ठंडक व्याप्त हो गयी। ऐसा ही एक विस्फोट डेढ़ सौ साल पूर्व हुआ था, यह उसके बाद का सबसे बड़ा विस्फोट है, उस ज्वालामुखी के विस्फोट के प्रभाव से काफी शीत लहरी रही है।

मान्यवर, यह हम जानते हैं कि आज से लगभग 20 साल पहले 1962 में ऐसी शीत-लहरी का प्रकोप देश में हुआ था। वह शीतलहरी 12 दिन तक चली थी। जिस समय मैंने संकल्प रखा था उस समय विवरण दिया था 27 दिसम्बर, 82 से 17 जनवरी, 83 ई0 के बीच करीब 15–20 हजार लोग, वैसे तो मुझे अधिकृत आंकड़े तो नहीं मिल पाये थे, लेकिन मैंने कहा था कि 15–20 हजार मौते प्रदेश में हुई थी और बहुत से जानवर मरे थे। कईयों हजार हेक्टेयर भूमि की फसल नष्ट हुई थी। अखबारों के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों को हुई थी कहाँ कितने आदमी मरे हैं।

मेरी मांग है और मैं चाहता हूँ कि इस निश्चित अवधि के अन्दर शीतलहरी से जहाँ-जहाँ जितने लोग मरे हैं, आपके पास बहुत सी एजेन्सियाँ हैं, ब्लाक हैं, पंचायत सेवक हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, तहसीलदार हैं। हर गांव तक आपकी पहुंच है। हर गांव में पहुँच कराकर आप इस आंकड़े को निकलवायें कि ऐसे कितने लोग मरे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि शासन सब को मुआवजा नहीं दे पायेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यह कहानी बाकी रह जायेगी कि जहाँ इस देश में किसी के मरने पर ताजमहल यादगार में बनती है वहीं गरीब के मरने पर उसको कफन नहीं मिलता है। कफन का पैसा चन्दा करके दिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि इस सन्दर्भ में जो भी पात्र व्यक्ति है सरकार उनकी जांच कराये जिसके पास घर नहीं रहा है दवा दारू की व्यवस्था नहीं रही है, उनके आश्रितों को सहायता दी जाय। मैंने अपने क्षेत्र महाराज गंज और गोरखपुर में 25 जनवरी से 29 जनवरी 1983 तक कैम्प लगवाया, आंकड़ों की बहुत बड़ी लिस्ट राजस्व मंत्री, मुख्यमत्री और जिले के अधिकारियों के पास भेजा कि मेरे क्षेत्र में कई दर्जन लोग मरे हैं। बहुत से जानवर मरे हैं। लेकिन कोई भी अधिकारी जांच में वहाँ जाने का अपना कर्तव्य नहीं समझा। यह सरकार मानव मूल्य को कुछ नहीं समझ रही है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ और भी माननीय सदस्य इस सन्दर्भ में राय देंगे। मैं मांग करता हूँ कि मेरे संकल्प पर खुलासा चर्चा कराये क्योंकि यह पूरे प्रदेश से सम्बन्धित विषय है।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प विशारद जी ने रखा है यह बहुत ही समीचीन है। यह विषय एक जगह का नहीं है। शुद्ध मानवीय आधार पर मानव सम्पत्ति की जो क्षति हुई है उसके संबंध में आंकड़ों में मतभेद हो सकता है लेकिन वस्तुस्थिति में किसी प्रकार का अन्तर नहीं होगा। जिस समय बड़े पैमाने पर शीत लहरी चली और सरकार के अधिकारियों ने जिस तरह उदासीनता का परिचय दिया, उसकी जितनी भर्त्सना की जाये, कम है। जब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कभी भी मंत्रि परिषद् के सदस्यों से मुझे सम्पर्क करने का अवसर मिला तो मुझे बताया गया कि अमुक जिले, विकास खण्ड, तहसील में अमुक मात्रा में धनराशि आबंटित की गई है।

मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि कहीं भी चलें, मेरे महाराजगंज तहसील को ही ले लें, जांच करा लें, तब पता चलेगा कि किस गांव में अलाव जलाने की व्यवस्था की गई थी, निराशा ही आपके हाथ लगेगी। इस तरह से अधिकारियों ने शासन को धोखे में लिया, शासन के प्रति जनता में गुस्से की भावना पैदा हो गई। हम चाहते तो उसका राजनीतिक फायदा ले सकते थे लेकिन यहाँ प्रश्न मानवीय मूल्यों का था, पगडंडियों में पड़े लोग दम तोड़ रहे थे और हम 50 रुपये का एक कम्बल भी नहीं दे सके। मरने वालों की अगर सूची बनायी जाये तो वह एक अजार्म होगी जिसकी कल्पना आप यहाँ बैठ कर नहीं कर सकते। इसमें आवश्यकता है कि हम उसका परीक्षण करायें, मानव जीवन की कीमत क्या है, इसको नहीं लगाया जा सकता लेकिन क्षतिपूर्ति के लिए जितनी भी सहायता हम कर सकें, कम होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि नये सिरे से, प्रशासन की विफलता को नजरअंदाज करते हुए जिसने कुछ नहीं किया, मंत्रियों के आदेशों की घोर अवहेलना की, कम से कम हम पूरब के लोग इसे जानते हैं कि 15–15 दिन तक कार्यालयों में कितने अधिकारी, कर्मचारी गये, उनकी उपस्थिति पंजिका में उनके हस्ताक्षर हो सकते हैं, कार्यालय के संबंध में उनकी टिप्पणी, अन्य गतिविधियाँ, अपने घर में बैठे ही हो रही होंगी, यह सब सम्भव है, लेकिन हकीकत यह है कि कार्यालयों में लोग 15–15 दिन नहीं गये, कार्यालय बन्द रहे। इसके अलावा, उन दिनों में हीटर की कीमत, देहात के लोग तो जानते नहीं लेकिन शहरी क्षेत्र में लोग परिचित हैं, उसकी कीमत डाई गुना तक बढ़ गयी और ऐसी भी स्थिति आ गयी कि उसका मिलना भी मुश्किल हो गया था। यह इस बात का प्रतीक है कि वस्तु स्थिति की गम्भीरता और भयन्करता किस हद तक थी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, मैं सरकार पर आरोप लगाने नहीं खड़ा हुआ हूँ लेकिन यदि वास्तविकता का वर्णन न करूँ, वास्तविकता को आदरणीय सदन में न रखूं, तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने दायित्वों का निर्वाहन करने से वंचित होता हूं। जितने बड़े पैमाने पर, जितनी तत्परता से, जितनी सक्रियता के साथ ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिये वह किन्हीं कारणों से नहीं किया गया।

मेरी मांग है, माननीय राजस्व मंत्री जी भी बैठे हैं, कि इनकी यथा संभव सहायता की जाये। 50 हजार देंगे या 5 हजार देंगे यह मैटर नहीं करता। मैटर यह करता है कि जो कुछ आपके पास है उसे देने में कितनी तत्परता है। जो आप चाहते हैं उसे आपके मातहत लोग कहां तक अमली जामा पहनाने में सफल होते हैं। मेरा आरोप है, सरकारी अधिकारियों ने, नौकरशाही ने जिस उदासीनता का परिचय दिया है, उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती कि प्रदेश के बहु संख्यक लोगों ने, गरीबों ने, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, ओढ़ने को चादर नहीं है किस प्रकार से इस शीत लहरी का मुकाबला किया होगा। बाप के सामने मासूम बच्चा किस तरह से तड़फ कर मर गया। बुढ़िया के सामने उसका बुड्ढा किस तरह से हाफते हुये दम तोड़ गया। यह सब अपने आप में साधारण बात नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूँगा कि इस संकल्प को विवाद और बहस का मुद्दा न बनाया जाये। इस संकल्प को जिस भावना से जिस स्पिरिट से माननीय विशारद जी ने प्रस्तुत किया है, उस भावना को समझते हुये, नये सिरे से जिन लोगों की जाने गयी हैं, जो लोग विवश होकर मौत की गोद में गये हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुँचानी चाहिये।

इस दिशा में सरकार को सक्रिय रहना चाहिये । यह संकल्प इस बात का प्रतीक होगा कि सरकार इस दिशा में कितनी जागरुक है ।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी---

अधिष्ठाता महोदय, यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, इसमें दो राय नहीं हैं, अच्छा है । मैं चाहूँगा कि इस शीत लहरी में लोग जो मरे हैं, उनको अधिक से अधिक सहायता दी जाये । मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ । हमारे आदरणीय सदस्य ने कहा कि इससे पहले एक शीत लहरी आयी थी । उसके बाद 77–80 के बीच में कोई शीत लहरी नहीं आई ।.....

एक सदस्य--

पहले कब आयी थी ।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--

एक ही मिनट समय लूँगा । सुन लें । क्या उस तरफ से किसी ने महसूस किया था उस समय जब शीत लहरी आई थी कि सहायता दी जानी चाहिये ।.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

दो-तीन मिनट में विष्ट जी आप सुझाव देते हुये कहें ।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया, यह कई प्रश्न पैदा करता है । इस मुल्क को आजाद हुये 35 वर्ष से अधिक हुआ । कई बार सदन में यह बात आयी कि गरीबी की रेखा से नीचे के जो लोग हैं, उनको उठाने के लिये सरकार कई प्रकार के कार्यक्रम चला रही है । मैंने भी कई बार इस बात को इस आदरणीय सदन में कहा कि 35 वर्षों से आज तक ओले से, शीत लहरी से, बगैर दवा के कोई अमीर आदमी नहीं मरा । सारे के सारे गरीब ही मरे । और गरीब भी वह मरता है जिसके पास न तो खाने के लिये रोटी का इन्तजाम होता है और न पहनने के लिये कपड़ा होता है । हम जब वोट माँगने के लिये जाते हैं तो गरीबों के उत्थान का बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं । यहाँ आने पर आप उनका खयाल क्यों नहीं करते ? गरीब चाहे पहाड़ का रहने वाला हो, चाहे वह गोरखपुर का रहने वाला हो, उसका खयाल आपको करना चाहिये । यह सही है कि पहाड़ पर शीतलहरी नहीं आती, प्रकृति की वहां कृपा रहती है, पर पहले तो लोग जंगल से लकड़ी आदि सर्दी से निबटने के लिये ले आते थे, अब इस सरकार ने उस पर भी रोक लगा दी है । खैर, बीती ताहि विसारि दे, आगे की सुधि लेय, के अनुसार जो बीत गया उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है, आगे के लिये विचार करना चाहिये ।

आगे लू चलने वाली है । लू में हजारों लोग मर जाते हैं । जो लोग लू से शहर में मरते हैं उन पर तो अखबार वालों की नजर पड़ जाती है, अखबारों में उनके बारे में छप जाता है, पर जो गाँवों में मरते हैं वे कुत्तों की मौत कर जाते हैं । बड़े-बड़े आदमियों के कुत्तों के लिये व्यवस्था की जाती है, पर गरीब लोगों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की जाती । इसलिये मेरा सुझाव है कि जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, गरीब हैं, जिनके पास रहने, खाने और पहनने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिये सरकार व्यवस्था करे । सरकार को उनके लिये कुछ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सोचना चाहिये । सरकार को यह आश्वासन देना चाहिये कि प्रदेश के अन्दर शीतलहरी से, भूख से, लू से किसी भी मर्द को, औरत को या बच्चे को नहीं मरने दिया जायेगा । इन शब्दों के साथ मैं माननीय फिरंगी प्रसाद जी के संकल्प का समर्थन करता हूँ ।

डा0 बृजकिशोर मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय फिरंगी प्रसाद जी ने जो संकल्प रखा है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा । उन्होंने इस संकल्प के माध्यम से अपने जिस फर्ज का निर्वाह करना चाहिये था वह किया है । इस संकल्प को लाकर उन्होंने जन मानस को जगाने की बात की है, यह सही है । जब माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा जी बोल रहे थे उन्होंने कहा कि शीत लहरी से हजारों लोग मर गये पर सरकार ने कोई उनके लिये व्यवस्था नहीं की । माननीय ओझा जी भूल गये, मैं उनको बतालाना चाहता हूँ, जब पिछली शीत लहरी आयी थी, सरकार ने उससे निबटने के लिये क्या-क्या किया था इसे वह भी जानते हैं, कई जगह वे हमारे साथ गये हैं । श्री श्रीपति मिश्र जी को सरकार ने मान्यवर, निश्चित रूप से शीत-लहरी के मौसम में इतनी बढ़िया व्यवस्था की गई थी कि देवरिया के जिलाधिकारी ने, चाहे वह सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों और चाहे विपक्ष के सदस्य हों, एक-एक कस्बे में और एक-एक ब्लाक में, शीत-लहरी के मौके पर जगह-जगह चौराहों पर आग जलाने की व्यवस्था की थी । नगर पालिकाओं में आग जलाने की व्यवस्था की गई थी तथा गाँवों में इसकी व्यवस्था की गई थी । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि लोग सिसक-सिसक के वगैर कपड़े के मर गये । श्रीमन्, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ऐसे अतीम लोगों को, गरीब लोगों को तथा असहाय लोगों को कम्बल और चादर तथा कपड़े बाँटे गये । हर जगह पर ये सारी चीजें बाँटी इस सरकार ने ।

यह कहना कि सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, गलत है । श्रीमन्, जो मानव मूल्यों की वेदना और पीड़ा को महसूस करते हैं इस हाउस में बैठकर, उसी प्रकार हम भी उनकी वेदनाओं को महसूस करते हैं । जहाँ तक मानवता का सवाल है, चाहे वह सत्ता पक्ष के लोग हों और चाहे विपक्ष के लोग हों और यह भी जरूरी नहीं है कि कल हम यहाँ बैठेंगे, जो विपक्ष का धर्म है वही हमारा धर्म है, परन्तु एक सतर्क प्रहरी होने के कारण हमारी आपसे ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि सत्ता इस समय हमारे हाथ में है । हमारे शासन के प्रशासनिक अधिकारियों ने शीत-लहरी के मौसम में जो व्यवस्था चलाई वह निश्चित रूप से सुदृढ़, सुव्यवस्थित और सुचारु रूप से थी । श्रीमन्, मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि हमारे सम्मानित सदस्य किन आँकड़ों के आधार पर अनंगल बातें इस सदन के अन्दर कह देते हैं कि शीत-लहरी के कारण हजारों–और लाखों लोग मर गये । श्रीमन्, आँखिर हम भी उसी समाज, उसी व्यवस्था और उसी पद्धति के आधार पर यहाँ चुनकर आते हैं । हम लोगों ने कहीं यह नहीं सुना कि इससे हजारों गरीब लोग बगैर कपड़े के मर गये । एक माननीय सदस्य जो एक दिन उस पक्ष में थे, लेकिन आज इस पक्ष में हैं, उन्होंने उस समय कहा था कि हजारों-हजार भैंसे शीत-लहरी से मर गई हैं । श्रीमन्, मैं चाहता हूँ कि हमारे सम्मानित सदस्य सरकार का ध्यान जरूर आकृष्ट करें और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना उनका परम–कर्तव्य है इसीलिये जनता ने उनको भेजा है लेकिन गलत आँकड़े देकर गलत अफवाहें न फैलायें । अन्त में मैं चाहता हूँ कि माननीय श्री फिरंगी प्रसाद जी ने जो यह संकल्प रखा है उसको वापस ले लें वह तो एक समाज-सेवी हैं ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्री फिरंगी प्रसाद विशारद जी ने जो यह संकल्प रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। पूरे प्रदेश में पिछले दौर में जो शीत-लहरी चली उसके ऊपर चर्चा हो रही है। अभी हमारे माननीय सदस्य श्री मिश्रा जी ने अपनी बात यहाँ सदन में रखी और बड़े बुलन्दी के साथ कहा कि उनके जनपद में कोई भी शीत-लहरी से नहीं मरा। माननीय मिश्रा जी को इसकी जानकारी नहीं है। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से शीत-लहरी से बचने के लिये गरीबों को कम्बल, चादर तथा जगह-जगह चौराहों पर अलाव जलाने की बात कही गई है उस सम्बन्ध में मैं मान्यवर, अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूँ दूसरे क्षेत्र की मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, कि मेरी तहसील में आज भी कम्बल तहसील के तहखाने में जमा हैं तथा चादरें जमा हैं, यह सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हम शीत-लहरी से बचने के लिये गरीबों में कम्बल बाँट रहे हैं और जगह-जगह पर अलाव जला रहे हैं। माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवा लें। आज किसी भी चौराहे पर वहाँ अलाव जलाने की बात सत्य नहीं है। हाँ, सिर्फ यह अधिकारियों की फाईलों पर है। इन फाइलों को उनके कानून–गो पूरा कर देते हैं। क्या इस प्रकार से उनकी सुरक्षा की जा रही है। श्रीमन् शीत-लहरी से हजारों व्यक्ति मरे हैं यह बिल्कुल सत्य है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो हम आपको इसकी जानकारी देते हैं। और आप इसकी जांच करा लें।

श्रीमन्, शीत-लहरी में वे ही लोग मरे हैं जिनके पास पहनने के लिये कपड़े नहीं थे, रहने के लिये मकान नहीं थे तथा सोने के लिये बिस्तरा नहीं था। जो मर चुके हैं उनके परिवार को राहत के नाम पर विशारद जी ने 5 हजार रु0 की बात कही, मैं कहता हूं कि कम से कम 20 हजार रु0 देना चाहिये। आप गारण्टी लेते हैं कि हम इस प्रदेश में शीत-लहरी से और भूख से किसी को नहीं मरने देंगे, लेकिन आपकी सरकार इस मामले में फेल हो गयी है, सक्षम नहीं है कि लोगों को शीत-लहरी से बचा सके। उन लोगों को नाममात्र की राहत दी गयी है। 5 हजार रु0 के बजाय 20 हजार रु0 प्रति मृतक के परिवार को दें ताकि उसके आश्रित अपनी रोजी-रोटी चला सकें। मिश्रा जी 77 की बात कर रहे थे, 77 में तो कोई शीत-लहरी आयी ही नहीं थी। आप अपने कार्यकाल की बात करिये, गरीबों को किस तरह से राहत दी है। आपकी सरकार फेल है और गरीबों को राहत देने के नाम पर सिर्फ ढिंढोरा पीट रही है। आपको सत्ता पक्ष से इस्तीफा देकर फिर से मैदान में आना चाहिये।

डा0 बृज किशोर मिश्र––

व्यवस्था का सवाल है। इन्होंने कहा 5 हजार नहीं 20 हजार देना चाहिये। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार 1 लाख और 1 लाख 50 हजार रु0 तक देती है, ऐसी बात नहीं है।

श्री अधिष्ठाता––

यह आपकी कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोग आपस में कोई बात न कहें, मुझे माध्यम बनायें।

*श्री जिया राम शुक्ल विकल साकेती--

मा0 अधिष्ठाता जी, आपका आभारी हूँ कि संकल्प पर बोलने का अवसर दिया। मा0 विशारद जी ने जो संकल्प रखा है कि शीत-लहरी में मरने वालों को 5 हजार रु0 दिया जाय, इसके पीछे उनकी जो मानवता और सहानुभूति की भावना है, मैं उसका आदर करता हूँ, किन्तु शीत-लहरी एक प्राकृतिक आपदा, महामारी के रूप में आयी थी। उसके लिये सरकार सजग रहती है, कुछ किया भी, लेकिन महामारियों का मुकाबला सरकार पूरी तरह से नहीं कर पाती है। मैं इससे सहमत हूँ कि इसे अवश्य दिया जाय लेकिन इतनी अधिक धनराशि देने में हो सकता है कि यह सरकार समर्थ न हो। शीत-लहरी में कुछ ऐसे लोग भी मारे गये हैं जो लापरवाही के कारण शीत लहरी का शिकार हुए। जैसे मोटर सायकिल पर रात में जा रहे हैं, शीत-लहरी खा गये, उनमें से कुछ की बाद में मृत्यु भी हो गयी। मेरा सुझाव है कि इसकी सीमा रेखा होनी चाहिये कि जो भूखे लोग हैं, पीड़ित हैं, उनकी आय-सीमा रेखा से नीचे है, उन्हीं को इसे देना चाहिये।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

ऐसी कोई रिपोर्ट आपके पास है ?

श्री अधिष्ठाता---

मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूँ। मा0 गोपीनाथ वर्मा जी, यदि आपको कोई बात वजाहत के लिये करनी है, स्पष्टीकरण करना है तो मा0 सदस्य के बोलने के बाद खड़े होकर मुझसे अनुमति लेकर सवाल कर सकते हैं। यदि अनुमति नहीं होगी तो सवाल नहीं कर पायेंगे।

श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'--

यह गोपीनाथ का नाम स्त्रीलिंग से शुरू होता है, यह इसीलिए ज्यादा चुलबुलाहट करते हैं। विशारद जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर मैं सहानुभूति रखता हूं और शासन से यह अपेक्षा करूँगा कि इस ओर जो भी व्यवस्थाएँ होंगी, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे तथा माननीय सदस्य को महामारी व दैवी आपदाओं पर भी ध्यान रखना चाहिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस पर बोलने का अवसर दिया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सम्मानित सदस्य श्री विशारद जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। संविधान के निर्माताओं ने जब से देश आजाद हुआ था यह कृत संकल्प थे कि यहाँ कल्याणकारी राज्य स्थापित हो और ऐसा कल्याणकारी राज्य हो जिसमें न कोई निरीह और यतीम इंसान सड़कों पर अपनी जान को किसी महामारी या किसी शीत लहरी अथवा अन्य ऐसे कारणों से नहीं देगा। मैं यह मानता हूँ कि शासन के दिमाग में भी यह बात नहीं होगी कि इस प्रकार की ठण्डक आयेगी जिससे इस प्रकार से लोगों को अपनी जानें देनी होंगी। इस लहरी में उन्हीं लोगों की ज्यादा जानें गयी हैं जिनके पास अपनी जरूरत के वस्त्र नहीं थे जो अपना जीवन गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप इनके लिए कोई लम्बी चौड़ी व्यवस्था करें, जो आपके बस की भी बात नहीं है कि 20 हजार रु0 दें या 10 हजार, परन्तु इसमें सिर्फ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह किया गया है कि संविधान निर्माताओं की भावनाओं को पुनः उजागर किया गया है, इसलिए मैं इस ओर कुछ सुझाव रखना चाहूँगा ।

आप उनको उनकी जरूरत भर का पूरा वस्त्र तो दे नहीं सकते हैं, परन्तु उन्हें इस ठण्डक से बचाने के लिए आर्थिक सहायता कुछ अवश्य कर सकते हैं और जो भी उनके लिए आवश्यक वस्त्र हों, वह उन्हें सस्ते दामों पर अवश्य दिला सकते हैं खासकर उन लोगों के लिए आपको यह व्यवस्था लागू करनी चाहिए जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहकर इस ठण्डक का मुकाबला न कर सकने के कारण मरते हैं । उन्हें ठण्ड से बचाने के लिए रजाई व कम्बल आदि दिये जाएँ और जैसा कि अभी मिश्रा जी ने आकड़े दिये कि इतनों को यह यह चीजें बाँटी गयीं तो यह चीजें उन्हीं लोगों को मिली होंगी जो अधिकारियों के दलाल होंगे या लेखपाल के पीछें-2 घूमने वाले होंगे और मुश्किल से कुछ जरूरतमंद लोगों को यह सुविधा मिली होगी । अता माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं शासन से यह अनुरोध करूँगा कि इस संकल्प को पारित करें और एक कल्याणकारी शासन से यही अपेक्षा की जाती है कि वह प्रायश्चित के रूप में ही उन मृतकों के परिवार वालों को रु0 5 हजार की सहायता अवश्य करेगी ।

एक सदस्य—

अब गरमी आ गयी है आप शीत लहरी का की बात कर रहे है ।

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का समय दिया। इस संकल्प पर हमारे बहुत से साथियों ने अपनी -2 बातें और राय रक्खीं । मैं समझता हूँ कि शीत लहर से काफी लोगों की मौते हुयी हैं, ऐसे लोगों की सहायता अवश्य की जानी चाहिए और उनके परिवार वालों को भी अवश्य 5 हजार रु० दिया जाना चाहिए साथ ही ऐसे लोगों की सहायता कपड़े आदि भी सस्ते दामों पर दिलाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए लोई व कम्बल आदि से, ताकि उनके बच्चे आदि आयन्दा इस प्रकार की लहर से बचाव कर सकें ।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, पहाड़ों पर शीत लहरी नहीं चलती है परन्तु वहाँ से जब चलती है तो बड़े-बड़े लोगों को डगमगा देती है । कम्पेन्शेसन ऐक्ट में यह प्राविधान है कि जो मर गया है उसको कम मुआवजा मिलता है परन्तु जो घायल है उसको अधिक मुआवजा मिलता है क्योंकि उसको अपना जीवन यापन करना होता है । जैसा कि डा0 मिश्र ने कहा कि बहुत से कम्बल बांटे गए । मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में कितने ऐसे लोग हैं जो शीत से मरते हैं । शीत से मरने वालों की संख्या तहसीलदार देते हैं । और तहसीलदार सही रिपोर्ट दे देते हैं कि इतने व्यक्ति शीत लहरी से मरे हैं तो डी0 एम0, एस0 डी0 एम0 और तहसीलदार यहाँ तक कि पटवारी को जवाब देने की नौबत आ जाती है, उनसे पूछा जाता है कि इतने लोग कैसे मरे हैं । इससे बचने के लिए वह सही रिपोर्ट नहीं देते एक या दो को दिखा देते हैं कि मरे हैं ।

मान्यवर, जो 5 हजार रुपये देने की बात कही है वह बहुत ज्यादा नहीं है । आपको इसके लिए कोई क्रान्तिकारी और मुकम्मिल व्यवस्था करनी होगी । जो आदमी शीत लहरी

से मर गये हैं, लेकिन जो उनके आश्रित हैं उनको मरने से बचाये और कोई मुकम्मल व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ। इसको स्वीकार किया जाय।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, जो यह संकल्प विपक्ष ने रखा है वह वास्तव में संवैधानिक नहीं है, उसका दृष्टिकोण साफ नहीं है। कहा तो यह जा रहा कि गरीबों की हमदर्दी में यह लाया गया है परन्तु वह राजनैतिक दृष्टिकोण से लाया गया है। हमारी सरकार तो हमेशा गरीबों की सहायक रही है और उनको सदैव सहायता प्रदान की है। मुझे मान्यवर इस सम्बन्ध में केवल दो बाते कहनी है। एक तो यह है कि प्रिवेन्टिव यानी कि कोई विपत्ति आने के पूर्व ही कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाये कि वह विपत्ति आने ही न पावे और दूसरा यह कि वह विपत्ति आ जाये तो उसके उपचार के लिए व्यवस्था करना। मान्यवर, हमारी सरकार विपत्ति आ जाने के बाद उपचार की व्यवस्था करती है लेकिन प्रिवेन्टिव मेजर्स नहीं उठाती है। सत्य बात को कहने में कोई बुराई नहीं है। सरकार को आगे के लिए इसके लिए जागरूक हो जाना चाहिए। जब शीत लहरी होती है और यह खबरें मिलती हैं कि कुछ लोग मर गये हैं या बुरी हालत में हैं तो यहाँ से कहा जाता है कि लकड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए या कम्बल की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक वह व्यवस्था होती है तब तक मरने वालों की संख्या बढ़ जाती है और भौतिक रूप से लोग ग्रसित हो जाते हैं। इसके बारे में मैं आपके माध्यम से शासन से यह कहना चाहता हूँ कि हमारा जो पहला प्रिविन्टिव मेजर होता है उस पर शासन को बहुत ही जागरूक होना चाहिए जिससे हम ऐसी विपदाओं से ग्रसित न हों। जहाँ तक विपदा की बात है वह दैवी प्रकोप के रूप में गत वर्ष यहाँ पर आई। उसके बारे में यह कहा जाय कि उसका प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ा, यह ठीक नहीं है। यदि हम प्रिवेन्टिव मेजर्स रखेंगे तो निश्चित रूप से जो लोग पीड़ित होते हैं और जो रूप हमें देखने को मिलता है, वह नहीं मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने पक्ष के साथियों की बातों से अपने को सम्बद्ध करता हूं और विपक्ष के भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि वे हमदर्दी की भावना को तहे दिल से रखें और किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसे प्रस्ताव न लायें जिससे जनमानस पर उसका प्रभाव पड़े।

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ---

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय फिरंगी प्रसाद जी के प्रस्तुत संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इसके बारे में बहुत लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। सभी लोग जानते हैं कि इस तरह की विपदायें बराबर आती रहती हैं चाहे वह बाढ़ हो, सूखा हो, शीत लहरी हो चाहे जैसी विपदा हो उससे कभी न कभी हम लोगों को झूझना पड़ता है। आपका कानून है कि इस सीमा तक हम 2 एकड़, 4 एकड़ तक छूट देंगे और उसके लिये हमें तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके लिये मेरा सुझाव है कि आप एक परमानेन्ट लिस्ट तैयार कर दें कि गाँवों में जो गरीब हैं, अपाहिज हैं, लूले-लंगड़े हैं उनके लिए जोत बही की तरह एक किताब उनको दे दें जिससे कि ऐसी कोई दैवी आपदा आने पर वह आपके पास जाय और उसको वह दर्ज कर लें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था कि किसी के घर गिरने पर 300 रुपये आप उसे देते हैं लेखपाल उसको 30 रुपया ही दे देते हैं। बाकी अपनी जेबों में रख लेते हैं। इस तरह से भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं होना चाहिए । यह जो कल्याणकारी संकल्प है और इस पर 5 हजार की जो बात कही गई है वह बहुत कम हैं फिर भी इसकी आप आज यहाँ पर घोषणा कर दे कि हम इसको मानते हैं और यह निश्चय कर दें कि हम गाँवों की एक परमानेन्ट लिस्ट बना देंगे जो कि एक जोतबही के टाइप की हो और इस तरह की आपदा आने पर आप उनकी कुछ मदद कर सकें । इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस कल्याणकारी कहलाने वाली सरकार के मंत्री हैं, इसको आप मान लें ।

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

मान्यवर, दुर्भाग्यवश इस वर्ष दिसम्बर और जनवरी में यहाँ पर शीत लहरी आयी और उससे काफी लोगों को नुकसान हुआ और तकलीफ हुई। हमने पूरे प्रदेश से जो आँकड़े उपलब्ध किये उसके अनुसार हमें 109 व्यक्तियों के मरने की सूचना मिली और उस वक्त यह बात कही गई कि शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, ढिलाई की या लापरवाही की । यह सही नहीं है ।

[समय 4.25 से]

यह ऐसी आपदा थी कि उसने हर व्यक्ति को झकझोर दिया । मैंने इसमें देखा कि लोग लकड़ी गिराते जा रहे हैं, और पीछे से दूसरा आदमी आग लगाता जा रहा था। हर जिले में 15 हजार रुपये अलाव जलाने के लिए और 8 हजार रु0 कम्बल के लिए दिये गये ।

इसके अलावा अभी कहा गया कि एक लिस्ट होनी चाहिये असहाय लोगों की डेस्टिट्यूट लोगों की तो उनकी लिस्ट पहले से बनी हुई है वह करीब तीन लाख 45 हजार के करीब हैं उनको हमेशा 10 के0 जी0 प्रति यूनिट के हिसाब से प्रतिमाह अनाज बराबर दिया जाता है । तो यह कहना कि शासन की तरफ से कुछ इंतजाम नहीं है सही नहीं है । शीतलहरी से इस वर्ष ऐसा नहीं है कि जिसके पास कुछ नहीं था वही मरा, यह सही है कि उनकी संख्या ज्यादा हो लेकिन ऐसे भी लोग मरे हैं जिनके पास सब कुछ था लेकिन वे बाहर निकले एक्वोजर हो गया और मर गये उनके पास रजाई कम्बल, पैसा, दवा सब कुछ था लेकिन बच नहीं सके । जो दैवी आपदा आई उसमें हर आदमी को जो पीड़ित है असहाय है एक-एक हजार रुपये दिये गये उनके वारिशों को भी सहायता देने की व्यवस्था है । इस मद में केन्द्र से भी सहायता मिलती है और उसमें एक मानक निर्धारित है कि एक हजार रु0 की सहायता दी जायेगी । इन सब को देखना है और इस समय जो एक हजार रु0 देने की व्यवस्था है उसे ज्यादा बढ़ाना सम्भव नहीं है ।

और भी बहुत सी बातें कही गयी कि प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिये । तो इसकी भी व्यवस्था रहती है । अभी मार्च खतम हुआ हैं और अप्रैल चल रहा है दैवी आपदाओं का बजट निर्धारित होता है । हर जिलाधिकारी के पास इसके लिए पैसा रहता है कि जब दैवी आपदा आये जैसे बाढ़ से शीतलहरी से, वारिश से, आग लग जाने से कोई मर जाय तो उसके लिए जिलाधिकारी के पास सहायता के लिए पैसा रहता है पूरी तत्परता से उसमें काम करते हैं । इसी तरह शीतलहरी में काम किया गया । यह आरोप लगाना कि अधिकारियों ने कुछ नहीं किया सही नहीं है ।

सरकार के अलावा बहुत सी समाजसेवी संस्थायें हैं जो ऐसे समय में आगे बढ़ कर काम करती हैं बहुत से लोगों ने कम्बल और खाने की चीजें बांटी हैं । मानवता की दृष्टि से लोग आगे आते हैं । ऐसा नहीं है कि विरोधी पक्ष के मानवीय सदस्यों को ही पीड़ा है इधर के

बैठने वालों को भी उतनी ही पीड़ा है। वैसे इंसान बहुत आगे बढ़ गया है लेकिन दैवी आपदा जब आती है तो उससे पूरी तरह से लड़ने की अभी उसमें क्षमता नहीं है। अभी विष्ट जी ने कहा कि सरकार गारंटी ले ले कि लू से या जाड़े से कोई नहीं मरेगा। तो हम लोग तो आस्तिक हैं तो यह भी एक धारणा है कि जिसको मरना है वह मरेगा और जिसकी मौत नहीं आई है वह मर ही नहीं सकता है चाहे उसके पास कुछ भी न हो, नंगा फुटपाथ में पड़ा रहे और दूसरी तरफ कोई रजाई ओढ़े है सुबह वह ऐंठा हुआ मिलेगा। तो इस तरह की बात है। इस समय मौजूदा स्थिति में जो व्यवस्था है एक हजार रुपये देने की तो वही है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि कुछ ऐसे लोग भी मरे हैं जिनके पास रजाई और पैसा भी था, तो क्या मंत्री जी उनके नाम बतायेंगे और ऐसे कितने लोग थे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इस संकल्प पर कुछ ही ऐसे मा0 सदस्य मिले जिन्होंने इस ठंडक में मरने वालों के लिये कहा कि कुछ लोग लापरवाही से अपनी गलती से मरे हैं। मैं नहीं समझता कि कुछ बुड्ढे भी जो 2–4 दिन जीने वाले हों तो वह भी नहीं समझते कि वह अभी मर जायं, लेकिन जो श्री जियाराम विकल साकेती ने कहा, तो यह उनका दोष नहीं है क्योंकि जो कवि लोग हैं वे जहां अंधकार और प्रकाश पहुँचता है वहां तक वह पहुँच जाते हैं किन्तु उनकी बात में कोई दम नहीं है कि वह इस चीज को साबित करें।

मान्यवर, दूसरी बात डा0 बृज किशोर मिश्र ने कहा कि बहुत अच्छी व्यवस्था थी सरकार की ओर से हमारे जिले में। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि श्री मिश्र और श्री वीर बहादुर सिंह, जो मंत्री हैं और सामने बैठे हैं, हम लोग पड़ोसी हैं, एक जिले के हैं, उनको पूरी बात याद होगी कि मंत्री जी हमारे यहां गये थे, लकड़ी के लिये जिलाधिकारी को बुलाया, लकड़ी उस समय गोरखपुर में नहीं मिल रही थी, निगम ने सारे वनों को ले लिया है, तो उनको जो परेशानी हुई उसको वह जानते हैं। जिसके संबंध में आप उनसे पूछ लेंगे कि क्या स्थिति वहां रही।

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि 109 व्यक्ति मरे, तो मैं स्पष्ट बता दूं कि मंत्री जी ने और शासन ने तय किया है कि शीतलहरी में मरने वालों का पता लगाया जाय कि वे लोग कैसे मरे हैं। इसके लिये इनके कुछ कर्मचारी गांवों में जाते हैं और कहते हैं कि क्या उनको टी0 बी0 थी, तो वह कहते हैं कि कुछ बीमार थे और इनके कर्मचारी लिख देते हैं कि पहले से बीमार चले आ रहे थे। इसी तरह किसी को कहते हैं कि पहले से बुखार आ रहा था। इस तरह यह पुलिस और अपने अधिकारियों द्वारा, ज्यादातर पुलिस हस्तक्षेप कर रही है, कि उनको टी0 बी0 पहले से थी, पहले से बीमार थे और इस तरह के आंकड़े मंगाये जा रहे हैं।

मान्यवर, अब मैं एक मानवीय विचार से कह रहा हूं कि मंत्री जी इतना अपराध न करें, क्योंकि आप भी निकट भविष्य में यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आप से बहुत उम्मीदें हैं, कि इस प्रदेश में गरीब मरे हैं और उसका जो कारण ढूँढवा रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। मान्यवर, उदाहरणस्वरूप बताना चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से गोरखपुर के इस संबंध में जांच के लिये श्री वीर बहादुर सिंह जी को नियुक्त कर दें और वहां महाराजगंज तहसील को ले लें तो देखें कि वहां कितने लोग मरे हैं। अब मैं अधिक न कहकर इतना ही कहूँगा कि जो पात्र व्यक्ति इसमें आते हैं जिनके न रहने के लिये घर है और न रोजी रोटी का सहारा है,

उनको 5 हजार रुपये, जो कि सरकार के लिये कोई खास बात नहीं है सहायता देने के संबंध में, जो मैंने संकल्प प्रस्तुत किया है उस पर बल देते हुये मैं सरकार से यह आशा करता हूँ कि पुनः गांवों का आप सर्वे कराकर रिपोर्ट मँगवा लें, वास्तव में कितने लोग मरे हैं और उसके आधार पर मैं चाहूँगा कि, तभी आप निर्णय लें तो उचित होगा।

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, माननीय सदस्य फिरंगी प्रसाद जी ने यह कहा कि आंकड़े देने में कुछ संकोच होता है और वह किसी को टी0 बी0 लिख देते हैं, किसी को कुछ लिख देते हैं। लेकिन यह उनकी पुरानी धारणा है। हमने हर जिले से रिपोर्ट मँगाई है, यहां तक कि निल भी है तो उसकी भी रिपोर्ट मँगाई है। मैंने उनसे कहा है कि आपके यहां कुछ नहीं है तब भी आप रिपोर्ट भेजिए। तो मैंने कोई छिपाने की सदन से या किसी से कोई बात नहीं की है, इसकी हमने कोई जरा भी कोशिश नहीं की है। पूरे फीगर्स मँगाये गये हैं। जहां-जहां कोई घटनाएं हुई हैं। उनकी इस प्रकार की धारणा अंग्रेजों के समय की है। छिपाने की इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि वह सरकार की लाठी से तो मरे नहीं, भगवान् की लाठी से मरे हैं। इसमें बताने में हमें क्या दिक्कत है। तो यह उनकी धारणा बहुत पुरानी है, उससे हम सहमत नहीं हैं। अब मैं और अधिक कुछ इस पर न कहकर निवेदन करूँगा कि वह इसको विथ ड्रा कर लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मंत्री जी ने अपने भाषण में बहुत भावुक ढंग से कुछ विस्तार से कई जगह यह बात कही है कि आदमी तो भगवान् की माया से मरता है। यह सही है, लेकिन सरकार का कर्त्तव्य है कि वह प्रिवेन्टिव राहत कार्य करे, ताकि इंसान कम से कम कुत्ते की मौत न मरने पाये। तो मैं यह सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यह जो आपकी धारणा है उसके चलते कहीं आप प्रिवेन्टिव राहत कार्यों को बिलकुल ही समाप्त करने पर तो विचार नहीं कर रहे हैं।

श्री बैजनाथ कुरील--

यह प्रिवेन्टिव कार्यों और राहत कार्यों के लिए जो मैंने कहा है, उससे ऐसा लगता है कि या तो मानवीय सदस्य उस समय यहां मौजूद नहीं थे या उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि सरकार के काम में कोई ढिलाई हुई है—ढिलाई न हुई है न होगी। मैंने तो यह कहा, जब कहा गया कि वही लोग मरे हैं, जिनके पास रजाई और कम्बल नहीं थे, कि ऐसे भी तमाम लोग मरे हैं जिनके पास सब कुछ था। सब कुछ होते हुए भी लोग अपनी मौत मरे हैं, एक्सपोजर हो गया इसलिए मर गये। कुछ लोग मानते हैं कि जब तक मौत नहीं आएगी, कोई मरने वाला नहीं है, कोई किसी तरह से किसी को मार नहीं सकता है, कोई मर नहीं सकता है। वही धारणा मैंने बताई जो हमारे मुल्क में प्रचलित है। जो हम लोगों की धारणा बनी है, लेकिन सरकारी कार्यों में उसका कोई दखल नहीं है।

*श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'---

विशारद जी ने कुछ आक्षेप किये। वहाँ इतनी शीतलहरी थी, तो कमाल पाण्डेय जी ने, यानी माताप्रसाद पान्डेय और कमाल यूसुफ साहब ने जो वहां एक कवि सम्मेलन और मुशायरा किया था, उसमें उस दिन भयकर शीतलहरी थी, फिर भी हजारों लोग उपस्थित हुए थे, जो मामूली कमीज पहनकर आए थे, किसी को जुकाम तक नहीं हुआ, इतना अच्छा इन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों का उस दिन का इंतजाम था । मेरे कहने का मतलब यह है कि लापरवाही होगी भूल से तो ऐसा होता है, लेकिन थोड़ा भी इंतजाम होने पर ऐसा नहीं होता है । अब मैं इस बारे में एक शेर पढ़कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ ।

"मैं तो पानी की बात करता हूँ, यह जवानी की बात करते हैं,
आजकल झोपड़ी के तिनके भी राजधानी की बात करते हैं ।

श्री बिहारी लाल---

शेरो शायरी तो मुझे आती नहीं है, लेकिन मैं अपने पहाड़ की बात करना चाहता हूँ कि 27 मार्च को पर्वतीय क्षेत्र में बड़े-बड़े और भयानक ओले पड़े हैं, लेकिन देवी जी की कृपा से.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिए, कैसे बोल रहे हैं ?

श्री बिहारी लाल—

माननीय नारायणदत्त तिवारी जी उस क्षेत्र से एम0 पी0 हैं और उस क्षेत्र से मैं विधायक हूँ कुफललाधाम.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपको बिलकुल समय नहीं है, आप बैठ जाएँ ।

(व्यवधान)

श्री बिहारी लाल--

वहां पर तमाम हरिजन लोग पीड़ित हैं, इस पर भी मंत्री जी विचार कर, दया करके थोड़ा बहुत इनको दिलाने की कृपा करें ।

(श्री फिरंगी प्रसाद विशारद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर मैं शेर का जवाब देना चाहता हूँ ।

श्री अनवर खां—

मान्यवर, अगर आपने इसका सिलसिला शुरू कर दिया, तो यहां भी कोई कम नहीं है, सारी रात इसी में बीत जायगी ।

श्री अधिष्ठाता—

यह सदन है, यह कोई मुशायरागाह और कवि सम्मेलन नहीं है कि शेर का जवाब शेर से हो, तो फिर चीते कहां जायेंगे ।

माननीय विशारद जी, आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, इस संकल्प को वापस लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है । मान्यवर, माननीय वीर बहादुर सिंह को एक जिला केवल गोरखपुर दे दें, वह जांच कर लें कि वहां पर राहत के नाम पर एक कम्बल या कोई चीज बँटी है या नहीं । मान्यवर, राहत के नाम पर कोई भी चीज नहीं बँटी है । मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि ऐसे लोग जो भीषण शीतलहरी व

ठंडक में भूख से तड़पते हुए दवा एवं वस्त्र आदि के अभाव में मर गये हैं, उनके आश्रितों को लगभग 5,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अधिष्ठाता---

आज दिनांक 6–4–83 को नियम 51 के अन्तर्गत 4 सूचनाएँ प्राप्त हुई, जो इस प्रकार हैं—

1–श्री शिव मंगल सिंह की, श्री सुनहरी लाल जिला मैनपुरी को बंजर भूमि का पट्टा न दिये जाने के संबंध में ।

2–श्री सुल्तान सिंह की, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में ।

3–श्री रियासत हुसैन व श्री अकबर हुसैन की, लखनऊ के थाना सहादतगंज के अन्तर्गत कु0 जया गुप्ता की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में ।

4–श्री राम गोविन्द की, इटावा में डकैतों द्वारा बस लूटे जाने के सम्बन्ध में ।

ये चारों सूचनाएँ अस्वीकृत हुई ।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री राम गोविन्द---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है ।

श्रीमन्, इसमें बोर्ड के पुनर्गठन का प्राविधान किया गया है लेकिन बोर्ड में किस योग्यता के लोग रहेंगे, जो सदस्य रहेंगे उनकी योग्यता क्या होगी, उनका स्तर क्या होगा इसके विषय में इसमें कुछ नहीं कहा गया है । इसके जरिये इन्होंने पूरे बोर्ड को फिर से ब्यूरोक्रेसी के हाथों में दे दिया है । आप देख लें, जितने भी इस तरह के निगम हैं, चाहे विद्युत बोर्ड हो या सड़क परिवहन निगम हो, सारे जो निगम हैं वह आज घाटे में चल रहे हैं । आई0 ए0 एस0 निगमों को चला रहे हैं । यह संस्था जो सार्वजनिक संस्था थी इसको भी इन्होंने आई0 ए0 एस0 अधिकारियों को देकर इसको लूट खसोट का अड्डा बनाने का काम किया है ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हर बार इस सदन में बजट पास होता है और उसमें खादी तथा ग्रामोद्योग का भी बजट हम पास करते हैं । लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि विधान मंडल का इसमें उत्तरदायित्व क्या है । क्या आपने इसमें विधायकों को रखने का कोई प्राविधान किया है । हम इतना धन देते हैं । धन खर्च होता है, तो इसमें इतना भी आवश्यक नहीं समझा गया कि इसकी देख-रेख के लिये किसी भी दल के सदस्यों को इसमें रखा जाय । श्रीमन्, इन्होंने 7 गैर सरकारी लोगों को नामिनेट करने की व्यवस्था रखी है । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि यह जो 7 गैर सरकारी लोग होंगे इनकी योग्यता क्या होगी इनका स्तर क्या होगा । क्या ग्राम विकास परिषद में जिस तरह से इन्होंने अपने दल के लोगों को नामिनेट करके कह दिया है कि ग्राम विकास में इनकी रुचि है कहीं ऐसा तो इसमें नहीं करेंगें । इनकी कोई स्पेसिफिक योग्यता है कि नहीं । बड़ी अंधकारमय स्थिति है । तो

अस्पष्ट तरीके से पूरे बोर्ड को ब्यूरोक्रेसी के हाथों में सौंपने का काम आपने किया है। इसमें धारा--11 में कार्यपालक की नियुक्ति का प्राविधान किया गया है। कार्यपालक की क्या योग्यता होगी इसमें कुछ दर्शाया नहीं गया है। कार्यपालक का स्तर क्या होगा इसको भी नहीं दर्शाया गया है। सारा काम वित्त सम्बन्धी, नियंत्रक सम्बन्धी, कर्मचारियों सम्बन्धी, कार्यपालक के जिम्मे सौंप दिया गया है। तो इस तरह से इस विधेयक को लाकर मंत्री जी ने सदन में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है।

श्रीमन्, आप भी जानते हैं कि एक विचार से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गयी थी। जहां तक मुझे जानकारी है, हिंदुस्तान में यह संस्था सबसे धनी संस्था के रूप में काम करती है और उद्योगों को बढ़ावा दे रही है गांवों में। सार्वजनिक स्तर के लोग इसके माध्यम से, गांवों में, देहाती इलाकों में उद्योग खोलने का काम और विकास का काम करते हैं। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपका इस पर कोई नियंत्रण है ? कितने ही ऐसे लोग हैं श्रीमन् कि इस संस्था से रुपया तो ले लेते हैं, कागज पर उद्योग खोल देते हैं, पैसा खा जाते हैं, और उधर से विभागीय लोगों की आपसी रजामंदी से मामला रफा-दफा हो जाता है। गांधी जी के जिन भावनाओं के अनुरूप, आचार्य कृपलानी जी की जिन भावनाओं के अनुरूप खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गयी थी, वर्तमान समय में उसकी हत्या होते हुए भी देखी जा रही है। श्रीमन्, अभी इन्होंने एक प्राविधान निकाला था कि कुम्हार जाति के लोग जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से, कमीशन से, लाइसेन्स से ईंट-भट्टें खोलेंगे, उन पर बिक्री कर नहीं लगेगा, लेकिन पुनः इन्हीं भट्टों से बिक्री कर वसूली की नोटिस जारी कर दी गयी। तमाम भट्टे, जो बोर्ड के लाइसेंस से हैं, उनको बिक्री कर वसूलने के नोटिस जारी कर दिये गये। इसमें कोई स्पष्ट नीति ही नहीं है इनकी। हालांकि मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी पकड़ इस संस्था पर हो, तो निश्चित रूप से यह एक बेकारी दूर करने की दिशा में काम कर सकती है।

जो गांधी जी का सपना था, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का सपना था कि हम गांवों को मजबूत करेंगे, हम गांवों का विकास करेंगे, लोकतंत्र हिन्दुस्तान में तब तक मजबूत नहीं होगा, जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि दाल खरीदने के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ। इस संस्था में दाल खरीदने के लाइसेंस दिये गये। परन्तु दाल खरीदी ही नहीं गयी और गलत सही रसीदें इधर उधर से दे दी गयी। तो, यह विकास की दिशा में काम करने की बात तो अधिक इस संस्था में की जाती है, लेकिन इसमें पैसे का घोटाला करने वाले लोगों की घुसपैट हो गयी है और यह लोग बोर्ड को बदनाम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विधेयक में सारी जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिये, उन कमियों पर सही राय लेने के लिए, जनता से, बुद्धजीवी लोगों से, खादी भावना से प्रेरित लोगों की राय जानने के लिए इस विधेयक का अनुनोमोदन के लिए भेज दिया जाय और उसके बाद पुनः आप इसको अच्छे विधेयक की शक्ल में ले आये, तो अच्छा होगा। इसलिए मैं पुनः अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

*उद्योग एवं सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1982, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, अभी राम गोविन्द जी बोल रहे थे, तो हमें उनकी बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, जो विधेयक की मन्शा है, वही बात वे बोल रहे थे, कोई दूसरी बात नहीं बोल रहे थे । मान्यवर, इस खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के सन् 1974 से लेकर के सन् 1981–82 तक जो उसके कार्यकलाप रहे हैं, उसको आप देखिये, तो उत्तर प्रदेश में उसके द्वारा जितना काम होना चाहिए था, नहीं के बराबर काम हुआ है । वह लगभग 12 करोड़ रुपया इस प्रदेश में वितरण किया, जबकि सैकड़ों-करोड़ों रुपये का काम होना चाहिए था, इतनी बेकारी है, इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके जो कार्यकलाप थे, उससे यहाँ काम अच्छा नहीं हुआ । शायद माननीय राम गोविन्द चौधरी जी को मालूम नहीं है कुछ ऐसे रुपये हैं, करोड़ों में जिसका हिसाब किताब ठीक नहीं है, मान्यवर, मैं उसकी जांच करा रहा हूँ । अभी आपने देखा होगा कि बोर्ड की हमने नामजदगी नहीं की । इसीलिये नहीं की कि उसके सारे पहलुओं पर हम जांच करा रहे हैं । जहां जितनी कमियां है उनको पूरा करा रहे हैं ।

आपने सुना होगा और अखबारों में पढ़ा होगा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सचिव के पद की शिकायत रहती थी और बहुत से कर्मचारियों के बारे में शिकायत रहती थी । मैंने उनको रिवर्ट करके निलम्बित करके उनका पद समाप्त कर दिया है और जो लोग है उनके खिलाफ गम्भीरता से जाँच करा रहे हैं । बोर्ड का जो गठन किया गया है इसमें कैसे लेखा जोखा उसका हिसाब किताब ठीक से रखा जाय और किस प्रकार से अधिकारी के ऊपर उसकी पूरी जिम्मेदारी जाय कि जो पैसा है उनका दुरुपयोग न हो और ठीक ढंग से काम चले तथा इसके साथ–2 जहाँ बेरोजगारी है जैसे बुन्देलखण्ड, पहाड़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य यू0 पी0 में, जहाँ पर हम जो काम करना चाहते थे नहीं कर पाये, उसके लिये इसमें इतना संशोधन किया गया है । मान्यवर पहले सचिव खादी बोर्ड का मुख्य प्रशासनिक अधिकार था अब सचिव का पद समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद की व्यवस्था है । मुख्य कार्यपालक अधिकारी भारी प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है । इसके अतिरिक्त वित्त सलाहकार के पद की व्यबस्था भी की गई है ।

इसके अतिरिक्त खादी बोर्ड के 15 सदस्य थे और उद्योग मंत्री खादी बोर्ड के अध्यक्ष थे । बोर्ड में 5 सरकारी तथा 8 गैर सरकारी सदस्य थे । अब यह प्रस्ताव है कि बोर्ड का सभापति प्रभारी मन्त्री खादी तथा ग्रामोद्योग होगा । 4 सरकारी तथा 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे जो ग्रामोद्योग के विकास के विषय में काफी अनुभव रखते हों । इन गैर सरकारी सदस्य में से एक खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के सभापति के परामर्श से उप-सभापति नियुक्त किया जायेगा । इसके अलावा अधिनियम की धारा 5 में संशोधन किया जा रहा है ।

अधिनियम की धारा 13 में यह प्राविधान था कि बोर्ड की ओर से प्रत्येक संविदा और सम्पत्ति का हस्तान्तरण पत्र उपाध्यक्ष या सचिव या बोर्ड के ऐसे अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत हो । इस धारा को संशोधित करके अब यह प्राविधान किया गया है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड की ओर से प्रत्येक संविदा और हस्तान्तरण-पत्र निष्पादित करेगा । इसकी रीति नियत की जायेगी ।

अधिनियम की धारा 26 जिसमें बोर्ड की निधि की स्थापना का प्राविधान है, को यथा आवश्यकता संशोधित किया जा रहा है और बोर्ड के बैंक के लेखों का कार्य मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

अधिनियम की धारा 31 में संशोधन करके बोर्ड के लिये 2 समितियों की स्थापना की जा रही है । एक चयन समिति तथा दूसरी वित्त समिति । चयन समिति में 4 सदस्य होंगे । जिसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभापति कहलायेगा । वित्त समिति में आठ सदस्य होंगे ।

इसमें बोर्ड सलाहकार नियुक्त कर सकता है इसका प्राविधान किया गया है । माननीय सदस्य राम गोविन्द चौधरी ने कहा क्या अनुभव होगा क्या योग्यता होगी, क्या क्राइटेरिया होगा ? मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई नयी बात नहीं की गई है । क्राइटेरिया वही है । इसमें सभापति पार्ट टाइम नहीं होगा उसको पूरा टाइम देना होगा । ताकि बोर्ड का काम ठीक हो ।

जो संशोधन किया गया है उसमें सारी कमियों को दूर करने का प्राविधान किया गया है । मैं तो समझता था कि माननीय सदस्य इसका स्वागत करेंगे । जो बिगड़ी हुई चीज थी जो कमियाँ थी उनको दूर करने के लिये अंशोधन करके इसको लाया गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि...न कोई बहुत बात की जरूरत है, जो आपकी मंशा है, वही इस विधेयक में ली गयी है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1982 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

अधिष्ठाता महोदय, इस बात में कोई बहस नहीं और मैं मन्त्री जी से सहमत हूं कि बोर्ड के गठन में परिवर्तन की आवश्यकता थी । उसमें भीषण भ्रष्टाचार व्याप्त था, मैं उदाहरण नहीं देना चाहता लेकिन फर्जी समितियों का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस देना और सबसे बड़ी बात बिक्री पर फर्जी छूट, करोड़ों रुपये का घोटाला था । मैंने स्वयं देखा है कि न कोई हिसाब, न बैलेंस शीट, न जाँच की व्यवस्था न कोई रिकार्ड, सब भगवान के सहारे पड़ा है । इसीलिए मैंने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप यह करने जा रहे हैं, उसकी पूर्ति इसके जरिये नहीं होगी । मन्त्री जी का भाषण मैंने सुना, लेकिन एक उच्च स्तरीय कमेटी इसके भ्रष्टाचार के लिए जो बनी थी, उसकी रिपोर्ट पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया । इनके सचिवों ने जो भाषण तैयार करके दिया उसी को देख लिया अगर किंचित भी उस पर ध्यान देते तो इस विधेयक को रुकवा देते और कहते कि यह फिर से ड्राफ्ट होगा और जो रिपोर्ट में संस्तुति की गयी है उसको इसमें स्थान देते ।

केन्द्रीय कृषि मन्त्री राव वीरेन्द्र सिंह जी भाषण मैंने सुना था उन्होंने कहा था कि इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु इसका जो राजनीतिक करण हो रहा है उसको खतम किया जाये लेकिन जब मैंने संशोधन देखा तो इसमें उसका कोई प्राविधान नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वित्त के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी इसलिए इसमें आपने उसकी व्यवस्था कर दी वित्तीय समिति बना कर और इसको अधिकार दिया गया कि वह वार्षिक लेखा तैयार करेगी लेकिन उसकी एकाउण्टीबिल्टी किसकी होगी। जैसे राज्य विद्युत परिषद में है, वह सदन के पटल पर रखी जायेगी, नियमावली में हम बंधे हैं कि इस तरह की स्वायत्त शासी संस्थाओं की भीतरी प्रक्रिया में चर्चा नहीं कर सकते लेकिन उसकी बैलेंसशीट सदन के पटल पर आनी चाहिए, इसकी व्यवस्था करते, इससे उनकी एकाउण्टीबिल्टी पर चर्चा होती, आपने उसका कोई प्राविधान नहीं किया। सब जगह आपकी नजर है लेकिन जहाँ इस तरह की संस्थायें हैं, कैसे उन लोगों की व्यवस्था कर दें, यह बात बार-बार आती है समझ में कि जिनकी रोजी-रोटी का सवाल है जिन्हें जनता ने चुनाव में ठुकरा दिया, राजनीतिक स्तर पर जिन्हें ठुकरा दिया, आपने कह दिया कि नामांकन करके, अगर उस रिपोर्ट को आप देखते, आपके अधिकारी इतने समझदार हैं कि वह रिपोर्ट आप को दी ही नहीं होगी, आपके पास टेबिल पर होगी ही नहीं, उसमें स्वीकार किया है कि बड़ा भारी बोर्ड था, 16 की संख्या कम करनी है, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, नामांकित करने की केवल 4 होनी चाहिए, हो गयी, क्योंकि आपकी ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि उसने आपको विचारने का मौका ही नहीं दिया। मैंने उस दिन सवाल उठाया था कि जब तक वह रिपोर्ट नहीं होगी तब तक हम इसको पेश नहीं करने देंगे अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था हुई थी कि पेश नहीं होगा। आज विधान परिषद के बहाने यहाँ पर आया। मेरे पास रिपोर्ट है। मेरे हाथ में है। आपकी मेज पर नहीं होगी। अधिकारियों ने आपको पढ़ने का मौका नहीं दिया होगा। उसका एक अंश पढ़ रहा हूँ।

अधिनियम के अनुसार बोर्ड के कम से कम 14 तथा अधिक से अधिक 16 सदस्य हो सकते हैं। समिति के विचार से इतनी अधिक सदस्य संख्या बोर्ड के कार्य के सुचारु रूप से संचालन के लिये ठीक नहीं है। एक छोटा बोर्ड होने से कुशल संचालन तथा तत्पर निर्णय संभव हो सकेगें। अत: समिति का सुझाव है कि बोर्ड की सदस्यता कम होनी चाहिये। चार गैर सरकारी सदस्य इनको मनोनीत करते थे। इन्होंने सात कर दिया जिससे राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सके जिन्हें मंत्रि-मंडल में स्थान नहीं मिल पाया या जिन्हें जनता ने ठुकरा दिया। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई, पैसा खर्च किया, उसके बाद रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फाड़कर फेंक दिया। चार की जगह पर सात नाम कर दिया। इन्हीं सात में से एक आदमी उपाध्यक्ष बनाया जायेगा जो कि पूर्ण कालिक होगा। अब तक पूर्ण कालिक नहीं होता था। अब पूर्ण कालिक कर दिया गया। वेतन-भत्ता और तनख्वाह की व्यवस्था कर दिया। ठुकराये हुये आदमी को जिसको मंत्री नहीं बना पाये, विधायक नहीं बना पाये, जनता द्वारा ठुकराये हुये आदमी को कार बँगला की व्यवस्था कर दी।

मान्यवर, कमेटी की रिपोर्ट को देखें। वह जानती है कि सरकार राजनैतिक तौर पर इन्टैंगिल हुआ करती है। राजनैतिक प्रभाव को समाप्त करने के लिये ही इस तरह के लोगों की सिफारिस की थी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति की गयी। इसके लिये कहा गया कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर ऐसा व्यक्ति रखा जाना चाहिये जो प्रशासन के क्षेत्र में कुशल होने के साथ-साथ दीर्घकालीन अनुभव व पर्याप्त ज्येष्ठता रखता हो। इस पद का धारी सरकारी अधिकारी होना चाहिये। उसके स्थान पर आपने क्या व्यवस्था की।

विधेयक की धारा 4 (1) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें

लिखा है कि राज्य सरकार ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसे व्यक्ति को जिसके अन्तर्गत सरकारी सेवक भी है जिसे वह उचित समझे आप देखें कि ऐसे व्यक्ति को नामिनेट करेगें जिसके अन्तर्गत सरकारी सेवक भी हैं । रिपोर्ट की संस्तुति के अनुसार सरकारी सेवक होना चाहिये । अब किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं, सरकारी सेवक होने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया । कल किसी ए0 बी0 सी0 डी0 को नामिनेट कर देंगे । संस्तुतियों की मंशा समाप्त हो जायेगी । मंत्री जी ने बड़े ढंग से कहने की चेष्टा की कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने का रास्ता निकाला गया लेकिन यह बढ़ावा है। कहा गया कि सलाहकार समिति नियुक्त करेगें । सलाहकार होगें । धारा 10 में दिया है कि सलाहकार समिति में, राज्य में प्रत्येक आयुक्त मंडल से एक-एक प्रतिनिधि होगा जो खादी और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में रुचि रखता हो । खादी पहनना तो कोई भी प्रारम्भ करता है । खादी पहनना रुचि का प्रतीक नहीं है । माननीय चतुर्वेदी जी को याद होगा कि यह सपथ ली गयी थी कि गाँधी दर्शन में विश्वास करने वाला खादी पहनेगा । मान्यवर, आज विश्वास हो गया है कि गाँधी जी के दर्शन की तो यहाँ रोज हत्या होती है । आज आपके कपड़े क्या हैं टेरीकॉट और टेरालीन और सफारी सूट है । इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि आपकी आस्था कितनी है गाँधी दर्शन में । मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ आज खादी बोर्ड से आपकी आस्था समाप्त हो गई है । आज आपकी नजरों में केवल वही लोग नियुक्त किये जायेंगे जिनको आप राज-नैतिक दृष्टि से ओबलाइज करना चाहते हैं चाहे वे लोग गाँधी--दर्शन और गाँधी वाद में आस्था रखते हों अथवा नहीं ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि आपको जो यह बताया गया है, यह भी गलत बताया गया है । वहाँ पर संख्या घटाने के बजाय बढ़ा दी गई है ताकि अपनो पार्टी का दलीय वर्चस्व वहाँ पर स्थापित हो जाय जिसके खिलाफ केन्द्रीय मंत्री श्री राव वीरेन्द्र सिंह जी ने अपना भाषण दिया । मान्यवर, दूसरी बात यह है, आपने कहा कि समितियाँ बनाई जाय, सलेक्सन कमेटी बनाई जाय इम्प-लाइज को रखने के लिये । आपकी जो रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में जो अनुशंसा की गई है उसमें कहा गया है कि दो चयन समितियाँ बनाई जांय क्योंकि कुछ कम स्तर के कर्मचारियों का चयन करना होता है और कुछ उच्च--स्तर के कर्मचारियों का चयन करना होता है । लेकिन आपने दो चयन समितियों की जगह पर केवल एक चयन समिति बनाई । यह निश्चित है कि उस पर काम ज्यादा हो जायेगा । चयन समिति को यह भी अधिकार दिया जाना चाहिये, जिस तरह से अन्य सर्विस कमीशनें बनी हुई हैं, उनके कर्मचारियों की सेवा–शर्तें बनाना, उनको निकालने पर विचार करना, उनके खिलाफ डिसीप्लेनरी कार्यवाही करना आदि, जब तक ये अधिकार चयन समिति को नहीं दिया जायेगा तो आपकी चयन समिति फाल्स हो जायेगी । आपके ही व्यक्ति नामांकित हैं । कैसे उनकी मेरिट होगी । इसलिये श्रीमन्, मैं चाहता हूँ कि इस पर विचार हो और चयन समिति की क्या प्रक्रिया होगी, प्रवर–समिति को इसे भेजा जाय । आज तक जो कर्मचारी राजनैतिक दबाव से रखे गये हैं उनके स्थाईकरण और अस्थाईकरण पर क्या कार्यवाही की जाय और उनकी मेरिट कैसे डिसाइड की जाय । इस काम को कौन करेगा । यह अधिकार भी चयन सीमिति को दिया जाना चाहिये ।

मान्यवर, तीसरी बात यह है कि सभी जगह भत्ते की बात कही गई है । यदि कोई स्वेच्छा से सेवा-भाव के लिये जाता है तो उसको भत्ता देने की व्यवस्था क्यों की गई है ।

सलाहकार की नियुक्ति की बात है। इस तरह से मान्यवर, कई बातें हैं जिन पर विस्तार से चर्चा करने की बात है श्रीमन्, बार-बार मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपके और हमारे विचारों में कहीं भी भिन्नता नहीं है और मैं भी इस बात को समझता हूं कि गाँधी जी के दर्शन के आधार पर जो हमारी विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था है और जो हमारे देश और प्रदेश के भूखमरी में पल रहे लोगों को खुशहाल बनाना है, उसके लिये यह बोर्ड अच्छा साधन बन सके और इसी के लिये इसका गठन भी किया गया है। ग्रामीण-अँचलों में बेरोजगारी दूर हो सके देश का उत्पादन बढ़ सके तथा हमारे ग्रामों की जो औद्योगिक कला है, उसका पूर्ण रूप से उपयोग हो सके, जिस कला को इस देश और प्रदेश में हमेशा प्रशंसा मिलती रही है, तथा इसका सम्वर्धन किस प्रकार से कर सकें, इन सब के लिये यह खादी बोर्ड अत्यन्त महत्व का हैं। इसके लिये बोर्ड का गठन किया। लेकिन बोर्ड के गठन में जो संस्तुतियाँ हाई पावर की कमेटी द्वारा की गई हैं, इस संशोधन में उनका कहीं भी स्वागत नहीं किया गया है। इसलिये मैं समझता हूँ कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। श्रीमन्, मैं फिर कहता हूँ कि आपके विचारों और हमारे विचारों में कोई भिन्नता नहीं है। भिन्नता है तो केवल वे आफ वर्किंग में। हम लोग इसका वे आफ वर्किंग ठीक करना चाहते हैं। अन्त में मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि जो यह रिपोर्ट आपके सामने आयी हुई है आप इसे देखे। आप इसको प्रवर समिति के पास भेज दें ताकि हम लोग भी इसे ज्यादा-से-ज्यादा परिष्कृत कर सकें और जिस उद्देश्य के लिये यह बनाई गई है उसमें यह अपनी प्रभावी भूमिका अदा कर सके।···इन्हीं शब्दों के साथ में इसे प्रवर समिति में पेश किये जाने के प्रस्ताव को पेश करता हूँ।

[इस समय 5 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।]

श्री भगवती सिंह विशारद—

मैं इस विचार का था कि इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के सामने प्रस्तुत किया जाय लेकिन जब मैंने मा0 सदस्य का भाषण सुना तो उससे बड़ी निराशा हुई और निराशा इस मायने में हुई कि मा0 मन्त्री जी ने तो एक सरकारी सदस्य को कम किया था, 8 के 7 सदस्य किये थे, किन्तु गुप्ता जी 8 के 4 ही रखना चाहते हैं। हमारे मन में यह विचार था कि इस बिल के द्वारा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का सरकारीकरण ज्यादा किया जा रहा है, लेकिन अगर मा0 गुप्त जी की बात स्वीकार कर ली जाय तो सरकारीकरण और भी ज्यादा हो जायगा। मैं इसका विरोध करता हूँ।

इसके साथ ही मा0 मन्त्री जी के सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मन्त्री जी ने जो संशोधन विधेयक रखा है, जो उद्देश्य और कारण बताये हैं, उसमें उन्होंने बताया कि चूँकि बोर्ड की स्थिति अच्छी नहीं थी, उसको सुचारु रूप से चलाने के लिये आवश्यक था कि संशोधन किया जाय। इसके सम्बन्ध में आर्डीनेन्स जारी किया गया और बोर्ड को भंग कर दिया गया। देखना यह है कि 24 जुलाई को यह बोर्ड भंग किया गया था, तब से अब तक इसमें कितना सुधार हुआ है। मैं यह कहने के लिये तैयार हूँ कि पहले हालत बद थीं, तो अब बदतर हो गयी है। जिन लोगों के हाथ में प्रशासनिक कार्य दिया गया है, उनकी न हो खादी में रुचि है, न वे उस प्रवृत्ति से सम्बन्धित हैं, जो होनी चाहिये। उद्देश्य और कारण दिये गये हैं, उसके अनुरूप ही संशोधन होना चाहिये था। बोर्ड के जो अधिकार हैं, उनको सीमित किया गया है। गुप्ता जी बार-बार रिपोर्ट की बात करते हैं। रिपोर्ट तो उन्हीं सरकारी

अधिकारियों की है जो चाहते हैं कि बोर्ड हमारे ही कब्जे में रहे, इसलिये उन्होंने जो भी संस्तुति की हो। मेरा विचार है कि बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को मान्यता और उनको अधिक अधिकार मिलने चाहिये। इसी लिये मैं कहता हूँ कि जो 8 सदस्य थे, पुनः 8 सदस्यों को रखने की माँग करता हूँ, आशा करता हूँ कि मा0 मन्त्री जी इसे स्वीकार करेंगे। इसके साथ ही उपाध्यक्ष का पद पूर्ण कालिक रखा गया है, जो कि सारे समय बोर्ड के कार्यों का अवलोकन करेगा, लेकिन जब चयन समिति और वित्त समिति का सवाल आया तो उपाध्यक्ष को कोई स्थान नहीं दिया गया। अगर वह चयन समिति और वित्त समिति में नहीं है तो जिन लोगों को ऋण दिये जायेंगे या जो लोग नियुक्त किये जायेंगे अगर वह समर्पित भावना के नहीं हैं तो मैं यह कहूँगा कि किसी चयन समिति की आवश्यकता ही नहीं थी, उद्योग विभाग के अधिकारियों को बुला लीजिये और काम कराइए। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड स्वदेशी की भावना को बढ़ाने वाला है इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इसके कर्मचारी भी उसी प्रवृत्ति के हों, जिनके लिये इस बोर्ड का गठन किया गया है। एक तो सरकारी सदस्यों के स्थान 7 के बजाय 8 कर दिये जायं और उपाध्यक्ष के जो अधिकार सीमित कर दिये गये हैं, उसको पूरे अधिकार दिये जायं और चयन समिति और वित्त समिति में भी उसको सम्मिलित किया जाय।

[कई सदस्यों के खड़े होने पर]

श्री अध्यक्ष--

कार्य मन्त्रणा समिति ने तय किया था कि आधे घण्टे में समाप्त हो जाना चाहिये था, पौने पाँच बजे से यह मद आरम्भ हुआ है, माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि इसमें जितनी शीघ्रता हो सके, करें।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का जो गठन किया जा रहा है, वह बिल्कुल सही है और इसकी आवश्यकता भी थी। श्रीमन, अब रहे इस बोर्ड के कार्य-क्लाप जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं जिक्र किया तो उसकी जाँच कब तक पूरी हो जायेगी और उस पर कार्यवाही कब तक करेंगे। इस पर मान्यवर, मुझे संदेह है क्योंकि अगर आप प्रदेश पैमाने पर निगाह उठाकर देखें तो तमाम फर्जी रजिस्ट्रेशन समितियों के हुए हैं बड़े पैमाने पर और ऋण अनुदान भी करोड़ों रु० का जो बाँटा गया है, मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर और क्या दुरुपयोग हो सकता है। श्रीमन् जो इसके उद्देश्य थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ाया जाना और बेकारी को खत्म करना था, लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पायी और मैं समझता हूं कि न अब हो पा रही है। इसलिए सरकार की इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

मैं श्रीमन् माननीय भगवती सिंह विशारद जी की बात से मैं अपनी सहमति प्रकट करता हूँ कि इस बोर्ड का सरकारी करण नहीं होना चाहिए साथ ही मैं भी इस राय का हूँ कि आज जो भी समितियाँ बन रही हैं, उन पर नियंत्रण होना आवश्यक है। साथ ही यह कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो संशोधन विधेयक है, वह स्वागत के योग्य है लेकिन उसमें जो कुछ थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हैं, उनको दूर करना बहुत ही आवश्यक है और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इन त्रुटियों को दूर करने की आस्था आज पूरी तरह खत्म होती जा रही है परन्तु जिन लोगों की आस्था खादी की ओर, खादी बोर्ड की ओर देश की ओर हो उनको इसकी सदस्यता का मौका दिया जाना चाहिए और इसमें सदस्यों की संख्या जो 8 से 7 की

गयी है वह नामुनासिब है, उसे फिर 8 किया जाना चाहिए। फिर भी इन सब बातों को देखते हुए मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन यह जरूर कहूँगा कि यह संशोधन विधेयक स्वागत के योग्य है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए और मैं, स्वागत करता भी हूँ लेकिन इसका सरकारीकरण नहीं होना चाहिए और मैं अपनी बात को फिर दोहराऊँगा कि यह उन्हीं लोगों के हाथ में दी जानी चाहिए जिन लोगों को इसमें आस्था हो, इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है।

[समय 5.25 से]

हमारे दल का कोई न रहेगा, लेकिन आप इसको सरकारीकरण से बचायें, यही मेरी राय है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री कन्हैया लाल––

मान्यवर, यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है, पहले एक हाई पावर कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट है, माननीय मंत्री जी ने जो बिल बनाया है उसकी भी रिपोर्ट है। बहुत अच्छी बातें हाई पावर कमेटी में कही गयी हैं और बहुत सी बातें मा0 मंत्री जी ने उससे लिया भी है, लेकिन कुछ बातें छूट गयी हैं जिनकी ओर मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

मान्यवर, चयन समितियों का प्राविधान है। उस हाई पावर कमेटी में चयन समिति का अध्यक्ष बोर्ड द्वारा नामित व्यक्ति होगा परन्तु मा0 मंत्री जी ने चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव आफीसर को रखा है, वही पदेन इसका होगा। इसलिए पूरे बोर्ड की शक्ति एक ही व्यक्ति पर केन्द्रित हो गयी है। मैं चाहता हूँ कि आप इस बिल को प्रवर समिति में भेज दें ताकि सभी बातों पर अच्छी प्रकार से विचार हो जाये।

मान्यवर, मैं एक बात की ओर और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। करप्शन की बहुत बात कही जाती है। मान्यवर, अगर कोई सीधा सादा व्यक्ति वहां पर पहुँच जाता है तो उसको डिसकरेज किया जाता है। जो व्यक्ति नकली कागजात लेकर पहुँच जाता है उसका काम आगे बढ़ जाता है। आप 3 करोड़ रुपया कर्मचारियों के लिए देते हैं और वह लोग काम में रुकावट पैदा करते हैं। आपको मेरी यह बात इसी से सिद्ध हो जायेगी कि खादी कमीशन द्वारा 15 करोड़ रुपया बांटने के लिए दिया गया परन्तु केवल ढाई करोड़ रुपया ही यह वितरित कर पाये। इसी से इसकी अक्षमता सिद्ध हो जाती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसको प्रवर समिति के पास भेज दिया जाये तो वहां पर सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार हो जायेगा। मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कहा कि उसके सचिव को सस्पेंड कर दिया गया है तो मैं कहना चाहता हूँ कि केवल सचिव के सस्पेंड करने से काम चलने वाला नहीं है क्योंकि वहाँ पर उससे भी करप्ट लोग पड़े हुए हैं, जो काम को आगे बढ़ने नहीं देते हैं।

मान्यवर, गाँधी जी की प्रेरणा से यह बोर्ड बना था कि गांव के लोगों को, वहां के कोरियों को और बुनकरों को सहायता करेगा, परन्तु बिलकुल उलटा हो रहा है। इस पर पूंजीपति लोग हावी हैं और उन्हीं का काम होता है। मैं मथुरा जिले की बात कहता हूँ। वहां पर हरिजनों के लिए पैसा दिया गया, मुझे इसकी जानकारी है, कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का पैसा, वह नान हरिजन को दे दिया गया। मथुरा में एक हरिजन ग्रामोत्थान समिति बनी है, उसमें एक भी हरिजन सदस्य नहीं है, और पूरा रुपया उसको हरिजन के नाम पर दे दिया गया। मान्यवर, इन्हीं सब बातों को देखने की आवश्यकता है और इसीलिए मैं इसको प्रवर समिति में भेजने की मांग करता हूँ। इसमें विचार हो। यह इतना बढ़िया बिल है और इतना बढ़िया काम आने वाला बिल है जिसको कि आधा घन्टे की बहस मात्र कर लेने से जनता का उससे भला होने वाला नहीं है। प्रदेश की 7/8 करोड़ की आबादी से सम्बन्ध रखने वाला यह बिल आधे घन्टे की बहस में समाप्त नहीं करना चाहिए। मंत्री जी इसके बारे में ठंडे दिल से सोचें। इसमें सारी बातों का समावेश हो जाय, हाई-पावर कमेटी की बातें भी इसमें निहित हो जांय। आपने जो दो-एक ईश्यू लिये हैं, वह ठीक हैं लेकिन उसमें कुछ घट-बढ़ हो सकती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुये मैं भी इसे प्रवर समिति में इसे भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से इसके बारे में दो, चार सुझाव मानने के लिए निवेदन कर चुका हूँ कि जो आपने खादी बोर्ड का गठन किया है उसमें कुछ कमियाँ मौजूद हैं।...

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

व्यवस्था का सवाल है, मंत्री जी ने बयान दिया है।...

श्री अध्यक्ष--

बैठें।

श्री राम गोविन्द--

श्रीमन्, मैं मंत्री जी से कह रहा था कि गाँधी जी ने एक खास मकसद से गाँवों की दशा को कैसे सुधारा जायेगा, बेरोजगारी की दशा को कैसे दूर किया जायेगा, जो लोग भूखे हैं, उनको रोजी और रोटी की कैसे व्यवस्था की जायेगी इन सब भावनाओं को लेकर इस बोर्ड का गठन उस समय किया गया था। इन्होंने इसका सरकारीकरण कर दिया है और करने जा रहे हैं। इसके सम्बन्ध में मैंने मंत्री जी को दो-चार सुझाव भी दिये थे और पुनः उनसे कहना चाहता हूँ कि आप फिर से इस बोर्ड को आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के पंजे में जकड़ देना चाहते हैं और खादी के नियमों में विश्वास करने वाले लोगों की आड़ में एक दल विशेष के लोगों को इस बोर्ड में रखना चाहते हैं और उन्हें उसमें सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप स्पष्ट करें कि जो गैर सरकारी लोग आपके बोर्ड में सदस्य होंगे वे कौन लोग होंगे और उनकी क्या योग्यतायें होगी? आपने सिर्फ कह दिया कि जिनकी खादी में रुचि होगी और जो खादी में विश्वास रखते हों। इसके लिये तो आपको कोई खास प्राविधान करना चाहिए था कि इन-इन योग्यताओं के आधार पर बोर्ड में सदस्यों का मनोनयन किया जायेगा। मैंने पहले भी कहा था कि ग्राम्य विकास विभाग में ऐसे ही आप लोगों ने, कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया और कहा कि ये ग्राम्य विकास में रुचि रखते हैं।

मैं कहता हूँ कि रुचि तो कोई भी रख सकता है और यह कोई भी कह सकता है कि मैं उसमें रुचि रखता हूँ। कोई भी झगेरू, भंगेरू भी कह सकता है कि मैं रुचि रखता हूँ और खादी में विश्वास करता हूँ। इसलिये चाहे वह गैर सरकारी सदस्य हो या चाहे सरकारी सदस्य ही क्यों न हो और फिर अधिकांश सरकारी सदस्य तो खद्दर में रुचि रखते ही नहीं हैं।

खादी से उनका कोई मतलब भी नहीं है। उनका मतलब किसमें है, यह भगवान ही जानता है। ऐसे ही लोगों को आप इस खादी बोर्ड में नियुक्त करने जा रहे हैं। इनका प्रयास पुनर्गठन का सराहनीय है, मैं मानता हूँ लेकिन यह बोर्ड जिस भावना से और जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये गठित किया गया था उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रह गया। इसीलिये आप यह व्यवस्था करने जा रहे हैं। यह बात सही है कि नियन्त्रण अच्छा हो, प्रभावशाली हो और प्रभावकारी हो। इसी के लिये मैंने पूर्व में भी 2/4 सुझाव दिये थे। मैं माननीय मंत्री जी से पुनः कहूँगा कि आप इसमें जल्दबाजी न करें। विस्तार से लोगों से इसमें आपस में विचार-विमर्श करने का मौका हमें दें। देश में गांधीवादी विचारधारा के लोग अभी मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ऐसे लोगों से आप पुनः विचार-विमर्श करें। इन शब्दों के साथ मैं अनुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस प्रस्ताव पर अपने मूल्यवान विचार प्रकट किये। मैं समझता हूँ कि जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये वे सब करीब-करीब एक मत के हैं कि यह बोर्ड एक अच्छे उद्देश्य से गठित किया गया था और श्रेष्ठ भूमिका इसे निभानी है उसमें यह सफल हो सके इसके लिए आवश्यक है कि इसे प्रवर समिति में भेजकर परिष्कृत करना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी माननीय सदस्यों की बातों को स्वीकार करेंगे।

एक बात इसमें उल्लेखनीय है कि जो नामित सदस्य रखने वाले हैं उनकी योग्यता नहीं निर्धारित की गयी है। इसमें दलीय पास से ऊपर उठ कर जो लोग गांधीवादी आस्था में विश्वास करते हैं उनको यह काम दें। और इस विधान मंडल के सदस्य भी किसी रूप में उसमें होने चाहिये जैसे अनेक निकायों में यहां से निर्वाचित होकर सदस्य जाते हैं उसी तरह की व्यवस्था इसमें भी होनी चाहिये।

एक बात उप-सभापति के बारे में है उसे वेतन मिलेगा। कहीं ऐसा न हो जाय कि कार्यकारी अधिकारी और उप-सभापति के बीच में द्वंद पैदा हो जाय। क्योंकि इसमें अधिकारों का सही-सही विभाजन अधिनियम में नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात जो हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट में भी है एकाउंट्स के बारे में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं की गयी है कि इसका एकाउंट एक निश्चित बैंक में रहेगा। हाईपावर कमेटी ने इस पर विचार किया और वह इस नतीजे पर पहुँची है कि ऐसे आदेश होने चाहिये कि इनका एकाउंट सब का एक नेशनलाइज्ड कामर्शियल बैंक में होना चाहिये। यह सही है कि ट्रेजरी में दो खाते होंगे लेकिन पैसा निकाल कर किस बैंक में जमा कर सकेंगे लेकिन वह बैंक कौन होगा यह स्पष्ट नहीं है। उससे मैं समझता हूँ कि आडिट और एकाउंट रखने में ज्यादा आसानी होगी। मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी इन सुझावों पर विचार करेंगे और जरूर उदारता का परिचय देंगे और प्रवर समिति में भेजने की बात को स्वीकार करेंगे जहां से परिष्कृत होकर आये और उससे प्रदेश की सेवा करने का साधन बन सकेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय गुप्त जी ने यह कहा कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या ज्यादा है और हाई पावर कमेटी ने बहुत कम रखने की बात कही है। मान्यवर, यह ऐसी संस्था है या जो इस तरह के दूसरे निगम हैं या समाजसेवी संस्थायें हैं उनमें जितना कम नियंत्रण सरकार रखेगी उतना अच्छा है।

एक बात जरूर है कि एकाउंट के मामले में सख्ती बरतनी है इसमें किसी प्रकार की मुर्रवत नहीं करनी चाहिये। हिसाब किताब ठीक से रहे इसके लिए आपने देखा होगा कि प्रोवीजन किया गया है कि एक वित्तीय सलाहकार होगा और लेखाधिकारी होगा। विधिवत इसका प्राविधान किया गया है। इतने बड़े और जिम्मेदारी के लोग रखे जा रहे हैं जो हिसाब किताब को देखेंगे। दूसरा मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उसके क्या-क्या काम होंगे उनका इसमें प्रोवीजन किया गया है।

एक बात माननीय विशारद जी ने कही कि वित्तीय समिति में गैर सरकारी सदस्य कहीं पर नहीं हैं। तो ऐसी बात नहीं है वित्तीय समिति में दिया हुआ है कि बोर्ड के दो गैर सरकारी सदस्य जो सभापति द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। तो उसमें गैर सरकारी सदस्य रखे गये हैं। माननीय ऊदल जी ने कहा कि ज्यादा गैर सरकारी सदस्यों के हाथ में होना चाहिये मैं भी इससे सहमत हूँ। मैं गुप्त जी से सहमत नहीं हूँ हम विधायक यहाँ आते हैं और मंत्री होते हैं जब हम गैर सरकारी आदमी सरकार चला सकते हैं तो बोर्ड क्यों नहीं चला सकते हैं? पता नहीं उनको अपने आपमें विश्वास कम क्यों हो रहा है? तो यह गैर सरकारी सदस्यों में कम विश्वास करेंगे और दूसरी तरफ कहेंगे कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, तो दोनों चीजें कैसे सम्भव होंगी। इसलिये गैर सरकारी व्यक्तियों से काम लेना पड़ेगा जिसके सम्बन्ध में सारी बातें विधेयक में समावेश कर दी गयी हैं और सारी बातें पूरी हो गयी हैं और जो बातें बाद में आयेंगी कि यह होना चाहिये उसमें सुधार कर लिया जायेगा। इसलिये इस विधेयक को पास करके जो कठिनाईयां हैं उनको दूर करके ठीक से बोर्ड को चलाना है। इसलिये श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त से निवेदन करता हूँ और श्री राम गोविन्द जी से कि वह अपने-अपने संकल्पों को वापस ले लें और सर्वसम्मति से विधेयक को पास करें क्योंकि बोर्ड एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि यह गरीबों का है और बड़े लोगों का नहीं है। समाज के छोटे और गरीब लोगों के लिये यह बोर्ड काम करता है इसलिये मैं चाहता हूँ कि इसमें मतभेद नहीं होना चाहिये सरकारी और गैर सरकारी पक्ष के मा0 सदस्यों की तरफ से, इसलिये सभी मा0 सदस्यों को चाहिये कि वह इसका समर्थन करें ताकि बोर्ड सही ढंग से काम कर सके।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि इसमें कोई मतभेद नहीं है कि उस पर वित्तीय नियंत्रण ठीक होना चाहिये, लेकिन प्रश्न यह है कि मूल अधिकार किसके हाथ में होना चाहिये। मैंने सुझाव दिया था कि दोष व्यवस्था के कारण होता है, इसलिये क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बोर्ड का वार्षिक वित्त विवरण प्रतिवर्ष फरवरी में इस आदरणीय सदन में पेश हो ताकि उसके उत्तरदायित्व में हम यहाँ चर्चा कर सकें और सुझाव दे सकें, और जब यह बाध्यता होगी तभी वित्तीय स्थिति ठीक हो सकेगी। तो इसमें आपको क्या कहना है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य जो कह रहे हैं तो उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि बैलेन्शीट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन के पटल पर रखने की व्यवस्था सेक्शन 29–30 में है।

श्री अध्यक्ष—

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं श्री राम गोविन्द क्या आप अपने-अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

व्यवस्था सुधारी जाय और वित्तीय विवरण यहां आना चाहिये जिसको मा0 मंत्री जी मानने के लिये तैयार नहीं हैं, इसलिये मैं अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूँ।

श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, मैं भी अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उ0 प्र0 खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उ0 प्र0 खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1982, जैसा उ0 प्र0 विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो तीन माह के अंदर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उ0 प्र0 खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1982, जैसा उ0 प्र0 विधान परिषद द्वारा पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 12 तक

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 1960 की धारा 2 का संशोधन]

2—उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,—

(क) खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्—

"(2-क) 'मुख्य कार्यपालक अधिकारी' का तात्पर्य धारा 10 के अधीन नियुक्त बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है;

(2-ख) 'वित्तीय सलाहकार' और 'लेखा अधिकारी' का तात्पर्य धारा 10 के अधीन नियुक्त बोर्ड के क्रमशः वित्तीय सलाहकार और लेखा अधिकारी से है;"

(ख) खण्ड (7) निकाल दिया जायगा।

[धारा 5 का प्रतिस्थापन]

3—मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

बोर्ड का गठन "5 (1) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) सरकारी सदस्य,—

(एक) प्रभारी मंत्री, खादी तथा ग्राम उद्योग, राज्य सरकार, जो सभापति होगा;

(दो) उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति जो संयुक्त निदेशक से निम्न पद का न हो;

(तीन) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग या उनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव से निम्न पद का न हो;

(चार) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या उनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव से निम्न पद का न हो;

(पांच) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, ग्राम विकास विभाग या उनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव से निम्न पद का न हो;

(ख) गैर सरकारी सदस्य—

(छः) सात गैर सरकारी सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा जो उसकी राय में खादी तथा ग्राम उद्योग के विकास से सम्बद्ध विषयों में अनुभव रखने और दक्षता के कारण अर्ह हों।

(2) राज्य सरकार खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सभापति के परामर्श से, गैर सरकारी सदस्यों में से एक पूर्णकालिक उप सभापति नियुक्त करेगी।

(3) प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति को गजट में अधिसूचित किया जायगा।"

[धारा 10 का प्रतिस्थापन]

4—मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

'10 (1) राज्य सरकार ऐसे निवन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसे व्यक्ति को जिसके अन्तर्गत सरकारी सेवक भी है, जिसे वह उचित समझे—

बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी—

(क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
(ख) वित्तीय सलाहकार, और
(ग) लेखा अधिकारी,

नियुक्त करेगी।

(2) लेखा अधिकारी को बोर्ड के परामर्श से नियुक्त किया जायगा।

(3) बोर्ड इस निमित्त बनाये गये विनियमों के अनुसार ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे।"

धारा 11 का प्रतिस्थापन

5—मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"11 (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्—

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्तीय सलाहकार और लेखा अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य—

(क) समस्त प्रशासनिक कार्य पर नियंत्रण रखना;

(ख) बोर्ड की नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना;

(ग) सभापति के परामर्श से बोर्ड की बैठक बुलाना, उसका कार्यवृत्त तैयार करना और उसमें किये गए विनिश्चयों को कार्यान्वित कराना;

(घ) बोर्ड के अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की चरित्र पंजियों में प्रविष्टियां करना;

(ङ) बोर्ड की ओर से संविदाओं और सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों को निष्पादित करना;

(च) अधिनियम और नियमों के अधीन अपेक्षित या राज्य सरकार और खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मांगे गये प्रतिवेदन, विवरणियों और अन्य सूचनाओं को तैयार कराना;

(छ) बोर्ड के बैंक का लेखा चलाना;

(ज) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार कराना और उसे बोर्ड को प्रस्तुत कराना;

(झ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जैसा नियत किया जाय ।

(2) वित्तीय सलाहकार और लेखा अधिकारी की ऐसी शक्तियां होंगी और वे ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसा नियत किया जाय ।"

धारा 12 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (1) में, शब्द, अंक और कोष्ठक "उपधारा (2)" के स्थान पर, शब्द, अंक और कोष्ठक "उपधारा (3)" रख दिये जायेंगे ।

धारा 13 का प्रतिस्थापन

7—मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

बोर्ड के लिखतों या आदेशों का अधिप्रमाणीकरण—

"13—बोर्ड की ओर से प्रत्येक संविदा और सम्पत्ति का हस्तान्तरण पत्र लिखित रूप में होगा और उसका निष्पादन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा ऐसी रीति से किया जायगा जैसी नियत की जाय और बोर्ड का प्रत्येक आदेश या विनिश्चय उप सभापति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या ऐसे अन्य सदस्य या अधिकारी द्वारा जिसे बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, अधिप्रमाणित किया जायगा ।"

धारा 26 का प्रतिस्थापन

8—मूल अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

बोर्ड की निधि—

"26 (1) बोर्ड की एक निधि होगी जिसमें बोर्ड के द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समस्त धनराशि जमा की जायगी ।

(2) बोर्ड की निधि की समस्त धनराशि सरकारी कोषागार में दो पृथक वैयक्तिक खाता लेखा के अधीन जो क्रमश: 'खादी लेखा' और 'ग्राम उद्योग लेखा' कहलायेंगे, और किसी अन्य तत्सदृश लेखा में भी जिसे बोर्ड द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में जब आवश्यक हो, खोला जायगा, जमा की जायगी ।

(3) इस निमित्त बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुए, बोर्ड समय-समय पर ऐसे वैयक्तिक खाता लेखा से ऐसी धनराशि निकाल सकता है, जैसी उसके प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और यदि वह ऐसा करना उचित समझे तो ऐसी कोई धनराशि किसी अनुसूचित बैंक के लेखा में जमा कर सकता है ।"

धारा 31 और 31-क का प्रतिस्थापन

9—मूल अधिनियम की धारा 31 और 31-क के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्—

बोर्ड की समितियां—

"31 (1) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने या ऐसे कृत्यों का संपादन करने के प्रयोजनार्थ, जैसी नियत की जाय, बोर्ड निम्नलिखित की स्थापना करेगा—

(क) चयन समिति;
(ख) वित्त समिति ।

(2) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—
(क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो सभापति होगा;
(ख) उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति जो संयुक्त निदेशक से निम्न पद का न हो;
(ग) राजकीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग निदेशालय का एक प्रतिनिधि;
(घ) सम्बद्ध परियोजना अधिकारी जो प्राविधिक सलाहकार होगा ।

(3) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—
(क) बोर्ड का सभापति, (सभापति);
(ख) बोर्ड के दो गैर-सरकारी सदस्य जो सभापति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;
(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग या उनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव से निम्न पद का न हो;
(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या उनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव से निम्न पद का न हो;
(ङ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी;
(च) वित्तीय सलाहकार;
(छ) लेखा अधिकारी जो सदस्य-सचिव होगा ।

(4) बोर्ड की समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी नियत की जाय ।

(5) बोर्ड की समितियों के सदस्य ऐसे सामान्य या विशेष आदेशों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ता पायेंगे जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त जारी करे ।

(6) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वित्त समिति निम्नलिखित कृत्यों का संपादन और कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्—
(क) ऋण/अनुदान की मांगों पर विचार करना और उपलब्ध बजट के आधार पर स्वीकृति के लिये विनिश्चय करना;
(ख) बजट अनुमान तैयार करना;
(ग) वित्तीय प्रगति, वसूली, उपयोग प्रमाण-पत्र आदि की संवीक्षा करना ।

(7) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समितियों का गठन होने के पश्चात् उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1982 के प्रारम्भ के पूर्व इस अधिनियम के अधीन गठित प्रत्येक समिति या उपसमिति विद्यमान नहीं रह जायगी ।

शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन—

31-क बोर्ड सामान्य या विशेष आदेश द्वारा या तो बिना शर्त या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिनके अन्तर्गत स्वयं पुनर्विलोकन करने की शर्त भी है, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, उप सभापति, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को अधिनियम

के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे ।"

नई धारा 31 ख का बढ़ाया जाना

10--मूल अधिनियम में धारा 31-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

सलाहकार समिति--

"31-ख (1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, सलाहकार समिति का गठन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट विषयों पर बोर्ड को सलाह देने के लिए कर सकती है ।

(2) सलाहकार समिति में, राज्य में प्रत्येक आयुक्त मंडल से एक-एक प्रतिनिधि होगा जो खादी और ग्राम उद्योग के क्षेत्र में रुचि रखता हो ।"

धारा 36 का संशोधन

11--मूल अधिनियम की धारा 36 में, उपधारा (2) में,—

(एक) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ग) वित्तीय सलाहकार और लेखा अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य,"

(दो) खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ज) धारा 29 के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।"

धारा 37 का संशोधन

12--मूल अधिनियम की धारा 37 में, उपधारा (2) में,—

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ख) धारा 10 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें",

(ख) खण्ड (घ) और (ङ) निकाल दिये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 12 तक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 13

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 1983

निरसन और अपवाद--

13--(1) उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

श्री दीनानाथ---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि खण्ड 13 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय—

उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या, 10 सन् 1983

निरसन और अपवाद--

"13--(1) उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।"

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं इसको स्वीकार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वर्तमान खण्ड 13 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 10, सन् 1983

निरसन और अपवाद--

"13--(1) उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 13 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश खादी तया ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा।

(2) यह 24 जुलाई, 1982 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

श्री दीनानाथ--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि खण्ड 1 के उपखण्ड (1) में अंक "1982" के स्थान पर अंक "1983" रख दिया जाय।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 के उपखण्ड (1) में अंक "1982" के स्थान पर अंक "1983" रख दिया जाय,

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-1 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1982

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

श्री दीनानाथ—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि प्रस्तावना में शब्द "तैंतीसवें" के स्थान पर शब्द "चौंतीसवें" रख दिया जाय।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं यह स्वीकार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना में शब्द "तैंतीसवें" के स्थान पर शब्द "चौंतीसवें" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित प्रस्तावना का शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1982, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ और इस सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1982, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ और इस सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-सूची की मद संख्या 21 और 22 स्थगन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

यह मद संख्या 21 के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी के पास से लिखकर आया कि आज वह किसी कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए यह कल लिया जाय। मद संख्या 22 के सम्बन्ध में माननीय सदस्य चाहते हैं कि यह कल लिया जाय। इसलिए यह भी कल लिया जायगा।

श्री गाँधी आश्रम गोरखपुर के कार्यकर्त्ताओं पर नियोजित ढंग से पुलिस व असामाजिक तत्वों द्वारा की गयी ज्यादती एवं उन्हें जेल में बन्द कर देने के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक फरवरी, 1983 को उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक ऐसी दुःखद घटना घटी, जिसकी कल्पना आज तक न तो किसी राजनैतिक व्यक्ति ने और न ही किसी साधारण व्यक्ति ने की होगी। गोरखपुर खादी आश्रम के सभी कर्मचारी शांतिपूर्ण ढंग से अपनी दूकान में कार्यरत थे, कुछ ऐसे तत्व जो विभिन्न दलों में आजकल अपने को छिपाकर आ गये हैं और उनसे संरक्षण प्राप्त करके अपने को एक शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते हैं, उन लोगों ने 5 जनवरी और 6 जनवरी को दैनिक जागरण के माध्यम से यह प्रचार कराया कि मगहर में जो खादी आश्रम है उसके समक्ष 26 जनवरी को काला दिवस मनाया जायगा। इसकी सूचना खादी आश्रम के कर्मचारियों ने जिला प्रशासन, बस्ती को

दी । बस्ती के प्रशासन के चुस्ती के कारण इनका काला दिवस सम्पन्न नहीं हो सका । यह काला दिवस नहीं मना सके । उससे चिढ़कर उन्हीं व्यक्तियों ने यह घोषणा की कि 1 फरवरी, 1983 को खादी आश्रम गोरखपुर में धरना और प्रदर्शन किया जायगा और किसी भी ग्राहक को खादी आश्रम की दूकान के अन्दर नहीं जाने दिया जायगा । इस संदर्भ में वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित किया । माननीय मुख्य मंत्री को और आपको भी पत्र लिखा गया और आपने भी 29 जनवरी को इसी आशय का पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को पत्र लिखा कि सुरक्षा की जाय, क्योंकि ये तमाम गिरोह इकट्ठा हो गये हैं और ये लोग परेसान करने की साजिश कर रहे हैं ।

1 फरवरी को अनुग्रह नारायण सिंह, मैं नहीं जानता हूँ कि वह किस दल में हैं, वह हमेशा ऐसे लोगों के साथ हो जाते हैं जिनके हाथ में शक्ति होती है । मैं नहीं जानता कि ऐसे व्यक्ति को, जिसका इतना घिनौना कार्य होगा, कोई दल अपने दल में सम्मिलित कर सकता है । ये सभी लोग साढ़े 11 बजे के करीब गांधी आश्रम के प्रवेश द्वार पर एक तख्ता रखकर उस दूकान को बन्द करना चाहते थे, जिसका प्रतिरोध कार्यकर्त्ताओं ने किया । मान्यवर, आजकल जिस लाठी में शासक दल का झंडा लग जाय, वह बन्दूक बन जाती है । प्रतिरोध के बाद इन लोगों ने आश्रम में घुसकर डंडे से मारना-पीटना व लूटना शुरू किया और विध्वंसात्मक कार्यवाही की । गांधी आश्रम के लूटते समय ही लोगों ने प्रताड़ित किया । कार्यकर्त्ताओं ने पुनः पुलिस को टेलीफोन किया, तब सी0 ओ0, सिटी व पुलिस के लोग आये और आते ही खादी आश्रम के लोगों को अन्दर रहने के लिए कहा और इन लोगों से कहा कि आप लोग जायं । मान्यवर, उन लोगों ने तख्ते को दरवाजे पर रखा और वह डंडे में झंडा लगाये हुये थे, जिस डंडे में शासक दल का झंडा लग जाता है तो वह डंडा नहीं रहता, आजकल वह बन्दूक बन जाता है । चाहे जहां चला दीजिये । तो वह लोग पहले से ही गुस्से में थे । उन्होंने एक यूनियन बना रखी है, समय नहीं है नहीं तो मैं उसमें जाता । वह लोग गुस्से में थे क्योंकि उनका मगहर में आंदोलन फेल हो गया था । तो उन लोगों ने गालियाँ दीं और डंडा निकाल कर प्रहार करना शुरू कर दिया इससे गांधी आश्रम के कार्यकर्ता घायल हुये । इनके कुछ लोगों को भी चोटे आयी होंगीं मैं नहीं कह सकता । इस दौरान वह दूकान में घुस गये और लूटपाट करने लगे ।

गांधी आश्रम के कार्यकर्ताओं ने एस0 पी0 को सूचना दी कि मेरे यहां पर लूट हो रही है । मेरी समझ में नहीं आता है कि जब आपने लिखा, मुख्य मंत्री को सूचना थी, अखबारों के माध्यम से इसकी जानकारी थी कि वहां पर कुछ हो सकता है और पुलिस लगाने की आवश्यकता है तो वहां पर पहले से पुलिस क्यों नहीं लगायी गयी और प्रदर्शन के समय वहां पर कोई पुलिस अधिकारी क्यों नहीं रहा । इसके बाद वहां पर सी0 ओ0 सिटी श्रीवास्तव आते हैं, अपनी फोर्स के साथ आते हैं । उनको चाहिये था कि गांधी आश्रम के कार्यकर्ताओं और इनके लोगों को जो मारपीट कर रहे थे एक जगह पर बैठाते । लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इन लोगों से कहा कि आप लोग जायं । गांधी आश्रम के जो 109 लोग थे उनसे कहा कि अन्दर बैठ जायं । उन लोगों ने जो लूट का सामान पाया वह लेकर चले गये । सी0 ओ0 सिटी ने गांधी आश्रम के कार्यकर्ताओं को बैठाया उसके बाद उनको थाने ले जाया गया और उनको 307 तथा अन्य धाराओं में जेल में बन्द किया गया । प्रदर्शनकारियों की तरफ के लोगों को, किसी को कोई संघातिक चोट नहीं थी उसके बावजूद भी गांधी आश्रम के कार्यकर्ताओं को जो बन्द किया गया । जो गांधी आश्रम के मंत्री थे, जो पूरे रीजन के इंचार्ज हैं,

शिव कुमार पांडेय को, जो अहिंसात्मक ढंग से जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया। इनकी पुलिस नियोजित ढंग से आजकल डकैती का काम कर रही है। डकैतों को पकड़ने के बजाय, गांधी आश्रम के लोगों को जो जिन्होंने अहिंसात्मक ढंग से जीवन यापन करने का व्रत ले रखा है उन 109 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इनमें से 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के भी 50 लोग थे। गजानन तिवारी को गिरफ्तार किया गया जिनको पोलियो है और जो डंडे के बल पर चलते हैं उनको भी 307 और क्रिमिनल दफाओं में गिरफ्तार करके जेल में रखा गया। सी0 ओ0 ने लोगों को गिरफ्तार ही नहीं किया बल्कि दूकान को भी सील किया।

तो इससे 2, 3 विंदु उभरते हैं। पुलिस की जिम्मेदारी थी प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वहां पर पुलिस की व्यवस्था करता। कहीं भी साधारण ढंग से जब प्रदर्शन होता है तो पुलिस के लोगों की ड्यूटी लगायी जाती है। जो 301 में मैंने सूचना दी थी उसका जवाब आया उसमें लिखा है कि रिवाल्वर बरामद किया गया है। वह लोग अहिंसात्मक ढंग से रह रहे थे अगर हिंसात्मक होते तो हथियार या अपने पिस्तौल का प्रयोग करते लेकिन कोई प्रयोग नहीं किया और उसके बावजूद भी 109 लोगों को पकड़ने का क्या औचित्य है। जो इन लोगों ने रिपोर्ट लिखायी 395 में, तो 395 के मुल्जिम को किस आधार पर छोड़ दिया गया यह भी एक विंदु है। एक बात यह पैदा होती है कि जब दोनों तरफ से यह सब लिखाया गया तो एक तरफ के सारे लोगों को गिरफ्तार करने का क्या औचित्य है और दूसरे तरफ के लोगों के विरुद्ध कार्यवाही न करना पुलिस प्रशासन का नियोजित ढंग से गांधी आश्रम पर डकैती डलवाने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। घटना की जांच भी आज तक नहीं हुयी। गांधी आश्रम के लोगों ने अनुग्रह नारायण सिंह के खिलाफ मुकदमा लिखाया तो चाहे जितना बड़ा आदमी हो लेकिन जब 395 का मुल्जिम हो गया तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिये। लेकिन गिरफ्तार किया गया है अहिंसात्मक ढंग से जीवन यापन करने वाले 109 लोगों को। इसके अलावा सी0 ओ0 सिटी को दूकान सील करने का क्या अधिकार था। यह लोग 3, 5 दिन बाद जमानत पर छूटे और सी0 जे0 एम0 के आदेश से गोदाम को खोला गया। जब गोदाम को खोला गया तो उसमें 46 हजार रुपये का सामान लापता मिला। 46 हजार का सामान लूटा पाया गया लेकिन माननीय, आज तक प्रशासन ने कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की। मैं आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि वहां पर आयुक्त थे, उनसे घटना की जांच करा लेते, या किसी अन्य उच्च अधिकारी से जांच करा लेते, लेकिन आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ। जो अहिंसात्मक रूप से जीवन यापन के लिए समर्पित भाव से रह रहे थे, उसे आपके द्वारा संरक्षित गुण्डे परेशान करें और उनको यातना दें और उसके बाद भी ऐसे लोगों को आपकी पुलिस संरक्षण दे।

इन शब्दों के साथ, मैं सम्मानित सदस्यों के विचारों को जानना चाहूँगा, अपनी बात समाप्त करता हूँ।

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)--

श्रीमन्, मैं निवेदन करूँगा कि आखिर में मैं सदन को तथ्यों से अवगत करा दूंगा, पहले सदस्यों की भावनाओं को जानना चाहूँगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय, इनका बोलना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष--

वे कह रहे हैं कि माननीय सदस्यों की भावनाओं को जानकर अखिर में बोलेंगे।

*श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। जो बोलने वाले हैं, उनको कुछ नहीं कह सकता मगर यह कानूनी दायरा है, उसके अन्दर जो यह आधे घंटे का समय है, वह सदुपयोग में चले तो ठीक है। एक दिन, दो दिन पहले, जब यह हमला होने वाला था, उस वक्त एस0 एस0 पी0 को, कलेक्टर को, पुलिस के अधिकारियों को और मुख्य-मंत्री जी को भी गांधी आश्रम वालों ने सूचना दे दी थी। इस फौज ने कांग्रेस का जो सामान था, लूटा, वे मगहर से गोरखपुर आये, जो 18 मील है, गोरखपुर के नहीं थे, पुलिस और कलेक्टर को यह मौका नहीं मिला कि हमारे पास इतला आयी है उसके मुताबिक यहां कोई इन्तजाम किया जाय और कानूनी कार्यवाही की जाये। कानून के बड़े जानकार यहां हैं आप जानते हैं कि यदि आप हमारे घर में लूटने आये तो आपको मार डालने का मुझे पूरा अधिकार है मारने का अधिकार है, अपने घर में नहीं घुसने देंगे, तो यह भी नहीं हुआ हमारे घर में घुसकर उस गिरोह ने हमको मारा पीटा और हमारा सामान भी लूटकर ले गये और सी0 ओ0 सिटी को वहां से फोन पर फोन हुए, लेकिन पुलिस समय से नहीं आयी जब पुलिस आयी तो गांधी आश्रम के कर्मचारियों को आश्रम में बिठा दिया और लूटने वालों को कह दिया कि आप जाइये जिन्होंने गल्ती की है उनको पकड़ लिया है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और जिन लोगों ने अपना सामान बचाने के लिए प्रोटेस्ट किया, उनको पकड़ कर ट्रक से थाने भेज दिया गया।

(शेम, शेम की आवाजें)

यह कहा जाता है कि सी0 ओ0 सिटी अरुण कुमार और खोखा सिंह किसी कालेज या यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, क्लासफेलो रहे थे, इसी वजह से इन्होंने उनको गिरफ्तार नहीं किया। इस पक्ष और उस पक्ष के सभी लोग जानते हैं कि आपके गिरोह में कोई डकैत गिरोह आ गया तो क्या आप घर से निकल जायेंगे और कहेंगे कि सामान लूट लो या उन्हें रोकेंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह सरकार क्या कर रही है, एस0 एस0 पी0 और क्लेक्टर क्या कर रहे हैं, जब इत्तला दी गयी तो क्यों नहीं उचित कार्यवाही हुई। तीन दिन के बाद उनका जो गोदाम है, भंडार है, उसको खोला गया, उसकी सील तोड़ी गयी। इसमें जो पुलिस के अधि-कारियों का, सरकार का जो रवैया है, वह कितना अफसोसनाक है। जब माननीय मन्त्री जी अपने उत्तर में कहेंगे, तब हम लोग उस पर विचार करेंगे।

*श्री काशीनाथ मिश्र--

आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी जो बयान माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने दिया और जिसका समर्थन हमारे माननीय भृगुनाथ चतुर्वेदी ने किया, जिस वक्त यह घटना घटी थी, गाँधी आश्रम के शिव कुमार जो यहाँ हजरतगंज में रहते हैं, वे हाथ में पट्टी बांधे हुए थे जब मैं हजरतगंज गाँधी आश्रम में गया तो उन्होंने मुझे पट्टी दिखायी। अब मुझे इस केस को सुनकर अंग्रेजी राज्य के जमाने की याद आती है। अंग्रेजी राज्य में पुलिस को अंग्रेजी कुत्ता कहा जाता था। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की तस्वीर आपके पीछे लगी है। पूज्य बापू की त्याग और तपस्या से गांधी आश्रम में काम करने वाले लोगों की तपस्या से और भृगुनाथ चतुर्वेदी जी ने स्वयं त्याग किया है इन लोगों के त्याग से देश आजाद हुआ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और अंग्रेजी राज्य की पुलिस को जिसको कुत्ता कहा जाता था, वह पुलिस रूप कुत्ते आजाद हिन्दुस्तान में अपने को नागरिक और आदमी कहने का अधिकार पाये।

लेकिन मान्यवर, आज गोरखपुर की पुलिस ने जो जघन्य अपराध गोरखपुर में किया है उससे वह फिर अंग्रेजी कुत्ते का रूप लेना चाहती है। मान्यवर, जो कुछ गोरखपुर में हुआ है उससे बढ़कर पुलिस प्रशासन की कोई गिरावट नहीं हो सकती है। गांधी आश्रम में हमला किया गया सारा सामान लूटा। श्रीमन् हमारे घर में लोग घुसकर हमारा सामान लूटे हमें मारे-पीटे और जब रिपोर्ट लिखाई जायं तो हमें ही गिरफ्तार किया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कौन सी सी0 आर0 पी0 सी0 और आई0 पी0 सी0 की धारा है। गांधी आश्रम में बदमाशों ने घुसकर उनका सामान लूटे और वहाँ पर कार्यरत कर्मचारियों को मारा-पीटा और जब वहां के लोग पुलिस के पास फरियाद लेकर न्यांय मांगने के लिये गये तो उन्हीं को बन्द कर दिया गया। माननीय चतुर्वेदी जी बुजुर्ग सदस्य हैं और इन्होंने देश के लिये कुबार्नी की है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जहाँ—2 भी गुन्डों और शरीफों में युद्ध छिड़ जाता है वहाँ पुलिस गुण्डों को तरजीह देते हैं। मान्यवर, गांधी आश्रम में काम करने वाले लोग अहिंसा का व्रत लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनमें कुछ गिरावट आयी है उनकी आप दूसरे प्रकार से आलोचना कर सकते हैं लेकिन उनकी प्रवृत्ति लूटपाट करने की नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ जहाँ भी इस प्रकार की बात आती है हमारे बलिया में इसी प्रकार की घटना हुई जहाँ भी शरीफ और गुन्डों में युद्ध होता है वहाँ पुलिस गुन्डों का साथ देते हैं। मैं मांग करता हूँ कि उन गुन्डों को गिरफ्तार किया और जो माल लूटा गया है उसको वापस दिलाया जाय तथा जो गरीब लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है उसको वापस कराया जाय। मैं यह भी मांग करता हूं कि पुलिस के जिस अधिकारी के अमलदारी में यह घटना हुई है उसको सस्त से सख्त सजा दी जाय।

*श्री श्याम लाल बाजपेयी——

माननीय अधिष्ठाता, महोदय, राष्ट्रपिता बापू के चरखे से जुड़े समाज में इस देश और प्रदेश के गांधो आश्रम में कार्यरत कर्मचारी इस आदरणीय सदन के सदस्यों और प्रदेश की जनता के आदर और श्रद्धा के पात्र हैं। जो घटना प्रकाश में आयी है वह बहुत ही निन्दनीय है। जिस तरह से गांधी आश्रम के कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा गया उसकी जितनी निन्दा की जाय वह थोड़ी है। मान्यवर, इसमें दो तीन मुद्दे हैं। अभी माननीय सदस्य चतुर्वेदी जी ने कहा और भाई काशीनाथ मिश्र जी ने तो बहुत विस्तार से कहा है। मान्यवर, गांधी आश्रम से 46 हजार का कैस ले गये और रिपोर्ट लिखाई गई लेकिन आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया ! दूसरी चीज गांधी आश्रम के कर्मचारी जो अहिंसा का व्रत लेकर शिष्टता के दायरे में अपना कार्य संचालन करते हैं उनको पीटा गया और 307 का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया गया। मैं आंपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए और महात्मा गांधी के उस चर्खा महायज्ञ के भावनात्मक सम्बन्धों के प्रतीक इनकी सुरक्षा के लिए कम से कम समाज कल्याण मंत्री जी, आप से कहता हूँ, जरा ध्यान दें क्योंकि गृह विभाग का काम आप देखते हैं, तत्काल उस डी0 वाई0 एस0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

0पी का तबादला गोरखपुर से कर दिया जाये और 307 जैसे मुकदमें जो दर्ज किये गये हैं उसे तत्काल सरकार वापस ले ले और जिन लोगों ने 46 हजार की लूट में हिस्सा दिया है, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाये। मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर तत्काल कार्यवाही करेगी।

*श्री मोतीलाल देहलवी—

यह गोरखपुर की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की शासन व्यवस्था से संबंधित मामला है। जो घटना घटी वह बहुत ही निन्दनीय है और उसकी जितनी भी निन्दा की जाये, कम होगी। मुझे भी कई जिलों के गांधी आश्रम में जाने का मौका मिला है और मान्यवर, मेरा ख्याल है कि आप को भी कई जिलों में गांधी आश्रम में जाने का मौका मिला होगा। वहाँ के कर्मचारियों से बात की होगी। आपने अनुभव किया होगा कि गांधी आश्रम के कर्मचारी कितने सहिष्णु शिष्ट, विनम्र होते हैं कि उनके चेहरे से प्रकट हो जाता है कि ये हिंसक कदापि नहीं हो सकते। आज भी वे लोग गाँधी जी के दर्शन में पूर्ण आस्था रखने वाले हैं। दूकान के अन्दर घुसकर उनके साथ मारपीट किया, कैश को लूटा। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना सब कुछ होते हुए भी, जैसा काशीनाथ तथा तथा चतुर्वेदी जी ने कहा, ऐसा लगता है कि पुलिस आयी तो गुन्डों को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि गांधी आश्रम के लोगों को पकड़ने के लिए। इससे ज्यादा शर्मनाक और हया की बात और नहीं हो सकती। यह और भी लज्जा की बात है कि आज भी वह पुलिस अधिकारी गोरखपुर के अन्दर मौजूद है। अगर जरा भी हया होती, जरा कड़ी बात तो जरूर हैं, लेकिन ऐसी घटना पर एक सेकेण्ड में ऐसे पुलिस अधिकारी को गोरखपुर में नहीं रखते। और आज जब इस पर चर्चा करते तो खुशी की बात होती कि सरकार ने एक अच्छा न्यायसंगत काम किया। इस घटना से बिल्कुल साफ जाहिर है कि गांधी आश्रम के जैसे लोगों को मारा जा सकता है, कैश को लूटा ला सकता है तो यह एकदम प्रमाणित हो जाता है कि अब इस प्रदेश में शासन पुलिस का हो गया है, पुलिस राज्य कायम हो गया है और शासन में हया, शर्म का पानी भी नहीं रहा है। वरना अगर जरा भी गैरत होती तो गोरखपुर के मंत्री जी, सिचाई मंत्री बैठें हैं, उनकी जानकारी में भी यह घटना आयी होगी, लेकिन पुलिस का वह अधिकारी आज भी वहां मौजूद है।...आखिर वह कितना बड़ा और प्रभावशील आदमी था।

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मैं आखिर में यह कहना चाहूँगा कि जिस बदमाश ने इस काम को किया, कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, उसे किसी भी राजनैतिक दल का संरक्षण प्राप्त क्यों न हो, आप भी नहीं चाहेंगे, कांग्रेस के लोग भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी आदमी कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त करके लूट-पाट करे, दुकान के अन्दर जाकर अहिंसक कार्य करे। मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी इस बात की घोषणा करें कि उस पुलिस अधिकारी को जिसने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, केवल स्थानान्तरित ही नहीं करेंगे, निलम्बित कर देंगे। बदमास लूटने वाले घूम रहे हैं, उनको कानून के कटघरे में लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

दो मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे मारकण्डेय जी, आप संक्षेप में कहें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री मारकण्डेय चन्द---

मान्यवर, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना मेरे घर के सामने घटी। सदन में जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये इस गंभीर घटना के सम्बन्ध में वह बहुत कम हैं क्योंकि उन्हें जो बताया गया उससे अवगत होकर उन्होंने कहा। माननीय चतुर्वेदी जी को जितना बताया गया वह कहा। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। इस पूरे प्रकरण में दो-तीन बातें महत्वपूर्ण हैं, वह यह हैं। दो वर्ष पहले मगहर स्पनिंग मिल में इस प्रकार की स्ट्राइक चलाई गयी थी। उसके बाद उन्हें सैंडो दे दिया गया। उनका नाम अनुग्रह नारायण है। तब गांधी आश्रम पर उनकी दृष्टि पड़ी। लूट-पाट किया। बस्ती के पुलिस प्रशासन और बस्ती के जिलाधिकारी की सूझ-बूझ का फल था जिसने बस्ती में इसको कामयाब नहीं होने दिया। बस्ती में नाकामयाबी के बाद गोरखपुर में तुरन्त बात आयी। गांधी आश्रम के मैनेजर ने अपने विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग की। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार की घटना हो सकती है। सत्याग्रह होता है। सत्याग्रहियों की सुरक्षा के लिये पुलिस पहले से पहुँच जाती है। सत्याग्रही शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते हैं। प्रवेश द्वार बन्द कर दिये गये। दूसरी ओर गांधी आश्रम में प्रवेश करते हैं और लूटने मारने की कार्यवाही करने लगे।

गांधी आश्रम के कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा की मांग करने पर कोई सहायता नहीं दी गयी। इसकी बड़ी चर्चा है। तिवारी जी हैं, बैसाखी पर चलते हैं। वह बैसाखी पर चलता है तथा बैठा रहता है, उसको तक नहीं छोड़ा गया। उसके अन्दर जितने कर्मचारी और अधिकारी बैठे हुए थे उनको पकड़ कर बन्द किया गया। मान्यवर, यह भी आश्चर्य की बात है कि जहाँ पर इस तरह की बात होती है वहाँ पर 151 के अन्तर्गत दोनों तरफ के लोगों को बन्द किया जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि 151 में कुछ संशोधन कर दिया गया है। गाँधी आश्रम के लोगों को ही जेल में डाला गया और उन्हीं को पीटा गया। 4–5 दिन बाद उनकी जमानतें हुई। चोटें भी उनको ही लगी जिनको बन्द किया गया और उन्हीं के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, उन्हीं को लूटा गया उन्हीं को पीटा गया तथा उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है लेकिन जिन्होंने इस प्रकार की कार्यवाही की उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस गम्भीर विषय की ओर मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इस संस्था के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ इस प्रकार की घटना हुई है और फिर आपके द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है तो इससे ज्यादा दुख और लज्जा की बात और कोई नहीं हो सकती है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय जिन लोगों ने वहाँ पर लूट-पाट की है।

श्री हरिद्वार पाण्डेय---

मान्यवर, देवरिया जिले से प्रताड़ित और वहाँ से निकाला हुआ श्री अनुग्रह नरायण सिंह जो खोंखा सिंह के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति मगहर सूती मिल की तरफ आता है वहाँ इस प्रकार की घटनायें करवाता है, मजदूरों का शोषण करता है तथा असामाजिक तत्वों से सांठ-गांठ करके उपद्रव भड़काता है और खुद को तथाकथित राजनैतिक दल का आदमी कहता है तथा अपने को राजनैतिक दल से सम्बद्ध करता है। यह आदमी जो गलत किस्म के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोग गांधी आश्रम में काम करते हैं और जिनको गाँधी आश्रम निकालता है, उनको भड़काकर वहाँ पर लूट-पाट करता है। मगहर के कताई मिल में इसी व्यक्ति की साजिश से गोली चलती है। बस्ती जिले का जो प्रशासन है, जिला मजिस्ट्रेट है और जो जिले की पुलिस है वह सब इसको कंट्रोल करते हैं। मान्यवर तब वह वहाँ से गोरखपुर की तरफ चलता है और गोरखपुर में आकर उसे शरण मिलती है। वह खादी पहनता है और यह भी चाहता है कि गाँधी आश्रम से उसे फ्री में अच्छी खादी मिल जाय। वह बस्ती के मजदूरों को लेकर तथा उनको संगठित करके वहाँ गांधी आश्रम में उपद्रव करता है। गांधी आश्रम के लोग प्रशासन को इसकी इत्तला देते हैं कि हमारे यहाँ यह आदमी ऐसा ऐसा करने जा रहा है, इसकी रोकथाम की जाय। लेकिन वहाँ का प्रशासन खासकर वहां का सी0 ओ0, सीटी उससे मिला हुआ है और यह भी कहा जाता है कि यह पुलिस अधिकारी उसके साथ पढ़ा हुआ है। वह गांधी आश्रम के कम्पाउन्ड में मिटिंग बुलवाता है तथा प्रशासन मीटिंग करने की इजाजत देती है और भीड़ के साथ जत्था लगाता है। और उसके बाद वहाँ पर उपद्रव करवाता है। अन्त में मान्यवर, मैं चाहूँगा कि आप ऐसे अधिकारी को तुरन्त मुअत्तल कर दें और इस मामले की सख्ती से जाँच की जाय और जो दोषी पाया जाय उसको सख्त दण्ड दिया जाय।

*श्री दीनानाथ—

मान्यवर, गोरखपुर गाँधी आश्रम में इस गुण्डे द्वारा जो वहाँ पर दुर्व्यवस्था की गई है, उस चर्चा में आपने मुझे भाग लेने के लिये मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन को बताना चाहता हूँ कि यह जो गुण्डा है इसके घर देवरिया में जब तलाशी ली गई तो उसके घर से 20 चोरी को साइकिलें और मोटर-साइकिलें मिली। उसके बाद यह गुण्डा देवरिया से भाग कर बस्ती जिले में मगहर नाम स्थान पर आया।

[समय 6.25 से]

मगहर में एक कताई बुनाई मिल है। एक मिलेट्री का कैप्टेन जो मिल में सिक्यूरिटी अफसर था, उस सिक्यूरिटी अफसर के मना करने पर भी वहां के गुण्डों को लेकर उस व्यक्ति ने कताई बुनाई मिल के मैनेजर पर हमला किया। एक अफसर था कुकरेती, उसकी आंख फूट गयी थी उसके बाद भी उसका हमला मिल के मैनेजर व अन्य कर्मचारियों पर जारी रहा।

मगहर से अपना गिरोह लेकर वह गोरखपुर गया, जो कि 22 कि0 मी0 है। इसकी सूचना एस0 एस0 पी0/डी0 एम0 को दी जा चुकी थी, मा0 मुख्यमंत्री जी को भी सूचना थी, लेकिन फिर भी उसका गिरोह जो गोरखपुर जा रहा था, उसे बस्ती जिले का बार्डर नहीं पार करने देना चाहिये था, लेकिन वह मगहर से चलकर गोरखपुर तक पहुँचा और नादिरशाह की तरह से गांधी आश्रम के खजाने को लूटा और कर्मचारियों को पीटा। पुलिस के आने पर जिन गुण्डों को गिरफ्तार किया जाना चाहिये था, उनको बजाय गिरफ्तार करने के प्रोटेक्शन दिया गया। उस समय जो भी दरोगा ड्यूटी पर था, उसको निलम्बित किया जाना चाहिये। उस समय जो सी0 ओ0 था, जो अपने को उसका क्लासफैलो कहता है, उसको भी निलम्बित किया जाना चाहिये। इसके साथ ही गांधी आश्रम के कर्मचारियों पर जो मुकदमा है, उसको वापस लेना चाहिये और इन गुण्डों पर डकैती का केश चलाया जाना चाहिये।

*श्री परमात्मा प्रसाद सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने गोरखपुर गांधी आश्रम पर घटी इस शर्मनाक घटना पर बोलने का अवसर दिया। यद्यपि पूरे प्रदेश में रूल आफ लॉ है, लेकिन गोरख-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुर में उस दिन की घटना से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां गुण्डों का शासन है। 1 फरवरी को 11–12 बजे के बीच की वह घटना उत्तर प्रदेश के इतिहास में काले अक्षरों से लिखी जायगी। गांधी आश्रम के शान्तिपूर्ण अहिंसक कर्मचारियों के साथ मिलजुल कर जो भी कार्यवाही की है और सामानों की जो भी लूट-पाट की है, वह निन्दनीय है। मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि उन्होंने 26 जनवरी को गुलाम दिवस मनाया था। उन लोगों ने मगहर में प्रदर्शन किया था, जिसको बस्ती प्रशासन ने नाकामयाब कर दिया। इसके बाद उन्हीं लोगों ने गांधी आश्रम पर हमला किया और कर्मचारियों को मारा-पीटा तथा काफी क्षति पहुंचायी। इसके साथ ही आपके माध्यम से मेरी मांग है कि गांधी आश्रम के अहिंसक कर्मचारियों पर जो मुकदमा चलाया गया है, उसको वापस लिया जाय और सारे अधिकारी जो इसमें सम्मिलित हैं जिन्होंने इन कर्मचारियों की एफ0 आई0 आर0 पर कार्यवाही नहीं की, उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाय और उनको निलम्बित किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैंने जो भावना व्यक्त की थी और जैसी कि अपेक्षा की थी कि सदन के सम्मानित सदस्य गांधी आश्रम के कर्मचारियों के प्रति अच्छे भाव रखते होंगे, वह उनके भाषणों से परिलक्षित हुआ। मैं मांग करूँगा कि जो मुकदमें चलाये गये हैं, उसे वापस लें तथा जो मुकदमें में इनके तरफ से लिखाये गये हैं, उसको गिरफ्तार किया जाय और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन ने जो उदासीनता बरती है, उसकी आयुक्त से जांच करायी जाय। यह बात साफ हो गयी कि सी0 ओ0 (सिटी) श्रीवास्तव को तत्काल हटाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ।

*श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं से अवगत हुआ और वास्तव में यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देश की आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा भाग इस खादी भण्डार का भी है और इनकी सम्पूर्ण आस्था महात्मा गाँधी के उच्च आदर्शों पर निर्भर है और मैंने उन सभी तथ्यों को देखा जो हमारे समक्ष आए। वास्तव में खादी ग्रामोद्योग पर लेबर ला और बोनस ऐक्ट लागू नहीं होता है। जब धरना इन लोगों ने वहाँ पर दिया था तो यह सिटी मैजिस्ट्रेट के देखने की बात थी, उन्हें इन सारी चीजों पर गौर करना चाहिए था, जिन्होंने नहीं किया, यह उनकी पूरी तरह लापरवाही है। और दूसरी बात जो यह कही गयी कि कर्मचारियों की तरफ से पुलिस वालों पर ईंट व पत्थर फेंके गये, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता कि जो पूज्य महात्मा गांधी के सिद्धान्तों को मानने वाले लोग हैं, वह ऐसा करेंगे और जिन 109 कर्मचारियों को बंद किया गया है, यह भी विशेष रूप से बड़े दुर्भाग्य की बात है और जो एक 80 साल के बुजुर्ग कर्मचारी हैं, उनके साथ भी जो दुर्व्यवहार किया गया जो केवल सेवा भाव से खादी भण्डार में काम कर रहे थे, बड़ी गम्भीर बात है और दूसरी बात विशेष रूप से सामने यह आयी कि जिनके यहां अनशन हो रहा था उनको ही केवल पकड़ा गया और अनशनकारियों की ओर ध्यान तक नहीं दिया गया। इन सारी चीजों को देखते हुए मैं इस मामले की कमीशन इन्क्वायरी नियुक्त करता हूं।

दूसरे मुझे उस सी0 ओ0 के कार्य-कलापों पर भी मुझे संदेह है, मैंने उसे भी वहां से हटा दिया है तथा सिटी मैजिस्ट्रेट को भी वहाँ से हटा दिया है। और प्रथम दृष्टतया में जो 'केस बनता' है और जो एफ0 आई0 आर0 खादी भण्डार के अधिकारी ने लिखाई है, उसी पर कार्यवाही करने के आश्वासन देता हूँ। मैं विशेष रूप से एक ही बात कहना चाहता हूँ जो तथ्य शासन को अवगत हो जाएँ जिसमें स्थिति स्पष्ट तौर पर मालूम हो जाए, तो शासन उन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मामलों पर ऐक्शन गंभीरता से लेता है। इसी बात को माननीय देहलवी साहब ने कहा कि जो तथ्य शासन के संज्ञान में आ जाएँ तो उन पर शीघ्रता से कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं विशेष रूप से खादी ग्रामोद्योग के कर्मचारियों के साथ पूरी सहानुभूति रखता हूँ। खादी ग्राम उद्योग के कर्मचारी जो स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय सदस्य रहे हैं और महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर आधारित रहे हैं, उन कर्मचारियों के प्रति ज्यादती होती है यदि, तो इस पर शासन पूरी तरह गौर करेगा और इस मामले को गम्भीरता से लेगा और आयुक्त की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले को मैं भी जानता हूँ इसलिए मैं सरकार को निर्देश देता हूँ कि इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाए और इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिन लोगों ने गड़बड़ी की है तथा कार्यवाही करने के बाद मुझे भी सूचित किया जाए कि आपने क्या किया ?

श्री गुलाब सेहरा—

मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि वहां के सी0 ओ0, सिटी मजिस्ट्रेट और थानाध्यक्ष तीनों को हटा रहा हूँ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

जिन कर्मचारियों पर 307 का मुकदमा चलाया गया है उसको वापस लेंगे।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

टिहरी बांध के निर्माण से उत्पन्न होने वाली कथित भयावह स्थिति तथा विस्थापितों की समस्या के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री विद्यासागर नौटियाल—

श्रीमन्, टेहरी डैम के निर्माण से उत्पन्न होने वाली भयावह स्थिति के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। टेहरी बांध गंगा और मीलांगना दोनों नदियों पर बन रहा है। 11 जनवरी, 1973 को इसी माननीय सदन में नियम 52 के अन्तर्गत तत्कालीन विधायक श्री गोविन्द सिंह नेगी ने यह प्रश्न उठाया था, उस समय जो आश्वासन मिले थे, उनको हमारी सरकार ने अभी तक नहीं पूरा किया है। यह केदारखंड कहा जाता है। केदार का अर्थ वेदों में सिंचित भूमि से लगाया गया है। गंगा का बड़ा महत्व है। श्रीकृष्ण जी ने कहा था—

पर्वतों में मेरा रूप हिमालय है और नदियों में मैं गंगा हूँ। सदियों से लोग तकलीफ उठाकर गंगोत्री जाते हैं। उसका पानी लोग ले जाकर अपने घरों में सुरक्षित रखते हैं। यह पवित्र कार्य माना जाता है। हरिद्वार से भी लोग गंगा का पानी लाकर सुरक्षित करते हैं इलाहाबाद और वाराणसी में जो गंगा का पानी मिलता है वह प्रदूषित होता है। उसके जल प्रदूषण के बारे में कई बार यहां पर चर्चा हो चुकी है और मंत्रियों ने वक्तव्य दिए हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पहाड़ों में गंगा के जल प्रदूषण को बचाया जाये। टेहरी डैम के बनने से गंगा का जल प्रदूषित होगा। यह उसकी पहली समस्या है कि गंगा के जल को प्रदूषित होने से बचाया जाये। मैं अपनी बात की पुष्टि में कुछ आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मान्यवर, 853 फिट ऊँचा बांध बनेगा और 70 किलोमीटर लम्बी घाटी की झील होगी और 7511 वर्ग किलोमीटर का प्रश्रवण क्षेत्र होगा और इसका 2328 वर्ग किलोमीटर हिमाच्छादित क्षेत्र होगा।

डेढ़ लाख जनसंख्या प्रभावित होगी, 75 हजार लोग पूरी तरह से बेघर होंगे और टेहरी नगर के महित 90 गांव इसमें डूबेंगे और प्रभावित गांवों की संख्या 500 से अधिक है। मान्यवर, 1963 से 1968 तक भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जो अध्ययन किया और बांध के निकटस्थ क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया उसके अनुसार वहां पर भ्रंशों का पता चला। उनमें एक भ्रंश है महड़ भ्रंश। टेहरी बांध जहां पर बनाया जा रहा है उससे 4 किलोमीटर नदी प्रवाह की दिशा में शुरू होता है और 7.5 किलोमीटर वह गहरा है और नदी प्रवाह के विपरीत दिशा

में चला आया है। जहां पर बांध बन रहा है उसके ठीक नीचे यह भ्रंश पहुँचता है। इसके अलावा वहां पर केवल भ्रंश, श्रीनगर, थ्रस्ट, डोबरा भ्रंश, धारकोट थ्रस्ट-टिहरी भ्रंश गडोलिया भ्रंश हैं। ये सभी भ्रंश बांध के निकटस्थ हैं।

मान्यवर, हिमालय नवीनतम पर्वतमाला है जो अभी स्थिर नहीं हो पायी। हिमालय में लगातार भूकम्प आते रहते हैं। मैं इन भू-कम्पों के बारे में कुछ आँकड़े देना चाहता हूँ। 1970-71 में प्रति वर्ष 1 भूकम्प आया, 1974 में 5 भूकम्प आये और 1975 में 7 भूकम्प के झटके रिकार्ड किये गये। 1978 में भागीरथी के एक सहायक नाले कनोड़िया में भयानक भूचाल के कारण भागीरथी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया था। उससे हजारों एकड़ भूमि कट कर बह गई थी। उत्तरकाशी, भटवाड़ी नगर व मनेरी, नैताला, हीना आदि बीसों गाँव इससे क्षतिग्रस्त हुये थे। मनेरी बांध की सुरंगों में रेत भर गई थी जिसे साफ करने में सरकार का करोड़ों रुपया व्यय हुआ था। इसके लिये दो वर्षों तक कार्य करना पड़ा। इस नाले का पानी अभी भी इतना गंदा आ रहा है कि भागीरथी का जल जाड़ों में भी जब कि ग्लेशियर नहीं पिघलते थे, गंदा रहा। मैं कहना चाहता हूँ कि मान्यवर, 1978 के बाद गंगा के पानी में गाद बहती रही है। इसके बारे में मैंने पिछले वर्ष भी इस आदरणीय सदन में प्रश्न किया था और कहा था कि पिछले 10 वर्षों में वहां पर कितनी गाद रिकार्ड की गई गंगा और भिलंगना-नदियों में, तो इसके जवाब में मुझे बताया गया कि पहले से ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है लेकिन 1978 और उसके बाद के आँकड़े उन्होंने मुझे बताये थे। गाद के बारे में वैज्ञानिकों की जो राय है वह यह है कि चीन की 'ह्वांग-हो' नदी के बाद गंगा में गाद की मात्रा विश्व की समस्त नदियों की अपेक्षा सर्वाधिक है। यह आपके आँकड़े कहते हैं। अभी तक जितने भी हाई डैम्स बनाये जा रहे हैं उनमें जो अनुमान लगया गया गाद का, उसमें इन नदियों गंगा और भिलंगना की गाद सबसे ज्यादा है। बड़े बांधों के प्रश्रवण क्षेत्र के प्रति 100 वर्ग मील में जो अनुमानित दर है और जो प्राप्त दर है उसके आँकड़े में आपको देना चाहता हूँ। मान्यवर, भाखड़ा में अनुमानित दर 90 थी और प्राप्त दर 154, मैथाण (दामोदर घाटी) में अनुमानित दर 28 है और प्राप्त दर 300 हैं मनछेत (दामोदर घाटी) की अनुमानित दर 47 थी और प्राप्त दर 251, रामगंगा की अनुमानित दर 90 थी और प्राप्त दर 377 है। तुंगभद्रा 90 अनुमानित दर और 382 प्राप्त दर, मयूराक्षी 75 अनुमानित दर और 284 प्राप्त दर, निजाम सागर 6.3 अनुमानित दर और 104 प्राप्त दर, उकाई 31 अनुमानित दर और 105.3 प्राप्त दर।

मान्यवर जैसा मैंने कहा कि भागीरथी के गाद के सालों साल के आंकड़े नहीं है लेकिन यह टेहरी बांध 20 और 25 साल के अन्दर भर जायेगा। यह जो दोआब का क्षेत्र है जिसकी बहुत बड़ी उपजाऊ भूमि है वह गंगा और यमुना जो टाप स्वाइल बहाकर लाती है उसकी वजह से है जो हजारों साल से वहाँ पर ला रही हैं। तो टिहरी बाँध बन जाने से वह मिट्टी वहीं जमा हो जायेगी। इस बांध से 20 लाख 62 हजार एकड़ फुट जल भर जायेगा और इसका प्रभाव यह होगा कि जो चट्टानें हैं उनकी दरारों में पानी भर जाने से वह लूब्रीकेंट का काम करेगा। वैज्ञानिकों ने यह स्वीकार किया है कि यहाँ की चट्टानें डिसइंटीग्रेट होने वाली हैं जब पानी का भार होगा तो नये भूकम्प आ सकते हैं इससे कोई इनकार नहीं करता है। गंगोत्री ग्लेशियर का पानी बह कर इस नदी में आता है और यह ग्लैसियर 4 मीटर प्रतिवर्ष की दर से धंसता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

समय का भी ध्यान रखें। आधे घंटे में इसे समाप्त होना है आको दुबारा बोलने का मौका मिलेगा। मंत्री जी बोलना चाहेंगे तो उसके बाद आपको समय मिलेगा।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

आपने आश्वासन दिया था कि थोड़ा समय जरूरत होगी तो और देंगे। तो मान्यवर, मैं आंकड़े दे रहा था कि गंगोत्री ग्लेसियर में 232.475 वर्ग मीटर का क्षेत्र हिम विहीन हो गया है। इस बांध की वजह से और भी समस्या उठ खड़ी हो गयी हैं लोग वहाँ विस्थापित

हो रहे हैं। मैं टिहरी जिले की तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से बोल रहा हूँ जिसमें कांग्रेस (आई) भी सम्मिलित है जो टेहरी बाँध विरोधी संघर्ष समिति है वह तमाम पार्टियों की बनी है मैं इसका उपाध्यक्ष हूं। इसने माँग की है कि इसका निर्माण रोका जाय। इससे डेढ़ लाख लोग प्रभावित होंगे और एक शहर तथा 90 गांव प्रभावित होंगे। अभी तक सरकार की ओर से एक टेहरी नगर बनाया जा रहा है जिसमें केवल तीन मकान बनाये जा रहे हैं। टिहरी नगर में 15 हजार से अधिक आबादी रहती है वह नगर डूबेगा जो 90 गांव डूबेंगे उनमें से केवल 5 गाँव के लोगों को देहरादून में बसाया गया है और वे भी दिन रात रोते रहते हैं वहाँ पर उनको जीवन की आवश्यक मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं और जो बाकी गांव हैं उनके लिये सरकार के पास न तो जमीन है और न बसाने के लिए कोई योजना है। जैसे मालीटेक्स से लेकर सरोट तक भागीरथी घाटी में और सिमलासू, चिल्यासौड़ से लेकर पिलखी तक भीलांगनी घाटी में गांव कब डूबेगें किसी को पता नहीं है पर डूबेगें ऐसा अभियन्ता कहते हैं। मान्यवर, जिस तरह से टेहरी बांध का निर्माण कार्य हो रहा है, यदि कहा जाय कि 50 साल में भी निर्माण कार्य पूरा नहीं होने वाला है तो उसको मंत्री जी भी मान जायेंगे। इसलिये जब 50 साल में भी काम पूरा नहीं होगा तो गंगा भिलंगना घाटी में रहने वाले किसानों को सुख सुविधा से वंचित क्यों किया जा रहा है ? वहां समस्त विकास के कार्य रोक दिये गये हैं, बैंकों से कर्जा और ब्लाक में बीज, खाद और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, यही नहीं वहां नये स्कूल और अस्पताल खुलना बन्द कर दिया गया है वन विभाग से लोगों को खाने की लकड़ी तक नहीं दी जा रही है। जो अपने टूटते मकानों की मरम्मत कर सकें। भिलंगना और गंगा घाटी में रहने वाले लोग यतीम बन गये हैं और उनका जीवन अंधकारमय हो गया है। मान्यवर, आज टिहरी नगर नर्क बन गया है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें, आपको संक्षेप में भाषण करना चाहिये था। 6.35 पर प्रारम्भ हुआ था तो अब कितना समय रह गया है, इसलिये अब आप सकाप्त करें और बैठ जांय।

*उद्योग एवं सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, श्री विद्या सागर नौटियाल जी ने तमाम पहलुओं पर प्रकाश डाला। यह बात सही है कि यह बांध भागीरथी भिलंगना नदियों के संगम एवं वर्तमान टिहरी नगर के 1.5 कि0 मी0 नीचे ? भागीरथी नदी पर 260.5 मीटर ऊँचा बांध बनाया जायेगा। इस बांध के बनने के बाद जो पानी एकत्रित होगा उससे वर्तमान सिंचित क्षेत्र हेतु अधिक पानी उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ 2.7 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई होगी। बांध स्थल पर एक भूगर्भित विद्युत गृह बनाया जायेगा जिसकी क्षमता 2 हजार मेगावाट होगी।

मान्यवर, जो बांध का स्थल है उसका चयन करने से पहले उन सारी बातों पर, जिसकी मा0 सदस्य ने चर्चा किया, विस्तार से अध्ययन किया गया और पर्याप्त भूगर्भ संबंधी सर्वेक्षण तथा भूगर्भ विशेषज्ञों के परामर्श से किया गया है। बांध स्थल का निरीक्षण समय-समय पर देश एवं विदेश के विशेषज्ञों द्वारा भी किया गया है और बांध की ऊँचाई उपयुक्त पायी गयी।

मान्यवर, बांध स्थल एवं जलाशय क्षेत्र में भूकम्प सम्बन्धी अध्ययन भी कराये गये हैं जिसके अनुसार इस क्षेत्र में उतना ऊँचा बांध परिकल्पना में भूकम्प सम्बन्धी प्राविधान रखकर बनाया जा सकता है। जलाशय क्षेत्र में आने वाली गाद (सिल्ट) के बारे में भी परीक्षण किये गये जिसके अनुसार जलाशय का क्रियाशील जीवन 100 वर्ष से अधिक होगा। जलाशय क्षेत्र में भूस्खलन कम हों जिसके जलाशय में सिल्ट कम आये इसके लिए भूसंरक्षण हेतु एक 13 करोड़ रुपये की योजना बनायी गयी है जिस पर कार्य शुरू हो चुका है। इसके अतिरिक्त देहरादून में स्थापित वाडिया हिमालय ज्योलोजी संस्थान की सहायता से अत्याधिक भूस्खलन संवेदनशील स्थलों को छांटा जा रहा है जिससे वहाँ भूसंरक्षण कार्य प्राथमिकता पर कराये जा सकें।

इस तरह से मा0 सदस्य ने जो तमाम आँकड़े प्रस्तुत किये उनका समय कम होने से जवाब नहीं दिया जा सकता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि श्री बी0 एन0 नियोगी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डायरेक्टर इंजीनियरिंग ज्योलोजी डिवीजन, ज्योलोजिकल सर्वे आफ इंडिया, लखनऊ एवं डा0 ए0 एस0 आर्य, प्रोफेसर एवं हेड, स्कूल आफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, रुड़की विश्व-विद्यालय को एक बैठक में आमंत्रित किया गया था तो उन्होंने भू-विज्ञान, भूस्खलन से पटाव एवं भूकम्प की दृष्टि से टिहरी बांध स्थल को उपयुक्त बताया था। इस प्रकार विदेशों में किस तरह बांध बने हैं उनका और सभी बातों का अध्ययन करने के बाद टिहरी बांध स्थल भूविज्ञान एवं भूकम्प की दृष्टि से उपयुक्त स्थल बताया गया और जलाशय का सार्थक जीवन 100 वर्ष से अधिक पाया गया है। मा0 सदस्य का कहना है कि वह 25 साल में कट जायेगा तो यह बात सही नहीं है। इसलिए यह बताया जा रहा है। जहां तक इन्होंने विस्थापितों के बारे में कहा है, उनको जितनी भी सुविधा हो सकती है, हर तरह की सुविधा दी जा रही है। जिनकी जमीन ली गई है उनको जमीन देने का जो निर्णय लिया गया है, मकान जिनके हटायेंगे उनको मकान देने का जो निर्णय किया है, उसके अनुसार हम सबको मैक्जिमम देगें। इतना बड़ा कम्पेन्सेसन और इतनी बड़ी सुविधा आज तक उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं दी गई है। नौटियाल साहब को इन बातों की कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसे देश और प्रदेश के इन्ट्रेस्ट में बनाया जाता है, उससे वहां पर टूरिस्ट सेन्टर बनेगा, वहां पर तमाम छोटे-छोटे धंधे लगेगें, वहां के लोगों को बिजली और पानी मिलेगा। इससे वहां के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। इसके साथ-साथ पहाड़ की बनता के साथ-साथ देश और पूरे प्रदेश का बहुत बड़ा कल्याण होगा। नौटियाल जी इस चीज को पोलिटिकल रूप से यहां उठाते हैं, यों इसमें कुछ है नहीं। यह बांध बन रहा है और बनेगा।

श्री दीना नाथ--

मान्यवर, सदन में कोरम नहीं है, 7 बज गये कोरम नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि बलिया वाले वक्तव्य को कर लिया जाए।

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति तथा मंत्रियों को परामर्श देने के लिए 29 स्थायी समितियों में सदस्यों के निर्वाचन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 200 के साथ पठित नियम 229 (2) के अनुसार लोक लेखा समिति में 21 से अनधिक सदस्य, नियम 231 (2) के अनुसार प्राक्कलन समिति में 25 से अनधिक सदस्य, नियम 232-ख के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम एवं नियम समिति में 25 से अनधिक सदस्य।

(2) विधान सभा तथा विधान परिषद् द्वारा क्रमश: दिनांक 6 अगस्त, 1974 एवं दिनांक 14 अगस्त, 1947 को पारित संकल्प के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति में 21 सदस्य, तथा।

(3) मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य विधि के नियम 1 (ङ) के साथ पठित नियम 1 (क) के अनुसार 29 स्थायी समितियों में प्रत्येक में 16-16 सदस्य, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए और उसके बाद समय-समय पर उनमें आकस्मिक रिक्तयों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए सदस्य, विधान सभा द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। उक्त सम्बन्धित नियमों तथा संकल्प के उपबन्धों के अनुसार वर्ष 1983-84 के लिए सदन की उक्त समितियों तथा मंत्रियों को परामर्श देने के लिए 29 स्थायी समितियों के लिए निर्वाचन किया जाना है।

सम्बन्धित नियमों एवं संकल्प के उपबन्धों को उस सीमा तक निलंबित करते हुए

जहां तक वे उक्त समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, यह सदन श्री अध्यक्ष को, उक्त सभी समितियों में वर्ष 1983–84 के लिए विधान सभा के सदस्यों को तथा उसके बाद उक्त वर्ष की उक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों को, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथा समय सदस्यों को, नाम-निर्देशित करने हेतु प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों एवं संकल्प की उपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जावेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, सदन उसको स्वीकार करता है ।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।]

टिहरी बांध के निर्माण से उत्पन्न होने वाली कथित भयावह स्थिति तथा बिस्थापितों की समस्या के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---

माननीय कुंवर सिंह नेगी, आप अपना स्पष्टीकरण पूछ लीजिए, भाषण की बात नहीं !

श्री कुंवर सिंह नेगी---

मान्यवर, मैं यह जो नौटियाल जी ने टेहरी डैम के विस्थापितों के बारे में कहा है, इसमें जैसी कि यह बात आई कि 90 गांव डूबे हुये क्षेत्र में आ रहे हैं, उनके विस्थापन का सवाल है । अब तक 5 गांव की जनसंख्या को विस्थापित किया है । यहां के माननीय ब्रह्मदत्त की कंस्टीट्यैंसी में वह लोग जा रहे हैं, उनको एतराज है कि टिहरी वालों के यहां पर आने से उनको नुकसान हो जायगा । इसलिए उनको न बसाया जाय । आपका डैम कब बनेगा, वह अनिश्चित है, वहां पर एक अनिश्चितता का वातावरण है, वे लोग संशय में हैं, वहां पर कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है । नहर नहीं है, कोई भी नई योजना वहां पर नहीं बन रही है । तो आपने वहां के लोगों को बिलकुल दुबिधा में रखा हुआ है । मेरा सुझाव है कि कालागढ़ में जो रामगंगा परियोजना बनी हुई है, वहां पर अच्छा नगर बना है, तो आपका विभाग उन बनी हुई कालोनियों को तोड़ रहा है । जो बसाया हुआ आधुनिक बाजार है, उसको तोड़ रहा है । इसलिए टिहरी डैम वालों को वहां पर विस्थापित करिये, मेरी आग्रह है कि इन लोगों के विस्थापन कार्य में रुचि लीजिए और उनको संशय और दुविधा के वातावरण में न रखें ।

उद्योग एवं सिचाई मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, यह जो नेगी जी का कहना है, अभी तक 100–1200 परिवार के लोगों को विस्थापित किया गया है, बाकी जो लोग हैं, उनके लिए किया जा रहा है । जो यह आपका कहना है कि देहरादून में जो किया जा रहा है, देहरादून में 328–एकड़ भूमि ली गयी है, वहां इनको बसाने के लिए, सहारनपुर में 132 एकड़ भूमि ली गयी है । इस तरह से देखकर जहां-जहां जो कुछ हो सकता है, वह किया जा रहा है और जो सरकार ने वादा किया है, उसको पूरा किया जायगा ।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो कुछ यहां पर कहा है, तो उन्होंने आदरणीय सदन को धोखा दिया है । टिहरी नगर के अन्दर लोगों के मकान नापे जा रहे हैं । आप उनको कब पैसा देंगे नहीं पता है, कहां बसायेंगे यह नहीं पता है ।

श्री अध्यक्ष--

आप स्पष्टीकरण मागें ।

श्री विद्यासागर नौटियाल---

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ । टिहरी बांध कंट्रोल बोर्ड में केवल आफिसर्स हैं तो क्या उसमें आप जन प्रतिनिधियों को रखेगें ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

कंट्रोल बोर्ड में रहने से मैं नहीं समझता कि क्या फायदा हो जायगा। कंट्रोल बोर्ड जो बना है उसके अनुसार काम हो रहा है ।

श्री विद्यासागर नौटियाल---

मेरा फायदा न हो लेकिन आपका नुकसान क्या हो रहा है ?

पुलिस द्वारा बलिया जनपद स्थित विजय टाकीज सिनेमा हाल के कर्मचारियों को पीटे जाने के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष---

मद संख्या 19 के सम्बन्ध में माननीय राम गोविन्द ने कहा है कि इसको कल ले लिया जाय । मैं इसको स्थगित करता हूं ।

कच्चे माल की कमी के कारण फिरोजाबाद कांच उद्योग ठप्प हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—मद संख्या 20 को पढ़ा हुआ समझा जाय ।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी ।)

उद्योग एवं सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)---

फिरोजाबाद जनपद आगरा में कांच और चूड़ी उद्योग से सम्बन्धित लगभग 245 इकाइयां हैं जो ईधन के रूप में स्टीम कोल का प्रयोग करती है । उनकी कुल आवश्यकता 23,000 बैगन की है, उद्योग निदेशालय द्वारा गत वर्ष इन कांच इकाइयों के लिए 16,000 बैगन की स्पान्सरिंग की गई जिसके विरुद्ध उन्हें 4,500 बैगन स्टीम कोल प्राप्त हुआ । इससे स्पष्ट है कि कांच इकाइयों को उनकी आवश्यकता का लगभग 20 प्रतिशत कोयला मिल पाता है । प्रदेश में कोयले की आपूर्ति में पर्याप्त कमी को ध्यान में रखते हुए निदेशालय द्वारा इकाइयों को कोयले की आवंटन नीति निर्धारित की जाती है जो कांच इकाइयों के लिए क्षमता का 25 प्रतिशत तथा गत तीन वर्षों में अच्छे उत्पादकता वर्ष के उत्पादन का 75 प्रतिशत आंकलित किया जाता है । तत्पश्चात् आंकलित आवंटन में कोयले की कमी के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित कटौती लगाकर कांच इकाइयों को बैगन की स्पान्सरिंग की जाती है । उक्त कटौतियों के बावजूद स्पान्सर्ड बैगनों पर रेल मंत्रालय द्वारा अलग से कटौती लगाई जाती है, परिणाम स्वरूप इकाइयों को उनकी आवश्यकता का 10 से 20 प्रतिशत तक ही मिल पाता है ।

प्रदेश में कोयले की आपूर्ति में सुधार लाने की दिशा में बराबर प्रयास किए गए हैं । भारत सरकार के रेल मंत्रालय को निर्धारित वैगन सीलिंग में बढ़ोत्तरी करने तथा वैगनों के संचरण में पर्याप्त सुधार लाने के सम्बन्ध में उच्चस्तर से पत्र लिखे गए हैं, किन्तु समस्या यथावत् है । रेलबे द्वारा वैगनों के माध्यम से कोयले की आपूर्ति न करने के कारण कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सड़क से कोयला लाने की सुविधा दी जाती है किन्तु उसमें भी उद्योगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है और उसके बाबजूद भी कोयला अपेक्षित मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाता । शासन द्वारा भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों से इस समस्या के निदान का प्रयास किया गया और सड़क के माध्यम से कोयला लाने की नीति में कुछ शिथिलता बरतने का आश्वासन भी प्राप्त हो चुका है और इसी प्रत्याशा में ऐसी सभी इकाइयों के हित में सड़क से कोयला लाने हेतु रोड परमिट की संस्तुति कोल इंडिया लिमिटेड, को निदेशालय द्वारा की जा रही है ।]

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं । कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 4 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, बिधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
6 अप्रैल, 1983

नोटः—[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—80 का उत्तर पीछे पृष्ठ..... पर।)

माचिस उद्योग—

ऐसी इकाईयों की सूची जिन्हें वर्ष 1981–82 में पार्ट पेमेन्ट किया गया है

क्र0	नाम इकाई	मद	वर्ष 1981–82 तक वितरित		उपभोग स्थिति	1.4.82 से 31.12.82 तक वितरित		उपभोग स्थिति
			चेक नं0/दिनांक	धनराशि		चेक नं0/दिनांक	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बिजनौर सेवा संस्थान, बिजनौर	उपकरण	602876 दिनांक 31.3.82	12000	7512/– का उपकरण 4.7.82 को ले गये तथा 4488/– ड्राफ्ट संख्या 044387 दिनांक 8.7.82 द्वारा इकाई को दिया गया।	61008 8.12.82	10000	पूरा 10,000 का सामान 26.1.83 को ले गये।
2.	बलदेव सेवा सदन, 8 सलोरी, इलाहाबाद	उपकरण	,,	12000	पूरा सामान दिनांक 15.7.82 को ले गये।	,,	10000	3000 रु0 का सामान 10.2.83 को ले गये तथा 7000 बैंक ड्राफ्ट सं0 24995 दिनाक 7.2.83 से दिया गया।
3.	माचिस औद्योगिक सहकारी समिति पूरे केसरी, सुल्तानपुर	उपकरण	,,	12000	10764/90 का उपकरण 1.8.82 को ले गये तथा 1235.10 बैंक ड्राफ्ट नं0 044898 दिनांक 14.9.82 को दिया गया।	,,	10000	3000 का सामान 2.3.83 को ले गये तथा 7000/– बैंक ड्राफ्ट नं0 249928 दिनांक 5.2.83 द्वारा दिया गया।
4.	बुन्देलखण्ड मानव सुधार संस्था, बांदा	उपकरण	,,	12000	11760 का उपकरण 15.10.82 को ले गये।	,,	10000	7000/– बैंक ड्राफ्ट संख्या 249953 दिनांक 7.2.83 को दिया गया तथा 3240 रु0 का सामान 9.3.83 को ले गये।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	सालिया ग्राम विकास समिति, गुन्नेर बदायूं	उपकरण	602876 31.3.82	12000	सभी का सामान ले गये ।	612008 8.12.82	10000	7000/– रु0 बैंक ड्राफ्ट सं0 249954 दिनांक 7.2.83 को दिया गया शेष 3000 का उपकरण 10.2.83 को ले गये ।
6.	जय किसान माचिस औ0 उ0 स0 स0 लि0, गोरखपुर	उपकरण	,,	12000	10500 का उपकरण दिनांक 16.10.82 को ले गये ।	,,	10000	7000 रु0 बैंक ड्राफ्ट संख्या 249927 दिनांक 5.2.83 को दिया गया तथा 4500 का सामान 8.2.83 को ले गये ।
7.	दि शक्ति माचिस औ0 उ0 स0 स0 लि0, पीलीभीत	उपकरण	,,	12000	11683 का उपकरण 5 व 30.8.82 को ले गये ।	,,	10000	7000 बैंक ड्राफ्ट नं0 249952 दिनांक 7.2.83 द्वारा दिया गया शेष 3215 का उपकरण 29.1.83 को ले गये ।
8.	भारतीय श्रमिक सेवा सस्था, कानपुर	उपकरण	,,	12000	706/– का उपकरण दिनांक 6.7.82 को ले गये तथा 11294/– रु0 बैंकड्राफ्ट नं0 462450 दिनांक 9.7.82 को दिया गया ।	,,	10000	10000 रु0 का सामान 18.1.83 को ले गये ।
9.	विलवाना ग्रामोद्योग सेवा संस्था, आजमगढ़	,,	,;	12000	8995.50 का उपकरण 29.7.82 को ले गये तथा 3004.50 बैंकड्राफ्ट नं0 044050 दिनांक 11.8.82 द्वारा दिया गया ।	,,	10000	3000 का सामान 28.2.83 को ले गये तथा 7000 बैंकड्राफ्ट नं0 61203 दिनांक 21.2.83 को 7000 दिया गया ।
10.	शीशपाल सेवा समिति घमेड़ा, बुलन्दशहर	,,	,,	12000	11866/– का सामान 1.10.82 को ले गये ।	,,	10000	7000 का बैंकड्राफ्ट नं0 249951 दिनांक 7.2.83 को दिया गया । अभी अवशेष सामान उठाना है ।

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–92 का उत्तर पीछे पृष्ठ..... पर।)

संलग्नक "क"

नलकूप मंडल, इलाहाबाद

जनपद मिर्जापुर में वर्ष 81–82 में छिद्रित नलकूपों की सूची

क्रमांक	विकास खंड का नाम	नलकूप सं0 व ग्राम का नाम
1	2	3
1.	छानवें	237 विरौरा पांडेय–11
2.	छानवें	238 नगवासी–111
3.	छानवें	239 डगहर–11
4.	छानवें	240 गौगांव–111
5.	छानवें	241 मिलगौर
6.	छानवें	243 भावां
7.	छानवें	242 गौरा–111
8.	सिटी	244 बौरशाहपुर
9.	छानवें	245 रामपुर बहुती
10.	कौन	246 रामपुर
11.	कौन	247 चन्देल गड़िया
12.	मझवां	248 डियांव
13.	सिखड़	249 मुन्दीपुर
14.	मझवा	250 बजहां पंचम
15.	पहाड़ी	251 धधरूवां
16.	पहाड़ी	252 शिवमऊ
17.	पहाड़ी	253 माधोपुर
18.	नरायनपुर	254 बघेड़ा
19.	नरायनपुर	255 पचेरा
20.	सिटी	256 अधौली

यू0 पी0 प्रिंटिंग प्रेस, इलाहाबाद—72 वि0 सभा—5–12–83 (813 प्रतियाँ)